राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 6] ग्यारहवीं विधान सभा के छठे सत्र का तैतालीसवां दिवस [संख्या : 21

मंगलवार

8 मई, 2001

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री हीरालाल सहरिया।

विधान सभा क्षेत्र किशनगंज के भू-संरक्षण कार्यों में अनियमितताओं की जांच

475. **श्री हीरालाल सहरिया** (किशनगंज) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में भू-संरक्षण के तहत कौन-कौनसे कार्य करवाये गये हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या वर्ष 1999-2000 में कराये गये उक्त कार्यों का मूल्यांकन हो गया है? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त विधान सभा क्षेत्र में भू-संरक्षण के तहत निर्मित एनीकटों एवं वाटर शैड में घटिया किस्म की सामग्री का उपयोग किया गया है? यदि हां, तो उक्त में कौन-कौन कार्यकारी अधिकारी दोषी हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

कृषि मंत्री (श्री तैयब हुसैन) : (1) विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में भू-संरक्षण के तहत राष्ट्रीय जलग्रहण विकास योजनान्तर्गत दो, सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत 10 एवं सूखा सम्भाव्य क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत तीन, कुल 15 जलग्रहण क्षेत्रों में जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण कार्य करवाये जा रहे हैं जिनकी सूची परिशिष्ट 'अ' सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें।)

श्री हीरालाल सहरिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, पहली बात तो ये सूची दी गयी है, विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में बरेडा नाम का कोई गांव ही नहीं है। दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो यह काम किये गये हैं, मैंने पूछा है कि इनका मूल्यांकन हो गया क्या, तो इसमें बताया गया- नहीं।

श्री अध्यक्ष : कौनसा गांव नहीं है ? कौनसा गांव नहीं है?

श्री हीरालाल सहरिया : बरेडा नहीं है, साहब, यह तो मैं कह रहा हूं कि मंत्रीजी ने जो जवाब दिया है बरेडा गांव का, यह बरेडा गांव मेरा है नहीं (व्यवधान) गड्डा भी नहीं है, यह बडारा है। तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो यह लिस्ट दी गयी है, यह काम जो बरेडा गांव के लिखे हैं, वह बडारा गांव है और वह बडारा गांव में जो जल संरक्षण के काम किये गये हैं, केवल 8-8, 10-10 और खारियों में पत्थर रखकर वह काम किया है इसीलिए तो इसका मूल्यांकन नहीं हुआ। मूल्यांकन इसीलिए नहीं हुआ कि उसमें अनियमितताएं की गयी हैं सोइल कंजर्वेशन वालों ने और पैसा खा गये हैं। काम–वाम कुछ नहीं कराया, क्या यह सही है ?

श्री तैयब हुसैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इस बात का तो मुझे अफसोस है कि वह गांव जो नहीं और महकमे ने दिया है, मैं उसकी पूरी जानकारी करूंगा कि इस तरह की गलत इत्तला क्यों दी है। दूसरी बात यह है कि वहां अगर कोई काम...

श्री अध्यक्ष : नहीं, गांव तो है लेकिन गांव का नाम दूसरा है, क्यों हीरालालजी ?

श्री हीरालाल सहरिया : जी हां। गांव बडारा है, बरेडा नहीं है। जब गांव ही गलत दिया है तो, साहब, वहां काम ही नहीं हुए होंगे।

श्री अध्यक्ष : बरेडा नहीं है, बडारा है।

श्री तैयब हुसैन : बरेडा और बडारा में तो कोई ऐसी बात नहीं है।

श्री हीरालाल सहरिया : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि पहली बात तो अधिकारियों ने आपको जानकारी भेजी है वह बहुत असत्य भेजी है क्योंकि इसमें वह गांव का नाम ही नहीं दे पाये तो मैं प्रोटेक्शन चाहूंगा कि काम भी नहीं हुए होंगे। जो इन्होंने बरेडा की लिस्ट दी है, वहां भू–संरक्षण वालों द्वारा एक भी पत्थर नहीं रखा गया होगा इसलिए उसकी पूरी जांच कराई जाये, मैं तो यही पूछना चाहता हूं मंत्री महोदय से।

श्री तैयब हुसैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, किशनगंज से आने वाले माननीय सदस्य जो फरमा रहे हैं कि वहां काम नहीं हुए हैं, मैं बिलकुल जिससे चाहें जैसे चाहें, मैं उसकी इंक्वायरी करा दूंगा। (व्यवधान)

श्री खेमराज कटारा (उदयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि भू–संरक्षण विभाग के जो काम हो रहे हैं, क्या उस पर विभाग का नियंत्रण है? अगर नहीं है नियंत्रण तो नियंत्रण रखने की कोई मंशा है सरकार की?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से, मंत्री महोदय, आपसे जानना चाहूंगा कि जो कार्य भू–संरक्षण करता है, क्या आपके विभाग में यह पद्धति है कि इसका मूल्यांकन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए?

श्री तैयब हुसैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मूल्यांकन तो तब होगा जब काम खतम होगा। अभी काम चल रहा है। 1997 से शुरू हुआ है, चार साल के बाद जब काम खतम होगा तो

(श्री तैयब हुसैन)

उसका मूल्यांकन होगा। इवेल्यूएशन और इंस्पेक्शन दोनों बातों में फर्क है।

श्री खेमराज कटारा : अध्यक्ष महोदय, मैंने नियंत्रण की बात पूछी है, मंत्रीजी, क्या आपका पूर्ण रूप से विभाग पर नियंत्रण है जो काम चल रहे हैं भू-संरक्षण के, उन पर?

श्री रमजान खान (पुष्कर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री कटारा जी। श्री कटाराजी पहले पूछ रहे हैं। कटारा जी।

श्री खेमराज कटारा : मैंने आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछा है कि भू-संरक्षण के जो काम राजस्थान में चल रहे हैं, वह क्या विभाग के नियंत्रण में हैं ? अगर नहीं है तो सरकार नियंत्रण में लेने की सोचती है क्या, क्योंकि जहां-जहां काम हो रहे हैं, समितियों के माध्यम से हो रहे हैं और बड़े तौर पर अनियमितताएं हो रही हैं। इसलिए मेरा यह गम्भीर सवाल है। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मंत्रीजी इसको स्पष्ट करें।

श्री अध्यक्ष : इसको आप जनरलाइज कर रहे हैं। प्रश्न तो किशनगंज कांस्टीट्यूएंसी का है, उनके विधान सभा क्षेत्र का है, लेकिन आप तो जनरल सवाल पूछ रहे हैं।

डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा, जैसा उन्होंने बताया कि चार साल में मूल्यांकन होगा, तो चार साल में मूल्यांकन कर रहे हैं फिर यह जो घपले हो रहे हैं तो उनका पता क्या लगेगा, आप प्रतिवर्ष में मूल्यांकन की पद्धति क्यों नहीं अपनाते?

श्री अध्यक्ष : डाक्टर किरोड़ीलालजी, आप नहीं। श्री रमजान खान।

श्री रमजान खान : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जो भू-संरक्षण विभाग के काम हो रहे हैं, क्या उन कामों की आपके विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों ने जानकारी ग्राम पंचायत के सरपंच को और चुने हुए वार्ड पंचों, पंचायत समिति के सदस्यों को और एम.एल.ए. और एम.पी. को दी है क्या और यदि नहीं देते हैं तो क्यों नहीं देते हैं? इसकी कोई जानकारी नहीं होती है, अध्यक्ष महोदय, बीच में ही वह गोलमाल कर देते हैं।

श्री तैयब हुसैन : अध्यक्ष महोदय, यह इत्तला तो सबको दी जाती है और देनी चाहिए। दूसरा यह है, इसमें जहां तक महकमे का नियंत्रण है, वह तो है ही है उसके ऊपर।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : नहीं, पूरा है, आप यह कहिये।

श्री रमजान खान : अध्यक्ष महोदय, ग्राम पंचायत को मालूम ही नहीं पड़ता है कि कब कहां भू-संरक्षण के काम हो रहे हैं और किस तरह के काम हो रहे हैं, इसकी कोई जानकारी नहीं है सरपंच को।

श्री तैयब हुसैन : नहीं, अध्यक्ष महोदय, हर गांव में यूजर्स कमेटी होती है, उसका प्रधान होता है, उसके द्वारा काम किये जाते हैं।

श्री रमजान खान : नहीं, प्रधान बनाता कौन है? आपके विभाग के अधिकारी मिल-मिल कर प्रधान बना लेते हैं, सरपंच बना लेते हैं, किसी गांव वालों को मालूम ही नहीं पड़ता है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट प्रश्न। श्री संयम लोढ़ा।

विद्युत दरों में बढ़ोतरी हेतु प्रस्तावों पर व्यय राशि

476. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लि. की ओर से विद्युत दरों में बढ़ोतरी की याचिका तैयार करने का काम किस कम्पनी/फर्म/व्यक्ति को सौंपा गया एवं उक्त के लिए उक्त पक्षकार को कितनी रकम अदा की गयी? उक्त कार्य को देने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राजस्थान विद्युत नियामक आयोग के समक्ष जयपुर, जोधपुर और अजमेर विद्युत वितरण नियमों की ओर से विद्युत दरों में बढ़ोतरी की याचिका तैयार करने का काम किस कम्पनी/फर्म/व्यक्ति को सौंपा गया एवं उक्त के लिए उक्त पक्षकार को कितनी रकम अदा की गयी? उक्त कार्य को देने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गयी? विवरण पृथक-पृथक सदन की मेज पर रखें।

ऊर्जा मंत्री (डा. चन्द्रभान) : (1) राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि. की ओर से विद्युत दरों में बढ़ोतरी हेतु याचिका तैयार करवाने का काम ऊर्जा वित्त निगम (पावर फाइनेंस कारपोरेशन) नई दिल्ली को सौंपा गया था एवं इसके लिए ऊर्जा वित्त निगम को रुपये 3,63,556 का भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-

मद	राशि (रुपयों में)
फीस	2,50,000
सर्विस टैक्स	12,500
अन्य खर्चे	1,01,056
कुल योग	**3,63,556**

ऊर्जा वित्त निगम, नई दिल्ली में उपरोक्त विषय से सम्बन्धित कंसल्टैंसी के प्रस्ताव प्रस्तुत किये थे। उन प्रस्तावों पर विचार कर ऊर्जा वित्त निगम, नई दिल्ली को कंसल्टैंसी हेतु आदेश दिया गया था। यह कम्पनी भारत सरकार के नियंत्रण में है।

(2) जयपुर, जोधपुर एवं अजमेर विद्युत वितरण निगमों द्वारा विद्युत दरों के पुनर्निधारण हेतु नियामक आयोग के समक्ष याचिकाएं तैयार कर प्रस्तुत करने का कार्य मैसर्स प्राइस वाटर हाउस कूपर्स डवलपमेंट एसोसियेट्स को सौंपा गया था। उक्त कार्य के लिए प्रत्येक विद्युत वितरण निगम लि. की ओर से रुपये 21,31,250 का भुगतान राज्य सरकार द्वारा मैसर्स प्राइस वाटर हाउस कूपर्स डवलपमेंट एसोसियेट्स को किया गया।

राज्य में विद्युत क्षेत्र सुधार कार्यक्रमों को लागू करने के लिए अन्तरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक निविदाओं के आधार पर मैसर्स प्राइस वाटर हाउस कूपर्स डवलपमेंट एसोसियेट्स को 15 जुलाई, 1995 को सलाहकार नियुक्त किया गया था। इनके द्वारा राज्य में विद्युत दरों के निर्धारण की याचिकाएं तैयार करने सहित ऊर्जा क्षेत्र में सुधार के कार्यक्रमों की क्रियान्विति करने संबंधी अन्य कार्य भी किये गये हैं।

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय के जवाब से यह बात तो जाहिर हो गयी कि बिजली की दरों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव तैयार करने के लिए सत्तर लाख रुपये का धुआं उड़ाया गया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि बिजली की दरें राज्य में कई बार बढ़ाई गयी हैं, इसमें पूर्व दर बढ़ाने के प्रस्ताव तैयार करने का कार्य कब-कब किस कम्पनी को दिया गया और कितनी राशि अदा की गयी? दूसरा, हम परदर्शी और संवेदनशील शासन देना चाहते हैं, फिर आपने इसमें टेण्डर क्यों नहीं किये? तीसरा, अगर 1995 में ऊर्जा विभाग ने प्राइस वाटर हाउस को सलाहकार नियुक्त किया था तो वे क्या कारण थे कि प्रसारण निगम ने मात्र 3.63 लाख रुपये में पी.एफ.सी. को ठेका दिया और वितरण कम्पनियों ने करीब 65 लाख रुपये में पी.डब्लू.सी. को ठेका दिया? चौथा, प्राइस वाटर हाउस कूपर्स डवलपमेंट एसोसिएट्स का मुख्यालय कहां पर है और 1995 में सलाहकार नियुक्त करने के बाद अब तक किस-किस कार्य के लिए कितना-कितना भुगतान किया गया और गत छह वर्षों में कुल कितना भुगतान इसको किया गया? और राजस्थान पावर सैक्टर रिफार्म्स नाम से एक रिपोर्ट पी.डब्लू.सी. ने आपको तैयार कर दी है, इस पर इसको कितना भुगतान किया गया और इसमें कृषि बिजली की दर प्रति वर्ष बढ़ाने व अन्य दर दस फीसदी हर वर्ष बढ़ाने को कहा गया है, क्या आपने यह रिपोर्ट स्वीकार कर ली है?

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक तो जानकारी यह चाही है कि यह जो राशि विद्युत प्रसारण निगम ने टैरिफ एप्लीकेशन के लिए लगाई, एक तो कम है और जो वितरण निगम हैं उनकी ज्यादा है। अध्यक्ष महोदय, यह बल्क इलैक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए जो एप्लीकेशन लगती है आर.बी.पी.एन. की तरफ से रेगुलेटरी कमीशन में, वह बहुत सिम्पल होती है। इसलिए उसके लिए कम धनराशि अदा करनी पड़ी और जो डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनियों की ओर से लगाई जाती है वह बड़ी काम्प्लीकेटेड होती है, वह खुदरा बिजली की सप्लाई के लिए निर्धारित की जाती है। मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा कि 100 से 150 पेज की एक कम्पनी की एप्लीकेशन लगी है और उसमें सभी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। उसमें फिक्स कास्ट भी है, एनर्जी कास्ट भी है, इतने कंजूमर हैं, अलग-अलग कैटेगिरी के कंजूमर हैं और कितने टी. एण्ड डी. लासेज हैं, पूरा उसका सर्वे करके, जानकारी लेकर लगानी पड़ती है। इसलिए यह बात सही है कि वितरण निगम की जो एप्लीकेशन लगी हैं उनका भुगतान ज्यादा किया गया है और प्रसारण निगम की जो लगी है उसका कम किया गया है।

माननीय सदस्य ने एक सवाल किया कि पहले भी इस तरह की कोई एप्लीकेशन लगी टैरिफ इन्क्रीज के लिए तो उसके लिए कितनी राशि अदा की गयी। अध्यक्ष महोदय, पहले तो आर.एस.ई.बी. जो था वह खुद ही एप्लीकेशन अपनी तैयार करता था और खुद ही उसके प्रस्ताव बनाता था और राज्य सरकार से उसकी मंजूरी हो जाती थी। यह रेगुलेटरी रिजीम जो आई है और उसमें विद्युत नियामक आयोग एक तरह से इण्डिपेंडेंट काम कर रहा है और कानूनी दर्जा है और बाकायदा एक तरह से कोर्ट की तरह से उसमें कार्यवाही होती है, उसमें जो एप्लीकेशन लगाई जाती है, वह और इनमें अंतर है। अन्य राज्यों में जहां-जहां भी रिफार्म्स हुए हैं

(डा. चन्द्रभान)

और रेगुलेटरी कमीशन के सामने एप्लीकेशंस लगी है उनमें बड़ी त्रुटियां पाई गयी हैं और यहां भी कई त्रुटियां और आपत्तियां आई हैं। उनका निराकरण भी इन प्राइस वाटर हाउस के द्वारा हमने कराया है। यह जो आप कह रहे हैं कि 21 लाख रुपये दिये, करीब 365 आपत्तियां आईं, उनको दुरुस्त किया गया। फिर जनता के स्तर पर सुनवाई हुई। उनका भी जवाब तैयार करके उनको देना पड़ा। तो यह थोड़ी काम्प्लीकेटेड हैं एप्लीकेशन और आप जानते हैं कि चार महीने तक लगातार सुनवाई होने के बाद में इसमें फैसला हुआ है, सभी उपभोक्ताओं ने हिस्सा लिया है और बाकायदा सुनवाई हुई है अजमेर में, जोधपुर में, जयपुर में। तो यह थोड़ी काम्प्लीकेटेड एप्लीकेशन हैं और हर राज्य में इस तरह के जो कंसल्टेंट्स हैं उनके द्वारा तैयार कराई गयी हैं। हमारे प्रदेश में इस तरह का अनुभव नहीं था इसलिए जिन राज्यों में भी रिफार्म्स हुए हैं, उन सभी राज्यों में, मैं निवेदन आपसे करना चाहूंगा कि अन्तरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं, उनके द्वारा ही यह प्रार्थना-पत्र तैयार किये गये हैं और लगाये गये हैं। पहले चूंकि यहां पर रिफार्म्स नहीं थे, रेगुलेटरी रिजीम नहीं थी इसलिए इस तरह कोई एप्लीकेशन वगैरह तैयार नहीं की जाती थी।

माननीय सदस्य ने तीसरा सवाल किया है कि 1995 से प्राइस वाटर हाउस एक कंसल्टेंट के रूप में काम कर रहा है, इसको कब-कब और कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया। अध्यक्ष महोदय, 15 जुलाई, 1995 को आई.सी.बी. के थ्रू इसका चयन किया गया था और 1997 तक इसका जब चयन किया गया था, यह भी मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा कि यह रिफार्म्स के लिए प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन प्लान मुख्य रूप से इन्हें तैयार करना था, इसमें एफ.आर.पी. वगैरह दूसरे भी काम थे और वर्ल्ड बैंक की भी अनुमति ली गयी थी। और जो वर्ल्ड बैंक का लोन है उसमें भी यह व्यवस्था थी की टू मिलियन डालर इस प्रोजेक्ट की तैयारी के लिए और प्लान के लिए, इसके लिए इससे ज्यादा नहीं कर सकते। उस समय राज्य सरकार ने आई.सी.बी. के थ्रू इसको कंसल्टेंट नियुक्त किया तो उसके लिए 1.2 मिलियन यू.एस. डालर की व्यवस्था की गयी। 1995 से लेकर 1997 तक प्रिवियस गवर्नमेंट के टाइम में कुल 6 लाख 50 हजार यू.एस. डालर का भुगतान इसको किया गया। आज की तारीख में यदि रुपयों से गिनती करे तो यह 3 करोड़ से थोड़ा ज्यादा है और इसको जो टास्क असाइन की गयी वह थी फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग आफ आर.एस.ई.बी.। उस समय आर.एस.ई.बी. को एक कम्पनी में ही परिवर्तित करने का काम था। अब तो पांच कम्पनियों में विभक्त किया गया है और दूसरा था इसको, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन प्लान। उसके बाद में, अध्यक्ष महोदय, नई सरकार आने के बाद में रिफार्म्स के स्वरूप को भी बदला गया और इसे गति दी गयी। उसके बाद में सितम्बर 24, 1999 को दोबारा इसमें संशोधित कार्यक्रम जारी किया गया और उसमें इसका जो वर्क है इसको बढ़ाया गया। उसमें पांच मुख्य कार्य थे-

1. Reform programme management,
2. Project implementation plan,
3. Financial restructuring plan for 5 companies,
4. Distribution configuration to form distribution companies, and

(डा. चन्द्रभान)

5. (a) Human resources, transfer strategy and scheme

   (b) Valuation of staff liabilities.

और इसमें, अध्यक्ष महोदय, जो रेस्ट आफ मनी थी वह करीब 5 लाख 50 हजार यू.एस. डालर थी। वह इन सब काम में 99 से लेकर 2000 तक जिसमें हमने सब पूरे रिफार्म्स प्रोसेस को कम्पलीट किया। पहले तो जो रिफार्म्स थे वह रिफार्म्स तो प्रिवियस गवर्नमेंट लागू नहीं कर पाई। इसके अन्तर्गत हमने पालिसी स्टेटमेंट भी, जो अपना एक्ट था वह बनाया। रेगुलेटरी कमीशन भी हमने बना दिया। आर.एस.ई. बी. का अनबण्डलिंग भी कर दिया। ट्रांसफर स्कीम जो थी उसको हमने लागू भी कर दिया और इसके साथ में एफ.आर.पी. जो थी उसको भी हमने फाइनल कर दिया। इसके साथ में, अध्यक्ष महोदय, फिर 21 दिसम्बर को यह और चूंकि टैरिफ वगैरह की जो बात अभी माननीय सदस्य ने कही, इसके लिए इसका वर्क स्कोप और बढ़ाया गया। इसमें छह चीजें आईं मुख्य रूप से, जो मैं आपको निवेदन करूं। इसमें है :-

1. Submission of retail tariff applications and support till issue of tariff order,
2. Power purchase agreement between RBUN and RBPN,
3. Bulk supply agreement between RBPN and DISCOMs,
4. Technical inter-phase arrangements metering, communication and protection between JAIMCO and TRANSCO, and DISCOM among DISCOMs and interstate Points,
5. Financial transfer scheme finalisation, and
6. Staff transfer Scheme finalisation.

इसके ऊपर कुल मिलाकर के 5 लाख 50 हजार यू.एस. डालर का खर्चा हुआ। अध्यक्ष महोदय, कुल मिलाकर अभी तक 17 लाख 50 हजार यू.एस. डालर का खर्चा हुआ और यह सब काम पूरे कर लिए गये हैं। यदि रुपयों में इसकी गिनती की जाएगी तो आज की तारीख में जो डालर की रेट है करीब 46 या साढ़े छियालीस रुपये, तो यह कुल मिलाकर 8 करोड़ 13 लाख 75 हजार रुपये बैठती है। प्रिवियस गवर्नमेंट के समय हमारे 3 करोड़ 2 लाख रुपये खर्च हुए, उसका तो कोई उपयोग नहीं हुआ। लेकिन प्रजेन्ट गवर्नमेंट के समय यह 5 करोड़ खर्च हुए लेकिन यह रिफार्म्स प्रोसेस कम्पलीट हो गया और, अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा, एक साथ अनबंडलिंग करके जो 5 कम्पनीज ट्रांसमिशन अलग, जनरेशन अलग डिस्ट्रीब्यूशन अलग-अलग जो बनाई गयी हैं ये पहली बार राजस्थान में हुआ और रिकार्ड टाइम में हुआ। टैरिफ एप्लीकेशन है वो भी रिकार्ड टाइम में लगे, टैरिफ का डिटरमिनेशन भी हुआ, आर्डर भी टाइम पर हुआ है। यदि इसमें कहीं डिले करते तो इसमें और ज्यादा धनराशि का नुकसान हो सकता था। जो माननीय सदस्य ने पांचवा सवाल पूछा कि...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : डा. साहब, विराजो, कुछ हमें भी पूछने दो। विराजिए, यह डिबेट थोड़े हो रही है।

डा. चन्द्रभान : एक लास्ट में मैं कह दूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह डिबेट थोड़े हो रही है, अध्यक्ष महोदय, हम सवाल पूछना चाहते हैं, इन्होंने डिबेट चालू कर दी।

डा. चन्द्रभान : मैं तो अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बोल रहा हूं। मैं तो अध्यक्ष महोदय की इजाजत से बोल रहा हूं, यदि अध्यक्ष महोदय कहेंगे तो बैठ जाऊंगा।

श्री जगतसिंह दायमा (बानसूर) : Regulatory reforms till death of the farmers.

श्री अध्यक्ष : बैठिये, जगतसिंह जी दायमा।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, पांचवां सवाल पूछा था कि वर्ल्ड बैंक ने यह कहा है कि आप, जो एग्रीकल्चर में टैरिफ इन्क्रीज होगी उसके लिए उन्होंने यह कहा है कि 50% होगी, जो लागत मूल्य होगा। ऐसा तो नहीं है, अध्यक्ष महोदय, उसमें ऐसा जरूर था कि इस पावर सैक्टर में हम रिफार्म्स कर रहे हैं इस सैक्टर को फाइनेंशियली मजबूत करना है, वायेबल करना है तो निश्चित रूप से जिस सैक्टर में सब्सिडी ज्यादा है थोड़ी-थोड़ी सब्सिडी घटानी चाहिए। एक साथ हो नहीं सकता और दूसरा चाहे डोमेस्टिक सैक्टर हो, केवल एग्रीकल्चर की बात नहीं है, तो यह कहना था कि यदि 10% इन्क्रीज प्रतिवर्ष होती रहे तो यह कहना चाहिए कि सैक्टर फाइनेंशियली वायेबल हो सकता है लेकिन ऐसी कोई शर्त नहीं है।

श्री संयम लोढ़ा : शर्त नहीं है। यह रिपोर्ट यह कह रही है। जो रिपोर्ट दी है उन्होंने और मैंने जो सवाल पूछा था उसका जवाब, माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं मिला...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पहले तो ये टेण्डर क्यों नहीं किये और दूसरा मैंने यह पूछा था कि प्राइस वाटर हाउस को विद्युत निगम ने इस काम का ठेका दिया और आपने पी.एफ.सी. को दिया, और दोनो में अलग-अलग देने के क्या कारण थे? क्या मानदंड हैं आपके काम देने के? जो आपका प्रसारण निगम है उसने जो हमारी भारत सरकार की कम्पनी है पी.एम.एफ. उसको यह तैयार करने का ठेका दिया और आपने दिया पी.डब्लू.सी. को। उसकी वजह क्या है? अगर आप 1995 में जो सलाहकार आपने इंगेज किया उसकी वजह से बाध्य थे तो प्रसारण निगम क्यों नहीं बाध्य था जबकि विद्युत कम्पनियों ने ऐसा किया उसकी क्या वजह है?

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, जब से अनबंडलिंग हुई आर.एस.ई.बी. की उसके बाद सभी अलग-अलग कम्पनियां बन गयीं। जो माननीय सदस्य ने कहा कि इसके टेण्डर क्यों नहीं किये गये, आप जानते हैं, अध्यक्ष महोदय, पी.एफ.सी. भारत सरकार का उपक्रम है। और ये तो केवल तीन लाख और समथिंग का इसको काम सौंपा गया है सूरतगढ़ हो या कोटा उसमें बी.एच.ई.एल. को एक-एक हजार करोड़ रुपये तक के भी काम हमने विदाउट कंपीटिटिव बिडिंग के दिये हैं इसलिए, और प्रसारण निगम ने क्यों पी.एफ.सी. को यह काम सौंपा है, पी.एफ.सी., मैंने कहा कि केन्द्र सरकार का उपक्रम है और टेक्निकली वो साउंड है। इसलिए उसके साथ नेगोसियेशन करके उसको यह जिम्मेदारी दे दी। और ये परम्परा राज्य सरकार में नहीं पूरे देश भर में जो सरकारें हैं वो राजकीय उपक्रमों को बिना टेण्डर्स के भी आर्डर्स देती हैं। नम्बर-2, जो आप कह रहे हैं कि प्राइस वाटर हाउस को तो डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनियों ने दिया तो

(डा. चन्द्रभान)

प्रसारण निगम ने भी क्यों नहीं दिया। प्राइस वाटर हाउस को यह, अध्यक्ष महोदय, इसलिए नहीं दिया कि इन दोनों के इंटरेस्ट कनफ्लिक्ट करते हैं। प्रसारण निगम जो एप्लीकेशन देती है रेगुलेटरी कमीशन में वो बल्क सप्लाई के लिए देती है और वो रिटेल के लिए देती है। प्रसारण निगम अपना केलकुलेशन करता है अपने लासेज वगैरह और उसके बाद में देता है। मान लीजिए प्रसारण निगम ज्यादा टैरिफ चाहता है तो उसका इंपेक्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनियों पर पड़ता है तो इन दोनों के इंटरेस्ट क्लेश करते हैं, इसलिए इन दोनों को अलग-अलग रखा गया।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : ये जो आपने वाटर कूपर्स का दिया है आपने यह वर्ल्ड बैंक की रिकमंडेशन पर दिया है?

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल किया है, यह तो मैं कहना चाहूंगा कि वर्ल्ड बैंक जो है यह प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन प्लान है, उसको लागू करने के लिए उनका यह कहना था कि आपका अनुभव नहीं है। और पूरे देश में किसी का अनुभव नहीं था, आपका कंसल्टेंट नियुक्त कीजिये। कंसल्टेंट नियुक्त करने के लिए उन्होंने कोई प्राइस वाटर हाउस का नाम नहीं दिया बल्कि उन्होंने कहा कि वो अन्तरराष्ट्रीय मानदंड के होने चाहिए। इसके लिए 1994 में इस प्रोसेस को शुरू किया गया और फाइनेंस सैक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी और उस...

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप मेरे एक-एक सवाल का उत्तर दीजिये, लम्बा भाषण मत दीजिये।

डा. चन्द्रभान : इसी का दे रहा हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सुनिये मेरी बात। आपका कहना यह है कि वर्ल्ड बैंक ने स्पेसिफिकली प्राइस वाटर कूपर्स एसोसिएट्स का नाम नहीं दिया इसका मतलब आल दी फर्म्स कैसे सलेक्ट किया?

डा. चन्द्रभान : यह बता रहा हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उन्होंने तो आपको कंसल्टेंट अपाइंट करने के लिए कहा था।

डा. चन्द्रभान : आप सुनिये, यही तो बता रहा था मैं। तो, अध्यक्ष महोदय, फाइनेंस सैक्रेटरी महोदय की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी उसने जो 6 फर्म थीं उनका चयन किया। टेक्निकली और फाइनेंशियली जो कंपीटेंट थीं, शार्ट लिस्ट की। इन 6 फर्मों में एक प्राइस वाटर हाउस कूपर्स भी थी और वित्त सचिव की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी उसने इन 6 फर्म से, आप कहें तो नाम पढ़ कर सुना दूं?

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं। आप बताइये।

डा. चन्द्रभान : इन 6 में से प्राइस वाटर हाउस कूपर्स को तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त पाये जाने पर उसका चयन किया। यह 1995 में।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपने बिड तो इन्वाइट किया ही नहीं। इन फर्म्स को इवेल्युवेट कैसे किया? उस कमेटी ने नेगोशियेट किया या कैसे किया?

डा. चन्द्रभान : आप सुनिये वह कैसे किया। सलाहकार का चयन अन्तरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक निविदाओं की प्रक्रिया से किया

(डा. चन्द्रभान)

गया है यह आई.सी.बी. की गयी तो कुल फर्म जो आयीं वो 11 आयी थीं, उन 11 फर्म में से फिर 6 को शार्ट लिस्ट किया गया और उन 6 में से...

श्री सुरेन्द्र व्यास : 11 फर्म कहां से आ गयीं? जब आपने टेण्डर ही इन्वाइट नहीं किये तो 11 फर्म कहां से आ गयीं?

डा. चन्द्रभान : कैसे नहीं आयीं ? नहीं, टेण्डर किये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं किये इन्वाइट आपने, माननीय सदस्य ने पूछा तो जवाब दिया कि नहीं किये।

डा. चन्द्रभान : नहीं-नहीं, वो आप समझ नहीं रहे हैं। मैं यह कह रहा हूं कि टेण्डर किये थे। प्राइस वाटर हाउस को ओरिजिनली जब सलाहकार के रूप में चयन किया तब तो टेण्डर किये थे। उसके बाद में क्या हुआ, प्राइस वाटर हाउस का चयन किया उसको एक-एक काम के हिसाब से भुगतान करना था। प्रिवियस गवर्नमेंट के समय जो वर्क का स्कोप था वह अलग था और उनका रिफार्म माडल अलग था। उसके लिए करीब साढ़े 6 लाख यू.एस. डालर दे दिये। उसके बाद में जब हमारी सरकार बनी तो रिफार्म माडल बदल गया उसके लिए उसका जो पुराना कांट्रेक्ट था उसके साथ जो 15 जुलाई, 1995 को हुआ उसका हमने एक्सटेंशन किया उसके लिए री-टेण्डर नहीं किये। मैं यह बात कह रहा था।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सरकार बदलने के बाद आप खुद यह बात मानते हैं...

श्री अध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंह जी। सुरेन्द्र जी, बैठिये, आप प्रश्न पूछ चुके हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, एक सवाल। आप खुद मानते हैं कि आपकी पालिसी में परिवर्तन आ गया तो इनिशियली जो कंसल्टेशन के लिए आपने अपाइंट किया उसका स्कोप बदल गया, उसका काम बदल गया, तो री-टेण्डर क्यों नहीं किया आपने? पहले तो 11 फर्म आयीं, दुबारा जब आपकी पूरी प्रक्रिया ही बदल गयी, पूरा स्कोप बदल गया, अनबंडलिंग हो गया आर.एस.ई.बी. तो वो क्यों नहीं किया?

श्री अध्यक्ष : आप सीधे बात नहीं करें, चेयर को एड्रेस कीजिये। विराजिये, श्री शिवनाथ सिंहजी।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, फर्म तो टेक्निकली कंपीटेंट थी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : टेण्डर नहीं किया फिर भी।

डा. चन्द्रभान : कैसे नहीं किया। प्रिवियस गवर्नमेंट ने आई.सी.बी. के थ्रू इसका सलेक्शन किया है। अब यदि मान लीजिये थोड़ा रिफार्म का माडल बदल गया।

श्री सुरेन्द्र व्यास : फोर ए डिफरेंट असाइनमेंट, फोर ए डिफरेंट वर्क। स्कोप अलग है।

डा. चन्द्रभान : नहीं-नहीं, ऐसा है कि इसमें, देखिये अध्यक्ष महोदय, रिफार्म का प्रोसेस उन्होंने शुरू किया था और वो ही एफ.आर.पी. और जो...

श्री सुरेन्द्र व्यास : उन्होंने शुरू सिर्फ कागजों में किया। उन्होंने कुछ भी नहीं किया।

डा. चन्द्रभान : उन्होंने पालिसी स्टेटमेंट तैयार किया। नो। उन्होंने पालिसी स्टेटमेंट तैयार किया, उन्होंने रिफार्म बिल तैयार कर लिया था और वो इस हाउस में लाना भी चाहा था। अब वो पालिटिकल विल नहीं थी, नहीं ला पाये, यह अलग बात है। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, यह इसका जो परिवर्तन हुआ है न, वो कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है जिसके चलते इस फर्म को, और इस फर्म को पहले हम साढ़े 6 लाख डालर भुगतान कर चुके थे। और यह फर्म जो रेस्ट आफ मनी साढे पांच लाख डालर में करने को तैयार थी। यदि हम री-टेण्डर करते तो टाइम भी उसमें ज्यादा लगता और उसमें ज्यादा खर्चा लगता और वो पुराना पैसा हमारा था वो भी डूब जाता।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : बैठिये। श्री शिवनाथ सिंह।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न का भाग-2 बहुत स्पष्ट है। ये तो तीन कम्पनियां बनी हैं जयपुर, जोधपुर, अजमेर...

श्री अध्यक्ष : डिस्ट्रीब्यूशन की कम्पनीज।

श्री शिवनाथ सिंह : डिस्ट्रीब्यूशन की ही कह रहा हूं मैं, और डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनीज जो हैं इन्होंने हमारी मांग कितनी बढ़नी चाहिए कितना हम अधिक बढ़ाना चाहते हैं, यह उसके लिए, टैरिफ एप्लीकेशन देने के लिए कम्पनी को इंगेज किया। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि आपकी इन तीनों कम्पनियों के पास क्या कोई भी सक्षम अधिकारी नहीं है जो अपनी मांग रख सके कि हमको टैरिफ इतना बढ़ाना चाहिए, और किस लेवल के आपके पास आफिसर हैं। यदि कम्पनियां तीन बनी हैं और उनके पास कंपीटेंट आफिसर्स हैं उसको अपनी मांग रखने के लिए कि मुझे इतना चाहिए, उसके लिए भी आप अलाउ करेंगे यह खर्चा। यह क्यों बिना मतलब खर्च कर रहे हैं आपकी ये तीनों कम्पनियां सक्षम नहीं हैं क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी उत्तर दीजिए।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, यदि हमारे अधिकारियों को अनुभव होता और यदि वही सक्षम होते तो फिर सही बात है कि कंसल्टेंट कम्पनी की जरूरत ही नहीं थी।

श्री शिवनाथ सिंह : जो अधिकारी सक्षम नहीं हैं तो फिर उनको क्यों रख रखा है? (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : यह कोई जरूरी नहीं है कि हर अधिकारी कोई भी विशेषज्ञ कार्य करने में सक्षम हो, यह जरूरी नहीं है। राजस्थान के रिफार्म्स की तो पूरे देशभर में प्रशंसा हो रही है।

श्री जगत सिंह दायमा : For both the farmers and consumers (Interruption)

डा. चन्द्रभान : पूरे देशभर में अन्तरराष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं के माध्यम से ही टैरिफ की एप्लीकेशंस लगी हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से...

श्री अध्यक्ष : नहीं, श्री बुरड़क, आप बैठिए। मानिक चन्द जी सुराना।

श्री मानिक चन्द सुराना : अध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार से यह जानना चाहता हूं कि यह 17.8 करोड़ की जो फीस आपने दी है, क्या विद्युत मंत्री यह मानते हैं कि राजस्थान, और राजस्थान को भी छोड़ें तो दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में ऐसे एडवोकेट नहीं हैं जो इन सारी कम्पनियों का वितरण और अलग-अलग कम्पनियों को जो कार्यवाही करनी है, और जो एग्रीमेंट एक कम्पनी को दूसरे से बनाने थे, वह सारा कार्य, अगर आप उनको भी ध्यान में रखते तो यह काम 25-50 लाख में हो सकता था जिसकी फीस आपने 8 करोड़ रुपये दी है। क्या आपने दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट के जो इलैक्ट्रिसिटी एक्ट के बहुत जानकार हैं, आपकी राज्य सरकार ने कभी उनसे सम्पर्क करने की कोशिश की और कोई जानकारी की इस सम्बन्ध में?

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, इस प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन प्लान रिफार्म्स के लिए मैंने शुरू में ही निवेदन किया कि 2 मिलियन डालर की व्यवस्था करने का था, 2 मिलियन डालर मतलब 20 लाख यू.एस. डालर। हमने 20 लाख डालर खर्च नहीं किये हैं, हमने 17 लाख 50 हजार डालर ही खर्च किये हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा पूरे देशभर में जिन राज्यों में रिफार्म्स हुए हैं वहां कंसल्टेंट के ऊपर इससे ज्यादा धनराशि खर्च की गयी है और यह आई.सी.बी. के थ्रू हुई है।

श्री मानिक चन्द सुराना : क्या यह अन्तरराष्ट्रीय सलाहकारों को रखना वर्ल्ड बैंक से जो आपका एग्रीमेंट हैं, उसका यह पार्ट है? क्या आपको उन्हीं को रखना पड़ेगा ? क्या यह सही है कि यह उनका पार्ट है? है तो माननीय मंत्री जी कहें कि हां, है। वर्ल्ड बैंक जो आपको ऋण देता है उस ऋण पैकेज का भी पार्ट है कि हमारे ही सलाहकारों के द्वारा आपको यह सारा कार्य कराना पड़ेगा और उनको 20 लाख रुपये की फीस देनी पड़ेगी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : वर्ल्ड बैंक की यही शर्त है।

श्री जगत सिंह दायमा : इसमें कोई कमीशन की बू है क्या, यह बता दो आप साफ-साफ। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता को पूछने दीजिए, वह काफी देर से खड़े हैं।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अभी अपने उत्तर में बताया कि 8.13 करोड़ रुपये व्यय किये और समय-समय पर सलाह, मार्गदर्शन, प्रस्ताव तैयार कराना सब काम किया। अध्यक्ष महोदय, जिस कम्पनी को इन्होंने 8 करोड़ 13 लाख रुपया भुगतान किया उसकी यह एक रिपोर्ट है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि इस कम्पनी ने जो राजस्थान पावर सैक्टर रिफार्म्स कंसल्टिंग असाइनमेंट है, यह आपको जो रिपोर्ट दी है और इसमें इन्होंने सलाह दी है यह सलाह आपने स्वीकार कर ली है क्या कि आप कृषि दरों में पहले साल 70 से 90 करेंगे, दूसरे साल 1.90 करेंगे, तीसरे साल 1.40 करेंगे, चौथे साल 1.75 करेंगे, पांचवें साल 2.14 करेंगे,

(श्री संयम लोढ़ा)

छठे साल 2.16 करेंगे और सातवें साल 2.20 करेंगे? इसी तरह से अदर दैन एग्रीकल्चर में उसमें आप पहले साल 10 परसेंट, दूसरे साल 10 परसेंट, तीसरे साल 10 परसेंट, चौथे साल 10 परसेंट, हर साल 10 परसेंट बढ़ायेंगे। 8 करोड़ 13 लाख रुपया खर्च करके जो यह महान् सलाह आपने ली है इसको मान ली है क्या?

श्री जगत सिंह दायमा : यह तो दो साल करेंगे, 2 साल बाद नहीं करेंगे।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, कंसल्टेंट की सलाह पर विचार किया जाता है, मानना कोई जरूरी नहीं है। और लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य से मैं कहना चाहूंगा कि यह 25-50 लाख में होने वाला कार्य नहीं था और इसकी शुरूआत हमने नहीं की है। यह बी.जे.पी. के राज में ही आई.सी.बी. के थ्रू हुआ था और 1.2 मिलियन डालर का कांट्रेक्ट हुआ था, 15 जुलाई, 1995 को।

श्री जगत सिंह दायमा : आपने फिर कांट्रेक्ट को बढ़ा दिया, विदाउट टेण्डर बढ़ाना यह भी तो करप्शन है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : माननीय मंत्री महोदय यह सब जानते हैं कि जिससे कर्जा लेते हैं उसके दबाव में उसकी शर्तों को मानना भी पड़ता है और इसलिए कंसल्टेंट का अपाइंटमेंट वर्ल्ड बैंक की सलाह से हुआ है। जैसे ए.डी.बी. का लोन हमने लिया है उसमें भी 10 परसेंट की कंसल्टेंट की फीस है। तो जो कर्जा लेता है वह कई बार दबता भी है। मैं उस प्रश्न पर नहीं जाता लेकिन एक जानकारी करना चाहूंगा कि दोनों कम्पनियों ने जो आपको रिपोर्ट दी है उनमें से किस-किस बात से आप असहमत हैं।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, मेरे सहमत और असहमत होने का इसमें सवाल नहीं है। सवाल यहां पर विद्युत दरों से संबंधित है और विद्युत दरों का जहां तक सवाल है यह विद्युत नियामक आयोग के कार्य क्षेत्र में आता है। इन कम्पनियों की सलाह पर हमने जो एप्लीकेशन लगाई, कोई जरूरी नहीं है कि विद्युत नियामक आयोग ने इनको हूबहू माना है। कई कंसेशन भी दिये और कई हमारी जो मांग थी उनको नहीं माना है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह मेरा प्रश्न नहीं है।

डा. चन्द्रभान : यह तो टैरिफ से संबंधित है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : विद्युत नियामक आयोग एक इण्डिपेंडेंट बाडी है इसलिए कम्पनी ने जो आपको सलाह दी है उस सलाह में आपने कोई परिवर्तन किया है क्या या विद्युत नियामक आयोग के सामने जब कम्पनी ने अपने रिप्रजेंटेशन किये, रिप्रजेंटेशन के पहले आपकी सलाह ली है, आपको दिखाया है, आपका अप्रूवल हुआ है?

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि यह जो विद्युत निगम है वह जो इण्डिपेंडेंट बाडी है। उन्होंने ही एप्लीकेशन प्रस्तुत की है। इनसे तो केवल सलाह ली गयी है। विद्युत निगम के जो बोर्ड बने हैं उनकी मंजूरी के बाद एप्लीकेशन लगाई थी, इनसे केवल सलाह ली है, बहुत डिटेल में की है। मैंने कहा कि डेढ़-डेढ़ सौ पेज की एप्लीकेशन है। और

(डा. चन्द्रभान)

जो माननीय सदस्य अभी कह रहे थे उन्होंने जो सलाह दी है कोई जरूरी नहीं है हमने हर सलाह को माना है। हमारी कम्पनियों ने माना है और जो एप्लीकेशन लगाई गयी हैं उनमें कोई यह भी जरूरी नहीं है कि रेगुलेटरी कमीशन ने विद्युत वितरण निगमों या प्रसारण निगम की हर मांग को माना है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरा तो सीधा क्वेश्चन है, विद्युत निगम के सामने इन कम्पनियों की सिफारिश जो आपकी इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड की भिन्न-भिन्न कम्पनियां हैं उन्होंने जो रिप्रजेंटेशन किये उन रिप्रजेंटेशन के पीछे सरकार की सहमति थी या सरकार उसमें कोई परिवर्तन कराना चाहती थी या किसी प्रकार की असहमति थी?

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, मैंने इस सदन में यह बात कई बार कही है कि जब रेगुलेटरी कमीशन शुरू हो गयी, इंडिपेंडेंट कमीशन बन गया और जो निगम है वह निगम खुद कंपीटेंट है एप्लीकेशन लगाने के लिये, उन्होंने एप्लीकेशन लगा दी। उस पर एक निर्णय हुआ, जो कमीशन का निर्णय हुआ उसको सरकार मानती है। सरकार उससे सहमत है और आपको भी सहमत होना चाहिए। आपकी पार्टी वहां रिप्रजेंटेशन देने गयी थी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्वेश्चन यह नहीं है, क्वेश्चन सीधा है कि जिन कम्पनीज ने जिनको आपने कंसल्टेंट अपाइंट किया इन कंसल्टेंट की रिपोर्ट आयी, रिपोर्ट कम्पनीज को दी होगी। कम्पनीज ने रिपोर्ट सरकार को दिखाई होगी। देखने के बाद उस रिपोर्ट के ऊपर सरकार के रिएक्शन क्या थे, वह बताने की कृपा करें।

डा. चन्द्रभान : आप इतने सीनियर लीडर हैं, इसमें सरकार की परमिशन लेने की कहां जरूरत है। नहीं है, मैं कहना चाहता हूं, नहीं है। अध्यक्ष महोदय, वह विद्युत निगम है वही रेगुलेटरी कमीशन में एप्लीकेशन लगाता है। पहले जो व्यवस्था थी उसमें सरकार के पास फाइल आती थी, तब सरकार अप्रूव करती थी। अब सरकार की अनुमति की जरूरत ही नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अभी माननीय श्री लोढ़ा ने आपके सामने प्रश्न पूछा कि टैरिफ बढ़ाने के लिए जो उस कम्पनी ने सुझाव दिये थे उसको आप एग्री करते हैं या नहीं।

डा. चन्दभान : सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने यह जो टैरिफ इन्क्रीज हुई उसके लिए नहीं कहा है, इन्होंने भविष्य के बारे में कहा है कि अभी 90 पैसे होंगे, फिर 1.10 होंगे, फिर 1.40 होंगे यह तो भविष्य की बात है। माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय, इसके बारे में भविष्य में हमारी बैलेंस शीट क्या रहेगी। आपके समय से इतना बड़ा घाटा नहीं होता तो आज हो सकता है कि हमारी सरकार को या हमारी इन कम्पनियों को मजबूर होकर यह दरें बढ़ानी नहीं पड़तीं। 90 में यह घाटा शुरू हुआ और मुझे यह कहते हुए संतुष्टि है कि पहली बार अबकी बार घाटे का ग्राफ नीचे गया है अन्यथा 90 से लेकर 98 तक यह घाटा बढ़ता गया। इस घाटे को कम करने के लिए दरें बढ़ाई गयी थीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : किसानों को लूट लिया, उपभोक्ता को लूट लिया (व्यवधान) 42 करोड़ का टैरिफ लगा दिया (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : किसानों के खून पसीने की कमाई को चूस-चूस कर आपने उनके पैसे खाये हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, इश्यू को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। 1990 से लेकर 1998 तक कितना घाटा हुआ वह अलग से प्रश्न है। उस घाटे के संबंध में जब इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड के विषय में चर्चा होगी तब अपन चर्चा कर लेंगे। मेरा क्वेश्चन तो बिल्कुल सीधा है। कंसल्टेंसी ने आपको...(व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : साहब, सरकार से पूछा नहीं जा सकता, नियामक आयोग में (व्यवधान) मंत्री जी की इसमें चलती नहीं है, इसमें फिर क्या करें? न जनता का रिप्रजेंटेटिव न...(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सरकार के सामने जो कंसल्टेंट रिपोर्ट थी, क्या वह रिपोर्ट रेगुलेटरी कमीशन के सामने रख दी गयी या उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन हुआ है? (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान (ऊर्जा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि यह टैरिफ की एप्लीकेशन तैयार करने की जिम्मेदारी उनकी थी। उसमें क्या रिकमण्ड करेंगे, कितनी टैरिफ इन्क्रीज करेंगे, इसके बारे में कोई निर्णय करने का अधिकार प्राइस वाटर हाउस को या पावर फाइनेंस कारपोरेशन को था ही नहीं। यह सवाल ही नहीं उठता। तो एप्लीकेशन जो है, उसको किस तरह से तैयार किया जाए जिससे कि उसमें कोई त्रुटियां न रह जाएं, उसके लिए राय-मशविरे के लिए उनको सुझाव दिया है, कोई जरूरी थोड़े ही है कि उनसे हर सलाह लेकर, टैरिफ कितना है कितना इन्क्रीज होगा, यह हमारा निगम है, उन्होंने खुद ने फैसला किया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : उन्होंने अपना प्रस्ताव रेगुलेटरी कमीशन के सामने रख दिया, उनको कब तक...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपकी सहमति थी कि नहीं। क्या आपकी जानकारी में था? जानकारी में था तो क्या रिएक्शन हुआ, यह बताइये आप। कोई रिकमंडेशन दी...(व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : राज्य सरकार का इससे कोई सीधा संबंध नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी कई बार यह बात कही है, जो निगम ने एप्लीकेशन लगाई है और रेगुलेटरी कमीशन ने फैसला किया है, रेगुलेटरी कमीशन के आर्डर का, उसके फैसले का सम्मान करती है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : वाटर हाउस कूपर्स एसोसिएट ने रिप्रजेंटेशन तैयार किये उस प्रतिवेदन से आप सहमत थे कि नहीं थे? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन।

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, मैं चार बार आपसे अनुमति मांग चुका हूं, आपने दूसरे मैम्बर्स को तो अनुमति दे दी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। इतना समय हो गया एक प्रश्न पर।

मोहम्मद माहिर आजाद : मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि आप यह बताइये कि यह 8 करोड़ का जो खर्चा दिया है कंसल्टेंसी को, यह दूसरे राज्यों से कम है तो दूसरे राज्यों का खर्चा कितना है, जरा बताइये। कौन-कौनसे राज्यों का है। (व्यवधान) आपने अपने उत्तर में इस बात को स्वीकार किया है। आपने कहा है कि जो 8

(मोहम्मद माहिर आजाद)

करोड़ रुपये कंसल्टेंसी आर्गेनाइजेशन को पेमेंट किया यह दूसरे राज्यों से कम है। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से जानना चाहूंगा, आपने सदन को गुमराह किया है, (व्यवधान) गलत जवाब दिया है। सबसे ज्यादा खर्चा, सबसे ज्यादा भुगतान राजस्थान सरकार ने किया है। दूसरे राज्यों की तुलना करके बताइये। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को डिटेल में जानकारी दे दूंगा। राजस्थान में कंसल्टेंसी के ऊपर कम खर्चा हुआ है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आप दूसरे राज्यों का बताइये। ज्यादा किसका हुआ है, आप गलत बात कर रहे हैं। आठ करोड़, राजस्थान ने सबसे ज्यादा खर्चा किया है। आप यह बताइये हिमाचल में कितना किया गया और दिल्ली में कितना किया गया? (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : हिमाचल में रिफार्म्स नहीं हुआ है।

मोहम्मद माहिर आजाद : उड़ीसा में हुआ है। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : अभी दिल्ली में रिफार्म्स चल रहे हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : तो वहां का खर्चा कैसे...(व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, यह अलग से सवाल है। आपको मैं इसकी डिटेल दे दूंगा। सवाल अलग से है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : सदन में, अध्यक्ष महोदय, ऊर्जा मंत्रीजी ने यह बात कही कि आठ करोड़ रुपये राजस्थान ने कंसल्टेंसी आर्गेनाइजेशन के रिफार्म्स के लिए जो सुझाव दिये हैं, उसका भुगतान किया है, यह अन्य राज्यों की तुलना में बहुत कम है। मैंने कहा दूसरे राज्यों ने कितना किया वह बताइये। कह रहे हैं, दूसरे राज्यों में अभी रिफार्म्स हुआ ही नहीं है। (व्यवधान) दूसरे राज्यों में भुगतान नहीं हुआ है। आप सदन को गुमराह कर रहे हैं। दूसरे राज्यों का बताइये कितना हुआ है।

डा. चन्द्रभान : दूसरे राज्यों में ज्यादा हुआ है। मैं वहां से डिटेल लाकर, फिगर्स लाकर माननीय सदस्य को दे दूंगा।

मोहम्मद माहिर आजाद : जब आपके पास फिगर्स ही नहीं हैं...(व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : राजस्थान में हुआ है, कम हुआ है, कम हुआ है।

मोहम्मद माहिर आजाद : इनका फिर आधार क्या है? आपने किस आधार पर कहा कि ज्यादा हुआ है, आपने कहां आधार देखा? आपने किस आधार पर कहा कि ज्यादा खर्चा हुआ? (व्यवधान) कब बता देंगे आप, आपके पास कुछ जानकारी नहीं है कि दूसरे राज्यों का कितना हुआ है।

एक माननीय सदस्य : यह राजस्थान के दूसरे राज्यों से जुड़ा हुआ प्रश्न है।

मोहम्मद माहिर आजाद : कोई भी बात खड़े होकर एक जिम्मेदार मंत्री होते हुए आप यह बात कह दें। बताइये किस राज्य का ज्यादा हुआ है। आप उस राज्य का नाम तो बताइये।

डा. चन्द्रभान : यह अलग से सवाल है।

मोहम्मद माहिर आजाद : आप उस राज्य का नाम तो बताइये। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : यह अलग से सवाल है।

मोहम्मद माहिर आजाद : आपने कैसे कह दिया कि दूसरे राज्यों में ज्यादा हुआ है।

डा. चन्द्रभान : आंध्र प्रदेश में ज्यादा, हरियाणा में ज्यादा।

मोहम्मद माहिर आजाद : बताइये, आंध्र प्रदेश में कितना हुआ है।

डा. चन्द्रभान : मैं एग्जेक्ट फिगर नहीं...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : कितना हुआ? आपको पता ही नहीं है।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, यह अलग से सवाल है।

श्री अध्यक्ष : माहिर आजाद, भाषण क्या दे रहे हैं।

डा. चन्द्रभान : यह अलग से सवाल है। आप अलग से सवाल कीजिए, मैं अलग से जवाब दूंगा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह अलग से नहीं, यह इसके साथ जुड़ा हुआ प्रश्न है।

मोहम्मद माहिर आजाद : आपके पास जानकारी नहीं है। यह तो सप्लीमेंट्री है। अलग से सवाल की कोई जरूरत नहीं है। There is no necessity of a separate question. मंत्रीजी ने अपने उत्तर में यह बात कही है कि हमने आठ करोड़ रुपये जो दिये हैं, यह अन्य राज्यों की तुलना में कम दिया है। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं...(व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के जवाब में यह कहीं पर भी नहीं कहा गया है जो आप कह रहे हैं। आप प्रश्न को पढ़ लीजिए। आप पढ़ लो, इसमें कहीं नहीं है।

मोहम्मद माहिर आजाद : आपने कहा कि दूसरे राज्यों की तुलना में राजस्थान ने कम... (व्यवधान) आपने अपने उत्तर में कहा है।

डा. चन्द्रभान : नहीं, कहीं नहीं है। आप पढ़ लीजिए, आप पढ़ो तो सही।

मोहम्मद माहिर आजाद : आप दुबारा दोहरा रहे हैं। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : नहीं-नहीं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपको जानकारी नहीं थी तो आपने फिर यह क्यों कहा?

मोहम्मद माहिर आजाद : पूरे सदन के सामने यह बात कही है। आप प्रोसिडिंग्स देख लें, मंत्रीजी मना कर रहे हैं। आप प्रोसिडिंग्स देख लीजिए। मंत्रीजी ने खुद ने इस बात को स्वीकार किया है कि दूसरे राज्यों में ज्यादा हुआ है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : याचिकाओं के आधार पर कितने प्रतिशत विद्युत दरों में वृद्धि कर दी, यह बताइये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपको जानकारी नहीं थी।

श्री अध्यक्ष : माहिर आजाद...

डा. चन्द्रभान : 16.76 प्रतिशत, करीब पौने सतरह प्रतिशत विद्युत दरों में वृद्धि हुई है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपको कुछ भी जानकारी नहीं है। ऐसा पहले कभी हुआ है क्या राजस्थान में...(व्यवधान) एक साथ इतनी ज्यादा वृद्धि पहले कभी हुई है क्या?

मोहम्मद माहिर आजाद : यह आपने कहा है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अगर आपको जानकारी नहीं थी तो आपने रेफरेंस क्यों दिया?

मोहम्मद माहिर आजाद : आपने कहा है। लिखित उत्तर की बात नहीं कर रहे हैं I am talking about the written statement and written reply.

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ऐसे कहने से काम नहीं चलेगा।

मोहम्मद माहिर आजाद : आपने सप्लीमेंट्री के जवाब में यह बात कही है। आपने सप्लीमेंट्री के जवाब में यह बात कही है और अब आप मुकर रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपको जानकारी नहीं थी तो आपने रेफरेंस क्यों दिया ?

मोहम्मद माहिर आजाद : आपके पास फिगर नहीं है तो आपको कहना नहीं चाहिए।

एक माननीय सदस्य : आपका सेपरेट सवाल है, अलग से देकर...(व्यवधान).

मोहम्मद माहिर आजाद : हम तो आपके सप्लीमेंट्री के उत्तर की बात कर रहे हैं।

डा. चन्द्रभान : नहीं-नहीं, आप अलग-अलग राज्यों का अगर पूछना चाहते हैं तो अलग से सवाल कीजिए मैं उसकी जानकारी मंगाकर आपको दूंगा। लेकिन यह कहा जा सकता है कि राजस्थान में कंसल्टेंसी के ऊपर कम पैसा खर्च किया है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : ऐसे यह कोई तरीका नहीं होता है।

श्री अध्यक्ष : बैठिये, बैठिये।

श्री जगत सिंह दायमा : अध्यक्ष महोदय, सही बात तो यह है कि...

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपने खुद ने कहा कि राजस्थान में सबसे कम पैसा दिया है। जब आपने कहा है तो जानकारी दीजिए।

श्री अध्यक्ष : लिमिटेड कंसल्टेंट्स का प्रश्न था। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : नियामक आयोग के सामने सरकार की नहीं चलती।

श्री सुरेन्द्र व्यास : माननीय मंत्री जी को यह कहने की आवश्यकता नहीं थी कि कम... (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : यह तो कितनी बढ़ाएं, कितनी घटाएं इनको तो...

श्री भंवर सिंह : अभी बताया कि 11 फर्मों का टेण्डर लिया उनमें से 6 को सार्ट आउट किया तो उन 6 में से 5 को कैसे दिया। पांच

(श्री भंवर सिंह)

क्या कम्पीटेंट नहीं थीं? क्या पता वह कम रेट में करती हों पांच फर्में, एक को ही टेण्डर क्यों दिया?

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, इनको यह जानकारी नहीं है कि राजस्थान से ज्यादा दिया या कम दिया। (व्यवधान) इन्होंने यह क्यों कहा कि राजस्थान से कम दिया है।

श्री जगत सिंह दायमा : अध्यक्ष महोदय, सरकार की पावर है क्या जो नियामक आयोग के सामने कुछ कह दे, बोल दे और अपने सुझाव रख दे। कुछ है ही नहीं आपके पास। न जनता का रिप्रजेंटेशन, न सरकार का रिप्रजेंटेशन। नियामक आयोग आपकी बात मानने को बाध्य नहीं है। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : कानून बन रहा था जब तो मंत्रीजी बार-बार यह कह रहे थे, हम यह कर देंगे हम वह कर देंगे। हम चाहेंगे जो कर देंगे। सारे किसानों को, उपभोक्ताओं को डुबो दिया। (व्यवधान) आप कुछ नहीं कर सके।

श्री जगत सिंह दायमा : You get the political power for the death of farmers and consumers only.

श्री हेमाराम चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, 33 केवी.जी.एस.एस. का ठेका दिया गया 12000 रुपये में।

श्री जगत सिंह दायमा : आपने तो किसानों को मारने का ठेका लिया है।

श्री हेमाराम चौधरी : जो आदमी जानकार नहीं है, और जानकारी होनी चाहिए, अलवर में एक आदमी की बिजली गिर जाने से मौत हो चुकी है।

श्री जगत सिंह दायमा : यह काहे का सुधारात्मक आयोग है, यह तो बिगाड़ात्मक आयोग है।

श्री हेमाराम चौधरी : लोगों की जान लेने के लिए ठेका दिया है। कम्पनी ने और ठेकेदार ने क्या व्यवस्था की, क्या किया यह मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं।

श्री जगत सिंह दायमा : किसानों का खून चूसने वाला नियामक आयोग है।

श्री अध्यक्ष : दायमाजी बैठिये, रमजान खानजी बैठिये।

श्री हेमाराम चौधरी : यह तो विद्युत वितरण कम्पनी...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता, आप सप्लीमेंट्री पूछ लीजिए। Only one last.

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं, जैसा इन्होंने अपने जवाब में कहा कि विद्युत निगम ने अपने स्तर पर फैसले किये और कंसल्टेंसी, जब कम्पनी कंसल्टेंट थी, उन्होंने भी अपने स्तर पर रिपोर्ट दी। 1995 में जो एग्रीमेंट हुआ उससे विद्युत निगम और प्रसारण निगम कैसे इन्वाल्व होती है और कैसे बाध्य होती है? और दूसरा 1995 में जो 11 कम्पनियों ने आपको टेण्डर दिये उनकी तुलनात्मक दरें क्या थीं?

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य यह कह रहे हैं कि 1995 में जब इस

(डा. चन्द्रभान)

कंसल्टेंट का चयन हुआ उसमें यह निगम नहीं था और इस तरह से उनको कहना... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : जब आप यह कह रहे हैं कि निगम एक इंडिपिडेंट बोडी है तो उससे वह गबन कैसे हुई? (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : ऐसा है, अध्यक्ष महोदय, मैंने शुरू में ही इनके सप्लीमेंट्री के जवाब में कहा है कि यह कंसल्टेंट नियुक्त किया था रिफार्म्स प्रोजेक्ट्स जो हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए। यह समय-समय पर आवश्यकतानुसार इसका जो वर्क का स्कोप था उसमें वृद्धि भी की गयी है और उसको बढ़ाया गया है। उस समय इसमें टैरिफ का सवाल ही नहीं था। जब रिफार्म्स हुए ही नहीं और अनबंडलिंग कम्पनी बनी नहीं, रेगुलेटरी कमीशन बना ही नहीं तो उसको, उसमें एप्लीकेशन लगाने का सवाल ही नहीं था। यह तो 01 जनवरी, 2000 को... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : लेकिन जिस काम के लिए वे एप्लीकेशन ली गयीं (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : अब आप सुनिए और 01 जनवरी, 2000 को जो बना है वह... (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : 1995 में कंसल्टेंट किसने नियुक्त किया? यह विद्युत कम्पनी तो थी ही नहीं।

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : एक ही सवाल के ऊपर 35 मिनट हो गये। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : चार घंटे हो जाएं, सवाल बहुत इम्पार्टेंट है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह विद्युत कम्पनी तो आयी है 2000 में प्रभाव में। 1995 में किसने अपाइंट किया इसको?

डा. चन्द्रभान : 1995 में तो इसको यह जो आप कह रहे हैं, मैंने पहले ही कहा है कि वित्त सचिव की अध्यक्षता में राज्य सरकार ने एक कमेटी बनाई थी और उस वित्त... (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : उनके डिसीजन को मानने के लिए जयपुर विद्युत कम्पनी, जोधपुर विद्युत कम्पनी और अजमेर विद्युत कम्पनी, क्योंकि अगर आटोनोमस बोडी हैं तो उनके डिसीजन को मानने के लिए कैसे बाध्य हो गयीं?

डा. चन्द्रभान : नहीं है। यह आप ठीक कह रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : तो फिर बाध्य कैसे हो गयी? क्यों नहीं इन्होंने दुबारा टेण्डर इन्वाइट किया?

श्री संयम लोढ़ा : टेण्डर क्यों इन्वाइट किया आपने?

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपने वहां टेण्डर इन्वाइट किया। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : उन्होंने इन्वाइट किया नहीं और... (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : सरकार है उस वक्त... (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : यह तो मैं आपको कह रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, इसको माननीय सदस्य सुनें। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : मंत्रीजी, आपने वर्ल्ड बैंक के दबाव के अन्दर काम किया और आपने यह जो पावर रिफार्म किया है उसका अनबंडलिंग का, वह प्रभाव नजर आता है। इसी के साथ नहीं दिया जो आपने यह... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आपके पास 11 निविदाएं आयीं, टेण्डर आये। उनके रेट क्या-क्या थे और जिसको आपने दिया उसकी रेट क्या थी, यह बात बता दो हमको।

श्री सुरेन्द्र व्यास : और यह जिसको आपने मान लिया वह...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर, जोधपुर और अजमेर की कम्पनी मानने के लिए बाध्य है या नहीं है लेकिन डाक्टर चन्द्रभान सिंह, विद्युत मंत्री मानने के लिए बाध्य हैं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : इनका सलेक्शन किस आधार पर किया? आपका आधार क्या था यह बताइये आप तो कि 11 की रेट क्या थी?

श्री सुरेन्द्र व्यास : और, अध्यक्ष महोदय, बी.जे.पी. (व्यवधान) आज इन्होंने पावर सैक्टर रिफार्म की बात की है। (व्यवधान) इनका प्रभाव नजर आता है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : जो प्रश्न माननीय मूल प्रश्नकर्ता ने पूछा है कि आप 11 की रेट बता दो, रेट क्या थी, 11 की अलग-अलग और उनमें से आपने इसको सलेक्ट किया, इसका आधार क्या था?

एक माननीय सदस्य : सलेक्ट किया ही नहीं, वित्त सचिव की...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर, जोधपुर और अजमेर कम्पनी मानने के लिए बाध्य है या नहीं है लेकिन डाक्टर चन्द्रभान मानने के लिए बाध्य हैं। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपकी विद्युत कम्पनी ने कैसे मान लिया। 1995 के अन्दर वित्त सचिव द्वारा सलेक्टेड कंसल्टेंट को आपकी विद्युत कम्पनियों ने कैसे मान लिया? क्या आधार है उसका?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : कम्पनी माने या नहीं माने लेकिन डाक्टर चन्द्रभान सिंह, विद्युत मंत्री मानने के लिए बाध्य हैं क्योंकि वे बंध चुके हैं और वे अपने हाथ कटवा चुके हैं। राजस्थान की जनता का, राजस्थान की सरकार का, अपने मंत्रियों का, सारे व्यापारियों का, कर्मचारियों का, जमींदारों का, किसानों का सबके हाथ कटवा चुके हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ज्ञानदेवजी आहूजा, विराजिए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : सबके हाथ कटवा कर बिजली की रेट बढ़ाने के लिए विद्युत मंत्री चन्द्रभान सिंह बाध्य हैं और यह बाध्य रहेंगे, कोई निगमऔर कम्पनी हो या नहीं हो लेकिन यह तो बाध्य हैं। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : पावर सैक्टर रिफार्म बिल जब आया तब विद्युत मंत्री ने यहां घोषणा की कि यह विद्युत कम्पनी हमारे कहने पर रहेगी। हम किसानों के हितों का ध्यान रखेंगे यह पूरा कमिटमेंट आपका हाउस के अन्दर है और आपने आज क्या हुआ, आज उसके दबाव में यह नतीजे सामने आ रह हैं। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, उस टाइम पर कहा था कि सरकार सक्षम है। सरकार चाहेगी जो करेगी। तो हमारा सवाल है क्या सरकार यह रेट बढ़ाना चाहती थी?

श्री सुरेन्द्र व्यास : पूरे राजस्थान के अन्दर, आपने इस सदन को भ्रमित किया, मिसगाइड किया। पूरे सदन को आपने भ्रमित किया है। मंत्रीजी, आपने क्यों किया है, आपके राजस्थान के... (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : सरकार किसानों का आज भी पूरा ध्यान रखती है और 1300 करोड़ रुपये सब्सिडी है। 1300 करोड़ रुपये की सब्सिडी एग्रीकल्चर सैक्टर में है। इतना यह... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : तो यह क्या... (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : तो सरकार क्या यह रेट बढ़ाने के लिए... (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : काश्तकारों को बिजली देने के लिए तो... (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : किसान रो दिया, किसान की हालत खराब हो गयी। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप क्या जानो कि किसानों की पीड़ा क्या होती है। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : किसान विरोधी हो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : किसान विरोधी हैं आप, क्या जानो। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : नियामक आयोग किसान का ध्यान नहीं रख रहा। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : इन 11 में से इसको सलेक्ट कैसे किया आपने यह बताओ। कैसे 11 में से इस एक को सलेक्ट किया, यह कोई आपका खास था क्या? क्या इसके पर लग रहे थे? (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : 11 में से 6 को शार्ट लिस्ट किया। और आप जानते हैं, अध्यक्ष महोदय, जो भी कम्पनी का सलेक्शन होता है उसके टेक्निकल जो आधार हैं उसको ज्यादा महत्व दिया जाता है। तकनीकी दृष्टि से यह कंसल्टेंट उपयुक्त था इसलिए तत्कालीन सरकार ने इसका चयन किया। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिद आजाद : रेट क्या थी रेट? 11 की रेट क्या थी? लोएस्ट किसकी थी? रेट ही नहीं है आपके पास। (व्यवधान) मतलब कैसे नहीं है।

एक माननीय सदस्य : जवाब दिया ही नहीं, अध्यक्ष महोदय।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, यह सर्वविदित तथ्य है कि इंटरनेशनल कम्पनीज जहां पर इस प्रकार की सर्विसेज देती हैं वहां

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

बाकायदा कमीशन परमिसिबल है। मैं यह जानना चाहता हूं मंत्रीजी से कि...(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : इन्होंने कोई गलत काम किया तो उस काम को यह सरकार भी करती जाएगी क्या, या उस पर पुनर्विचार करेगी? (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : वर्ल्ड बैंक ने क्या परसेंटेज फिक्स किया है कमीशन का? इंटरनेशनल कम्पनीज, इंटरनेशनल कंसल्टेशन कम्पनीज का यह एक्सेप्टेड नार्म्स है कि वह जहां कहीं भी देती है उसके अन्दर कमीशन फिक्स होता है। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : अध्यक्ष महोदय, इसमें टेण्डर न मंगाना ही सबसे बड़ा... (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : कमीशन फिक्स है। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय, +++ एक झूठ को सौ बार बोलकर यदि... (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : उसी कम्पनी को उन्होंने टेण्डर दे दिया और दूसरे को... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके माध्यम से अर्ज किया था कि 1995 में यह...(व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : दूसरी कम्पनी को यह...(व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य यह बात सही कह रहे हैं कोई सुनता नहीं है... (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : सुनने की क्या बात है, दूसरी कम्पनी को मौका देना चाहिए था। टेण्डर करते तो मौका मिलता। हो सकता है इसमें कमी आती और उसमें गलती है तो आप स्वीकार करो गलती है।

श्री जुगल काबरा : अध्यक्ष महोदय, तत्कालीन सरकार ने किन शर्तों के ऊपर उस कम्पनी को अपाइंट किया था? मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि तत्कालीन सरकार ने किन शर्तों के आधार के ऊपर कंसल्टेंट को अपाइंट किया था, माननीय मंत्रीजी, यह बताने कृपा करें।

श्री जगत सिंह दायमा : यह गल-घोंटू है। कमीशन जो है किसानों का गल-घोंटू है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री जगत सिंह दायमा। यूं नहीं।

श्री संयम लोढ़ा : 1995 के एग्रीमेंट से निगम बाध्य है क्या, मैंने आपके माध्यम से यह जानना चाहा था।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके माध्यम से निवेदन किया कि हमारे राज्य ने ही नहीं बल्कि हमारे देश में पावर सैक्टर

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(डा. चन्द्रभान)

रिफार्म्स का देश के किसी कंसल्टेंट को अनुभव नहीं है और इसलिए मैं कोई राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे देशभर में सभी राज्यों ने रिफार्म्स के लिए एक प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन प्लान के लिए यह जो अन्तरराष्ट्रीय स्तर की संस्थाए हैं उनको एंगेज किया, इसी आधार पर तत्कालीन...(व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : अध्यक्ष महोदय, अनुभव की तो हमारे (व्यवधान) हमको भी राज करने का अनुभव नहीं था।

डा. चन्द्रभान : आप सुनिए।

श्री जगत सिंह दायमा : अंग्रेजों को क्यों भगाया फिर? अनुभव तो हमें था ही नहीं। यह क्या बात हुई। अनुभव तो करने से होगा। क्यों भगाया अंग्रेजों को, बढ़िया राज चल रहा था।

श्री अध्यक्ष : श्री जगत सिंह दायमा।

डा. चन्द्रभान : एक सैकण्ड, अध्यक्ष महोदय, यह बात सही कह रहे हैं माननीय सदस्य कि...(व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : अध्यक्ष महोदय, मैं भी थोड़े-बहुत दिन मंत्री रहा हूं और जिस तरीके से इनका समय बढ़ाया जाता है न, उसमें मोटी रकम दी जाती है, इसलिए समय इनका बढ़ाया है। यह है असली बात। इसमें मुझे मालूम है इस बात का...(व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, यह प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन के लिए... (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : आप कुछ नहीं कर सके।

डा. चन्द्रभान : आप सुनिए, एक मिनट, एक सैकण्ड।

श्री जगत सिंह दायमा : आपकी पावर ही नहीं है कुछ करने की। इसको मैं गलत कहां बता रहा हूं। नियामक आयोग के सामने, आप उनकी बात मानने के लिए बाध्य हो, उनकी बात मानने को...(व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : नियामक आयोग के सामने राज्य सरकार अपनी बात रख सकती है, यह कोई जरूरी नहीं है कि नियामक आयोग के सामने राज्य सरकार अपनी बात ही नहीं रख सकती। कोई मनाही है क्या? राज्य सरकार अपनी बात रख सकती है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है, यह तथ्य... (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : आप रख सकते हो, सुझाव दे सकते हो। (व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : अध्यक्ष महोदय, रख सकती है। बात रख सकती है, आदेश नहीं दे सकती। लेकिन माननीय मंत्री महोदय ने इसी सदन में कहा था कि राज्य सरकार उनको आदेश दे सकती है और आज कह रहे हैं कि राज्य सरकार बात कह सकती है लेकिन आदेश नहीं दे सकती।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, आप ठहरो...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : और आज कह रहे हैं बात रख सकती है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, यह जानकारी करना चाहूंगा कि नियामक आयोग ने सरकार को नोटिस दिया एज ए रेस्पोंडेंट, क्या नियामक आयोग के सामने सरकार गयी है?

डा. चन्द्रभान : नियामक आयोग के सामने सरकार नहीं गयी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्यों नहीं गयी ? क्या इसका मतलब यह है कि जो माननीय लोढ़ाजी ने और बाकी के सब लोगों ने रिपोर्ट्स के आधार पर इस सदन में जो बात कही है उन सब बातों को सरकार स्वीकार करती है?

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, मैंने शुरू में ही प्रतिपक्ष के नेता महोदय से निवेदन किया कि यह पूरा सैक्टर, एक तरह से कहना चाहूंगा कि कर्ज के जाल में फंस गया और घाटे में फंस गया। सरकार सिद्धान्तत: इस बात से सहमत थी कि इस घाटे को कम करने के लिए विद्युत की दरें बढ़नी चाहिए। इसलिए सरकार विद्युत की दरें बढ़ाने के खिलाफ नहीं थी इसलिए सरकार कमीशन के सामने नहीं गयी। और मैंने बार-बार इस बात को कहा है कि कमीशन ने जो फैसला किया है उसको सरकार मानती है और मैं प्रतिपक्ष के नेता महोदय से कहना चाहूंगा कि आपकी पार्टी गयी थी और आपकी पार्टी ने वहां रिप्रजेंट किया और आपकी पार्टी ने वहां कहा कि नियामक आयोग जो फैसला देगा उसको हम लोग स्वीकार करेंगे, उसके बाद आज आपकी पार्टी पलट गयी है और आज आप लोगों को...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रेस्पोंडेंट जब एपीयर नहीं होता तो वह माना जाता है...(व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : और आपके प्रधान मंत्री कह रहे हैं कि विद्युत की दरें 50 परसेंट होनी चाहिए लागत मूल्य की (व्यवधान) यह कहा है।

श्री अध्यक्ष : बैठिये आप।

श्री जगत सिंह दायमा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि...(व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : नियामक आयोग के सामने हम गये थे।

श्री संयम लोढ़ा : 1995 में जो कम्पनी (व्यवधान) कम्पनी बाध्य है क्या ? अभी तक इसका जवाब, माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं दिया है।

श्री केसाराम चौधरी : हमारे को नियामक आयोग ने लौटाया है। मानीय अध्यक्ष महोदय, हम, मेरी बात को सुन लीजिए आप।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सरकार द्वारा विद्युत नियामक आयोग के समक्ष अपीयरेंस नहीं करने का निष्कर्ष एक मात्र यह निकलता है कि... (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : टैरिफ की सुनवाई के लिए हम गये थे। हमको भी नियामक आयोग ने लूटा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, बात तो सुन लीजिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सरकार विद्युत कम्पनियों द्वारा बिजली की दरों में बढ़ोतरी का ज्ञापन जो दिया उसमें...(व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : एन.टी.पी.सी., एन.एच. पी.सी. ने पिछले डेढ़ साल में विद्युत दरों में 30 परसेंट की वृद्धि की है, वह भी एक वजह है। आज राजस्थान में विद्युत की दरें हमें मजबूरी में बढ़ानी पड़ी है। (व्यवधान)

(12.00 बजे)

श्री सांवर लाल : मजबूरी में नहीं, आप काश्तकारों को परेशान करने के लिए बढ़ा रहे हो। आप यह बताइये बी.जे.पी. वालों ने कब...(व्यवधान) नियामक आयोग के सामने... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त। Please take your seat. प्रश्नकाल समाप्त। (व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : अध्यक्ष महोदय, जब आप आसन पर होते हैं, तब यह सारे अधिकारी खड़े हो जाते हैं। यह परम्परा गलत है। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, बार-बार सारे अधिकारी उठ जाते हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : अधिकारी दीर्घा का दरवाजा बन्द रहना चाहिए। यह आसन का अपमान है। रोज के रोज एक ही बात होती है। ...(व्यवधान) नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था होनी चाहिए। जब तक आप यहां से प्रस्थान नहीं कर जायें, अधिकारी दीर्घा का यह गेट बंद रहे। यह रोज खड़े होकर हमेशा आसन का अपमान करते हैं। प्रशासनिक अधिकारियों को तमीज ही नहीं है। ...(व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : रोजाना करते हैं यह।

श्री जगत सिंह दायमा : यह नियामक आयोग के तहत काम कर रहे हैं, अध्यक्ष महोदय के तहत काम नहीं कर रहे हैं।...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त। स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

श्री मानिक चन्द सुराना : पाइंट आफ आर्डर, सर।

श्री अध्यक्ष : There can not be any point of order during Zero Hour. Please take your seat.

श्री मानिक चन्द सुराना : आप बोल लें thereafter, I will raise it.

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें।)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

शहीद सैनिकों की याद को चिरस्थाई बनाने हेतु वृत्त चित्र

809. मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : क्या सैनिक कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत दो वर्षों में राज्य के कुल कितने सैनिक शहीद हुए हैं? नाम सहित जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य के शहीद हुए सैनिकों के परिजनों को राज्य सरकार ने क्या-क्या सुविधाएं मुहैया कराईं?

(मोहम्मद माहिर आजाद)

(3) क्या राज्य सरकार उक्त शहीदों की याद को चिरस्थाई बनाने के लिए एवं नवयुवकों में राष्ट्र प्रेम जागृत करने के लिए कोई वृत्त चित्र बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) 1.4.99 से आज तक राज्य के 150 सैनिक तथा 20 अर्द्ध सैनिक शहीद हुए हैं। नामों सहित जिलेवार सूची परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(2) 1.4.99 के पश्चात् शहीद हुए सैनिकों के परिजनों के लिए राज्य द्वारा पैकेज परिशिष्ट "ख" जारी किया गया है। परिशिष्ट "क" के कालम संख्या 1 से 7 में मुहैया करवाई गयी सुविधाओं के विवरण का उल्लेख कर दिया गया है।

(3) शहीदों की याद को चिरस्थाई बनाने के उद्देश्य से जिन स्थानों पर शहीदों की संख्या अधिक है, उन जिला मुख्यालयों पर शहीद स्मारकों का निर्माण कराया जा रहा है। जहां तक वृत्त चित्र बनाने का प्रश्न है, इस प्रकार का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं।

(सूचियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं।)

जिला उद्योग केन्द्र नागौर में ईंट भट्टा लगाने हेतु लम्बित ऋण प्रार्थना पत्र

810. श्री मोहन बारूपाल (जायल) एवं **श्री ललित भाटी** (अजमेर पूर्व) : क्या उद्योग मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे :-

(1) मेड़ता रोड नागौर में किस-किस अभ्यर्थी के ईंट भट्टा लगाने हेतु ऋण हेतु प्रार्थना पत्र जिला उद्योग केन्द्र नागौर में कब से लम्बित हैं? नाम, पते सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि श्री रतना राम पुत्र श्री पेमाराम ने भी ईंट भट्टा लगाने हेतु ऋण प्राप्त करने के लिए जिला उद्योग केन्द्र नागौर में आवेदन किया था? यदि हां, तो कब? उक्त आवेदन पत्र में विभाग द्वारा कब-कब क्या-क्या कमियां निकाली गयीं? क्या प्रार्थी ने उक्त कमियां पूरी कर दी हैं? यदि हां, तो कब? प्रार्थी के आवेदन पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त अभ्यर्थी को अब ऋण स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(4) उक्त अभ्यर्थी को अब तक ऋण स्वीकृत नहीं करने के क्या कारण हैं? क्या सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिल उद्योग केन्द्रों द्वारा ईंट भट्टा लगाने हेतु किसी प्रकार का कोई ऋण नहीं दिया जाता है। अत: मेड़ता रोड नागौर से संबंधित जिला उद्योग केन्द्र, नागौर में इस बाबत कोई भी प्रार्थना पत्र लम्बित नहीं है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं।

सहायक निदेशक कृषि विस्तार झोटवाडा द्वारा किसानों को नकली फ़लदार पौधों का वितरण

811. श्री हेमन्त कुमार (दीगोद) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कृषि विभाग द्वारा किसानों को फलदार पौधों पर अनुदान उपलब्ध करवाया जाता है? क्या सहायक निदेशक कृषि विस्तार झोटवाड़ा, जयपुर द्वारा भी किसानों को फलदार पौधे अनुदान पर उपलब्ध करवाये गये हैं? यदि हां, तो जून, 1997 से दिसम्बर, 2000 तक उपलब्ध करवाये गये पौधों की कृषकों की सूची वर्षवार, ग्रामवार व क्षेत्रवार सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त सहायक निदेशक द्वारा पौधे कौन-कौनसी नर्सरी से खरीदे गये हैं तथा उनको कितना भुगतान किया गया है? अनुदान कृषक हिस्सा राशि सहित उक्त अवधि का वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त नर्सरी विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त थी? यदि हां, तो उक्त नर्सरी को दिये गये मान्यता के आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या खरीदे गये फलदार पौधे की गुणवत्ता की जांच विभाग के किसी अधिकारी द्वारा की गयी है? यदि हां, तो विभाग के अधिकारी का नाम व पद तथा गुणवत्ता संबंधी की गयी टिप्पणी का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या उक्त फलदार पौधे उपलब्ध करवाने के बाद उक्त सहायक निदेशक की किसी अधिकारी ने उक्त कृषकों से पौधों की गुणवत्ता व पौधों के जीवित रहने, पनपने सम्बन्धी जानकारी लेने पर मार्गदर्शन देने हेतु सम्पर्क किया गया? यदि हां, तो कितने कृषकों को मार्गदर्शन दिया गया? उक्त अधिकारी का नाम व पद तथा दिनांक व सम्पर्क किये गये कृषकों की सूची व उक्त अधिकारी की उक्त दिनांक की भ्रमण रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या उक्त फलदार पौधे गुणवत्ता में सही नहीं होने सम्बन्धी शिकायत विभाग को किसी जनप्रतिनिधि से प्राप्त हुई है? यदि हां, तो उक्त पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? विवरण मय जांच रिपोर्ट की प्रति के सदन की मेज पर रखें।

(7) क्या सरकार उक्त उपलब्ध करवाये गये फलदार पौधों की गुणवत्ता की जांच व उक्त मामले में अन्य अनियमितताओं की जांच करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) कृषि विभाग द्वारा किसानों को फलदार पौधे अनुदान पर उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं। उद्यान विभाग द्वारा उद्यानिकी जिलों में किसानों को फलदार पौधे विभागीय योजनाओं में अनुदान पर उपलब्ध कराये जाते हैं तथा गैर उद्यानिकी जिलों में उद्यान विभाग के द्वारा कृषि विभाग के माध्यम से किसानों को फलदार पौधे विभागीय योजनाओं में अनुदान पर उपलब्ध करवाये जाते हैं। सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) झोटवाड़ा का क्षेत्र गैर उद्यानिकी जिले के अन्तर्गत नहीं है। अत: सहायक

(कृषि मंत्री)

निदेशक कृषि (विस्तार) झोटवाड़ा द्वारा किसानों को फलदार पौधे अनुदान पर उपलब्ध नहीं करवाये गये हैं।

(2) सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) झोटवाड़ा द्वारा फलदार पौधे किसी भी नर्सरी से क्रय नहीं किये गये हैं। अत: भुगतान एवं कृषक हिस्सा राशि का विवरण अपेक्षित नहीं है।

(3) किसी भी नर्सरी से फलदार पौधे क्रय ही नहीं किये गये तो उक्त नर्सरी की मान्यता का प्रश्न लागू नहीं होता है।

(4) सहायक निदेशक कृषि (विस्तार), झोटवाड़ा द्वारा पौधे खरीदे ही नहीं गये। अत: गुणवत्ता की जांच अपेक्षित नहीं है।

(5) कृषि उप जिला झोटवाड़ा द्वारा जब फलदार पौधे उपलब्ध ही नहीं कराये गये तो उनकी देखरेख हेतु किसी अधिकारी को क्षेत्र भ्रमण पर भेजा जाना अपेक्षित ही नहीं है।

(6) जी हां, श्री बाबूलाल नागर, अध्यक्ष राजस्थान प्रदेश कांग्रेस (इ) सेवादल द्वारा शिकायत प्राप्त हुई। उक्त शिकायत की जांच उप निदेशक कृषि (विस्तार) जयपुर द्वारा की गयी। जांच रिपोर्ट में कृषि उप जिला झोटवाड़ा द्वारा पौधे वितरण की शिकायत को गलत बताया गया है। जांच रिपोर्ट की प्रति संलग्न है।

(7) जब पौधे उपजिला कार्यालय द्वारा उपलब्ध ही नहीं करवाये गये तो गुणवत्ता की जांच व अनियमित्ता की जांच अपेक्षित नहीं है।

(जांच रिपोर्ट की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं।)

पंचायत समिति लूणकरणसर (बीकानेर) के गांवों में भू-संरक्षण कार्य

812. श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला बीकानेर की पंचायत समिति लूणकरणसर में वर्ष 1994 से 2000 तक कौन-कौनसे गांवों में जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण कार्य किया गया?

(2) उक्त कार्यक्रमों के अन्तर्गत अब तक किन-किन गांवों में कार्य हुए हैं और अब तक कौन-कौनसे गांव में कितनी राशि स्वीकृत कर व्यय की गयी?

(3) उक्त योजनान्तर्गत जिन गांवों में कार्य हुए, प्रत्येक मजदूर को प्रतिदिन का कितना भुगतान किया गया और पखवाड़े में कुल कितने दिन की राशि का भुगतान किया गया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त योजनान्तर्गत जिन गांवों में कार्य करवाया गया, प्रति पखवाड़े में कितने मजदूरों ने काम किया है? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग द्वारा पंचायत समिति लूणकरणसर में वर्ष 1994 से 2000 की अवधि में किशनासर गांव में जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण कार्य करवाये गये हैं।

(कृषि मंत्री)

(2) उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत किशनासर गांव में राष्ट्रीय जलग्रहण विकास परियोजना अन्तर्गत 1991-92 में एक जलग्रहण कार्य स्वीकृत हुआ। उक्त कार्य हेतु स्वीकृत राशि 104.44 लाख रुपये के विपरीत 1994 से 2000 तक निम्नानुसार व्यय हुआ है :-

वर्ष	व्यय राशि (लाख रुपये में)
1994-95	1.77
1995-96	3.06
1996-97	4.95
1997-98	7.14
1998-99	-
1999-2000	-

(3) उक्त गांवों में कार्य टास्क के आधार पर यूजर्स कमेटियों के माध्यम से करवाया गया है, जिनका भुगतान सामान्यत: तैयार किये गये मासिक बिलों के आधार पर किया गया है। विभागीय कार्यों हेतु मस्टर रोलों का उपयोग नहीं किया जाता है। अत: भुगतान पखवाड़ेवार नहीं किया जाकर सामान्यत: मासिक रूप से किये गये। भुगतान का विवरण ग्राम, कार्य एवं अवधिवार परिशिष्ट "अ" पर अंकित कर सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(4) यूजर्स कमेटी द्वारा कराये गये कार्यों पर माहवार श्रमिकों की संख्या परिशिष्ट "अ" पर अंकित है, सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं।)

पंचायत समिति नौखा (बीकानेर) के गांवों में भू-संरक्षण कार्य

813. **श्री मानिक चन्द सुराना** (लूणकरणसर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पंचायत समिति नौखा (बीकानेर) में वर्ष 1994 से 2000 तक कौन-कौनसे गांवों में जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण कार्य किया गया?

(2) उक्त कार्यक्रमों के अन्तर्गत अब तक किन-किन गांवों में कार्य हुए हैं और अब तक कौन-कौनसे गांव में कितनी राशि स्वीकृत कर व्यय की गयी?

(3) उक्त योजनान्तर्गत जिन गांवों में कार्य हुआ, प्रत्येक मजदूर को प्रतिदिन का कितना भुगतान किया गया और पखवाड़े में कुल कितने दिन की राशि का भुगतान किया गया है? संख्या सूची सदन की मेज़ पर रखें।

(4) उक्त योजनान्तर्गत जिन गांवों में कार्य कराया गया, प्रति पखवाड़े में कितने मजदूरों ने काम किया है? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विकास विभाग द्वारा पंचायत समिति नौखा (बीकानेर) में वर्ष 1994 से 2000 तक रोड़ा, बन्धड़ा, जांगलू, कुचौर, आथूणी, देसलसर भाटियान एवं साजनवासी गांवों में जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण कार्य करवाये गये हैं।

(कृषि मंत्री)

(2) उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत रोड़ा, बन्धड़ा, जांगलू, कुचौर, आथूणी, देसलसर भाटियान एवं साजनवासी गांव में कार्य हुए हैं। उपरोक्त गांवों के लिए स्वीकृत राशि एवं व्यय की सूचना परिशिष्ट ''अ'' पर अंकित है।

(3) उक्त गांवों में कार्य टास्क के आधार पर यूजर्स कमेटियों/जलग्रहण समितियों के माध्यम से करवाया गया है, जिनका भुगतान सामान्यत: तैयार किये गये मासिक बिलों के आधार पर किया गया है। विभागीय कार्यों हेतु मस्टररोलों का उपयोग नहीं किया जाता है। अत: भुगतान पखवाड़ेवार नहीं किया जाकर सामान्यत: मासिक रूप से किये गये भुगतान का विवरण ग्राम, कार्य एवं अवधिवार परिशिष्ट ''ब'' पर अंकित कर सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(4) यूजर्स कमेटी/जलग्रहण समिति द्वारा कराये गये कार्यों पर माहवार श्रमिकों की संख्या परिशिष्ट ''ब'' पर अंकित है, सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(सूचियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं।)

विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर में नवीन स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना

814. श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान में दस किलोमीटर में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होती हैं?

(2) क्या यह सही है कि जैसलमेर जिले में उक्त सेवाएं 260 वर्ग किलोमीटर में उपलब्ध हैं?

(3) क्या विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर में गत दो वर्षों में एक भी स्वास्थ्य एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र नहीं खोला गया है?

(4) क्या उक्त जिले के ग्रामीण क्षेत्र में 20 चिकित्सक एवं 80 ए.एन.एम. के पद रिक्त हैं और सभी स्वास्थ्य एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र बन्द हैं?

(5) क्या सरकार जैसलमेर जैसे सीमावर्ती क्षेत्र हेतु विशेष व्यवस्था करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाये जाने के लिए उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने हेतु भारत सरकार द्वारा दूरी के स्थान पर ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर मापदंड निर्धारित किये हुए हैं।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

(4) जी नहीं। उक्त जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 9 चिकित्सकों के तथा 30 पद प्रसाविका के रिक्त हैं।

(5) जी, नहीं । सीमावर्ती क्षेत्रों के चिकित्सा संस्थान खोले जाने हेतु विशेष व्यवस्था करने का कोई विभाग में प्रावधान नहीं है।

स्थानीय दवा निर्माताओं को प्राथमिकता

815. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्तमान में विभाग द्वारा दवाइयों की खरीद के सम्बन्ध में क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है? उक्त सम्बन्ध में जारी आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या केवल निर्माताओं से ही दवाइयां खरीदी जाती हैं? क्या उसमें राज्य के भीतर दवा निर्माताओं को प्राथमिकता दी जा रही है?

(3) राज्य में पूर्व में दवाओं के खरीद की क्या प्रक्रिया थी? उक्त प्रक्रिया को कब और किस कारण से बदला गया?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर दवाइयों की सूची तैयार कर निविदाएं आमंत्रित कर दर संविदा जारी की जाती है। उक्त दर संविदा पर क्रयकर्ता अधिकारियों द्वारा अपनी आवश्यकता के अनुसार क्रय कार्यवाही की जाती है। दवाइयां क्रय करने के लिए राज्य सरकार द्वारा क्रय नीति दिनांक 10.3.88 निर्धारित की हुई है। जिसके तहत राजकीय उपक्रमों द्वारा उत्पादित आइटम केवल राजकीय उपक्रमों से ही आमंत्रित करने हेतु पेट्रोकेम एवं फर्टिलाइजर मंत्रालय से सूची मंगवाई जाती है। वर्तमान दर-संविदा हेतु भी क्रय नीति दिनांक 10.3.88 के अनुसरण में पेट्रोकेम मंत्रालय एवं फर्टिलाइजर मंत्रालय भारत सरकार से सूची मंगवाई जाकर राजकीय उपक्रमों द्वारा उत्पादित आइटमों के लिए राजकीय उपक्रमों से निविदाएं आमंत्रित की गयी हैं। जिन आइटमों का उत्पादन राजकीय उपक्रमों द्वारा नहीं किया जाता है, के लिए सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के तहत खुली निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। खुली निविदाओं में निविदा की शर्त संख्या 3 के अनुसार उत्पादनकर्ता फर्म एवं सीधे आयातकर्ता फर्म ही भाग ले सकती है। (क्रय नीति दिनांक 10.3.88 की प्रति संलग्न है।)

(2) जी हां। वित्त विभाग के आदेश दिनांक 30.1.99 एवं 21.3.2000 के अनुसरण में राजकीय लघु उद्योग इकाइयों को 80% क्रय वरीयता प्रदान की जाती है।

(3) राजकीय उपक्रमों से पूर्व में भी क्रय नीति दिनांक 10.3.88 के अनुसार ही निविदाएं आमंत्रित की जाती थीं। खुली निविदाएं पूर्व में डिस्ट्रीब्यूटर उत्पादनकर्ता फर्म एवं सीधे आयातकर्ता फर्म से आमंत्रित की जातीं थीं। उक्त प्रक्रिया को दर-संविदा 1998-2000 से राज्य सरकार के निर्देशानुसार बदला गया है।

(क्रय नीति की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

तहसील प्रतापगढ़ व अरनोद (चित्तौड़गढ़) क्षेत्र में नि:शुल्क दवाओं का वितरण

816. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री नन्दलाल मीणा)

क्या यह सही है कि जिला चित्तौड़गढ़ की तहसील अरनोद एवं प्रतापगढ़ क्षेत्र में गरीबी के नीचे जीवन यापन करने वाले चिह्नित परिवारों के सदस्यों को निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए चिकित्सा सुविधा कार्ड वितरित किये गये हैं? यदि हां, तो वितरित किये गये कार्डधारियों की संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। जिला चित्तौड़गढ़ की तहसील अरनोद एवं प्रतापगढ़ क्षेत्र में क्रमशः 12,905 एवं 19,948 गरीबी के नीचे जीवन यापन करने वाले चिह्नित परिवारों को चिकित्सा सुविधा कार्ड वितरित किये गये।

जिला पाली के चिकित्सालयों में रिक्त पद

817. श्री आत्माराम मेघवाल (देसूरी) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला पाली के किस-किस उप केन्द्र/एडपोस्ट/डिस्पेंसरी/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/रेफरल चिकित्सालय में कौन-कौनसे पद कब से रिक्त हैं?

(2) अब सरकार उक्त रिक्त पदों को कब तक भरने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जिला पाली में उप केन्द्र, एडपोस्ट, डिस्पेंसरी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रेफरल चिकित्सालयों में रिक्त पदों की सूची संलग्न है।

(2) पदोन्नति के रिक्त पद विभागीय पद पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने पर चयन के पश्चात् तथा सीधी भर्ती के पदों को नियमानुसार भर्ती की कार्यवाही करने के पश्चात् ही भरे जा सकेंगे।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

विधान सभा क्षेत्र भादरा में चिकित्साकर्मियों के रिक्त पद

818. श्री संजीव कुमार (भादरा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र भादरा में चिकित्सकों, कम्पाउण्डरों व ए.एन.एम. के कितने पद कहां-कहां स्वीकृत हैं और उक्त स्वीकृत पदों में से कितने-कितने पद, कहां-कहां पर कब-कब से रिक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र भादरा में चिकित्सकों, नर्स श्रेणी प्रथम, नर्स श्रेणी द्वितीय एवं ए.एन.एम. के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण मय रिक्ती की दिनांक सहित चिकित्सा संस्थावार सूची संलग्न है।

(2) जी हां। पदोन्नति से भरे जाने वाले रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति की बैठक आयोजित कर भरे जाने की कार्यवाही

(राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य)

प्रक्रियाधीन है। चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर तथा सीधी भर्ती से भरे जाने वाले रिक्त पदों को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर भरा जाना संभव हो सकेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें।)

सरकारी अस्पतालों में फार्मासिस्ट के रिक्त पद

819. श्री उदय सिंह राठौड़ (बनीपार्क) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार राज्य में कितने फार्मासिस्टों के पद सरकारी अस्पतालों में होने चाहिए? उक्त पदों के मुकाबले राज्य सरकार द्वारा कितने पद स्वीकृत हैं तथा उनके विरुद्ध उक्त पदों पर कितने रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कार्यरत हैं और पद रिक्त रहने के क्या कारण हैं?

(2) राज्य सरकार के अधीन कितने फार्मासिस्ट सेवा में कार्यरत हैं? उक्त की नियुक्ति किस आधार पर की गयी थी व उक्त का अस्पतालों में क्या कार्य है? क्या वर्ष 1980 के उपरान्त फार्मासिस्टों की भर्ती की गयी है? यदि हां, तो कितने पद भरे गये हैं? क्या फार्मासिस्ट का कार्य अस्पताल में खतम हो गया है? यदि हां, तो कैसे?

(3) क्या प्राइवेट नर्सिंग होम में जीवन रक्षक दवाएं रखी जा सकती हैं? यदि हां, तो किस कानून व नियम के आधार पर? क्या उक्त भण्डारण व वितरण के लिए फार्मासिस्ट होना आवश्यक नहीं है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य के चिकित्सालयों में विभागीय स्टाफिंग पैटर्न लागू है। वर्तमान में विभाग में फार्मासिस्ट के तीन पद स्वीकृत हैं जिनका राजस्थान अधीनस्थ चिकित्सा सेवा नियमों में उल्लेख नहीं होने के कारण तीनों ही पद रिक्त हैं।

(2) विभाग में फार्मासिस्ट के पद पर कोई फार्मासिस्ट सेवारत नहीं है। शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

(3) जी हां। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 की अनुसूची "क" के पैरा 5 के तहत चिकित्सक द्वारा जीवन रक्षक औषधियों का भण्डारण किया जा सकता है। प्राइवेट नर्सिंग होम द्वारा उक्त नियमावली के तहत औषधि के खुदरा विक्रय हेतु भण्डारण, वितरण के लिए औषधि अनुज्ञा पत्र प्राप्त किया जा सकता है जिसमें दवा का वितरण फार्मासिस्ट की देखरेख में ही किया जाता है। नियमानुसार चिकित्सक स्वयं अपने मरीजों को औषधियों का वितरण कर सकता है।

जिला जालौर स्थित अस्पताल में चिकित्साकर्मियों के रिक्त पद

820. श्री गणेशीराम मेघवाल (जालौर) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री गणेशीराम मेघवाल)

(1) क्या यह सही है कि जिला जालौर मुख्यालय पर स्थित अस्पताल में वरिष्ठ/कनिष्ठ विशेषज्ञ, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी व चिकित्सा अधिकारियों के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो कब से हैं?

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। जिला जालौर मुख्यालय पर स्थित अस्पताल में चिकित्सकों के रिक्त पदों की सूचना संलग्न है।

(2) वरिष्ठ विशेषज्ञ, कनिष्ठ विशेषज्ञ, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों के पदोन्नति वाले रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति तथा चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पद राजस्थान लोक सेवा आयोग से अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर भरा जाना संभव होगा।

(पदों की सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट–4 देखें।)

नवीन विधान सभा भवन निर्माण पर वास्तविक व्यय

821. श्री सांवर लाल (भिनाय) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या नवीन विधान सभा भवन का निर्माण शुरू करने से पूर्व अनुमानित लागत व मानचित्र आदि तैयार किये गये? यदि हां, तो कितनी-कितनी लागत किस प्रकार वर्षवार अनुमानित की गयी तथा नक्शा क्या था?

(2) क्या नक्शे के अनुरूप कार्य हुआ? यदि नहीं, तो क्या-क्या तब्दीली कब-कब किस-किस स्तर पर हुई?

(3) क्या निर्माण के लिए ठेका हुआ? यदि हां, तो किन-किन शर्तों पर व क्या-क्या कितनी राशि का हुआ तथा किसके हुआ?

(4) क्या उक्त अनुरूप निर्माण में सामग्री का उपयोग हुआ? यदि हां, तो किस-किस हेतु कौन-कौनसे स्तर की सामग्री?

(5) अब तक वास्तविक लागत क्या है और कितना-कितना भुगतान किस-किसको किस-किस मद में किया गया?

उत्तर

(1) जी हां। अनुमानित लागत 7702 लाख थी एवं स्वीकृति अनुसार वर्षवार व्यय निम्नप्रकार प्रस्तावित था:-

1994-95	253.63 लाख
1995-96	1507.76 लाख
1996-97	2315.00 लाख
1997-98	2774.00 लाख
1998-99	851.61 लाख
योग :	**7702.00 लाख**

तथा नक्शा सार्वजनिक निर्माण विभाग के मुख्य वास्तुविद द्वारा तैयार किया गया था जो कि राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित था।

(2) जी हां। कार्य मुख्य नक्शे के अनुरूप

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

ही हुआ है। समय-समय पर उच्चाधिकार प्राप्त कमेटी एवं स्पेसिफिकेशन कमेटी के निर्णयानुसार कुछ परिवर्तन किये गये हैं।

(3) भवन निर्माण कार्य मुख्यत: विभागीय स्तर पर किया गया है। कुछ पार्ट कार्य पूर्ण ठेके पर भी करवाये गये हैं। अधिकांश कार्य लेबर रेट व मैटीरियल आपूर्ति के ठेकेदार द्वारा अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार किये गये, जिन सभी की वर्षवार संख्या एवं वर्षवार व्यय निम्नप्रकार है :-

वर्ष	अनुबन्धों की संख्या	अनुबन्धों की राशि (लाखों में)
1994-95	57	383.82
1995-96	234	1375.37
1996-97	277	2292.01
1997-98	197	783.57
1998-99	233	752.39
1999-2000	159	599.85
2000-2001	234	766.07
योग:		**6953.10 लाख**

(4) जी हां। निर्माण में उस अनुरूप, स्पेसिफिकेशन के अनुसार ही उच्च स्तर की सामग्री का उपयोग किया गया है।

(5) इस निर्माण कार्य पर मार्च, 2001 तक कुल 90.92 करोड़ का व्यय किया गया है। समस्त भुगतान विभिन्न संवेदकों को, आर.एस.ई.बी., जयपुर विकास प्राधिकरण को 4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 80-सामान्य, 051 निर्माण कार्य पर, 1-सामान्य भवन (xxvii) - विधान सभा भवन का निर्माण (आयोजना) मद में किया गया है। वर्षवार अनुबन्धों के तहत किये गये व्यय का विवरण निम्न प्रकार है :-

वर्ष	अनुबन्धों की संख्या	व्यय
1994-95	57	253.63 लाख
1995-96	234	1507.76 लाख
1996-97	277	1500.03 लाख
1997-98	197	1720.67 लाख
1998-99	233	1973.12 लाख
1999-2000	159	888.02 लाख
2000-2001	234	1249.49 लाख
	योग :	**9092.72 लाख**

जिला नागौर की सड़कों की मरम्मत के लिए स्वीकृत राशि

822. श्री हरजीराम बुरड़क (लाड़नूं) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 1999-2000व2000-2001 में जिला नागौर में कौन-कौनसी सड़कों की मरम्मत के लिए कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गयी जिस पर कितनी-कितनी राशि व्यय हुई? विधान सभा क्षेत्र व सड़कवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त सड़कों के रखरखाव व मरम्मत के लिए राशि स्वीकृत करने के क्या-क्या मानदंड निर्धारित हैं तथा उक्त मामलों से उनका कहां तक ध्यान रखा गया? उक्त सम्बन्ध में

(श्री हरजीराम बुरड़क)

अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से संबंधित दिशा निर्देशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्ष 2001-2002 में उक्त क्षेत्र में कौन-कौनसी सड़क के रखरखाव व मरम्मत के लिए कितनी-कितनी राशि व्यय की जाने की योजना है? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1999-2000 व 2000-01 में जिला नागौर में विभिन्न सड़कों की मरम्मत के लिए जो राशि स्वीकृत हुई एवं व्यय की गयी, का विधान सभा क्षेत्रवार एवं सड़कवार विवरण परिशिष्ट "क" एवं "ख" में संलग्न है।

(2) सड़कों के रखरखाव व मरम्मत के लिए राशि निम्नलिखित मानदंडों को ध्यान में रखकर स्वीकृत की जाती है :-

1. खंड में डामर की सड़कों की लम्बाई।
2. नये नवीनीकरण के कार्य स्वीकृति हेतु उन किलोमीटर का अंतिम नवीनीकरण का वर्ष।
3. अधिक यातायात के घनत्व वाली सड़कों पर नवीनीकरण कार्यों की प्राथमिकता।
4. राज्य सरकार के पास वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता।

अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से सम्बन्धित दिशा-निर्देशों की प्रति परिशिष्ट "ग" में संलग्न है।

(3) सड़क संधारण योजनान्तर्गत वर्ष 2001-2003 में नवीनीकरण हेतु लगभग रुपये 31.40 करोड़ राशि के कार्य विचाराधीन हैं जिनका विवरण परिशिष्ट "घ" पर संलग्न है।

(विवरण की प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं।)

जैसलमेर के सीमावर्ती क्षेत्र की सम-धानाना सड़क पर रेत अवरुद्ध मार्ग

823. श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जैसलमेर सीमावर्ती क्षेत्र में सम-धानाना सड़क का निर्माण ग्रेफ केन्द्रीय उपक्रम ने करवाया है?

(2) क्या यह भी सही है कि सीमा सुरक्षा तथा नागरिक आवागमन हेतु उक्त सड़क का महत्व है?

(3) क्या उक्त सड़क पर रेत के टीबे आ गये हैं जिसने मार्ग को अवरुद्ध कर रखा है?

(4) क्या यह सही है कि तीन वर्ष पूर्व ग्रेफ ने सार्वजनिक निर्माण को सड़क हस्तांतरण का लिख कर देखभाल करना छोड़ दिया है?

(5) क्या सरकार उक्त सड़क को अपने सुपुर्द लेकर रेत हटाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(2) जी नहीं। वर्तमान में इस सड़क का उतना सामरिक महत्व नहीं है। केवल नागरिक आवागमन एवं पर्यटन हेतु ही इसका महत्व है।

(3) जी हां।

(4) ग्रेफ द्वारा दिनांक 4 जून, 1999 को अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि. खण्ड-जैसलमेर एवं दिनांक 14 जून, 1999 को मुख्य अभियन्ता, सा.नि.वि. राजस्थान, जयपुर को पत्र लिखा था कि इस सड़क का रखरखाव सा.नि.वि. द्वारा किया जाये क्योंकि इस सड़क की सामरिक महत्वता अब नहीं है। राज्य सरकार के आदेश माह मार्च, 2001 के निर्णयानुसार इस सड़क को ग्रेफ से लिया जा रहा है।

(5) जी हां।

विधान सभा क्षेत्र देसूरी व बाली (पाली) में नालों पर पुलिया व रपट निर्माण

824. श्री बाबूलाल सिंगारिया (केकड़ी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र देसूरी व बाली (पाली) की डामर की कई सड़कों पर अभी भी काफी पुलिया व रपटें नहीं बनी होने के कारण वर्षा काल में यातायात बाधित होता है?

(2) क्या सरकार उक्त क्षेत्रों की डामर की सड़कों के छूटे हुए नदी/नालों पर पुलिया/रपट बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या उक्त कार्यों के लिए पूर्व में सरकार को कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए थे? यदि हां, तो कौन-कौनसे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। यह सरकार की वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है।

(3) जी हां। प्राप्त प्रस्तावों के विवरण को परिशिष्ट ''क'' में दर्शाया गया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें।)

जिला पाली में प्रधानमंत्री योजना अन्तर्गत स्वीकृत सड़कों की निविदाएं

825. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला पाली में प्रधानमंत्री योजना अन्तर्गत किन-किन सड़कों के डामरीकरण हेतु राशि स्वीकृत की गयी है? उक्त हेतु कितनी-कितनी राशि का आवंटन हुआ है?

(2) उक्त स्वीकृत सड़कों में से किन-किन की निविदाएं किस-किस ठेकेदार को कितने-कितने रुपये की स्वीकृत हुई हैं?

(3) क्या उक्त स्वीकृत सड़कों की

(श्री हीरासिंह चौहान)

निविदाएं विचाराधीन हैं? यदि हां, तो निविदाएं स्वीकृत नहीं होने के क्या कारण हैं?

(4) क्या तहसील रायपुर के ग्राम केसरपुर, नाहरपुरा (गिरी) खेडा मामावास, धोलीधेड, धौखिया, जगमालपुरा मालनी, जैतपुरा तथा तहसील सोजत के ग्राम गजनाई, छीतरीया तथा खरनीखेडा सड़कों के डामरीकरण के लिए प्रधानमंत्री योजना के द्वितीय चरण में प्रस्तावित किये हैं?

उत्तर

(1) व (2) जिला पाली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत 14 सड़कों के डामरीकरण हेतु रुपये 2.99 करोड़ की राशि स्वीकृत व आबंटित की है जिनकी सूची मय स्वीकृत राशि व ठेकेदार के विवरण के साथ परिशिष्ट "अ" में संलग्न है।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं। वर्ष 2001-2002 में चूंकि इन प्रत्येक ग्राम की आबादी 1000 से कम है, कोई भी ग्राम की सड़क प्रस्तावित नहीं है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-6 देखें।)

सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी के विरुद्ध विचाराधीन कार्यवाही

826. श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्तमान में विभाग में प्रतिनियुक्ति पर जाने के लिए क्या नियम हैं? एन.एच.ए.आई. में कौन-कौन अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर कितने समय से हैं?

(2) क्या कोई अधिकारी एन.एच.ए.आई. में जाने से पहले भी प्रतिनियुक्ति पर था? यदि हां, तो कब से कौन-कौन व कहां-कहां पर थे?

(3) क्या यह सही है कि एक अधिकारी का पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाने पर उसे वापस बुलाया जाता है? क्या एन.एच.ए.आई. से किसी अधिकारी को वापस बुलाने के लिए विभाग द्वारा कोई पत्र लिखा गया है? यदि हां, तो कब?

(4) क्या उक्त में से प्रतिनियुक्ति पर जाने के बाद कोई अधिकारी जेल में गया? यदि हां, तो कौन कब व किस कारण से?

(5) क्या किसी प्रतिनियुक्ति पर गये अधिकारी पर भ्रष्टाचार निरोधक विभाग की कार्यवाही विचाराधीन है? यदि हां, तो कब से?

उत्तर

(1) राजस्थान सेवा नियम,1951 के नियम 144-ए में वैदेशिक सेवा में प्रतिनियुक्ति की शर्तें निर्धारित की गयी हैं जिसके तहत एक राज्य कर्मचारी को प्रतिनियुक्ति पर भेजने या विदेश सेवा में भेजने जो केन्द्रीय सरकार, अन्य राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रम, स्वायत्त संस्थाएं एवं अन्य संस्थाएं जो पूर्णत: अथवा सारभूत रूप से राज्य सरकार के नियंत्रण में है, में स्थानान्तरण करने की शर्तें राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार नियमित होंगी। (नियमों की प्रति

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

परिशिष्ट "क" पर है) एन.एच.ए.आई. में प्रतिनियुक्ति पर गये अधिकारियों की सूची परिशिष्ट "ख" पर अंकित है।

(2) जी हां। निम्न दो अधिकारी एन.एच.ए.आई. में प्रतिनियुक्ति पर जाने से पहले राजस्थान पुल निर्माण निगम, जयपुर में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत रहे हैं:-

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पद	कब से कब तक
1.	श्री एस.सी. माथुर	सहायक अभियंता एवं अधिशासी अभियन्ता	26.6.92 से 15.3.94 15.3.94 से 15.1.98
2.	श्री डी.पी. कुर्मी	सहायक अभियंता	23.9.98 से 1.12.2000

(3) जी हां। एन.एच.ए.आई. में कार्यरत दो अधिकारियों को वापस बुलाये जाने के लिए राज्य सरकार द्वारा दिनांक 21.1.2000 एवं दिनांक 4.2.2000 को पत्र लिखे गये हैं। परन्तु बाद में एन.एच.ए.आई. के अनुरोध पर उपर्युक्त दोनों अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति अवधि दिनांक 31.1.2002 तक आदेश दिनांक 1.4.2000 द्वारा बढ़ाई गयी।

(4) जी नहीं। श्री हरिशचन्द्र माथुर अधिशाषी अभियन्ता के विरुद्ध केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा केस संख्या आरसी 16(ए)/97 रजिस्टर्ड किया गया था। इन्हें दिनांक 1.9.98 को 12.30 बजे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में रखा गया तथा दिनांक 2.9.98 को जिला सत्र न्यायाधीश द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया गया।

(5) जी हां। श्री राजीव गर्ग सहायक अभियंता के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा अपराध संख्या 93/97 बाबत आय से अधिक सम्पत्ति दर्ज किया गया था। वर्तमान में उक्त केस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के यहां दिनांक 21.4.97 से विचाराधीन चल रहा है।

(नियमों की प्रतियां/सूचियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं।)

जिला झुंझुनूं में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित सड़कें

827. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अन्तर्गत जिला झुंझुनूं में किन-किन सड़कों के प्रस्ताव तैयार किये गये हैं?

(2) उक्त प्रस्तावों में कितने स्वीकृत हो चुके हैं तथा कितने कार्य चालू किये जा चुके हैं?

(3) क्या यह सही है कि उक्त प्रस्तावों के बनाने में विभिन्न विधान सभा क्षेत्रों के साथ भेदभाव बरता गया है तथा एक दो विधान सभा क्षेत्रों का विशेष ध्यान रखा जाकर अन्य क्षेत्रों

(श्री शिवनाथ सिंह)

की उपेक्षा की गयी है? यदि हां, तो क्यों? विधान सभा क्षेत्रवार प्रस्तावों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला झुंझुनूं में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर 1000 से अधिक आबादी के गांवों को डामर सड़क से जोड़ने हेतु कुल 52 सड़कों के प्रस्तवा तैयार किये गये हैं। प्रस्तावों की सूची परिशिष्ट ''अ'' में संलग्न है।

(2) उक्त प्रस्तावों में से अभी तक 12 सड़कों की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इनमें से एक सड़क कार्य की स्वीकृति पूर्व में डामर सड़क से जुड़े होने के कारण निरस्त कर दी गयी है। उक्त सड़कों का कार्य राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम को आबंटित किया गया है तथा कार्य शीघ्र आरम्भ किये जा रहे हैं।

(3) जी नहीं। उक्त जिले के विधान सभा क्षेत्रवार प्रस्तावों की सूची परिशिष्ट ''अ'' में संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-7 देखें।)

विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में सड़क सीमा में निजी खातेदारों द्वारा अतिक्रमण

828. **श्री रतन लाल ताम्बी** (जहाजपुर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर की जहाजपुर से भीलवाड़ा व जहाजपुर से देवली सड़क सरकार द्वारा निजी खातेदारों की भूमि में मुआवजा राशि चुका कर बनाई गयी है?

(2) क्या यह भी सही है कि अभी भी सड़कों के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं होकर निजी खातेदारों के नाम भूमि चल रही है? यदि हां, तो क्या सरकार सड़क हेतु अवाप्त की गयी भूमि को विभाग के नाम दर्ज कराने की कार्यवाही करेगी?

(3) क्या उक्त सड़कों के पास खातेदार अतिक्रमण करके अवैध निर्माण कार्य कर रहे हैं? क्या सरकार के नाम सड़क की भूमि नहीं होने के कारण सरकार कार्यवाही नहीं कर पा रही है?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। राजस्व रिकार्ड में सड़क की अवाप्त की गयी भूमि को सार्वजनिक निर्माण के नाम दर्ज करवाने की कार्यवाही की जा रही है।

(3) अवैध निर्माण के खिलाफ राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत कार्यवाही की जाती है, लेकिन विभाग के नाम सड़क की भूमि अभी तक दर्ज नहीं होने के कारण कार्यवाही प्रभावी नहीं हो पा रही है।

जिला मुख्यालय जालौर में डाक बंगले का निर्माण

829. **श्री गणेशीराम मेघवाल** (जालौर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री गणेशीराम मेघवाल)

(1) क्या यह सही है कि राज्य में सभी जिला मुख्यालयों पर डाक बंगले बने हुए हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि जालौर मुख्यालय पर डाक बंगला नहीं है?

(3) क्या सरकार उक्त जिला मुख्यालय पर डाक बंगला बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। क्योंकि जिला मुख्यालय पर पहले से ही डाक बंगला है।

बेलदार के पद पर अर्द्धस्थायी कर्मचारी को परिलाभों का भुगतान

830. श्री कन्हैया लाल (बस्सी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि श्री बालू पुत्र श्री महादेव मीणा का बेलदार के पद पर पदस्थापन हुआ था? यदि हां, तो कब? उक्त व्यक्ति पदस्थापन के बाद कब-कब कहां-कहां कार्यरत रहा? पदस्थापन आदेशों की प्रति सहित वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि आदेश क्रमांक 387 दिनांक 19.7.82 के द्वारा दो वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने पर उक्त बेलदार को अर्द्धस्थायी घोषित किया गया? यदि हां, तो कौनसी वेतन श्रृंखला में कौनसी तारीख से? विवरण आदेशों की प्रति सहित सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त अर्द्धस्थायी कर्मचारी को नियमानुसार समस्त देय वेतन भत्तों का लाभ दिया गया? यदि हां, तो कितना एवं कब से और नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त बेलदार को अर्द्धस्थायी होने पर वेतन भत्तों का लाभ दिये जाने के बजाय अक्टूबर, 1997 में यह कहते हुए सेवानिवृत्ति दे दी गयी कि इनकी आयु 60 वर्ष हो चुकी? यदि हां, तो सेवानिवृत्ति के बाद उक्त बेलदार को पेंशन, ग्रेचुएटी, बीमा सी.सी.एफ., पारिवारिक पेंशन का भुगतान कितना-कितना एवं कब-कब किया गया? यदि नहीं, तो क्यों? अब सरकार उक्त सेवानिवृत्ति के लाभ कब तक देने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(5) क्या माननीय राजस्थान उच्च न्यायाल ने एस.बी. सिविल रिट पिटीशन नं. 1240/89 के फैसले के तहत उक्त बेलदार को अर्द्धस्थायी घोषित किये जाने की तारीख 1.4.1982 से समस्त देय वेतन भत्तों का लाभ दिये जाने का फैसला दिया? क्या फरवरी, 2000 में सरकार द्वारा फैसले के विरुद्ध डबल बैंच में दायर अपील को न्यायालय ने खारिज करते हुए पुन: विभाग को मई, 2000 में उक्त बेलदार को पूर्ववत फैसले के मुताबिक लाभ परिलाभ भुगतान का आदेश दिया? यदि हां, तो अब तक उक्त सेवानिवृत्त बेलदार को उक्त परिलाभों का भुगतान क्यों नहीं किया गया? क्या यह सही है कि इससे उक्त न्यायालय के आदेशों की अवहेलना की गयी है? यदि हां, तो

(श्री कन्हैया लाल)

क्यों? क्या सरकार माननीय उच्च न्यायालय के ओदशों की अवहेलना करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों?

(6) अब माननीय उच्च न्यायालय के फैसले के अनुरूप उक्त राशि का भुगतान कब तक कर दिया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) श्री बालू पुत्र श्री महादेव मीणा को दैनिक वेतन पर मार्च,1980 में बेलदार पद पर नियोजित किया गया था। ये जयपुर में ही कार्यरत थे।

(2) जी हां। आदेश दिनांक 19.7.82 द्वारा वेतन श्रृंखला 240-3-270-4-290 में दिनांक 1.4.82 से अर्द्धस्थायी किया गया था। आदेश की प्रति संलग्न है। परिशिष्ट "क"।

(3) जी नहीं। श्रमिक द्वारा आयु सम्बन्धी योग्यता पूर्ण न कर पाने के कारण विभाग द्वारा दिनांक 30.7.82 को एक आदेश के तहत श्रमिक का नाम अर्द्धस्थायी से निरस्त कर देने की वजह से श्रमिक को कोई देय वेतनमान, भत्ते इत्यादि का लाभ नहीं दिया गया है।

(4) बेलदार से अर्द्धस्थायी घोषित करने के आदेश को निरस्त करने के कारण श्रमिक को वेतन भत्तों का लाभ नहीं दिया गया और श्रमिक श्री बालू पुत्र श्री महादेव द्वारा आयु सम्बन्धी सेवा शर्तें (योग्यता) पूर्ण न कर पाने के कारण सहायक अभियन्ता, रा.रा.मार्ग, उपखण्ड-3 जयपुर ने आदेश सं. 692 दिनांक 1.9.87 के द्वारा नियमित सेवाएं समाप्त कर दी गयीं, ना कि श्रमिक को सेवानिवृत्त किया गया है। अत: सेवानिवृत्ति के लाभ का प्रश्न ही नहीं उठता था।

(5) जी हां।

जी हां। राजस्थान उच्च न्यायालय ने श्रमिक को 1.4.1982 से समस्त लाभ दिये जाने का फैसला दिया है एवं विभाग द्वारा इसके विरुद्ध एक अपील डबल बैंच में माननीय उच्च न्यायालय में दायर की थी जो न्यायालय द्वारा दिनांक 2.5.2000 को खारिज कर दी गयी। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही विचाराधीन है।

(6) इस सम्बन्ध में विधि विभाग एवं वित्त विभाग से परामर्श कर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

(आदेश की प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें।)

विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर की क्षतिग्रस्त सड़कें

831. श्री रूपलाल (सलूम्बर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में ऐसी कितनी सड़कें हैं जिनके निर्माण के पश्चात् अब तक उनकी मरम्मत नहीं हुई है तथा सड़क जीर्ण-शीर्ण हैं?

(2) क्या यह सही है कि सरकार ने उक्त सड़कों की मरम्मत पर गत दो वर्षों से कोई राशि व्यय नहीं की है? यदि हां, तो क्यों?

(श्री रूपलाल)

(3) क्या सरकार उक्त डामरीकृत सड़कों की मरम्मत कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कौन-कौनसी सड़कों की इस वर्ष मरम्मत करा दी जायेगी?

उत्तर

(1) व (2) विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में 7 (सात) सड़कें हैं जिनकी निर्माण के पश्चात् कोई मरम्मत कर राशि व्यय नहीं की गयी है। इनमें से दो सड़कों पर कुछ पेच है।

(3) सात सड़कों में से पांच सड़कें सही हालत में हैं। केवल दो सड़कों, सम्पर्क सड़क बनोडा एवं सम्पर्क सड़क गामडापाल पर पड़े कुछ पेच की मरम्मत इस वर्ष कराया जाना प्रस्तावित है।

तहसील मांगरोल से बारां सड़क की मरम्मत

832. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि तहसील मांगरोल से बारां, जिला मुख्यालय की सड़क सिंगल रोड होने व रास्ता खराब होने के कारण से आमजन को आवागमन में काफी असुविधा होती है?

(2) क्या सरकार उक्त समस्या का समाधान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि तहसील मांगरोल से बारां जिला मुख्यालय की सड़क का अधिकांश भाग सिंगल लेन व आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होने के कारण आमजन को आवागमन में कुछ असुविधा होती है।

(2) उक्त समस्या के समाधान हेतु सड़क को चौड़ा करना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता व पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

उच्च माध्यमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम में यौन शिक्षा का समायोजन

833. श्री हेमन्त कुमार (दीगोद) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या एड्स बीमारी के प्रसार को देखते हुए यौन शिक्षा को उच्च माध्यमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम में जोड़ने की सरकार की योजना है? यदि हां, तो कब तक जोड़ने का विचार है और नहीं, तो क्या सरकार एड्स बीमारी के प्रसार को गंभीरता से नहीं लेती है?

उत्तर

वर्तमान में माध्यमिक स्तर की कक्षा-10 विज्ञान विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र के अध्याय-6 ''स्वास्थ्य के खतरे'' शीर्षक के अन्तर्गत ''एड्स'' बीमारी के संबंध में पाठ्य सामग्री अध्ययनार्थ निहित है तथा विज्ञान के नये प्रस्तावित पाठ्यक्रम में भी इसे रखा गया है। उच्च माध्यमिक स्तर पर कक्षा-11 एवं कक्षा-12 के जीव विज्ञान द्वितीय प्रश्न पत्र के प्रस्तावित पाठ्यक्रमों में भी यौन शिक्षा के पाठ्यांशों को सम्मिलित करते हुए ''एड्स'' के बारे में पाठ्य-सामग्री अध्ययनार्थ निहित की जा रही है। अत: राज्य सरकार ''एड्स'' के रोकथाम हेतु विषय सामग्री को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने के प्रति गंभीर है।

तहसील फतेहपुर (सीकर) के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पद

834. श्री भंवरू खान (फतेहपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला सीकर की तहसील क्षेत्र फतेहपुर के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक, प्राचार्य एवं व्याख्याताओं के कितने पद स्वीकृत हैं और उनमें से कितने पद किस-किस तिथि से रिक्त हैं?

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) तहसील क्षेत्र फतेहपुर जिला सीकर के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 13 प्रधानाचार्य, 23 प्रधानाध्यापकों तथा 64 व्याख्याताओं के पद स्वीकृत हैं इनमें से 03 प्रधानाचार्य, 02 प्रधानाध्यापक तथा 31 व्याख्याताओं के पद रिक्त हैं। विद्यालयवार रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट ''क'' में सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) जी हां। सीधी भर्ती से भरे जाने वाले शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने हेतु वित्त एवं कार्मिक विभाग की सहमति उपरान्त नियुक्ति की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी हैं तथा डी.पी.सी. से भरे जाने वाले पदों हेतु डी.पी.सी. की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इनसे चयनित आशार्थी उपलब्ध होने पर रिक्त पदों को भरा जा सकेगा।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 9 देखें।)

महाराजा सवाई मानसिंह विद्यालय जयपुर में नियम विरुद्ध पंजीयन शुल्क वसूली

835. श्री रूपाराम (डीडवाना) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या राज्य में राजस्थान गैर-सरकारी संस्था अधिनियम, 1989 (अधि.सं. 1992) लागू है?

(2) क्या उक्त अधिनियम के अधीन शिक्षा विभाग को कोई ऐसी शक्तियां प्राप्त हैं जिससे उक्त संस्थाओं की ''फीस'' पर नियंत्रण लगाया जा सकता है? यदि हां, तो कौन-कौनसे प्रावधान हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि महाराजा सवाई मानसिंह विद्यालय, जयपुर में ''बाल वाटिका'' में ''रजिस्ट्रेशन फीस'' वसूल किये जाने की शिकायतें सरकार व शिक्षा विभाग को गत वर्षों में की गयी थी, जिसमें ''पंजीयन शुल्क'' करीब एक हजार प्रति अभ्यर्थी से वसूला गया और मात्र 90-99 छात्रों को ही दाखिला दिया गया? क्या बाकी अभ्यर्थियों का ''पंजीयन शुल्क'' नहीं लौटाया है? यदि हां, तो उक्त पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त विद्यालय में ''बाल वाटिका'' व अन्य कक्षाओं में भर्ती करने की कोई प्रक्रिया तय की हुई है? यदि हां, तो क्या-क्या मानदंड अपनाये जाते हैं?

(5) वर्ष 1999-2000व2000-2001 में कितने फार्म पंजीयन हेतु जारी किये गये हैं और कितने छात्रों को भर्ती किया गया, कितनी राशि जमा की गयी व वापस कितनी लौटाई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री रूपाराम)

(6) क्या यह सही है कि उक्त विद्यालय के विरुद्ध सरकार, शिक्षा विभाग व उच्च न्यायालय में अनियमितताएं करने की शिकायतें विचाराधीन हैं? यदि हां, तो उक्त पर क्या कार्यवाही की जा रही है?

(7) क्या सरकार उक्त संस्थाओं में शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि को ''सदस्य'' बनाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों और हां, तो पालना क्यों नहीं हो रही है?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। विद्यमान अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में संस्थाओं द्वारा ली जाने वाली फीस पर नियंत्रण नहीं लगाया जा सकता है।

(3) जी हां। नियमों में समुचित प्रावधान के अभाव में कार्यवाही नहीं की जा सकी। यह उल्लेखनीय है कि विद्यालय द्वारा अभिभावकों को उपलब्ध कराये जाने वाले प्रविवरण में असफल विद्यार्थियों को पंजीयन शुल्क वापस नहीं लौटाये जाने का स्पष्ट उल्लेख किया हुआ है।

(4) जी हां। संस्था द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार भर्ती हेतु साक्षात्कार मंडल जिसमें शिक्षाविद्, मनोचिकित्सक, शाला प्रधान एवं समन्वयक हैं, के द्वारा विद्यार्थी एवं अभिभावक के साक्षात्कार के आधार पर प्रवेश दिया जाता है।

(5) वर्ष 1999-2000 एवं 2000-01 में क्रमश: 406 एवं 477 फार्म जारी एवं पंजीकृत हुए जिनमें से क्रमश: 94 एवं 94 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया। पंजीयन से क्रमश: 4.07 लाख एवं 5.72 लाख रुपये की राशि जमा की गयी। असफल विद्यार्थियों को संस्था द्वारा कोई राशि नहीं लौटाई गयी।

(6) जी नहीं। शिक्षा विभाग में ऐसी कोई शिकायत विचाराधीन नहीं है एवं उच्च न्यायालय में भी दायर की गयी याचिका में दिनांक 7.1.98 को संस्था के पक्ष में निर्णय हो चुका है।

(7) विद्यमान अधिनियम एवं नियमों में संशोधन की प्रक्रिया हेतु कमेटी गठित की हुई है जिसकी रिपोर्ट में उक्त बिन्दु का परीक्षण करने पर तदनुसार कार्यवाही की जावेगी।

जनशक्ति निदेशालय, जयपुर में पंजीकृत डिप्लोमाधारी अभ्यर्थी

836. श्री घासीलाल मेघवाल (पाटन): क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्तमान राज्य में कितने अभियांत्रिकी महाविद्यालय संचालित हैं? उक्त में से राज्य सरकार के कितने व राज्य सरकार के सहयोग से संचालित कितने निजी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय हैं?

(2) वर्तमान में उक्त में से विभिन्न शाखाओं से प्राप्त कितने डिग्री व डिप्लोमाधारी अभ्यर्थी हैं जिनका जनशक्ति निदेशालय, जयपुर में रजिस्ट्रेशन है? इनमें से अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है?

(श्री घासीलाल मेघवाल)

(3) वर्तमान में उक्त शाखाओं (सिविल, मैकेनिकल, इलैक्ट्रीकल, इलैक्ट्रोनिक्स) के विभागों में कितने कनिष्ठ अभियन्ता के अनुसूचित जाति/जनजाति के पद रिक्त हैं? यदि नहीं, तो क्या सरकार नये पद सृजित कर रही है?

(4) क्या सरकार के पास अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों को अलग से रोजगार मुहैया कराने का कोई पैकेज है?

(5) वर्तमान में विभागों में अनुसूचित जाति/जनजाति के सहायक अभियन्ता के कितने पद रिक्त हैं? राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को कार्मिक विभाग द्वारा कुल कितने पदों को भरने की स्वीकृति दी गयी है?

उत्तर

(1) वर्ष 2001-2002 में संचालित इंजीनियरिंग महाविद्यालयों की सूचना परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(2) रजिस्टर्ड अभ्यर्थियों की सूचना परिशिष्ट-ब पर उपलब्ध है।

(3) विभागों से प्राप्त सूचना परिशिष्ट-स पर उपलब्ध है।

(4) जी नहीं।

(5) विभागों से प्राप्त सूचना परिशिष्ट-द पर उपलब्ध है।

(सूचना विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

प्रशिक्षित बेरोजगार वास्तुकार

837. श्री रमेश खींची (कठूमर) : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में गत 8–10 वर्षों से वास्तुकार के प्रशिक्षित के लिए कालेज खोले गये हैं? यदि हां, तो विभिन्न कालेजों से अब तक वास्तुकला के कितने अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है?

(2) उक्त प्रशिक्षण वास्तुकार में से कितनों को सरकारी सेवा में नियुक्तियां दी हैं? यदि नहीं, तो क्यों और हां, तो कितने को व कहां-कहां?

(3) क्या यह भी सही है कि नगर निगम, जयपुर में एक भी वास्तुकार का पद नहीं है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार अब नगर निगम, जयपुर में वास्तुकार की नियुक्ति करने हेतु पद सृजित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो, क्यों?

(4) क्या सरकार अब राज्य में वास्तुकार के पद सृजित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां व कितने?

(5) क्या यह सही है कि प्रशिक्षित वास्तुकार गत 8-10 वर्ष से बेरोजगार हैं? क्या सरकार उक्त के नियोजन के बारे में कोई योजना बना रही है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(तकनीकी शिक्षा मंत्री)

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) जी हां। पदों का सृजन आवश्यकता तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

(4) भाग (3) के उत्तर के अनुसार।

(5) तकनीकी शिक्षा विभाग का कार्य शिक्षण तक ही सीमित है। दिनांक 28.2.2001 तक जनशक्ति विभाग के अन्तर्गत आर्किटेक्चर से संबंधित बेरोजगार निम्नानुसार पंजीकृत है :-

डिग्री-34,

डिप्लोमा-33.

प्रशिक्षित वास्तुकारों को रोजगार देने की कोई योजना सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

विद्युत वितरण निगम कार्यालय अटरू (बारां) का नवीन भवन में स्थानान्तरण

838. श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अटरू (बारां) में अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण निगम के कार्यालय का निर्माण कब शुरू हुआ व कब पूर्ण हुआ एवं उक्त पर कितनी लागत आयी?

(2) नये भवन में उक्त कार्यालय शिफ्ट नहीं करने के क्या कारण रहे? अब कब तक उक्त कार्यालय शिफ्ट कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अधिशासी अभियन्ता जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. अटरू के लिए कार्यालय भवन का निर्माण कार्य माह जनवरी, 1997 से प्रारम्भ हुआ तथा माह अक्टूबर, 1998 में पूर्ण हुआ। इसके निर्माण पर अभी तक कुल रुपये 6,88,497 व्यय हुए हैं।

(2) उक्त भवन के लिए पानी, आवागमन का रास्ता व सुरक्षा दीवार की व्यवस्था का कार्य पूरा न होने से अभी कार्यालय स्थानान्तरित नहीं किया जा सका है। भवन के लिए जलदाय विभाग से पानी लेने के प्रयास किये गये थे परन्तु उन्होंने पानी की व्यवस्था से इंकार कर दिया। अब विभाग द्वारा स्वयं ही कूआं खुदवाकर पानी की व्यवस्था कर व कार्यालय की चारदीवारी का निर्माण कर जल्दी से जल्दी कार्यालय स्थानान्तरित किया जावेगा।

मांगरोल (बारां) का स्वीकृत ग्रिड सब-स्टेशन

839. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या गत वर्षों में मांगरोल (बारां) में 33 केवी. ग्रिड सब स्टेशन स्वीकृत किया गया था? यदि हां, तो कब?

(2) क्या उक्त ग्रिड सब स्टेशन का कार्य पूर्ण हो चुका है? यदि हां, तो कब और इस पर कुल कितनी राशि व्यय की गयी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कस्बा मांगरोल जिला बारां में 33/11 के.वी. सब स्टेशन मांगरोल पन बिजलीघर पर पूर्व से ही स्थापित है। उक्त 33/11 केवी. सब स्टेशन के अतिरिक्त कस्बा मांगरोल में एक अन्य 33/11 केवी. सब स्टेशन बनाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसकी स्वीकृति हेतु तकनीकी एवं आर्थिक दृष्टि से साध्यता की जांच की जा रही है, साध्य पाये जाने पर उक्त सब स्टेशन के निर्माण पर विचार किया जाना संभव होगा।

(2) उपरोक्तानुसार।

जिला चित्तौड़गढ़ में अनुदानित छात्रावासों में अनियमितताओं की जांच

840. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला चित्तौड़गढ़ में सरकार किस-किस संस्था को छात्रावास चलाने के लिए किस अनुपात में आर्थिक सहयोग कर रही है?

(2) वर्ष 1998-99 से 2000-2001 तक किस-किस छात्रावास का निरीक्षण नहीं किया गया?

(3) उक्त छात्रावासों में निरीक्षण के दौरान किस-किस छात्रावास में अनियमितताएं पायी गयीं और उक्त विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

उत्तर

(1) चित्तौड़गढ़ जिले में राजस्थान आदिम जाति सेवक संघ, जयपुर को अरनोद में आदिवासी छात्रों के छात्रावास चलाने के लिए विभाग द्वारा अनुदान दिया जाता है। नियमानुसार विभाग द्वारा 90 प्रतिशत अनुदान राशि संस्था को दी जाती है तथा 10 प्रतिशत राशि स्वयं संस्था द्वारा वहन की जाती है।

(2) वर्ष 1998-99 से 2000-01 तक जिले में संचालित सभी छात्रावासों का समय-समय पर निरीक्षण किया गया।

(3) छात्रावासों के निरीक्षण के समय कोई गम्भीर अनियमितता नहीं पायी गयी और छोटी-मोटी समस्याओं का मौके पर ही निराकरण कर दिया गया।

अल्प भाषा उर्दू के अध्यापकों के रिक्त पद

841. मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में गत दो वर्षों में अल्प भाषा के तृतीय श्रेणी के कुल कितने अध्यापकों को कहां-कहां नियुक्ति प्रदान की गयी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य में अल्प भाषा उर्दू के कुल कितने पद कहां-कहां स्वीकृत हैं और उक्त में से कितने पद कहां-कहां कब से रिक्त हैं? उक्त रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा?

(3) राज्य में प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी के कुल कितने पद कहां-कहां स्वीकृत हैं और

(मोहम्मद माहिर आजाद)

उक्त में से कितने पद कब से कहां-कहां रिक्त हैं? उक्त रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) सूची परिशिष्ट "क" सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) स्वीकृत एवं रिक्त पदों की सूची परिशिष्ट "ख" सदन के पटल पर रख दी गयी है। वर्ष 2000-01 में विज्ञापित 400 पदों के विरुद्ध 281 नियुक्तियां दी जा चुकी हैं। शेष नियुक्तियां न्यायालय वाद एवं डिग्रियों की समकक्षता के निर्णय उपरान्त दी जा सकेगी।

(3) स्वीकृत एवं रिक्त पदों की सूची परिशिष्ट "ग" सदन के पटल पर रख दी गयी है। पदोन्नति प्रक्रिया से अध्यापक उपलब्ध होने पर रिक्त पदों की पूर्ति की जावेगी।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

पंचायती राज संस्थान के जन प्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि

842. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में पंचायती राज संस्थान के संरपच, प्रधानों, प्रमुखों का मानदेय कौनसे वर्ष में कितना-कितना निर्धारण किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त पर पुनर्विचार कर मानदेय भत्ता पुनः निर्धारित करने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) राज्य में पंचायती राज संस्थान के सरपंच, प्रधानों तथा प्रमुखों को दिनांक 1जून,1998 से नियत मानदेय निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	पंचायती राज संस्था के जनप्रतिनिधि का पद	देय मानदेय प्रतिमाह (राशि रुपयों में)
1.	जिला प्रमुख	3000/-
2.	प्रधान, पंचायत समिति	2000/-
3.	सरपंच, ग्राम पंचायत	400/-

(2) जी नहीं। सरकार वर्तमान में प्रभावी उपरोक्त मानदेय राशि के पुनः निर्धारित करने पर विचार नहीं कर रही है।

सेमलिया (बांसवाड़ा) के क्रमोन्नत उच्च प्राथमिक विद्यालय में पदों का सृजन

843. श्री रमेश चन्द्र पंड्या (बांसवाड़ा) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पंचायत समिति गढ़ी (बांसवाड़ा) के सेमलिया गांव का प्राथमिक विद्यालय किस वर्ष उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत हुआ?

(2) उक्त विद्यालय में एक प्रधानाध्यापक व तीन तृतीय श्रेणी अध्यापकों के पद अब तक स्वीकृत क्यों नहीं हुए?

उत्तर

(1) पंचायत समिति गढ़ी (बांसवाड़ा) के सेमलिया गांव का प्राथमिक विद्यालय वर्ष 89-90 में उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत कर दिया गया था।

(2) उक्त उच्च प्राथमिक विद्यालय में 5 तृतीय श्रेणी अध्यापकों के पद स्वीकृत हैं तथा प्रधानाध्यापक पद की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।

सरपंच ग्राम पंचायत नाड़ (उदयपुर) के विरुद्ध कार्यवाही

844. श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या पंचायत समिति धरियावद की ग्राम पंचायत नाड़ की सरपंच श्रीमती भुलकी बाई के विरुद्ध सरपंच के चुनाव जीतने के बाद पांचवीं संतान होने की कोई शिकायत प्राप्त हुई? यदि हां, तो शिकायत की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त शिकायत की जांच किसी सक्षम अधिकारी द्वारा कराई गयी? यदि हां, तो जांच के समय व्यक्तियों द्वारा दिये गये शपथ पत्र एवं अन्य रिकार्ड की प्रति सदन की मेज पर रखें?

(3) क्या जांच से पांचवीं संतान होना प्रमाणित होता है? यदि हां, तो अब तक उक्त पर कार्यवाही होने में विलम्ब के क्या कारण रहे हैं?

उत्तर

(1) जी हां। शिकायत की प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) जी हां। तहसीलदार धरियावद को जांच के समय व्यक्तियों द्वारा दिये गये शपथ पत्र एवं बयान की प्रतियां सदन के पटल पर रख दी गयी हैं।

(3) तहसीलदार धरियावाद द्वारा पांचवीं संतान होने अथवा नहीं होने के संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला गया। स्पष्ट निष्कर्ष सहित रिपोर्ट भिजवाने हेतु उप जिला कलेक्टर वल्लभनगर को निर्देशित किया गया है। उप जिला कलेक्टर, वल्लभनगर से रिपोर्ट प्राप्त होने पर कार्यवाही की जावेगी।

(शिकायत एवं बयान की प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं।)

कुचामन सिटी (नागौर) को दसवें वित्त आयोग की प्राप्त राशि

845. श्री हरिशचन्द्र (नावां) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) दसवें वित्त आयोग की राशि पंचायत समिति कुचामन सिटी (नागौर) को कितनी एवं कब-कब प्राप्त हुई?

(2) उक्त पंचायत समिति से प्राप्त उक्त राशि का विवरण पंचायतों को किस-किस तिथि को कितना-कितना किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त राशि का वितरण पंचायतों को किस आधार पर किया गया?

(श्री हरिशचन्द्र)

(4) उक्त राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र पंचायत समिति कुचामन सिटी को कब तक भिजवाया जाना आवश्यक है तथा लम्बे समय तक उक्त राशि पंचायतों को वितरित क्यों नहीं की गयी?

उत्तर

(1) पंचायत समिति, कुचामन सिटी (नागौर) को वर्ष 1996-97 से 1999-2000 के दौरान दसवें वित्त आयोग की राशि निम्नलिखित तिथियों को प्राप्त हुई :-

31.3.97	26.66 लाख
26.2.98	6.66 लाख
31.3.98	13.33 लाख
31.3.99	15.08 लाख
31.3.99	11.69 लाख
22.2.2000	6.56 लाख
22.2.2000	13.33 लाख
31.3.2000	13.33 लाख
योग :	**106.64 लाख रु.**

(2) पंचायत समिति द्वारा ग्राम पंचायत को दिये गये अनुदान का तिथिवार विवरण संलग्न सूची (परिशिष्ट "अ") में अंकित है।(राशि में से 50% राशि टी.एफ.सी. एवं 50% राशि एस.एफ.सी. मद से है।)

(3) ग्राम पंचायत द्वारा पारित प्रस्तावों को पंचायत समिति की साधारण सभा के अनुमोदन के आधार पर राशि का वितरण किया गया है।

(4) सम्बन्धित पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान की राशि जारी करने के 6 माह की अवधि में उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रेषित किया जाना चाहिए। राशि का वितरण माह जनवरी, 2001 में आयोजित ग्राम सभाओं द्वारा पारित किये गये, प्रस्तावों के पंचायत समिति कुचामन सिटी में प्राप्त होने पर उनके आधार पर स्वीकृतियां जारी कर किया गया है। अत: राशि के वितरण में कोई विलम्ब नहीं हुआ है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

जिला अजमेर की पंचायत समितियों के प्रधानों के विरुद्ध प्रस्तावित जांच

846. श्री सांवर लाल (भिनाय) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या जिला अजमेर की पंचायत समितियों के वर्तमान प्रधानों के विरुद्ध कोई जांच जारी/प्रस्तावित है? यदि हां, तो किस-किसके विरुद्ध?

(2) अब कब तक उक्त के निस्तारण की सम्भावना है?

उत्तर

(1) जी हां। प्रधान, पंचायत समिति मसूदा के विरुद्ध राज.पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 19(ठ) के अन्तर्गत शिकायत की जांच कार्यवाही जारी है।

(2) जांच को यथाशीघ्र निस्तारण किया जावेगा।

राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशाला शिकारवाड़ी (उदयपुर) में शिक्षा सहयोगी का चयन

847. श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशाला, शिकारवाड़ी ग्राम पंचायत धरियावद जिला उदयपुर में शिक्षा सहयोगी का चयन किया गया है? यदि हां, तो कब और किसका?

(2) क्या उक्त शिक्षा सहयोगी के पद हेतु विधवा/परित्यक्ता महिला, विकलांग तथा उसी स्थान के रहने वालों को प्राथमिकता दिये जाने के निर्देश हैं? यदि हां, तो क्या उक्त निर्देशों की अवहेलना कर किसी अन्य व्यक्ति का चयन किया गया? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त अनियमितता के दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हों, तो कब तक और नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 1.5.99 को श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा का शिक्षा सहयोगी के पद हेतु चयन किया गया था।

(2) जी हां। शिक्षा सहयोगी के चयन में निर्देशों की अवहेलना नहीं की गयी।

(3) अनियमितता नहीं होने के कारण किसी के विरुद्ध भी कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।

जिला भीलवाड़ा में निर्माण कार्यों की बकाया राशि भुगतान

848. डा. रतन लाल (सहाड़ा) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि श्रीमती गीतादेवी मीणा, भूतपूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत बाकरां (भीलवाड़ा) के कार्यकाल में कराये अकाल राहत कार्य वर्ष 1998-99 में हाल एवं बाउण्ड्री वाल निर्माण, प्राथमिक विद्यालय उरणा की सामग्री मद की राशि, राजकीय प्राथमिक विद्यालय बाग की झूपडियां निर्माण/सामग्री मद पर व्यय राशि तथा वर्ष 1999-2000 में शेरपुरा तालाब नहर निर्माण कार्य सामग्री मद पर राशि, टी.एफ.सी. मद राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशाला निर्माण कार्य ग्राम कास्या सामग्री मद एवं मजदूरी का भुगतान बकाया है? यदि हां, तो कितना-कितना?

(2) उक्त भूतपूर्व सरपंच ग्राम पंचायत बाकरां की मानदेय भत्ता राशि कब से कब तक की क्यों बकाया है?

(3) उक्त बकाया भुगतान के लिए भूतपूर्व सरपंच ने किन-किन अधिकारियों से सम्पर्क व पत्राचार किया और अधिकारियों ने लिखित में क्या आदेश दिये एवं विकास अधिकारी व ग्राम सचिव ने उक्त आदेशों की कहां तक पालना की है?

(4) क्या उक्त सम्बन्ध में भूतपूर्व सरपंच ने हाई कोर्ट में किसी प्रकार की रिट पिटीशन प्रस्तुत की है? यदि हां, तो कोर्ट ने क्या निर्णय दिया एवं उनकी कहां तक पालना की गयी? यदि नहीं, तो विकास अधिकारी एवं ग्राम

(डा. रतन लाल)

पंचायत सचिव के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

(5) उक्त सम्बन्ध में निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव, पंचायती राज विभाग ने पत्र क्रमांक एफ. 1/लेखा/के.वि.मंत्री/परावी/2000/5407 दिनांक 14.3.2000 के द्वारा भूतपूर्व सरपंचों के कार्यों के बकाया भुगतान/समायोजन बाबत क्या-क्या दिशा-निर्देश जारी किये एवं उनके कार्यों में उक्त आदेशों की कहां तक पालना की गयी?

उत्तर

(1) जी हां। श्रीमती गीतादेवी मीणा, पूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत बाकरा (भीलवाड़ा) के कार्यकाल में अकाल राहत वर्ष 98-99 एवं 99-2000 में निम्नांकित कार्यों का भुगतान बकाया है:-

वर्ष	कार्य का नाम	बकाया राशि	विशेष विवरण
98-99	1. हाल व बाउण्ड्री निर्माण प्रा. वि. उरणा (अकाल राहत योजना अन्तर्गत)	5318	सामग्री मद के
	2. रा. प्रा. वि. बाग की झोपडिया में बरामदा एवं कमरे का निर्माण (अकाल राहत योजना अन्तर्गत)	22608	सामग्री मद के
99-2000	राजीव गांधी पाठशाला निर्माण कार्य कांस्या (अकाल राहत एवं टी.एफ.सी.योजना अन्तर्गत)	152650	27323 श्रम मद के 125327 सामग्री मद के
	शेरपुरा तालाब	4200	सामग्री मद के

(2) उक्त पूर्व सरंपच ग्राम पंचायत बाकरा का 1 फरवरी, 99 से 31 जनवरी, 2000 तक का मानदेय 4800 रुपये बकाया है।

(3) उक्त बकाया राशि के भुगतान हेतु पूर्व सरपंच द्वारा निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् भीलवाड़ा, अति. जिला कलेक्टर विकास, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण एवं विकास अधिकारी से समय-समय पर सम्पर्क एवं पत्राचार किया गया। प्रकरण में विकास अधिकारी को जांच करा कर भुगतान हेतु निर्देश दिये गये। पूर्व में उक्त सरपंच द्वारा पंचायत स्तर पर भुगतान हेतु कार्यवाही के लिए निवेदन करने पर भुगतान में हुए विलम्ब के लिए इस प्रकरण में लेखाधिकारी, जिला परिषद् भीलवाड़ा से जांच करवायी गयी। जांच से श्री ग्यारसी लाल मीणा सचिव एवं श्री प्रभुलाल वर्तमान सरपंच दोषी पाये गये। जिनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। पंचायत स्तर से भुगतान नहीं होने पर पूर्व सरपंच द्वारा

(पंचायती राज मंत्री)

बिल-वाउचर पंचायत समिति में प्रस्तुत किये गये थे जो वहां उपलब्ध नहीं होने के कारण भुगतान नहीं हो सका है। इनकी तलाश की जा रही है, प्राप्त होते ही भुगतान कर दिया जायेगा।

(4) जी हां। उक्त सम्बन्ध में हाई कोर्ट में दर्ज रिट पिटीशन 4230/2000 में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 21.11.2000 से श्रीमती मीणा को एक माह में जिला परिषद् भीलवाड़ा में अपना रिप्रजेंटेशन देने पर 6 माह में नियमानुसार कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं। निर्णय की इस अनुपालना में श्रीमती मीणा द्वारा रिप्रजेंटेशन जिला परिषद् भीलवाड़ा में दिनांक 30.11.2000 को दे दिया गया है। भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।

(5) जारी परिपत्र की प्रति संलग्न है। प्रकरण में भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।

(परिपत्र के लिए कृपया परिशिष्ट-10 देखें।)

ग्राम पंचायत कोटड़ी (भीलवाड़ा) के पूर्व सरपंचों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच

849. श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर की ग्राम पंचायत कोटड़ी के किन-किन पूर्व सरपंचों के विरुद्ध निर्माण कार्य संबंधित अनियमितता की शिकायतें किस-किस अधिकारी के पास कब से किन कारणों से लम्बित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त लम्बित प्रकरणों की जांच करा कर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार प्रत्येक कार्यवाही की हर स्तर पर प्रक्रिया निर्धारित करेगी? क्या सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जिला भीलवाड़ा की ग्राम पंचायत कोटड़ी विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में नहीं बल्कि विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा में आती है। इस पंचायत के किसी भी पूर्व सरपंच के विरुद्ध निर्माण कार्यों में अनियमितता से संबंधित कोई शिकायत जिला परिषद भीलवाड़ा/विकास अधिकारी कोटड़ी के यहां प्राप्त नहीं हुई है। केवल श्री रामेश्वर प्रसाद पूर्व सरपंच पंचायत कोटड़ी के विरुद्ध प्राप्त शिकायत प्रकरण आवश्यक जांच एवं कार्यवाही हेतु संभागीय आयुक्त अजमेर के यहां भेजा जा चुका है। यह प्रकरण 98-99 से जांच प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण लम्बित है।

(2) जी हां। जांच उपरान्त आरोप प्रमाणित पाये जाने पर दोषी सरपंच के विरुद्ध राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 38 में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(3) यद्यपि इस आशय के प्रकरणों में कार्यवाही हेतु कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, लेकिन शीघ्रातिशीघ्र जांच की कार्यवाही पूर्ण कर प्रकरण में दोषी पाये जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध यथा समय कार्यवाही कर ली जाती है।

जिला बारां की ग्राम पंचायतों में सरपंच के स्थान पर उप सरपंच को चार्ज

850. श्री भाणजी (दानपुर) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला बारां की कौन-कौनसी ग्राम पंचायतों का चार्ज सरपंचों से हटाकर उप सरपंचों को दिया गया है? सूची नाम सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जिन सरपंचों को ग्राम पंचायतों का चार्ज दिया गया उनमें कुछ के विरुद्ध सरकारी राशि का दुरुपयोग एवं गबन के मामले पाये गये हैं? यदि हां, तो क्या उक्त के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्ष 2000 में हुए चुनाव के बाद बारां जिले में किसी भी सरपंच को हटाकर उप सरपंच को चार्ज देने के आदेश नहीं दिये गये हैं।

(2) राज्य सरकार के ध्यान में ऐसा कोई प्रकरण नहीं लाया गया है।

ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी छीपाबड़ौद को आबंटित राशि

851. श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) एवं **श्री गणेशीराम मेघवाल** (जालौर) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र छबड़ा के ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी छीपाबड़ौद, छबड़ा को किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि आबंटित की गयी?

(2) उक्त राशि में से ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी छीपाबड़ौद व छबड़ा ने किस-किस मद से किस-किस दिनांक को कितनी-कितनी राशि उठाई?

(3) क्या उक्त का वितरण कर दिया गया है?

उत्तर

(1) सूची परिशिष्ट ''क'' सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) सूची परिशिष्ट ''क'' सदन के पटल पर रख दी गयी हैं।

(3) जी हां।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-11 देखें।)

जिला सतर्कता समिति चित्तौड़गढ़ द्वारा लिये गये निर्णय

852. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या जन अभियोग निराकरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि राज्य के प्रत्येक जिले में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला सतर्कता समिति जिले की जनता के अभाव अभियोग निराकरण की सुनवाई करती है? यदि हां, तो वर्ष 1999-2000 एवं 2000-2001 में चित्तौड़गढ़ जिले के कितने अनुसूचित जाति/

(श्री नन्दलाल मीणा)

जनजाति के अभियोग दर्ज किये गये एवं दर्ज अभियोगों में से कितनों के निराकरण किये गये? सूची वर्षवार सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां, यह सही है। सतर्कता समिति द्वारा वर्ष 1999-2000 एवं 2000-2001 में चित्तौड़गढ़ जिले में अनुसूचित जाति/जनजातियों के 43 अभियोग दर्ज किये गये एवं दर्ज अभियोगों में से 42 का निराकरण किया जा चुका है। सूची वर्षवार संलग्न कर सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-12 देखें।)

पंचायत समिति उदयपुरवाटी (झुंझुनूं) के आंगनबाड़ी केन्द्रों में सामग्री वितरण में अनियमितताएं

853. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला झुंझुनूं की पंचायत समिति उदयपुरवाटी में आंगबाडी कार्यक्रम कब से चालू है एवं किस-किस स्थान पर इसके केन्द्र स्थापित हैं तथा मार्च, 2001 के अन्त तक उक्त केन्द्रों पर कार्यरत व्यक्तियों/महिलाओं को वर्ष 2000-2001 की अवधि में कितना–कितना मानदेय अथवा अन्य प्रकार से राशि इनकी सेवाओं के बदले दी गयी?

(2) उक्त केन्द्रों पर कार्यरत व्यक्तियों को प्रतिमाह मानदेय या अन्य प्रकार की राशि के अलावा और कितनी-कितनी राशि या सामग्री किस-किस कार्य के लिए दी गयी?

(3) उक्त राशि का वितरण किस-किस अधिकारी/कर्मचारी के द्वारा किया गया तथा उक्त अधिकारी/कर्मचारी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति अथवा जनप्रतिनिधि के द्वारा भी क्या इनका सत्यापन करवाया गया? वितरित की गयी राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त राशि अथवा सामग्री के वितरण में अनियमितताओं बाबत कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं?

(5) उक्त राशि अथवा सामग्री के वितरण के बाबत किन-किन उच्च अधिकारियों द्वारा क्या कभी कोई सत्यापन की कार्यवाही की गयी? यदि हां, तो कब-कब?

उत्तर

(1) जिला झुंझुनूं की पंचायत समिति उदयपुरवाटी में समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम (आंगनबाड़ी कार्यक्रम) वित्तीय वर्ष 2000-01 में प्रारम्भ किया गया है। जिन ग्रामों के आंगनबाड़ी केन्द्र प्रारम्भ किये गये हैं, उनकी सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। वित्तीय वर्ष 2000-01 (2/20001) की अवधि में इन केन्द्रों पर कार्यरत महिलाओं को किये गये मानदेय एवं अन्य भुगतान का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) बाल विकास परियोजना, उदयपुरवाटी में संचालित 157 केन्द्रों में से 130 केन्द्रों पर प्रति केन्द्र उपलब्ध करवाई गयी सामग्री का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है। इसके अतिरिक्त परियोजनान्तर्गत संचालित 157

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

आंगनबाड़ी केन्द्रों में से 145 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पोषाहार सामग्री उपलब्ध करवाई गयी, जिसका विवरण प्रति केन्द्र निम्नानुसार है :-

1. राजस्थान मिक्स	50 कि.ग्रा.
2. बेबी मिक्स	50 कि.ग्रा.
3. पंजीरी	50 कि.ग्रा.

पोषाहार सामग्री आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पंजीकृत 8-6 वर्ष के बच्चों, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के लिए तथा अन्य सामग्री केन्द्र संचालन एवं रिकार्ड संधारण के लिए उपलब्ध करवाई गयी।

(3) उक्त राशि एवं सामग्री का वितरण बाल विकास परियोजना अधिकारी सांख्यिकी सहायक, महिला पर्यवेक्षक के द्वारा करवाया गया। किसी अन्य व्यक्ति अथवा जनप्रतिनिधि द्वारा उनका सत्यापन नहीं किया गया। वितरित की गयी राशि का विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(4) जी नहीं।

(5) जी नहीं।

(विवरण की प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं।)

तहसील सलूम्बर (उदयपुर) में नये छात्रावासों की स्थापना

854. श्री रूपलाल (सलूम्बर) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार जिला उदयपुर की तहसील सलूम्बर के ग्राम गींगला व विडावल में छात्रावास खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार तहसील सलूम्बर में चल रहे छात्रावासों में छात्रों की संख्या बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वित्तीय वर्ष 2001-02 में राज्य सरकार का कोई नया आश्रम छात्रावास खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(2) तहसील सलूम्बर के ईंटाली खेड़ा करावली एवं भवराना में क्रमशः 50, 50 एवं 100 बालकों की क्षमता तथा सलूम्बर में 100 बालिकाओं की क्षमता के आश्रम छात्रावास संचालित हैं। फिलहाल इन आश्रम छात्रावासों में छात्रों की क्षमता बढ़ाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर के स्वीकृत अपूर्ण कार्य

855. श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर में गत 2 वर्षों में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कौन–कौनसे कार्य स्वीकृत किये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से कौन-कौनसे कार्य पर

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

कितनी-कितनी राशि व्यय की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त कार्यों में से कौनसे कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा कितने शेष हैं?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर में गत 2 वर्षों में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत किये गये कार्यों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट "अ" पर अवलोकनीय है।

(2) उक्त कार्यों पर व्यय की गयी राशि का विवरण परिशिष्ट "अ" में अंकित सम्बन्धित कार्य के सम्मुख अवलोकनीय है।

(3) उक्त कार्यों की वर्तमान स्थिति का विवरण परिशिष्ट "अ" में सम्बन्धित कार्य के सम्मुख अवलोकनीय है।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण बारां द्वारा स्वीकृत कार्यों के उपयोगिता प्रमाण-पत्र

856. श्री मदन दिलावर (अटरू) एवं **श्री प्रताप सिंह सिंघवी** (छबड़ा) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण बारां से सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत दिनांक 1 अप्रेल, 1999 को अवशेष क्या स्थिति थी तथा वित्तीय वर्ष 1999-2000 एवं 2000-2001 में उक्त योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय अंश एवं राज्यांश की कितनी-कितनी राशि किस-किस उद्देश्य के लिए कब-कब प्राप्त हुई?

(2) क्या उक्त उपलब्ध राशि के विरुद्ध जिला स्तर से एवं पंचायत समिति स्तर से नवीन कार्यों हेतु स्वीकृतियां जारी की गयी हैं? यदि हां, तो किस-किस ग्राम में कौन-कौनसा कार्य, कितनी-कितनी लागत का कब-कब स्वीकृत किया गया?

(3) उक्त स्वीकृत कार्यों में से कौन–कौनसा कार्य पूर्ण हो चुका है, कौनसा अपूर्ण है तथा कौनसा कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं करवाया जा सका है?

(4) क्या उक्त कार्यों के अभिकरण को उपयोगिता प्रमाण-पत्र वास्ते अग्रिम राशि के समायोजन हेतु प्राप्त हो गये हैं? यदि हां, तो किन-किन कार्यों के?

उत्तर

(1) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बारां में सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत दिनांक 1.4.99 को अंकेक्षित लेखों के अनुरूप नकद (-) 36.60 लाख एवं अग्रिम 135.25 लाख कुल 98.65 लाख राशि अवशेष थी। उक्त योजना में वर्ष 1999-2000 एवं 2000-2001 में केन्द्रीय एवं राज्यांश की प्राप्त राशि का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

योजनान्तर्गत राशि उद्देश्यवार प्राप्त नहीं होती है बल्कि एक मुश्त (किश्तों में) राशि प्राप्त होती है, जैसा कि परिशिष्ट "अ" पर दर्शाया गया है।

(ग्रामीण विकास मंत्री)

(2) जी हां। वर्ष 1999-2000 में नवीन कार्यों हेतु कोई स्वीकृति जारी नहीं की गयी। वर्ष 2000-2001 में जिला स्तर एवं पंचायत समिति स्तर से जारी स्वीकृतियों का विवरण परिशिष्ट ''ब'' पर संलग्न है।

(3) योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यों में से पूर्ण/अपूर्ण एवं प्रारम्भ नहीं हुए कार्यों का विवरण परिशिष्ट ''ब'' पर संलग्न है।

(4) जी हां। समायोजन हेतु प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्रों का कार्यवार विवरण परिशिष्ट ''ब'' पर संलग्न है।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर में गठित निर्माण समितियां

857. श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्रामीण विकास अभिकरण से पंचायत समितिवार निर्माण समिति बनी हुई है? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर के अन्तर्गत कितनी निर्माण समितियां बनाई गयी हैं?

(2) उक्त निर्माण समिति के क्या अधिकार एवं कर्तव्य हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें?

(3) विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर में पंचायत समिति स्तर पर निर्माण कमेटियों में किस-किस व्यक्ति को सम्मिलित किया गया है? पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। गंगानगर जिले की केवल दो पंचायत समितियों, करणपुर एवं रायसिंह नगर में क्रमशः 5 एवं 1 निर्माण समितियों का गठन किया हुआ है। विधान सभा क्षेत्र गंगानगर के अन्तर्गत किसी भी निर्माण समिति का गठन नहीं किया हुआ है।

(2) निर्माण कार्यों के लिए स्वीकृत राशि का सही रूप से समय पर समुचित उपयोग करा कर गुणात्मक स्तर का निर्माण कार्य सम्पन्न करवाना तथा स्वीकृत कार्य का सम्बन्धित योजना की दिशा-निर्देशिका के मानदण्डानुरूप निर्माण कार्य का पर्यवेक्षण करना।

(3) विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर में पंचायत समिति स्तर पर किसी भी निर्माण कमेटी का गठन नहीं किया हुआ है। केवल पंचायत समिति करणपुर एवं रायसिंहनगर के लिए निर्माण समितियों का गठन किया हुआ है, जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट ''क'' पर अवलोकनीय है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट13 देखें)

विधान सभा क्षेत्र खारची में स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के कार्यों की बकाया मजदूरी का भुगतान

858. श्री केसाराम चौधरी (खारची) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री केसाराम चौधरी)

(1) विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत विधान सभा क्षेत्र खारची में वर्ष 1999-2000 तथा 2000-2001 में कितने-कितने कार्य स्वीकृत हुए? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृत कार्यों में से कितने कार्य पूर्ण, कितने चालू एवं कितने प्रारम्भ नहीं हुए? प्रारम्भ नहीं हुए कार्यों के कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त स्वीकृत कार्यों पर स्वीकृत राशि के विरुद्ध कितनी राशि व्यय की गयी है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त में से ऐसे कितने कार्य हैं जो पूर्ण हो चुके हैं परन्तु उनका भुगतान अभी तक मजदूरों को नहीं हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त भुगतान में विलम्ब के क्या कारण हैं तथा अब उक्त भुगतान कब तक कर दिया जाएगा?

उत्तर

(1) विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत विधान सभा क्षेत्र खारची में वर्ष 1999-2000 में तथा वर्ष 2000-2001 में 82 कार्य स्वीकृत हुए, जिनकी सूची संलग्न परिशिष्ट ''क'' पर है।

(2) उक्त स्वीकृत 82 कार्यों में से 53 कार्य पूर्ण, 26 कार्य चालू एवं केवल 3 कार्य प्रारम्भ नहीं हुए हैं। जो तीन कार्य प्रारम्भ नहीं हुए हैं उनके कारण संलग्न परिशिष्ट ''क'' में सम्बन्धित कार्य के सामने अंकित हैं।

(3) उक्त स्वीकृत कार्यों पर स्वीकृत राशि 67.80 लाख रुपये के विरुद्ध 47.74 लाख रुपये की राशि व्यय की गयी है। सूची संलग्न परिशिष्ट ''क'' पर है।

(4) उक्त 53 पूर्ण कार्यों से सम्बन्धित मजदूरों का कोई भुगतान बकाया नहीं है।

(5) पूर्ण कार्यों का कोई भुगतान बकाया नहीं है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

जजावर से खोंडी सम्पर्क सड़क (बूंदी) निर्माण में अनियमितता

859. श्री घासीलाल मेघवाल (पाटन): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जजावर से खोडी सम्पर्क सड़क (बूंदी) का निर्माण करवाया गया है? यदि हां, तो कब तथा किस-किस योजना में कितनी-कितनी राशि से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सड़क निर्माण का कार्य दो योजनाओं में करवाया जाना दिखाकर सरकारी राशि का गलत भुगतान किया गया है? यदि हां, तो वास्तविक स्थिति का

(श्री घासीलाल मेघवाल)

विवरण तथा मौके पर हुए कार्य का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त सड़क में इस समय मौके पर कितनी मिट्टी मौजूद है?

(4) क्या उक्त सड़क निर्माण के सम्बन्ध में नाप करने वाले कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा सही जांच एवं नाप करने में कोताही बरती गयी है? यदि हां, तो उक्त सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

उत्तर

(1) जी हां। संवत् 2052 (वर्ष 1996-97) के दौरान अकाल राहत के तहत जजावर से खोडी सम्पर्क सड़क का मिट्टी का कार्य करवाया गया था, जिसमें 1,80,120 रुपये की राशि व्यय हुई थी। वर्ष 1998-99 के दौरान आश्वासित रोजगार योजनान्तर्गत डब्लू.बी.एम. सड़क का निर्माण कार्य करवाया गया, जिस पर 7,90,094 रुपये का व्यय हुआ।

(2) जी नहीं। अकाल राहत कार्यक्रम के तहत उक्त सड़क का मिट्टी का कार्य करवाया गया था तथा आश्वासित रोजगार योजनान्तर्गत डब्लू.बी.एम. सड़क का निर्माण करवाया गया है।

(3) वर्तमान में उक्त सड़क पर लगभग 70 से 80 प्रतिशत तक मिट्टी मौके पर मौजूद है।

(4) जी नहीं।

जिला पाली की पंचायत समितियों द्वारा स्वीकृत अपूर्ण कार्य

860. **श्री आत्माराम मेघवाल** (देसूरी) : क्य ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत वर्षों में पाली जिले की किन-किन पंचायत समितियों के माध्यम से किन-किन योजनाओं में कौन-कौनसे कार्य कब-कब स्वीकृत किये गये व उक्त पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गयी और कितने कार्य पूर्ण किये गये तथा कितने अपूर्ण हैं?

(2) अब अपूर्ण कार्य कब तक पूर्ण करा लिये जायेंगे?

उत्तर

(1) गत वर्षों (1998-99 व 99–2000) में पाली जिले की पंचायत समितियों के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य, सम्पादित करवाये गये कार्य, कार्य पर व्यय की गयी राशि तथा कार्य की भौतिक स्थिति का विस्तृत विवरण परिशिष्ट ''क'' में सम्बन्धित कार्य के सम्मुख अवलोकनीय है। कुल स्वीकृत 1373 कार्यों में से 1360 कार्य पूर्ण करवा लिये गये हैं। छह कार्य प्रगतिरत है, पांच कार्य निरस्त किये जा चुके हैं, एक कार्य निरस्तीकरण के प्रक्रियाधीन है तथा एक कार्य विवादस्पद है।

(2) अपूर्ण कार्य को पूर्ण कराने का समय परिशिष्ट ''क'' में सम्बन्धित अपूर्ण कार्य/प्रगतिरत कार्य के सम्मुख अवलोकनीय है।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

पंचायत समिति देसूरी व रानी (पाली) की ग्राम पंचायतों द्वारा स्वीकृत कार्यों का भुगतान

861. श्री आत्माराम मेघवाल (देसूरी) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पंचायत समिति देसूरी व रानी (पाली) की ग्राम पंचायतों में वर्ष 1994 से 2000 तक विभिन्न योजनान्तर्गत कितने कार्य स्वीकृत हुए? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त पंचायत समिति की ग्राम पंचायतों में जवाहर रोजगार योजना प्रथम व द्वितीय ग्रेन्टीनेट,टी.एफ.सी., एम.एफ.सी., सुनिश्चित रोजगार योजना, अपना गांव-अपना काम, निर्बन्ध, बत्तीस जिला बत्तीस काम योजना, सांसद मद, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना हेतु किस कार्य के नाम कुल कितनी राशि स्वीकृत कर व्यय की गयी? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजनाओं में श्रम एवं सामग्री पेटे कितनी राशि स्वीकृत थी एवं कौन-कौनसे कार्य पर श्रमिकों की कितनी संख्या थी और प्रति मजदूर को प्रतिदिन का क्या भुगतान किया गया?

(4) उक्त में सामग्री पेटे कौनसी सामग्री के नाम किन-किन फर्म या ठेकेदार या व्यापारी के नाम कितनी राशि का भुगतान किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1994 से 2000 तक पंचायत समिति देसूरी एवं रानी की ग्राम पंचायत क्षेत्रों में विभिन्न योजनान्तर्गत स्वीकृत किये गये क्रमशः 451 एवं 364 कार्यों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट ''क'' पर अवलोकनीय है।

(2) उक्त पंचायत समितियों की ग्राम पंचायत क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य, कार्य के लिए स्वीकृत राशि तथा कार्य पर व्यय की गयी राशि का विस्तृत विवरण परिशिष्ट ''क'' में सम्बन्धित कार्य के सम्मुख अवलोकनीय है।

(3) उक्त योजनाओं में कार्यों के सम्बन्ध में स्वीकृत श्रम एवं सामग्री, नियोजित श्रमिकों की संख्या, भुगतान की गयी मजदूरी दर का विवरण परिशिष्ट ''क'' में सम्बन्धित कार्य के सम्मुख अवलोकनीय है।

(4) क्रय की गयी सामग्री, सामग्री का भुगतान परिशिष्ट ''ख'' में सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार/व्यापारी के नाम के सम्मुख अवलोकनीय है।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में स्वीकृत कार्य

862. श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 2000-2001 में अपना गांव अपना काम योजना हेतु जिला ग्रामीण विकास अभिकरण भीलवाड़ा में किन-किन कार्य हेतु जन सहयोग की राशि जमा हुई और उक्त कार्यों

(श्री रतन लाल ताम्बी)

को स्वीकृत कर कब राशि दी गयी है? यदि नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या प्रदेश में 32 जिला 32 काम योजना लागू हैं? यदि हां, तो अब उक्त योजना के द्वारा विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में क्या-क्या कार्य करवाये जा रहे हैं और वर्ष 2001–2002 में क्या प्रावधान एवं कार्य होगा?

उत्तर

(1) वर्ष 2000-2001 में अपना गांव अपना काम योजना में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण भीलवाड़ा में किसी भी कार्य हेतु कोई जन सहयोग की राशि जमा नहीं हुई है। अत: कार्यों पर राशि स्वीकृत नहीं की गयी। वर्ष 2000-2001 में योजनान्तर्गत नये कार्य स्वीकृत करने पर प्रतिबन्ध था।

(2) जी हां। वर्ष 2000-2001 में योजनान्तर्गत कोई वित्तीय प्रावधान नहीं होने के कारण नये कार्य स्वीकृत नहीं किये गये। वर्ष 2001-2002 में भी योजनान्तर्गत मात्र 0.01 लाख का टोकन प्रावधान रखा गया है।

ग्राम महाराजपुरा से गोविन्दी (नागौर) तक सड़क निर्माण

863. श्री हरिशचन्द्र (नावां) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या प्रधानमंत्री ग्रामोत्थान योजना के अन्तर्गत 1000 व 500 की आबादी वाले गांवों को सड़क से जोड़ने का प्रावधान है? उक्त योजना के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र नावां के कौन-कौनसे गांव सम्मिलित होंगे? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या अकाल राहत के अन्तर्गत आबादी के आधार पर अकालग्रस्त गांवों में सड़क निर्माण कार्य करवाने की कार्यवाही की जा रही है? यदि हां, तो जिन गांवों में सड़क निर्माण की स्वीकृति जारी हुई है उक्त गांवों के नाम की सूची आबादी सहित सदन की मेज पर रखें।

(3) गत दस वर्षों में विधान सभा क्षेत्र नावां के ग्राम महाराजपुरा को सड़क से जोड़ने के लिए कितनी स्वीकृतियां कब–कब जारी की गयीं और कितना खर्चा कब हुआ है? उक्त गांव की आबादी कितनी है?

(4) क्या महाराजपुरा ग्राम से गोविन्दी तक सड़क निर्माण कार्य का प्रकरण किसी न्यायालय में वादग्रस्त है या हुआ है? यदि हां, तो उसका निर्णय क्या हुआ? प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर 1000 से अधिक तथा 500 से 1000 तक की आबादी वाले गांवों को क्रमश: वर्ष 2003 एवं 2007 तक डामर सड़क से जोड़ा जाना प्रस्तावित है। उक्त योजनान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र नावां के सम्मिलित किये जाने वाले गांवों की सूची परिशिष्ट ''क'' पर अवलोकनीय है।

(2) जी नहीं।

(ग्रामीण विकास मंत्री)

(3) वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार ग्राम महाराजपुरा की जनसंख्या 760 है। गत 10 वर्षों के दौरान महाराजपुरा गांव को सड़क से जोड़ने के परिप्रेक्ष्य में सड़क निर्माण हेतु वर्ष 2000-2001 में विभिन्न योजनान्तर्गत 3 स्वीकृतियां जारी की गयी हैं, जिनका विस्तृत विवरण परिशिष्ट "ख" पर अवलोकनीय है।

(4) जी हां। महाराजपुरा ग्राम से गोविन्दी तक सड़क निर्माण का प्रकरण सिविल न्यायालय (क.ख.) प्रथम वर्ग, नावां में वादग्रस्त हुआ था। उक्त वाद का निर्णय दिनांक 22.07.99 को राज्य सरकार के पक्ष में हो चुका है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-14 देखें।)

भैरूका चैरिटेबल ट्रस्ट, चूरू का गरीबी उन्मूलन हेतु चयन

864. डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) एवं **श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि डी.पी.आई.पी. द्वारा गरीबी उन्मूलन हेतु गैर शासकीय संस्थाओं का चयन किया गया है? यदि हां, तो किस-किस जिले में किस संस्था का चयन किया गया?

(2) क्या यह भी सही है कि स्थानीय संस्थाओं की उपेक्षा करते हुए बाहरी संस्थाओं को चयनित किया गया है? यदि हां, तो चयन प्रक्रिया क्या थी? विज्ञापन की प्रति व प्राप्त आवेदनों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि चयनित जिलों में मौके पर भौतिक रूप से अभी कोई कार्य नहीं हुआ है? यदि हां, तो किस-किस संस्था को कब-कब कितनी अग्रिम राशि दी गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि जिला परिषद, चूरू द्वारा काली सूची में घोषित भैरूका चैरिटेबल ट्रस्ट को चयन कर अग्रिम राशि दी गयी? यदि हां, तो क्या सरकार इसे निरस्त करेगी? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना के लिए प्रथम वर्ष में परियोजना गांवों के लिए जिलेवार निम्नलिखित गैर सरकारी संस्थाओं का चयन किया गया :-

1. बारां	हाड़ौती हस्त शिल्प संस्थान
2. चूरू	भौरुका चैरिटेबल ट्रस्ट
3. दौसा	माताश्री गोमती जन सेवा निधि
4. धौलपुर	लूपिन ह्यूमन वैलफेयर एण्ड रिसर्च फाउण्डेशन
5. झालावाड़	इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ रूरल डवलपमेंट
6. राजसमंद	विश्वास संस्थान
7. टौंक	सैण्टर फार कम्यूनिटी इकोनोमिक्स एण्ड डवलपमेंट कंसल्टेंट सोसायटी

(2) जी नहीं। विज्ञापन की प्रति व प्राप्त आवेदनों की प्रति अनुलग्नक-1 व 2 पर स्थित है।

(ग्रामीण विकास मंत्री)

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं।)

प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित कालेज शिक्षकों की वापसी

865. डा. किरोड़ी लाल (बामनवास): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने विभिन्न विभागों से कालेज शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति समाप्त कर वापस शिक्षा विभाग को भेजने के निर्देश दिये थे? यदि हां, तो आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि वर्तमान में कालेज शिक्षा के शिक्षक विभिन्न विभागों में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं? यदि हां, तो कौन कहां कब से कार्यरत है?

(3) क्या सरकार शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए उक्त कालेज शिक्षकों को वापस विभाग में बुलाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य स्तरीय आयोजना एवं विकास समन्वय समिति की बैठक दिनांक 7.8.97 एवं 29.9.2000 में लिए गये निर्णयानुसार कालेज शिक्षा विभाग में विशेष चयन प्रक्रिया से चयनित व्याख्याताओं को छोड़ कर शेष व्याख्याताओं को प्रतिनियुक्ति से वापस बुलाने का निर्णय हुआ था।

(2) जी नहीं।

(3) लागू नहीं।

तहसील धरियावद (उदयपुर) में महाविद्यालय की स्थापना

866. श्री नगराज मीणा (लसाड़िया): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या जनजाति क्षेत्र उदयपुर में जनजाति छात्रों के उच्च शिक्षा हेतु महाविद्यालय खोले गये हैं?

(2) उक्त आदिवासी क्षेत्र में कहां-कहां महाविद्यालयों की स्थापना की गई है?

(3) क्या सरकार तहसील धरियावद में महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जनजातीय उपयोजना क्षेत्र के उदयपुर क्षेत्र में हाड़ी रानी राजकीय महाविद्यालय, सलूम्बर प्रारम्भ किया गया है।

(3) जी नहीं। वार्षिक योजना 2001-2002 में नवीन महाविद्यालय खोलने हेतु प्रावधान नहीं है।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्न स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है :-

श्री राजेन्द्र राठौड़ एवं पांच अन्य सदस्यों की ओर से चूरू शहर की बंद चूरू वूल मिल की 8 बीघा 2 बिस्वा भूमि कम दामों में बेचकर सरकार को कथित नुकसान पहुंचाने के संबंध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों के संबंध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हुई है :-

(1) श्री रामप्रताप, सदस्य की ओर से समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुदानित संस्थाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में।

(2) श्री मदन दिलावर एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से जिला अजमेर एवं चित्तौड़गढ़ में हाल ही में घटित घटनाओं के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव स्थगन प्रस्ताव के रूप में ग्राह्य नहीं है, अत: इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(12.05 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष : (1) श्री राजेन्द्र राठौड़, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र चूरू के शहरों एवं गांवों में पेयजल की गंभीर समस्या के संबंध में।

(2) श्री रतन लाल ताम्बी, सदस्य की ओर से पंचायत समिति जहाजपुर की ग्राम पंचायत बांकरा के पूर्व सरपंच के कार्यकाल में हुई अनियमितता के संबंध में।

(3) श्री शिवनाथ सिंह, सदस्य की ओर से जिला झुंझुनूं के उप खण्ड नवलगढ़ क्षेत्र में 12 सड़कों पर बी.टी. कार्य पेवर पद्धति से स्वीकृत होने के बाद भी अभी तक पूरा नहीं होने के संबंध में।

(4) श्री केसाराम चौधरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र खारची में भीलवाड़ा से अनियमित बिजली सप्लाई होने के संबंध में।

(5) श्री रामगोपाल बैरवा, सदस्य की ओर से जिला कोटा के थाना खातोली के ग्राम धनवा में दिनांक 18.4.2001 को हुई डकेती की घटना के संबंध में।

(6) श्री अशोक बैरवा, सदस्य की ओर से जिला सवाईमाधोपुर के ग्राम माधोसिंहपुरा के खसरा नं. 58 की 49 बीघा जमीन आबंटन की जांच करवाये जाने के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी। श्री राजेन्द्र राठौड़।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

विधान सभा क्षेत्र चूरू के शहरों एवं गांवों में पेयजल समस्या

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : विधान सभा के नियम एवं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं विधान सभा के नियम एवं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत माननीय जलदाय मंत्री महोदय का ध्यान चूरू विधान सभा क्षेत्र में गहराये पेयजल संकट की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, चूरू में इन दिनों में 47 डिग्री तापमान चल रहा है। प्रचण्ड गर्मी के रहते चूरू जिला मुख्यालय सहित चूरू तहसील के दर्जनों गांवों में पेयजल संकट अत्यधिक गहरा गया है। इसी कारण से चूरू शहर में सैंकड़ों महिलाओं को दिनांक 2 मई को प्रचण्ड प्रदर्शन करना पड़ा। आज चूरू शहर के वार्ड नम्बर, 1, 2, 15, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 31, 32, 35, 38 में 24 घण्टों में मात्र एक घण्टे बड़ी मुश्किल से पानी सप्लाई किया जा रहा है। चूरू के ग्रामीण क्षेत्र में गांव श्यामपुरा, खादिरा, रिडखला, आसलखेड़ी, रामपुरारंजु, चारणवाली, बीकासी, सिरसला, सिरसली, करणपुरा, कोटवाद, टिब्या जैसे अनेक गांवों में 15-15 दिन तक पेयजल उपलब्ध नहीं हो रहा है। इन गांवों में पानी का मटका तीन रुपये प्रति मटके की दर से विक्रय प्रारम्भ हो गया है तथा लोगों ने अपने पशुधन के साथ पलायन प्रारम्भ कर दिया।

ऐसे विकट हालात होते हुए भी चूरू जिले के जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियन्ता व अधिशासी अभियन्ता जिला मुख्यालय पर कभी भी रहते नहीं हैं तथा बड़ी संख्या में सहायक अभियन्ता तथा कनिष्ठ अभियंता के पद रिक्त पड़े हैं।

बड़ी संख्या में हफ्तों तक जलदाय विभाग द्वारा कुओं की जली हुई मोटर बदली नहीं जाती है। चूरू तहसील के विभिन्न गांवों के 24 कुएं दो सप्ताह से ज्यादा समय से बंद पड़े हैं। तीन दर्जन जी.एल.आर. जल स्रोतों से जोड़े नहीं गये हैं।

अतः समय रहते सरकार नहीं चेती तो पेयजल से त्रस्त जनता प्रचण्ड जन आन्दोलन करने पर मजबूर होगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रतन लाल ताम्बी।

ग्राम पंचायत बांकरा, पंचायत समिति जहाजपुर में अनियमितताएं

श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

पंचायत समिति जहाजपुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बांकरा के पूर्व सरपंच के कार्यकाल में वर्ष 1995 से 2000 तक भारी मात्रा में भ्रष्टाचार, निर्माण कार्यों में फर्जी बिल, ज्यादा रेट से सामग्री नियमानुसार निविदाएं आमन्त्रित नहीं कर भारी घोटालों के प्रकरण में जिलाधीश के आदेश के बावजूद प्राथमिकी दर्ज नहीं करने तथा कार्यवाही लम्बित करा कर फर्जी घोटालों के धन के अनियमित ढंग से अधिकारियों द्वारा हाल ही में

(श्री रतन लाल ताम्बी)

दबाव डालकर भुगतान कराने को लेकर वहां की जनता में भारी रोष पैदा हो रहा है। जांच कार्यवाही के अनुसार कार्यवाही नहीं कर भुगतान फर्जी कराने की कार्यवाही की जा रही है। जिनको ग्राम सभा तथा पंचायत द्वारा दुगुनी से ढाई गुनी दरों एवं मात्रा को लेकर अस्वीकार कर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त रोपां ग्राम पंचायत में वर्ष 1988-89 से वर्ष 2000 के बीच हुए निर्माण कार्यों में लाखों रुपये के भ्रष्टाचार तथा अनियमितता एवं भूतपूर्व सरपंच तथा उनके परिवार द्वारा भूखण्ड हथियाने और लाखों रुपये के नुकसान के बावजूद कार्यवाही विभिन्न स्तर पर लम्बित रखने को लेकर हाल में वर्तमान पंचायत एवं ग्राम सभाओं के प्रस्ताव पर भी भ्रष्ट अधिकारियों की सांठगांठ एवं मिलीभगत से जनता में विश्वास उठ रहा है।

अत: दोनों पंचायतों के कार्यों का विशेषज्ञों के द्वारा शिकायतों को करने वालों की मौजूदगी में जांच कराने एवं मेजरमेंट बुकों के अनुसार कार्यों की पूर्णता एवं भौतिक सत्यापन, सामग्री की गुणवत्ता सहित की जाने के लिए एवं रोपां पंचायत में भूखण्डों में हुए भारी घोटालों पर मेरा आपसे अनुरोध है कि राज्य सरकार तुरन्त प्रभावी आदेश देकर दोनों पंचायतों में आरोप सिद्ध होने वाले दोषियों पर दायित्व निर्धारित कर जनता में असन्तोष समाप्त कर लम्बित कार्यवाही का निस्तारण तुरन्त करावें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंह।

उप खण्ड क्षेत्र नवलगढ़ (जिला झुंझुनूं) में स्वीकृतशुदा सड़कों का कार्य पूरा करवाने विषयक

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत नीचे लिखे महत्वपूर्ण विषय की ओर सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं। झुंझुनूं जिले में सार्वजनिक निर्माण विभाग के उप खण्ड नवलगढ़ क्षेत्र में कुल 12 सड़कों पर बी.टी. कार्य पेवर पद्धति से करवाये जाने की स्वीकृति हुई थी। कार्य का ठेका मैसर्स लटाला कंस्ट्रक्शन कम्पनी को दिया गया था। कार्य 2.12.99 को शुरू होकर 1.6.2000 को पूर्ण होना था।

विडम्बना यह रही कि आज दिन तक ये कार्य शुरू ही नहीं किये गये । ठेकेदार को विभागीय उच्च अधिकारियों का पूरा संरक्षण रहा है और इसी कारण ठेकेदार के खिलाफ कार्य नहीं करने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गयी। ठेकेदार का ठेका रद्द नहीं किया गया। पैनल्टी नहीं लगी। ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया। सिर्फ अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा दो-तीन चिट्ठियां जारी करके इति श्री मान ली गयी। अधिशासी अभियन्ता के अधिकार क्षेत्र में ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्यवाही करना संभव नहीं है। अधिशासी अभियन्ता के ऊपर के किसी भी अधिकारी द्वारा इन कार्यों को पूर्ण करवाने के लिए तथा ठेकेदार के खिलाफ कार्यवाही करने की तरफ कोई कदम नहीं उठाये गये जिससे स्पष्ट है कि विभाग के उच्च अधिकारियों का ठेकेदार को पूर्ण संरक्षण रहा है। वे अपने कर्तव्य को

(श्री शिवनाथ सिंह)

निभाने में अक्षम रहे हैं। जिसके कारण विकास कार्य नहीं हो पाये और आज उन कार्यों को पूर्ण करने में अधिक सरकारी धन खर्च होगा।

मैं इस विषय की ओर ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं कि इस विषय की जांच करवायी जावे और दोषी अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जावे। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री केसाराम चौधरी।

विधान सभा क्षेत्र खारची में अनियमित विद्युत सप्लाई

श्री केसाराम चोधरी (खारची) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विधान सभा क्षेत्र खारची में भीलवाड़ा से अनियमित बिजली सप्लाई होने से क्षेत्र की जनता में व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख के जरिये निवेदन करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र, खारची में भीलवाड़ा से अनियमित बिजली दी जा रही है जिससे सम्पूर्ण क्षेत्र की जनता में भयंकर आक्रोश व्याप्त है। इसके लिए शिकायत भी किससे करें, कोई सुनने वाला नहीं है। खारची 132 केवी. जी.एस.एस. पर बिजली भीलवाड़ा से आती है तथा भीलवाड़ा अजमेर विद्युत वितरण निगम के तत्वावधान में आता है जबकि खारची जोधपुर विद्युत वितरण निगम के अधीन आता है। विद्युत सप्लाई एक्स.ईएन. लोड वितरण, हीरापुरा, जयपुर द्वारा कंट्रोल किया जाता है। एक्स.ईएन. एम.डी., जयपुर द्वारा जब भीलवाड़ा को लोड कम करने के लिए कहा जाता है तो भीलवाड़ा द्वारा अपना लोड कम नहीं करके जी.एस.एस., खारची का लोड शून्य करने के लिए कहा जाता है और कुछ समय तक विद्युत भार कम नहीं करने पर पूरी बिजली भीलवाड़ा से काट कर बैठ जाते हैं तथा कई-कई घंटे तक वापस चालू नहीं करते हैं।

जहां तक मुझे मालूम है, खारची विधान सभा क्षेत्र के लिए साढ़े आठ मेगावाट बिजली की इस समय आवश्यकता है जबकि केवल 3.5 या 4 मेगावाट बिजली दी जाती है। यह बात खारची जी.एस.एस. के रजिस्टर से भी साबित होती है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण क्षेत्र को बिजली नहीं मिलने से विद्यार्थियों की परीक्षा की तैयारी करने में भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। विवाह, शादियों का समय होने से गरीब आदमियों को बच्चे-बच्चियों की शादियां अंधेरे में करनी पड़ रही हैं। जब तक आधे फीडर खारची जी.एस.एस. से नहीं काटे जाते तब तक बिजली चल नहीं सकती है। ऐसी सूरत में आधे गांव अंधेरे में रात भर डूबे रहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, खारची, जी.एस.एस. पर वैसे ही लोड ज्यादा है, इसी कारण जोजावर में 132 केवी.जी.एस.एस. और बनाया जा रहा है। उसको वर्ष 2000 में पूर्ण करना था किन्तु उसका कार्य धीमी गति से होने से भी अभी तक पूर्ण नहीं हो पाया है जिससे कोलर 33 केवी. जी.एस.एस. जो नया बना हुआ है, उसका लोड भी खारची पर दे दिया है जबकि कोलर वाला क्षेत्र देसूरी से चलता है। वोल्टेज की समस्या के कारण कोलर में जी.एस.एस. तो बना दिया गया किन्तु जोजावर 132 केवी.जी.एस.एस. चालू नहीं होने से कोलर जी.एस.एस. का भार भी खारची जी.एस.एस. पर पड़ रहा है।

(श्री केसाराम चौधरी)

अत: मेरा माननीय ऊर्जा मंत्रीजी से अनुरोध है कि खारची 132 केवी.जी.एस.एस. के लिए भीलवाड़ा से लोड 8.5 मेगावाट निर्धारित किया जावे या खारची जी.एस.एस. की बिजली सप्लाई का सम्बन्ध पाली से कर दिया जावे ताकि खारची की विद्युत व्यवस्था सुचारू रह सके। अन्यथा जनता बिजली नहीं तो पैसे नहीं पर उतारू हो जायेगी और जनता में व्याप्त असंतोष को दबाया नहीं जा सकेगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामगोपाल बैरवा। माननीय सदस्य, विराजिये प्लीज।

ग्राम धनवा, थाना खातोली (कोटा) में हुई डकैती विषयक

श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत थाना खातोली के ग्राम धनवा में हुई डकैती से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, दिनांक 18.04.2001 को थाना खातोली जिला कोटा के ग्राम धनवा में रात्रि के करीब एक बजे दस-बारह सशस्त्र लुटेरे आकर श्री भगवती प्रसाद बोहरा के मकान में घुस गये और घुसने के बाद लुटेरों ने उसके लड़के श्री वेदप्रकाश को पकड़ कर उसके सिर पर रिवाल्वर लगा दी। उससे अलमारी की चाबी लेकर अलमारी में रखा लगभग 20-25 तोला सोने का सामान व कुछ नकदी सामान ले गये। साथ में लड़के को पकड़ कर गांव से दो किलोमीटर दूर खड़ी गाड़ी तक ले गये व ले जाने के बाद उससे जाते समय फिरौती के रूप में लाखों रुपये की धमकी दी गयी व फिरौती की राशि नहीं पहुंचाने पर पुन: घटना करने की धमकी देकर चले गये।

उक्त घटना के बाद थाना खातोली में दिनांक 19.04.2001 को सूचना दी गयी जिस पर थाने में मुकदमा नम्बर 82/2001 दर्ज कर कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। परन्तु लम्बे समय के बाद भी अभी तक घटना के अपराधियों को पुलिस विभाग द्वारा गिरफ्तार नहीं करने से ग्रामवासियों में भय व आतंक का माहौल बना हुआ है। इससे पूर्व भी इसी क्षेत्र के ग्राम रामपुरिया धाबाई व बालूपा में डकैती की घटना हो चुकी है। लगातार हो रही घटना से गांव में आतंक का माहौल बना हुआ है, परिवारों को जान-माल का खतरा है।

अत: उक्त डकैती से गांव में व्याप्त भय व आतंक को दूर करने के लिए ग्राम में पर्याप्त पुलिस बल लगाने व डकैतों को शीघ्र गिरफ्तार कर लोगों को राहत प्रदान करवाने का श्रम करें। धन्यवाद।

ग्राम माधोसिंहपुरा (सवाईमाधोपुर) में जमीन आबंटन की जांच विषयक

श्री अशोक बैरवा (खण्डार) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 295 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण कर निवेदन है कि भूमि खसरा नम्बर 58/1 रकबा 51 बीघा 8 बिस्वा व 58/2 रकबा 1 बीघा दो बिस्वा में से 49 बीघा भूमि ग्राम माधोसिंहपुरा तहसील, जिला सवाईमाधोपुर मे 31 अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को दिनांक 30.07.1974 को आबंटित हुई थी किन्तु

(श्री मोहन लाल मोदी)

कहना चाहता हूं कि क्या इतना बड़ा अंधेर थोड़े ही हो गया कि एक आदमी दुकान पर बैठा हुआ है, उसके हक में सारे कागजात हैं, सारी रिपोर्ट्स उसके हक में हैं। पुलिस भी मानती है कि इस आदमी की दुकान है, इस आदमी का कब्जा है। इन सारी बातों के बावजूद भी आज उसका सामान बिखरा पड़ा हुआ है कुछ ले गये, गल्ले में से पैसे भी ले गये। उस आदमी ने एक रिपोर्ट पेश की उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैं आपके माध्यम से सरकार को यही निवेदन करना चाहता हूं कि उस डीवाई.एस.पी. को सस्पैण्ड करके तुरन्त जांच कराई जाए तथा दोषी व्यक्तियों को तुरन्त अरेस्ट किया जाए। यही निवेदन करना चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : डा. रघुवीर सिंह।

बी.डी.एम. अस्पताल, कोटपूतली में ब्लड बैंक खोलने विषयक

डा. रघुवीर सिंह गौड़ (कोटपूतली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के दुर्घटनाग्रस्त सदस्यों की ओर दिलाना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, इस राजमार्ग पर देहली से लेकर जयपुर तक सबसे अधिक भीड़ होती है। कम से कम 20-25 हजार वाहन प्रतिदिन परिवहन करते हैं और सर्वाधिक दुर्घटनाएं भी कोटपूतली क्षेत्र के आस-पास होती हैं। इसी राजमार्ग पर देहली और जयपुर के बीच में कोटपूतली में बी.डी.एम. हास्पिटल सबसे बड़ा एक जिला स्तरीय अस्पताल है। यहां पर शाहजहांपुर से लेकर शाहपुरा तक के जितने भी दुर्घटनाग्रस्त वाहन होते हैं और मरीज होते हैं, आते हैं और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस हास्पिटल में बहुत से युवा रक्त न मिलने के कारण दिवंगत हो चुके हैं। हालत यह है कि दुर्घटना होने के बाद मरीजों को खून लाने के लिए या तो देहली जाना पड़ता है या जयपुर आना पड़ता है। आप इस स्थिति का अन्दाजा लगा सकते हैं कि राष्टीय राजमार्ग बनने के पहले कोटपूतली में साल में मुश्किल से एक या दो पोस्टमार्टम हुआ करते थे लेकिन 70 के दशक में नेशनल हाईवे बनने के बाद यह औसत माह में आठ दस का हो गया है 80 के दशक के बाद तो स्थिति यह हो गयी है कि साल में 300 से भी अधिक पोस्टमार्टम बी.डी.एम. हास्पिटल में होते हैं और इसमें अधिकांश रक्त नहीं मिलने के कारण मरीजों को मौत का मुंह देखना पड़ता है।

उपाध्यक्ष महोदय, दो वर्ष पूर्व मैंने विधान सभा में सरकार से यह पूछा था कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थिति सबसे बड़े हास्पिटल कोटपूतली में क्या ब्लड बैंक बनाने का सरकार इरादा रखती हैं, यदि नहीं तो क्यों, उस समय जवाब मुझे मिला कि जी हां, सरकार का ब्लड बैंक खोलने का इरादा है लेकिन संसाधन उपलब्ध होने के पश्चात् ही हो सकेगा। उपाध्यक्ष महोदय, सालभर तक माननीय मंत्री महोदय से अनुनय-विनय करने के पश्चात् और आग्रह करने के बाद गत वर्ष माननीय मंत्री महोदय ने बहुत कृपापूर्वक कोटपूतली बी.डी.एम. अस्पताल में ब्लड बैंक खोलने की घोषणा सदन में की। हम लोग सभी आश्वस्त थे और प्रसन्न थे कि आखिरकार दो वर्ष के परिश्रम और आग्रह करने के पश्चात् मंत्री महोदय ने घोषणा तो की किन्तु आज तारीख तक वहां अभी

(डा. रघुवीर सिंह गौड़)

कोई ब्लड बैंक नहीं खोला गया है और अफसोस की बात तो यह है उनकी घोषणा के पश्चात् अभी इस सदन में मैंने पहला प्रश्न यही पूछा था लिखित में कि क्या मंत्री महोदय की घोषणा के अनुसार बी.डी.एम. अस्पताल में ब्लड बैंक खोला गया है और यदि नहीं तो क्यों, उसका लिखित जवाब हमें मिला है कि जी हां, घोषणा के अनुसार ब्लड बैंक खोलने की यहां इच्छा है किन्तु संसाधन न होने के कारण अभी यह संभव नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, दो साल के पश्चात्, 900 करोड़ रुपये चिकित्सा के ऊपर खर्च करने के बावजूद भी मंत्री महोदय मात्र तीस लाख रुपये इस संवेदनशील स्थान पर, संवेदनशील सरकार के संवेदनशील मंत्री उपलब्ध नहीं करवा सके। उपाध्यक्ष महोदय, केवल यही नहीं, अभी कुछ दिन पूर्व इसी नेशनल हाईवे के बारे में मैंने निवेदन किया था कि नेशनल हाईवे कोटपूतली नगर के बीच में से निकलता है और वहां पर भी जब से यह छह लेन बना है, देखने में तो बहुत खूबसूरत हो गया है किन्तु रेलिंग ऊंची होने के कारण और सड़क पर कोई स्पीड ब्रेकर नहीं होने के कारण नगर में भी दुर्घटनाएं बढ़ गयी हैं। यहां तक कि पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष तीन माह में 88 दुर्घटनाएं हुई हैं जबकि पिछले वर्ष मात्र 22 हुई थीं और 88 दुर्घटनाओं में आठ व्यक्ति मौत के घाट हो गयें और 22 लोग इन्जर्ड हो गये। ऐसे संवेदनशील स्थान पर भी सरकार ने अभी तक ब्लड बैंक वहां पर खोलने की कोई कोशिश नहीं की है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में नहीं आता कि इतने बड़े राज्य का सबसे व्यस्त राजमार्ग के ऊपर जहां 150 शैयाओं का अस्पताल, जिसमें तो अपने आप ही ब्लड बैंक होना अति आवश्यक है और इतने गम्भीर दुर्घटनाग्रस्त मरीज आने के पश्चात् लगातार बार-बार निवेदन करने पर भी यह संवेदनशील सरकार क्यों नहीं चेत रही है। मेरा आपके माध्यम से पुन: सरकार से और सदन से निवदेन है कि इस मार्ग पर ब्लड बैंक शीघ्रातिशीघ्र खोला जाए और जनता को राहत पहुंचाई जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

डा. करण सिंह यादव (बहरोड) : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से निवेदन है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर होने वाली दुर्घटनाओं से बहुत से मरीजों को तकलीफ होती है। आपके माध्यम से निवेदन है कि बहरोड की, शाहपुरा की, सब जनता को फायदा होगा। आप गवर्नमेंट को डायरेक्शन देवें कि इसको प्राथमिकता से खोलें।

श्री उपाध्यक्ष : आप भी पर्ची दे देना। गवर्नमेंट सुन रही है। डा. किरोड़ी लाल।

ट्यूर एण्ड ट्रेवल कम्पनी द्वारा टैक्स राशि में गड़बड़ी विषयक

डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कटारिया ट्यूर एण्ड ट्रेवल्स के द्वारा किये गये करीबन 46 लाख रुपये की टैक्स की लूट का एक गम्भीर मामला आपके सामने रखना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान मोटर व्हीकल्स टैक्सेशन एक्ट,1951 के तहत डी.टी.ओ. श्रीगंगानगर ने मैसर्स कटारिया ट्रेवल्स लिमिटेड के 11 वाहनों पर 46,42,241 रुपये की डिमांड जारी की। यह श्रीगंगानगर की कटारिया ट्रेवल्स की। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें डिमाण्ड नम्बर है, 1146, व्हीकल नम्बर

(डा. किरोड़ी लाल)

डी.एल.आई. पी. 1688, इस अकेले व्हीकल पर 7,15,479 रुपये और इस ढंग से प्रत्येक व्हीकल का इसमें, एक दूसरा व्हीकल है डी.एल.आई.पी.ए. 4999, जिस पर 2,57,264 रुपया एक दूसरा व्हीकल है डी.एल.आई.पी.ए.-236 जिस पर 6,61,555 रुपये, एक व्हीकल है डी.एल.आई.पी.ए.-1680 जिस पर 4,94,464 रुपये। इस प्रकार से इन कुल ग्यारह व्हीकल्स पर, उपाध्यक्ष महोदय, 46 लाख रुपये के करीबन पथ कर का टैक्स डी.टी.ओ. द्वारा डिमांड जारी किया गया और डिमांड जमा कराने के लिए श्रीगंगानगर के परिवहन अधिकारी ने नोटिस दिया। एक नोटिस की कापी पढ़कर आपको ध्यान आकर्षित करने के लिए सुनाना चाहता हूं।

दिनांक 5.5.2000, कटारिया ट्रेवल्स को लिखा है बकाया विशेष पथ कर के सम्बन्ध में। उपरोक्त विषयान्तर्गत लिखा है कि आपको इस कार्यालय के पत्रांक 1291 दिनांक 31.3.2000 व पत्रांक 1185 दिनांक 25.4.2000 के द्वारा आपके बकाया विशेष पथ वाले वाहनों के डिमांड नोटिस व पत्र प्रस्तुत करने व बकाया जमा कराने बाबत सात दिवस का समय दिया गया था लेकिन आप द्वारा अपने संचालित वाहनों के सम्बन्ध में न तो निश्चित तिथि में राशि जमा करवायी, ना ही बकाया के सम्बन्ध में कोई लिखित में सूचना दी। अत: तीन दिवस में राशि जमा नहीं करवायी तो अगली कार्यवाही की जाएगी। यह पत्र, उपाध्यक्ष महोदय, डी.टी.ओ. द्वारा लिखा गया।

इसके बाद में एक पत्र, पत्रांक 5096 दिनांक 5.5.2000 को लिखा गया। एक और पत्र 4620-21 दिनांक 6.5.2000 को लिखा गया। उसमें, उपाध्यक्ष महोदय, इस बात का भी हवाला दिया गया कि माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर की याचिका संख्या 1450/99 जिसमें निर्णय पारित किया गया है कि मोटर व्हीकल टैक्सेशन एक्ट, 1951 के निहित प्रावधानों के अनुसार ही कर जमा करवाया गया। हाई कोर्ट का इसमें आदेश था। एक और पत्र किया है, 6060, दिनांक 10.6.2000 को, जिसमें यह भी लिखा गया है कि माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर याचिका संख्या 1448 दिनांक 26.5.2000 आपकी खारिज हो चुकी है इसलिये डिमांड राशि जमा करायी जाए। एक पत्र और 6061-6062 दिनांक 13.6.2000 को बकाया विशेष पथ कर राशि जमा कराने के लिए लिखा गया।

इतने पत्र लिख देने के बाद उपाध्यक्ष महोदय, जब इन्होंने राशि जमा नहीं करायी तो उन डी.टी.ओ. साहब ने 22.6.2000, बकाया के विरुद्ध बसों को कब्जे राज लेने के आदेश दिया और यह पत्र क्रमांक है उपाध्यक्ष महोदय, 4269 दिनांक 22.6.2000 को बार-बार डिमांड राशि जमा नहीं कराने के बाद कब्जे राज देने के आदेश दिये। जिसमें यह भी लिखा गया कि आपके ग्यारह वाहनों को स्थाई परमिट तथा आपने इन पर आथोराइजेशन भी प्राप्त कर रखा है, ऐसी स्थिति में आपने अस्थायी परमिट क्यों लिया? जो इस तथ्य को साबित करता है कि आपके द्वारा विभाग को गुमराह किया जा रहा है। अत: आपके जब्त वाहन कब्जे राज लिया जाता है और यह आदेश आज दिनांक 20.6.2000 को मेरे हस्ताक्षरों

(डा. किरोड़ी लाल)

से जारी किया गया। यह डी.टी.ओ. के आदेश हैं, उपाध्यक्ष महोदय, और इस आदेश के बाद अखबारों में नीलामी भी निकाली गयी और यह नीलामी के आदेश, उपाध्यक्ष महोदय, दैनिक भास्कर और राजस्थान पत्रिका दोनों में छपा है। दैनिक भास्कर में 9.7.2000 को नीलामी की सूचना मिली और इस नीलामी की सूचना के बाद में, उपाध्यक्ष महोदय, यह पार्टी हाई कोर्ट में गयी। हाई कोर्ट में जाने से पहले अनेक कोर्ट्स में इन्होंने अपील की और हाई कोर्ट से इनको इस बात का 13.7.2000 को हाई कोर्ट जोधपुर ने यह आदेश दिया कि इनको अट्ठारह लाख रुपये इनसे जमा करा लिए जाएं तथा बाकी की राशि की धरोहर और जमानत ले ली जाए और नीलामी को रोक दिया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, नीलामी को रोकने का आदेश दिया और उसके बाद डी.टी.ओ. को जिसने यह नोटिस दिया कटारिया ट्रेवल्स को, उसको बराबर धमकी दी जा रही थी कि अगर आपने डिमांड वापस नहीं लिया तो शहर का माहौल बिगाड़ देंगे। तो डी.टी.ओ. ने अपना यह पत्र लिखा, उपाध्यक्ष महोदय, कलेक्टर को लिखा पत्र, कमिश्नर को लिखा 7.8.2000 को और एस.पी. को भी लिखा कि मेरी सुरक्षा कि जाए।

इतनी धमकी देने के बाद, उपाध्यक्ष महोदय, यह पार्टी जब हाई कोर्ट में चली गयी और हाई कोर्ट ने यह आदेश दे दिया कि अट्ठारह लाख रुपये जमा कराया जाये और डी.टी.ओ. ने अपने गवर्नमेंट आफ राजस्थान ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट का जो सर्क्यूलर है डेटेड 2.5.2001, उसकी पूरी पालना की। उसमें क्या था-

"Notice of demand has been duly served upon recovery has not been stayed by any competent court or authority... property should be attached properly so that responsible persons...(stopped) ...from such sale."

यह बाकायदा अखबारों में निकल गया, सब कुछ हो गया। इस सब कुछ हो जाने के बाद, उपाध्यक्ष महोदय, अब तमाशा क्या होता है कि जिसमें हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया हो कि इनकी साल्वेंसी ले ली जाए, इनकी जमानत ले ली जाए और अट्ठारह लाख रुपये जमा कराया जाए। लेकिन इसके बीच में ही वह पार्टी मुख्य मंत्रीजी के यहां आती है और मुख्य मंत्री के यहां से, सी.एम. सैक्रेटेरिएट से दखल डाली जाती है और उसमें लिखा है, उपाध्यक्ष महोदय, वह जो डायरेक्टर है इनको अनिल कटारिया, डायरेक्टर आफ दी ट्रांसपोर्ट कम्पनी, उसमें लिखा है कि-

"We called on the Special Secretary to C.M. on 30.9.2000. During conversation with Shri C.K.Mathew, Special Secretary to C.M. in the presence of Shri R.C.Jain, Deputy Secretary, we have been apprised and directed to follow the following line of action. There shall be no liability of tax against 9 vehicles. Vehicles seized among 9 vehicles shall be released immediately on Tuesday i.e. 3.10.2000."

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसमें कहना चाहता हूं, मुख्य मंत्रीजी का सैक्रेटेरिएट इसमें इन्वाल्व हुआ, मुख्य मंत्री के सैक्रेटेरिएट की तरफ से पत्र

(डा. किरोड़ी लाल)

लिखा, इसमें ट्रांसपोर्ट टैक्सेशन का जो सैक्शन-38 है, उपाध्यक्ष महोदय, इसमें रेक्टिफिकेशन का अधिकार डी.टी.ओ. को है। और डी.टी.ओ. को जब इन्होंने अपनी दरख्वास्त पेश की, उपाध्यक्ष महोदय, तो उसमें 31.7.2000 को जो दरख्वास्त पेश की इस पार्टी ने, वह 2.8.2000 को निरस्त कर दी गयी। कह दिया कि हाई कोर्ट का इसमें क्लियर कट आदेश है कि अट्ठारह लाख जमा कराने पड़ेंगे, धरोहर राशि देनी पड़ेगी। इसलिए उन्होंने निरस्त कर दिया। उनके निरस्त करने के बाद में यह मामला अपील में जाना चाहिए। अपीलेट आथोरिटी आर.टी.ओ. या कमिश्नर होते थे। लेकिन वहां नहीं जाकर, उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री सचिवालय के डिप्टी सैक्रेटरी, आर.सी. जैन ने 3.10.2000 को यह आदेश पारित कर दिया कि इस पूरे प्रकरण को रेक्टिफाई कर दिया जाए। उन्होंने लिखा है कि-

"We presented the application for rectification on 3.10.2000, in advance on 3.9.2000, to Shri R.C.Jain at Jaipur whe approved it."

अब मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, जिसका अपील का अधिकार आर.टी.ओ. के यहां है, काम्पीटेंट आथोरिटी ने उसको रेक्टिफाई किया नहीं, तो सी.एम. सैक्रेटेरिएट के डिप्टी सैक्रेटरी ने अट्ठारह लाख रुपये का आदेश जो कोर्ट ने दिया था, वह रेक्टिफाई कैसे कर दिया? मैं सरकार से पूछना चाहता हूं। कोर्ट के आदेश को भी, हाई कोर्ट के आदेश को भी ताक में रखकर 18 लाख को रेक्टिफाई कर दिया। उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़ा गंभीर मामला है। और इसमें यह हवाला भी दिया है, इन्होंने लिखा है, मिस्टर कटारिया ने,

"Right from 2.00 P.M. to 6.45 P.M., we brought these facts to the notice of collector, Sri Ganganagar. At 2.30 P.M. to Shri R.C.Jain, Deputy Secretary, C.M. office at 4.00 P.M. and Shri C.K.Mathew, Special Secretary to C.M. at 5.15, and 6.45 P.M. of your not being present in the office."

यह 6.10.2000 को पत्र लिखा। मैं आपको कहना चाहता हूं कि सी.एम. के सैक्रेटेरिएट द्वारा पूरी तरह से इस पर दबाव डाला गया और सरकार द्वारा 46 लाख रुपये का जो डिमांड जारी किया यथा डी.टी.ओ. द्वारा और उसमें भी कोर्ट ने राशि घटाकर 18 लाख का आदेश दिया था। और उस 18 लाख को जमा नहीं कराया। सी.एम.सैक्रेटेरिएट के डिप्टी सैक्रेटरी ने इन्वाल्व होकर इसको रेक्टिफाई करने का प्रयास किया है। मैं चार्ज लगाना चाहता हूं कि सरकार यह +++ कि खजाना खाली है, सरकार जान-बूझकर ऐसे अधिकारियों को जो सरकार के खजाने को भरना चाहते हैं, सरकार उस खजाने को खाली करने में लगी हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि यह बड़ी गंभीर प्रवृत्ति का प्रकरण है। यहां टूरिस्ट मंत्री हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बैठे हैं, मैं इनसे कहना चाहूंगा कि जो इतनी बड़ी डिमांड राशि बाहर से आने वाले 11 व्हीकल्स को जब्त किया। कुर्की के आदेश हो गये और उसके बाद भी किस कारण से सी.एम. के डिप्टी सैक्रेटरी ने माफ कर डाला।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(डा. किरोड़ी लाल)

मैं चार्ज लगाना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री सैक्रेटेरिएट के अधिकारियों ने और मुख्य मंत्री ने मिल करके इस व्यक्ति का 18 लाख इसलिए माफ किया है कि इसने राजीव गांधी फाउंडेशन में बहुत बड़ा चंदा दिया था। राजीव गांधी फाउंडेशन में चंदा देने का परिणाम यह हुआ... (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : ऐसा मामला है भ्रष्टाचार का...(व्यवधान) इससे जीता जागता क्या... (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : आरोप नहीं लगा सकते पर्ची के माध्यम से... (व्यवधान)

श्री संजीव कुमार : यह बिलकुल असत्य बात कर रहे हैं... (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : इससे ज्यादा भ्रष्टाचार का मामला... (व्यवधान) राजीव गांधी के नाम पर यह लोग+++ (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें... (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, इसको कार्यवाही से निकाला जाये... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जिस मामले को हाई कोर्ट ने उचित माना, हाई कोर्ट ने जिस चीज को सही माना उस टैक्स को सी.एम.सैक्रेटेरिएट के डिप्टी सैक्रेटरी टेलीफोन करके उस टैक्स को उठायें, मैं समझता हूं इससे ज्यादा बात कोई नहीं हो सकती है... (व्यवधान)

श्री संजीव कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, कार्यवाही से निकाला जाये, बिलकुल असत्य बात कर रहे हैं इस तरह से। अनर्गल आरोप लगा रहे हैं... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री मानिक चन्द सुराना।

श्री संयम लोढ़ा : इसको कार्यवाही से निकाला जाये... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य बिराजें... (व्यवधान) हो गयी न बात। आपको इतनी विस्तृत बात करने का मौका दे दिया और क्या चाहते हो?

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, सी.एम.सैक्रेटेरिएट का डिप्टी सैक्रेटरी (व्यवधान) कैसे माफ कर सकता है... (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : राजीव गांधी के नाम पर +++यह मुख्य मंत्री सचिवालय+++ (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : इसमें हम मंत्री का वक्तव्य चाहते हैं... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, यह मामला राजस्थान की सरकार के गरीब जनता की लूट-खसौट का मामला है। हाई कोर्ट ने जिस बात को कहा है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप काहे पर बोल रहे हैं?

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री मदन दिलावर : बोल रहे हैं, खजाना खाली कर रहे हैं... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मुख्य मंत्री के डिप्टी सैक्रेटरी टेलीफोन करके... (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : 18 लाख रुपये वसूल किये जाने चाहिए। उन 18 लाख रुपये को वसूल नहीं करके राजीव गांधी के नाम पर मुख्य मंत्री सचिवालय +++ यह मेरा आरोप है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य बिराजें। मंत्री जी बोल रहे हैं, बैठिये।

श्री छोगाराम बाकोलिया (यातायात मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, यह मनगढ़ंत बात... (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : इसको कार्यवाही से निकाला जाये... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर मंत्रीजी... (व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया : उपाध्यक्ष महोदय, यह मनगढ़ंत आरोप लगाये जा रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि डी.टी.ओ. ने अपनी तरफ से जो चालान किये थे वह उसकी जूरिस्डिक्शन के बाहर थे हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर के जिसमें हनुमानगढ़ जूरिस्डिक्शन में नहीं थे। माननीय मुख्य मंत्रीजी के कार्यालय में उनके पास पेश हुए तो उनके आधार पर गौर किया गया था और डिप्टी सैक्रेटरी ने महसूस किया तो उसके बाद में जो भी निर्णय लिया गया था उसके अनुरूप उसमें पोजीशन आयी है। इसके अंदर किसी भी तरीके की... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : राजस्थान उच्च न्यायालय से बड़ा है मुख्य मंत्री का सचिवालय आप यह कहना चाहते हैं... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : राजस्थान का उच्च न्यायालय बड़ा है कि मुख्य मंत्री कार्यालय बड़ा है... (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : 18 लाख रुपये जमा करने का... (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : उच्च न्यायालय कह रहा है कि 18 लाख रुपये वसूल किये जाएं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मानिक चन्दजी सुराना।

श्री मदन दिलावर : और मुख्य मंत्री सचिवालय उन 18 लाख रुपये को गोलमोल करेगा... (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी बतायें कि हाई कोर्ट के... (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : खजाना खाली है... (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : हाई कोर्ट के आदेशों को... (व्यवधान) क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि हाई कोर्ट के आदेशों को भी क्या माननीय मुख्य मंत्री का कार्यालय निरस्त करने का अधिकार रखता है?

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री मदन दिलावर : राजीव गांधी के नाम को बदनाम कर रहे हैं।+++ यह मुख्य मंत्री सचिवालय +++ के राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशों की अवमानना कर रहा है... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें... (व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया : हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। केवल मात्र वही है कि टेक्निकल पाइंट पर... (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आपको तो कोई जवाब देना नहीं चाहिए। अलवर बस स्टैण्ड पर बस चोरी हो गयी...(व्यवधान) यातायात मंत्री महोदय, बस ही चोरी हो गयी रोडवेज की...(व्यवधान) 10 लाख की बस चोरी हो गयी...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय मंत्रीजी, हाई कोर्ट के निर्णय के बाद भी कोई आदेश हुआ है तो आप हमें बतायें...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें प्लीज... (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : पूरी बस चोरी हो गयी... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री मानिक चन्द सुराना।

श्री छोगाराम बाकोलिया : वह स्टैण्ड नहीं किया था... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें प्लीज।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, पर्ची के ऊपर बहस खतम करें... (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष महोदय, अलवर के बस स्टैण्ड पर बस चोरी हो गयी।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें। माननीय सदस्य... (व्यवधान) हो गया ना पर्ची पर इसमें कोई डिबेट थोड़े ही होती है... (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह हाई कोर्ट का डिसीजन है... (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : राजीव गांधी के नाम पर जो लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछतायेगा राज्य सरकार जायेगी छूट... (व्यवधान) यह राजीव गांधी की लूट है... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, एक पाइंटेड सवाल है... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप सवाल पूछने वाले होते कौन हैं? Why are you asking?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं आपका आज्ञाकारी होता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, आप नहीं होते हैं... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं आपकी आज्ञा से बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें प्लीज... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बिना आपकी आज्ञा से

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। मुझे सिर्फ इतना सा पूछना है... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपको कुछ पूछने का अधिकार ही नहीं है... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : क्या यह सही है कि इस प्रकरण में राजस्थान उच्च न्यायालय ने कोई आदेश जारी किया था। अगर हां तो बतायें या ना में जवाब दे दें... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज बिराजें।

डा. किरोड़ी लाल : बतायें, मंत्रीजी बतायें... (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह के अनर्गल आरोप लगा रहे हैं... (व्यवधान) बिना किसी नोटिस के।

श्री उपाध्यक्ष : कह दिया ना... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सदन की कार्यवाही से निकालने की व्यवस्था कीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें प्लीज।

श्री संयम लोढ़ा : इनकी जन्मपत्री देखिये... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें दिलावर जी... (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : भ्रष्टाचार में आप आकंठ डूब गये हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आदेश दिये हैं कि 18 लाख रुपये वसूल किये जायें। उसका +++ कर रहे हैं... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये। आपका कोई लेना देना ही नहीं है। 18 लाख कहां से ले लिये... (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : मेरे को लेना देना है। राजस्थान विधान सभा का विधायक हूं, चुनकर आया हूं... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें, माननीय सदस्य।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : राजीव गांधी के नाम पर लूट सके तो लूट, अंतकाल पछतायेगा जब यह सरकार जायेगी छूट... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, राठौड़ जी।

डा. किरोड़ी लाल : ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें। हाउस नियमों से चलता है ऐसे नहीं चलता है, इन्होंने पर्ची के माध्यम से बात उठायी है इनको पूरा मौका दे दिया बोलने का... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

डा. किरोड़ी लाल : ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

डा. किरोड़ी लाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर माननीय सदस्य। श्री मानिक चन्द सुराना बोलें।

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री मानिक चन्द सुराना : आप इनको शांत तो करिये... (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री उपाध्यक्ष : इनका समाप्त कर दियां ना, मानिक चन्दजी बोल रहे हैं।

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री उपाध्यक्ष : पर्ची पर बोल रहे हैं। हुआ ही नहीं आपका जब अंकित... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

डा. किरोड़ी लाल : ×××

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें।

डा. किरोड़ी लाल : ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

डा. किरोड़ी लाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिए। श्री मानिक चन्द सुराना। आर्डर-आर्डर।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) **:** ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप क्या कहना चाहते हैं? आर्डर-आर्डर। बैठिये तो सही।

श्री जुगल काबरा (जोधपुर शहर) **:** ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप भी वही कर रहे हो जो ये कर रहे हैं। फिर क्या हुआ?

श्री भंवरलाल शर्मा : ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री भंवरलाल शर्मा : ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

डा. किरोड़ी लाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : श्री मानिक चन्द सुराना। माननीय बिराजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) **:** ×××

डा. किरोड़ी लाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलिए। I will not

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

allow. खतम हो गयी बात। मैंने दूसरे मैम्बर को काल अपोन कर लिया है। I have called upon the second member. हो गयी न बात।

डा. किरोड़ी लाल : ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री उपाध्यक्ष : जरूरी है क्या? जरूरी है क्या जवाब देना?

डा. किरोड़ी लाल : ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री उपाध्यक्ष : जवाब देना कोई जरूरी नहीं है।

श्री जुगल काबरा : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए। श्री मानिक चन्द सुराना। आप बिराजिए प्लीज।

श्री सांवर लाल (भिनाय) : ×××

डा. किरोड़ी लाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : कितना ही गम्भीर हो, आपने अपनी बात कह दी। आप बिराजिए प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री उपाध्यक्ष : मुझे आपका सहयोग चाहिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री उपाध्यक्ष : मुझे इसकी जरूरत नहीं है, आपकी तारीफ की मुझे जरूरत नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अंकित ही नहीं हो रहा है, काहे को बोले जा रहे हो?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कह दिया ना मैंने, अंकित नहीं हो रहा है। आप क्यों बोल रहे हो, माननीय सदस्य? बिराजिए प्लीज। श्री मानिक चन्द सुराना। प्लीज कोआपरेट। बैठिए, बहुत हो गया।

डा. किरोड़ी लाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिए, जवाब देना जरूरी नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री उपाध्यक्ष : मेरी पूरी कृपा है आप पर, लेकिन आप बिराजो। श्री मानिक चन्द सुराना।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी से आश्वासन दिलवा दीजिए तो मामला खतम ही हो जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष : हां बोलिए, आप अपनी पर्ची पर। हां, हो गया खतम, आप अपनी पर्ची पर बोलिए।

डा. किरोड़ी लाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज, कोआपरेट। आप

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

बिराजें। श्री मानिक चन्दजी सुराना, आप प्लीज बोलिए, शुरू कीजिए।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं तो खड़ा हूं, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : आप शुरू कीजिए।

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री उपाध्यक्ष : बहुत हो गया। प्लीज।

डा. किरोड़ी लाल : ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

श्री छोगाराम बाकोलिया (यातायात मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रकरण पर्ची के माध्यम से आया है। अगर पहले मुझे इंटीमेशन होती तो मैं इस पर जरूर बताता। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह तो मैं कह रहा हूं, फिर आप क्यों कह रहे हो?

श्री छोगाराम बाकोलिया : हाई कोर्ट में पार्टी गयी थी, दोनों बार अपना केस लूज कर गयी, उसके बाद डी.टी.ओ. के माध्यम से चार्जेज फ्रेम किये गये थे, उसके बाद इसमें किसी प्रकार का संशोधन अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन इनकी जो बसें दूसरी थीं, जिन पर बहुत ज्यादा चार्जेज लगने के कारण व जूरिस्डिक्शन के बाहर होने पर उनको रिलीज किया गया था लेकिन अभी तक उस पर अंतिम निर्णय होकर मेरे पास नहीं आया है इसलिए आप ऐसे में कहो कि इस तरह के मिथ्या आरोप उस पर लगाए गये हैं, वह तो इसमें पार्टी है, वह खुद भी लोकायुक्त में गयी हुई है। मुझे पता नहीं आप किस कारण से इसके ऊपर प्रभावित होकर प्रकरण उठा रहे हैं जबकि लोकायुक्त में भी यह मामला चल रहा है।

डा. किरोड़ी लाल : परन्तु अभी कोई पैसा जमा नहीं हुआ, मंत्री महोदय, फिर भी व्हीकल को कैसे छोड़ दिया? हाई कोर्ट से यह आदेश था कि पैसे जमा नहीं हुए 18 लाख तो आपने व्हीकल को कैसे छोड़ दिया?

श्री छोगाराम बाकोलिया : पैसों के बारे में किसी प्रकार के आदेश, मेरी अब तक जानकारी में नहीं है कि किस प्रकार का आदेश उन्होंने किया है। लेकिन पार्टी अगर स्टैण्ड नहीं करती है तो हमारा जो अपनी तरफ से ट्रांसपोर्ट विभाग है... जो मांग प्रस्तुत की उसको मानेंगे।

श्री हरिसिंह (महुवा) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : व्यवस्था पर ही बोल रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी व्यवस्था का सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष : आप क्या व्यवस्था चाह रहे हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने इस सदन में अपना वक्तव्य दे दिया और मंत्री महोदय के सदन में वक्तव्य के बाद सवाल पूछने का अधिकार है। नियमों में इस तरह का प्रावधान है।

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : इस पर्ची पर नहीं है। आप बिराजिए प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इन्होंने यह साफ कहा है कि इनके पास हाई कोर्ट का कोई आदेश नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए प्लीज। आप मिसगाइड मत करो प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, सदन को मिस लीड कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए। श्री मानिक चन्दजी सुराना। बस खतम हो गयी बात, कह दिया, इन्होंने जवाब दे दिया।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो गडबड़ घोटाले किये जा रहे हैं, यह आदेश हाई कोर्ट का है, उस पर निर्णय की बात करें, साहब। राजीव गांधी फाउण्डेशन के नाम पर जो पैसा गया है, मैं तो इतना ही...

श्री मदन दिलावर : लूटते हैं जतना को। मुख्य मंत्री सचिवालय ऐसे ही लूटता रहेगा क्या?

अन्तरराष्ट्रीय राजस्थानी सम्मेलन आयोजन में हुई अनियमितता विषयक

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : उपाध्यक्ष महोदय, हाउस को आर्डर में लाइए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन का ध्यान एक और महत्वपूर्ण तथ्य और घटना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। राज्य सरकार द्वारा अन्तरराष्ट्रीय राजस्थानी सम्मेलन, जिसे संक्षेप में आई.आर.सी. के नाम से सम्बोधित करूंगा, राजस्थान की राजधानी जयपुर में दिनांक 23–24 सितम्बर, 2000 को आहूत किया गया था और उक्त सम्मेलन की व्यवस्था एक वरिष्ठ आई.ए.एस. अधिकारी के जिम्मे की गयी थी और उक्त कार्य के लिए आई.आर.सी. के नाम से एक अलग विभाग बनाया गया था, जिसके इंचार्ज श्री पुरुषोत्तम अग्रवाल थे। उक्त सम्मेलन के बारे में एक वक्तव्य राजस्थान विधान सभा के गत अक्टूबर-नवम्बर सत्र में माननीय उद्योग मंत्रीजी द्वारा दिया गया था। उक्त सम्मेलन में मेहमानों के खान-पान की व्यवस्था व भोज के दौरान सजावट की देखरेख का जिम्मा आर.टी.डी.सी. को दिया गया था। सम्मेलन के दौरान मुख्य मंत्री महोदय व महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 23 व 24 सितम्बर को आगन्तुक मेहमानों के लिए भोज की व्यवस्था की गयी थी।

आई.आर.सी. सम्मेलन 23-24 सितम्बर, 2000 को सम्पन्न हो गया और उसके लिए किये गये समस्त खर्चों के बिल आर.टी.डी.सी. ने आई.आर.सी. को सितम्बर-अक्टूबर माह में अग्रेषित कर दिये। आई.आर.सी. ने बिलों का चुकारा ड्यू कोर्स में कर दिया। आर.टी.डी.सी. द्वारा आई.आर.सी. को भेजे गये पांच बिलों में एक बिल मुख्य मंत्री महोदय व महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 23-24 सितम्बर को आयोजित भोज से सम्बन्धित था। जिसका चुकारा श्री ज्ञानजी स्वीट कैटरर्स को आई.आर.सी. द्वारा जरिए चैक नम्बर 847916, दिनांक 13.10.2000 को राशि रुपये 11,17,596 का कर दिया गया था। आई.आर.सी. द्वारा अन्य बिलों का चुकारा भी विभिन्न तारीखों को कर दिया गया। दिनांक 13.12.2000 को माननीय मुख्य मंत्री महोदय

(श्री मानिक चन्द सुराना)

व राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 23-24 सितम्बर, 2000 को आयोजित भोज के बिल प्राप्त करने के बाद ज्ञानजी स्वीट कैटरर्स ने एक और बिल दिया, दिनांक 23.9.2000 की तारीख दर्शाते हुए, सचिव, ट्यूरिज्म को दिसम्बर, 2000 की किसी तारीख को प्रेषित किया जिसमें मुख्य मंत्री महोदय के यहां आयोजित भोज दिनांक 23.9.2000 के लिए और एक बिल जिसमें 1077 व्यक्तियों के लिए 130 रुपये प्रति व्यक्ति व 2175 व्यक्तियों के लिए 60 रुपये प्रति व्यक्ति का चार्ज एडीशनल मीनू दर्शाते हुए, कुल रुपये 2,75,396.92 का बिल प्रेषित किया। उक्त बिल के साथ चार अन्य बिल भी सचिव, ट्यूरिज्म ने दिनांक 26.12.2000 को मिस रेखा गुप्ता, डी.डी.सी., जवाहर कला केन्द्र व श्री ओ.पी. यादव, एडीशनल डायरेक्टर आफ ट्यूरिज्म एवं श्री एन.पी. शर्मा के एक नोट के साथ अग्रेषित किया जो निम्नप्रकार है, नोट पर जरा गौर फरमाएं -

"Please verify the bills enclosed or get verified by the concerned officers.

फिर अलग नोट, अलग तीर लगाकर,

"Expedite payment. I have spoken to the M.D., R.T.D.C. personally."

(13.00 बजे)

यह ललित के.पंवार साहब लिख रहे हैं, 26.12 को लिख रहे हैं। सैक्रेटरी ट्यूरिज्म द्वारा उक्त नोट के साथ जो पांच बिल अग्रेषित किये गये उनका ब्यौरा कुल मिलाकर ज्ञानजी स्वीट एण्ड कैटरर्स का बिल 2,95,396 रुपये के अलावा कुछ बिल हैं सुन्दर इलेक्ट्रिकल डेकोरेटर्स, उस्मान भाई फूलवाले, राज टैंट हाउस, कुल मिलाकर बिल 5,07,562.42 रुपये के हैं। रेलेवेंट बिल 2,93,396 रुपये का है। उक्त बिलों के चुकारे के लिए जो नोट शीट, आप गौर फरमाएं, आर.टी.डी.सी. के विभिन्न अधिकारियों ने लिखी वह नोट शीट बिलों के चुकारे के लिए, बिलों को चुकारा किये जाने के पूर्णत: विपरीत है। उक्त बिलों के तथ्यात्मक रूप से सही होने की जिम्मेदारी भी किसी अधिकारी ने नहीं ली है। आर.टी.डी.सी. की नोट शीट से यह स्पष्ट है कि उक्त बिलों के चुकारे की वैधानिक जिम्मेदारी आर.टी.डी.सी. की नहीं है और न ही उक्त बिलों के संबंध में किसी अधिकारी ने अधिकारिक तौर पर यह कहा कि उक्त बिल वास्तव में आई.आर.सी. सम्मेलन के लिए किये गये कार्य के लिए सही तौर पर संबंधित कैटरर्स व अन्य बिल ड्रा करने वालों ने प्रस्तुत किये हैं। आर.टी.डी.सी. की आन्तरिक नोट शीट से स्पष्ट है कि उक्त बिलों का संबंध आई.आर.सी. से नहीं है। इसके बावजूद सचिव, ट्यूरिज्म के दबाव से कार्यकारी निदेशक, आर.टी.डी.सी. ने अपने पत्र दिनांक 8.1.2000 के द्वारा उक्त बिल कमिश्नर आई.आर.सी. को चुकारे के लिए प्रस्तुत किये। लेकिन कमिश्नर, आई.आर.सी. ने उक्त समस्त बिलों को निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने के कारण अस्वीकार कर मूल बिल अपने पत्र दिनांक 23.1.2001 द्वारा लौटा दिये। जब ये आई.आर.सी. ने लौटा दिये तो आई.आर.सी. द्वारा दिनांक 23.1.2001 को बिलों का चुकारा अस्वीकार करने के बाद राज्य मंत्री, ट्यूरिज्म की अध्यक्षता में एक मीटिंग 2.2.2001 को

(श्री मानिक चन्द सुराना)

आई.आर.सी. द्वारा अस्वीकृत किये गये बिलों के संबंध में हुई, जिसमें सचिव, ट्यूरिज्म, एम.डी., आर.टी.डी.सी., एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर- आर.टी.डी.सी., जनरल मैनेजर (वित्त) आर.टी.डी.सी. व एडीशनल डायरेक्टर (ट्यूरिज्म) व सीनियर मैनेजर (फूड एण्ड बेवरेज) थे। उक्त मीटिंग में आई.आर.सी. द्वारा बिलों का चुकारा न किये जाने की स्थिति पर चर्चा हुई और राज्य मंत्री महोदय ने मीटिंग में उक्त बिलों के चुकारे के लिए यह कहकर स्पष्ट निर्देश दिये कि आई.आर.सी. में अतिरिक्त व्यवस्थाएं उनके निर्देशों पर समय-समय पर की गयीं थी और जिन एजेंसियों का काम हुआ है उनके कार्यों का चुकारा आर.टी.डी.सी. करे। उपाध्यक्ष महोदय, जो नोट शीट बनी है आई.आर.सी. की उस नोट शीट... (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : इतने गंभीर चार्ज लगा रहे हैं और मंत्रीजी यहां उपस्थित नहीं हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं नोट शीट पढ़ रहा हूं -

"A meeting was held on 2.2.2001 under the Chairmanship of Hon'ble Minister of State, Tourism, regarding the bills or I.R.C., 2000 not paid by I.R.C. office."

और उसके बाद में उसमें लिखा है-

"During the meeting the Hon'ble Minister directed that since various I.R.C. additional arrangements were done on high direction from time to time, the agencies engaged must receive their payments. She directed to make payment of the following agencies by R.T.D.C. and I.T.D.C. may ask for reimbursment from I.R.C."

उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न पर राज्य सरकार का जवाब आया। जवाब में साफ लिखा है हमने 220 रुपये प्रति व्यक्ति कैटरिंग का ठेका, लाइटिंग का ठेका, डेकोरेशन का ठेका, सब कुछ करने का ठेका आर.टी.डी.सी. को दिया था 220 रुपये प्रति व्यक्ति। माननीय मुख्य मंत्रीजी के भोज में मात्र 3,252 आदमी थे, राज्यपाल महोदय के भोज में 1400 आदमी थे। बिल रेज कर दिया गया और बिल 3252 और 1400 का, जो महामहिम राज्यपाल के यहां थे उन सबका चुकारा भी 11 लाख 17 हजार कुछ रुपयों का कर दिया गया। वह चुकारा हो गया अक्टूबर में। पुरुषोत्तम अग्रवाल तो कहते हैं 13.12 को हो गया और जो जवाब राज्य सरकार ने दिया है उसमें कहा है 13.10 को हो गया। खैर, पेमेंट हो गया और पेमेंट होने के बाद, चाहे 13.10 को मानिए, चाहे 13.12 को मानिए, यह बिल दिसम्बर में ही पेमेंट हो गया एडीशनल मीनू के नाम पर। यदि मुख्य मंत्रीजी के भोज में कोई एडीशनल मीनू था तो ज्ञानजी स्वीट कैटरर्स ने यह बिल उसी वक्त क्यों नहीं दिया? यदि कोई भोज हुआ है, उसमें एडीशनल मीनू भी हुआ है, कुछ भी हुआ है, आखिर अन्तरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त 3352 व्यक्ति, उसमें 1000-1500 एन.आर.आईज्. भी थे, उनका भोज हो रहा है, उनके भोज में 220 रुपये...

श्री सुरेन्द्र व्यास : एडीशनल मीनू की बात तो आई.आर.सी. मानती ही नहीं है।

श्री मानिक चन्द सुराना : आई.आर.सी. नहीं मानती। अब इनका यह कहना है कि

(श्री मानिक चन्द सुराना)

आई.आर.सी. मानती नहीं, आई.आर.सी. का जो मीनू है उस मीनू का फोटोस्टेट मेरे पास है। उसके मीनू में दो चूरमे लिखे हुए हैं, दाल बाटी चूरमे। अब यह कहा जा रहा है कि एडीशनल बिल दो चूरमों की जगह चार चूरमे कर दिये गये।

मोहम्मद माहिर आजाद : चार चूरमे काहे के हो गये?

श्री मानिक चन्द सुराना : पता नहीं काहे के हो गये। यह कहा जा रहा है कि चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया गया। पहले बूफे था, फिर बैठाकर खिलाया गया। आर.टी.डी.सी. के नोट में साफ है कि हमको कभी भी ज्ञानजी स्वीट कैटरर्स ने नहीं कहा कि कोई एडीशनल खाना खिलाया जाएगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को भी असत्य मानता हूं कि कोई चांदी के बर्तनों में खाना खिलाय गया। इलेक्ट्रोप्लेटेड बर्तनों में खाना खिलाया गया और मूल प्रश्न यह है कि आर.टी.डी.सी. को अधिकार क्या है, आई.आर.सी. मौजूद है, आई.आर.सी. के पुरुषोत्तम अग्रवाल ने तारीख 23.1 को इन्कार कर दिया पेमेंट से। और न सिर्फ 23.1 को इन्कार कर दिया बल्कि अभी 19.2.2001 को, 2.2.2001 को तो इन माननीय मंत्रीजी ने आर.टी.डी.सी. को अपने घर का, अपने पिता की सम्पत्ति समझकर यह आदेश दे दिया कि आप चुकारा कर दो। आर.टी.डी.सी. आखिर एक ट्यूरिज्म डवलपमेंट कारपोरेशन है, उस पर एक अध्यक्ष भी है, उसका एक मैनेजिंग डायरेक्टर भी है। यह कोई काका की दुकान है क्या जो चाहे जो पेमेंट करा दिया 5 लाख रुपये का? मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि यह पेमेंट भी इस आश्वासन पर कराया गया है कि आई.आर.सी. उसको रिएम्बर्स करेगी और यह सदन के सामने बहुत स्पष्ट है, आई.आर.सी. दो पत्रों के द्वारा उसका रिएम्बर्समेंट 23.1.2001 को और 19.2.2001 को इन्कार कर चुकी है। मेरा चार्ज यह है कि यदि माननीय मुख्य मंत्रीजी के भोज के भी दो बिलों का चुकारा हुआ तो राजस्थान की ख्याति कहां पहुंचेगी, इस पर जरा यह सदन विचार करे। और यदि विदेश में रहने वाले एन.आर.आईज्. ने समझा कि खाना हमको खिलाया एक और एडीशनल मीनू का एक बिल दिसम्बर में और पैदा हो गया, बिल का चुकारा पहले हो गया मीनू का, और उसके बाद एडीशनल मीनू का चुकारा हो रहा है चार महीने बाद। यह बात इसलिए याद आयी, उपाध्यक्ष महोदय...

श्री सुरेन्द्र व्यास : आई.आर.सी. का एडमिनिस्ट्रेशन डील करते हैं चन्द्रभानजी।

श्री मानिक चन्द सुराना : हां, चन्द्रभानजी के पास है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : चन्द्रभान जी बताएंगे, वरिष्ठ मंत्री हैं, ये ही बताएंगे।

श्री उपाध्यक्ष : इनको तो समाप्त करने दो।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : बीना काक तो हैं नहीं यहां।

श्री सुरेन्द्र व्यास : प्रश्न इस बात का नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : ये बैठें जब है ना।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह बिल क्यों पैदा हुआ। 24.12 को बीना काक जी के रिलेशन में कोई भतीजी कहीं जाती है उनकी शादी थी और उनकी शादी पर जो भी कैटरिंग-फैटरिंग की गयी उस शादी का कैटरिंग का बिल अब कौन दे? बीना काक जी क्यों दें? तो आई.आर.सी. का खाता है ना। आई.आर.सी. के खाते में डाल दो और आई.आर.सी. के खाते में डालकर, जबकि आई.आर.सी. इन्कार कर रही है, 19.1 को पुरुषोत्तम अग्रवाल का पत्र है कि इसका चुकारा हम नहीं करेंगे इसके बावजूद रिएम्बर्समेंट का प्रश्न नहीं था, आई.आर.सी. इन्कार कर रही है, पहले इन्कार कर दिया और 2.2 के बाद भी इन्कार कर दिया, किस तरह से यह चुकारा करा दिया 5 लाख 17 हजार का। इससे बड़ा दुरुपयोग आर.टी.डी.सी. का किसी मंत्री ने आज तक किया नहीं है। यह पद का खुला दुरुपयोग है और मेरा इस सदन के माध्यम से निवेदन है कि उनको तत्काल पदमुक्त किया जाए, माननीय बीना काकजी को या सिर्फ श्रीमती बीना को, वो जो भी हैं, क्योंकि अभी सुना है कि उन्होंने काक शब्द लिखना बंद कर दिया है। खैर, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, भुगतान 5 लाख 17 हजार का राज्य सरकार वापस उनको निर्देश देकर आर.टी.डी.सी. के खाते में जमा कराए और यह जो खुला पद का दुरुपयोग किया है उस पद के खुले दुरुपयोग के लिए उनकी छुट्टी की जाए, उनको पदमुक्त किया जाए। और जो भी फर्जी डाकूमेंट ज्ञानजी स्वीट कैटरर्स से मिलकर बनाये गये हैं... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नहीं आप बैठें। (व्यवधान) बैठें, बैठें, अंकित नहीं हो। बैठें, बैठें।

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा) : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : ×××

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं यह नहीं बता सकता, मैं यह बताने में असमर्थ हूं।

श्री उपाध्यक्ष : कोई सीरियस बात किया करो हाउस में, मजाक मत किया करो।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं यह बताने असमर्थ हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मामला बहुत गंभीर है, यह मामला अत्यधिक गंभीर है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, नाट अलाउड।

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मामला बहुत गंभीर है, यह मामला अत्यधिक गंभीर है।

श्री सांवर लाल : यह तो अखबारों में छप चुका है।

डा. महेश जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो माननीय सदस्य ने अभी इर्रेलेवेंट बात की है, मेरा आपसे आग्रह है कि इसको कार्यवाही से निकाल दें।

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : अंकित ही नहीं हुआ।

श्री मानिक चन्द सुराना : नहीं, नहीं +++ को निकाल दीजिये और उनको सरकारी नौकरी से निकाल दीजिये हमें इससे कोई मतलब नहीं है। माहिर आजाद साहब को तो होगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री मानिक चन्द सुराना : बाकी वह रहें, न रहें इससे हमें कोई मतलब नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : इन्होंने यह कहा है कि एक्स्ट्रा मीनू इन्होंने बाद में लिखाये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय आजाद साहब, प्लीज बैठिये।

श्री मानिक चन्द सुराना : यह बहुत साफ है कि एक्स्ट्रा की बात श्रीमती बीना काक के दिमाग की पैदाइश है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने तो नहीं उठाई है, यह कहा है कि व्यवस्था कर लेंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इनको समाप्त कर लेने दीजिये।

श्री हरिसिंह (महुवा) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : इनको समाप्त कर लेने दीजिये।

श्री हरिसिंह (महुवा) : वह समाप्त होंगे ही नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, होंगे नहीं, कैसे नहीं होंगे?

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय हरिसिंह जी, आप जरा बिराजो। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं सचिव ट्यूरिज्म को क्या अथोरिटी है कि वह बिल को रिसीव कर ले जबकि आई.आर.सी. एक विभाग है। उनको फार्वर्ड करना था आर.टी.डी.सी. से फार्वर्ड करवा दिया और जब वह इन्कार हो गया बिल 23.1.2001 को, आई.टी.डी.सी. के पास कौनसी अथोरिटी बच गयी थी कि रिएम्बर्समेंट के नाम पर 5 लाख 17 हजार का चुकारा करता।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप यह बात कह चुके, आप रिपीट कर रहे हैं। कह चुके आप यह बात।

श्री मानिक चन्द सुराना : नोडल आफिसर थे इसमें विनोद अजमेरा, एडीशनल डायरेक्टर ट्यूरिज्म। जब यह नया बिल आया तो वह नोडल आफिसर एडीशनल डायरेक्टर, अजमेरा को नहीं भेजा गया। वह भेज दिया गया, जवाहर कला केन्द्र के कोई अधिकारी हैं उनको। तो यह अन्तरराष्ट्रीय राजस्थानी सम्मेलन के नाम पर जब एक विभाग है और मुख्य मंत्री के द्वारा उसको आहूत किया गया है, इस सम्मेलन के मुख्य मंत्री सर्वेसर्वा थे, उद्योग मंत्री हैं तो यह जो भी चुकारे किये गये हैं, अनधिकृत हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये प्लीज। हो गयी न बात।

+++ नाम अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री मानिक चन्द सुराना : अनधिकृत है, आर.टी.डी.सी. के 65 कमरे हैं और आर.टी.डी.सी. के कमरों का भी दुरुपयोग किया गया है। खाली 10 कमरे तो उनकी शादी में दिखाये गये हैं 23 तारीख को और उन कमरों की जो संख्या है उन 65 कमरों में से, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि सारे कमरे जो भी खाली रहे...।

श्री हरिसिंह (महुवा) : उपाध्यक्ष महोदय, जो जो माननीय सदस्य ने पर्ची के माध्यम से किया है उसका स्कोप सीमित है और माननीय सदस्य उस स्कोप से बाहर जा रहे हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना : नहीं, मैं स्कोप में ही बोल रहा हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त करें। (व्यवधान) अंकित नहीं हो।

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री मानिक चन्द सुराना : ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री उपाध्यक्ष : मैं बुलवाऊंगा, किसको बुलवाऊंगा?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय उद्योग मंत्री जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

श्री मदन दिलावर : +++

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, प्लीज, चर्चा समाप्त।

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कृषि मंत्री जी, माननीय तैय्यब हुसैन। (व्यवधान)

अनुदान की मांग

मांग संख्या-37, कृषि की प्रस्तुति

श्री तैयब हुसैन (कृषि मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या--37, कृषि के संबंध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,18,41,82000 (दो अरब अट्ठारह करोड़ इकतालीस लाख बयासी हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री मदन दिलावर ; ×××

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिसिंह कुम्हेर।

मांग संख्या-39, पशुपालन एवं चिकित्सा की प्रस्तुति

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) (पशुपालन मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या-39, पशुपालन के संबंध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,20,32,23000 (एक अरब बीस करोड़ बत्तीस लाख तेईस हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे। (व्यवधान)

मांग संख्या-37 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-37 मुख्य शीर्ष कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपये कम कर दिया जाये-

श्री अमीन खान (शिव):

1. ग्रामीण क्षेत्र में खरीफ की फसल के बीजों की मांग के अनुसार उपलब्धता बनाये रखने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू (पीलीबंगा):

2. विभाग द्वारा कृषि उत्पादन बढ़ाने एवं उत्पादन का उचित मूल्य दिलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल सिंगारिया (केकडी):

3. उन्नत कृषि हेतु किसानों को समुचित सुविधा उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा (बयाना):

4. विभाग द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, यू.पी., गुजराज, मध्य प्रदेश अर्थात् सीमावर्ती राज्यों तक बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

5. किसानों की फसल का उचित मूल्य दिलावाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

6. किसानों की फसल बीमा कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

7. कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा नारौली से सादपुरा तक नवीन सड़क/न बनाने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

8. मण्डी समिति द्वारा स्वीकृत नारौली से पुरावाई खेड़ा की अधूरी सड़कों को पूर्ण नहीं कराने के बावजूद भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर):

9. श्रीगंगानगर में कंटेनर डिपों की स्थापना के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा):

10. उप-निदेशक, भू-संरक्षण, टोंक द्वारा मनमाने ढंग से ग्रामीण कमेटियों के गठन से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया (रतनगढ़):

11. राज्य में कृषि विकास के लिए आवश्यक उपायों के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री फतेहसिंह (कुशलगढ़):

12. सरकार द्वारा चयनित व लघु सीमान्त ग्रुप में डीजल पम्प सेट देने में रही असफलता पर चर्चा के लिये।

13. सरकार द्वारा उन्नत बीज वितरण करने में रही असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री कुबेर सिंह (फलासिया):

14. निर्वाचन क्षेत्र फलासिया (उदयपुर) के किसानों को कृषि उपकरण सस्ते नि:शुल्क उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

15. निर्वाचन क्षेत्र फलासिया जिला, उदयपुर के आदिवासी एवं गरीब किसानों को खाद, बीज एवं दवाइयां नि:शुल्क उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

16. निर्वाचन क्षेत्र फलासिया (उदयपुर) में डीपलिंग वाटर को लिफ्टिंग द्वारा किसानों को उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):

17. राज्य में कृषि की विषम स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (पचपदरा):

18. किसानों को घटिया अरन्डी के बीज सप्लाई करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री नारायण सिंह (दांतारामगढ़):

19. कृषि उत्पादन पर काफी खर्चा होने के कारण किसान को उत्पादन का सही मूल्य नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

20. उन्नत बीज सही नहीं मिलने के कारण उत्पादन की कमी से किसान को हो रहे भंयकर नुकसान से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर):

21. जैसलमेर जिल में नहरी व भू-जल से नये कृषि क्षेत्र के विकास की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़):

22. कृषि विभाग द्वारा जनजाति उपयोजना क्षेत्र के जनजातिय कृषकों को आबंटित राशि का लाभ नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

23. विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ के कृषकों को उत्तम बीज की व्यवस्था वर्षा के पूर्व उपलब्ध नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

24. तहसील प्रतापगढ़ एवं अरनोद में कृषि का भू-सर्वेक्षण कराया जाकर कृषकों को शिविर लगाकर उचित फसल की जानकारियां देने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री गुरमीत सिंह कुन्नर (करणपुर):

25. श्रीगंगानगर जिले में फव्वारा पद्धति व डिगियों पर सबसिडी देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोपाराम मेघवाल (सिवाना):

26. विभाग द्वारा क्षेत्र सिवाना के ग्राम पादरू में कृषि उपज मण्डी सब यार्ड खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर):

27. राजगढ़ (चूरू) में कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने की महती आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

28. राजगढ़ (चूरू) तहसील में 08 घण्टे बिजली न मिलने पर किसानों की फसल को हुयें नुकसान की भरपाई के संबंध में चर्चा के लिये।

29. राजगढ़ (चूरू) में किसानों को 1993 के बाद के कृषि कुओं पर कनेक्शन देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

30. राजगढ़ (चूरू) तहसील के किसानों को कीट नाशक, उन्नत बीज आदि उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

31. राजगढ़ (चूरू) में किसानों को शीत लहर से हुये फसल को नुकसान का मुआवजा दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू):

32. कृषि विभाग द्वारा अप्रमाणित बीज, इन्सक्टीसाइड को रोकने में विफल रहने की स्थिति पर चर्चा के लिये।

33. चूरू जिले में कृषि विभाग द्वारा प्रमाणित बीज वितरण में हो रही भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

श्री केसाराम चौधरी (खारची):

34. जिला स्तर पर लगे कृषि विभाग के अनावश्यक कर्मचारियों के संबंध में चर्चा के लिये।

35. कृषि के लिये कुए खोदने हेतु अनुदान दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

36. किसानों के उपयोग में आने वाले औजारों पर अनुदान देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

37. राज्य बीज निगम एवं राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा उत्पादित नकली बीजों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

38. राज्य बीज निगम एवं राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा राज्य में विभिन्न पैदावारों हेतु पैदा किये जाने वाले बीजों की गुणवत्ता की जांच हेतु बीज उत्पादकों की सूची अग्रिम देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बडी सादड़ी):

39. राज्य में किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड पूर्ण रूप से वितरण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

40. गांवों में बनी कृषि एवं गोण मण्डी सुचारू रूप से कार्य नहीं करने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

41. जनजाति क्षेत्र में छोटे एवं बिखरे खेतों में फलदार वृक्षों की खेती को विकसित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

42. राज्य में किसानों की फसलों को सस्ते दर पर भण्डारण की सुविधा उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

43. राज्य में निरन्तर कृषि बजट पर व्यय कम करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (धोद):

44. राज्य में नकली बीज बाजारों में किसानों

(श्री अमराराम)

को बेचने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा):

45. कृषि विभाग के अधिकारियों का पंचायत समितियों व पंचायतों से सामंजस्य व किसानों से सम्पर्क नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल डांगा (मेडता):

46. कृषि उत्पादन में खाद्यान्न, तिलहन, दलहन, मसाले, फल, सब्जीयां इत्यादि के निर्यात के संबंध में विभाग द्वारा पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

47. राष्ट्रीय एवं राज्य योजना तथा केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत किये गये कृषि विकास कार्यों के संबंध में चर्चा के लिये।

48. कृषकों को खाद, बीज, कीटनाशक एवं पौध संरक्षण दवाइयां समय पर उपलब्ध करवाने तथा कृषि आदान की गुणवत्ता के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री जनार्दन गहलोत (करौली):

49. विधान सभा क्षेत्र करौली में कृषि विस्तार हेतु योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा):

50. इटांवा जिला कोटा में कृषि अनुसंधान केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

51. कृषि क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा):

52. तिलहन उत्पादों का उचित मूल्य नहीं मिलने के कारण तिलहन उत्पादों के उत्पादन में गिरावट की संभावना से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

53. केन्द्रीय प्रवर्तित भूमि सुधार कार्यक्रमों में आने वाली धन राशि के खर्च करने में शिथिलता पर चर्चा के लिये।

54. कृषि पैदावारों में उचित मूल्य किसानों को मिले इसकी व्यवस्था पर चर्चा के लिये।

55. विभाग द्वारा सब्जियों पर हो रहे कीटों के प्रकोप पर नियंत्रण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

56. बीज उर्वरक व पौध संरक्षण औषधियों की शुद्धता के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री भरोसी लाल (हिण्डौन):

57. काश्तकारों को प्रमाणित एवं उन्नत बीज उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

58. काश्तकारों की फसल के नुकसान के लिये बीमा योजना लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

59. हिण्डौन विधान सभा क्षेत्र में भू-संरक्षण कार्य कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री हनुमान प्रसाद (सूरजगढ़):

60. सूरजगढ़ विधान सभा क्षेत्र की तहसील में कृषि उपज मण्डी स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री हनुमान प्रसाद)

61. केन्द्र सरकार द्वारा कृषि उत्पाद के आयात पर छूट देने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सरकार द्वारा पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं):

62. विभागीय अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से पदोन्नति नहीं दिये जाने से उत्पन्न असंतोष पर चर्चा के लिये।

63. कृषि सेवा के राजपत्रित अधिकारी जिनके विरुद्ध गबन आदि की कार्यवाही चल रही है, उन्हें महत्वपूर्ण पदों पर तैनात किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

64. ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत कृषि सुपरवाइजरों के कार्यों व क्षेत्र में उपस्थिति पर किसी प्रकार का प्रभावी नियंत्रण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

65. कीटनाशक दवाओं के विक्रेताओं द्वारा घटियां दवाई बेचने पर भी विभाग द्वारा नियंत्रण नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

66. विभाग द्वारा नकली बीज वितरण को रोक नहीं पाने के कारण काश्तकारों को हो रहे नुकसान से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर):

67. किसानों को प्रमाणीकरण बीज उपलब्ध करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

68. नकली बीज व खाद पर लगे प्रतिबन्ध को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

69. श्रीगंगानगर जिले में फव्वारा पद्धति व ड्रिप सिस्टम योजना के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री गणेशीराम मेघवाल (जालौर):

70. जालौर विधान सभा क्षेत्र में सायला पंचायत समिति को डार्क जोन घोषित होने के फलस्वरूप कृषि कार्य बाधित होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं):

71. कृषि विभाग द्वारा किसान को सहयोग एवं प्रोत्साहन देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

72. राजस्थान बीज निगम द्वारा अच्छी गुणवत्ता के बीजों के बजाय घटिया किस्म के बीज देकर कृषि पैदावार को नुकसान पहुंचाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

73. कृषि विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

74. राजस्थान में फल उद्यानों के निरन्तर कम होने पर चर्चा के लिये।

श्री आर.पी.शर्मा (भरतपुर):

75. भरतपुर में कृषि महाविद्यालय खोलने हेतु चर्चा के लिये।

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर):

76. डूंगरपुर जिले में कृषि जोत की भूमि का

(श्री नाथूराम अहारी)

रकबा ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

77. डूंगरपुर जिले में आवारा पशुओं से फसल नष्ट होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

78. डूंगरपुर जिले में फसलों की समय पर आवश्यक सिंचाई नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर):

79. किसानों की फसलों को बचाने के लिये कीटनाशक दवाइयों की समुचित व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

80. तहसील स्तर के कृषि अधिकारियों को प्रत्येक योजना की जानकारी देने के लिये पंचायत समिति की बैठकों में भाग लेने की अनिवार्यता की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

81. कृषि पर्यवेक्षकों के मुख्यालय, जहां पर हैं उनको अनिवार्य रूप से ग्राम पंचायत की बैठकों में भाग लेने की अनिवार्यता निर्देशित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

82. कृषि के लिये फर्टिलाइजर की पर्याप्त व्यवस्था के साथ अनुदान राशि देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हेमन्त कुमार (दीगोद):

83. सांगोद में कृषि जिन्सों के भंडारण हेतु समुचित व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

84. नकली डी.ए.पी. खाद एवं कीटनाशक दवाइयों के प्रचलन की रोकथाम की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

85. किसानों को उन्नत कृषि विधियों से अवगत कराने की महती आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़):

86. रामगढ़ (अलवर) विधान सभा क्षेत्र में नकली जैविक खाद एवं बीज की बिक्री से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

87. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) के अन्तर्गत कृषि उपज मण्डी अलवर एवं खेड़ली द्वारा अव्यवस्थित ढंग से सड़कों के निर्माण कराये जाने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

88. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) में गोविन्दगढ़ एवं नौगांवा में क्रमशः कृषि उपज मंडी एवं यार्ड बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री खेमराज कटारा (उदयपुर ग्रामीण):

89. जिला उदयपुर के आदिवासी गरीब किसानों को खाद, बीज एवं उपकरण निःशुल्क उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

90. उदयपुर जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि हेतु पानी का ड्रिलिंग करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री खेमराज कटारा)

91. किसानों को कृषि के संबंध में पूर्ण जानकारी दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

92. विभागीय अधिकारियों द्वारा किसानों के हितों की अनदेखी करने से किसानों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

93. विभाग में व्याप्त अनियमितता एवं भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर):

94. विभाग द्वारा किसानों को फसल में होने वाले रोगों के लिये कीटनाशक पर्याप्त व असरदायक उपलब्ध नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

95. किसानों को समय पर खाद, बीज उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

96. भरतपुर में कृषि महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रमेश चन्द्र पंड्या (बांसवाड़ा):

97. किसानों को समय पर खाद, बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने एवं बांसवाड़ा में कृषि महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कन्हैया लाल (बस्सी):

98. कृषि उपज मंडी यार्ड बस्सी से नई का नाथ महादेव वाया चारणवास अपूर्ण रोड को पूर्ण नहीं किये जाने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

99. कृषि कार्य करते हुए सांप, गोहरा, विद्युत करंट आदि से हुई मृत्यु उपरान्त पोस्टमार्टम नहीं होने के कारण पंचनामे को ही स्वीकार कर मृतक आश्रित किसान परिवार को मुआवजा दिलवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

100. विभाग द्वारा एन.टी.पी.सी. बस्सी से गढ़ करणगढ़ रोड वाया ढींढोल, रामसिंहपुरा तक सड़क निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

101. विधान सभा क्षेत्र बस्सी में वर्ष 1995 से अब तक किसानों को स्वीकृत फव्वारा सैटों पर दी गयी सब्सिडी के संबंध में चर्चा के लिये।

102. चाकसू, कोटखावदा रोड से देहलाला वाया श्यामपुरा, बासड़ा स्वीकृत सड़क को कृषकों के हित में शीघ्र प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या-39 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-39 मुख्य शीर्षक पशुपालन एवं चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये-

श्री अमीन खान (शिव):

1. गाय की नस्ल थारपारकर नष्ट होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

2. गायों की नस्ल सुधारने हेतु बेकार सांडों

(श्री अमीन खान)

के बधियाकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

3. रेगिस्तानी जिलों में पशु चिकित्सों के रिक्त पद भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

4. भेड़-बकरियों की बीमारियों की दवाइयां नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू (पीलीबंगा):

5. विभाग में व्याप्त अव्यवस्था को सुधारने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल सिंगारिया (केकड़ी):

6. पशुपालन, डेयरी को बढ़ावा देने एवं चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर):

7. जिला पशु चिकित्सालय श्रीगंगानगर में आधुनिक उपकरण उपलब्ध करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

8. श्रीगंगानगर जिला पशु चिकित्सालय की व्यवस्था सुधारे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा):

9. जिला टोंक में गत वर्ष खोले गए पशु चिकित्सालयों में स्टाफ नियुक्त करने के संबंध में चर्चा के लिये।

10. उनियारा निर्वाचन क्षेत्र में घाट, कुन्डेर बालून्दा में पशु चिकित्सालयों के खोले जाने के बाद भी कोई स्टाफ नहीं लगाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री आदराम मेघवाल (टीबी):

11. विधान सभा क्षेत्र टीबी के ग्राम मोधूनगर, चाईया, भोमपुरा में नये खुले पशु चिकित्सालयों में डाक्टरों की नियुक्तियों के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़):

12. प्रदेश में अकाल पीड़ित क्षेत्रों में पशुओं हेतु धान बांटा के लिए अनुदान न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

13. प्रदेश में अकाल के समय में पशुओं के लिये चारा, पानी व दवाइयों का माकूल इंतजाम न किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री कुबेर सिंह (फलासिया):

14. निर्वाचन क्षेत्र फलासिया (उदयपुर) के चिकित्सालयों में पर्याप्त मात्रा में दवाइयां एवं उपकरण उपलब्ध नहीं होने से जनता में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

15. निर्वाचन क्षेत्र फलासिया (उदयपुर) में चिकित्सकों एवं अन्य कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

16. निर्वाचन क्षेत्र फलासिया (उदयपुर) के पशु चिकित्सालयों के भवन निर्माण एवं

(श्री कुबेर सिंह)

मरम्मत करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

17. निर्वाचन क्षेत्र फलासिया जिला उदयपुर के पशु चिकित्सालयों में पर्याप्त बजट उपलब्ध नहीं करवाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर):

18. राज्य में कांकरेज, थारपारकर एवं राठी ब्रीड को उन्नत बनाने के लिये सांचौर, चौहटन एवं बीकानेर में ब्रीड सेंटर स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

19. राज्य के बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर एवं जालौर जिलों में पशु चिकित्सालयों में डाक्टरों एवं कम्पाउण्डरों की कमी एवं दवाइयों की कमी के कारण पशुओं का उचित इलाज न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):

20. सिरोही जिले के पशु चिकित्सालयों में रिक्त पद पर पशु प्रसूति रोग विशेषज्ञ को लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नारायण सिंह (दांतारामगढ़):

21. पशु चिकित्सालय तथा उप केन्द्रों में रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

22. ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक पशु चिकित्सालय तथा उप केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़):

23. ग्राम पंचायत पण्डावा तहसील प्रतापगढ़ एवं ग्राम पंचायत जानली तहसील अरनोद में पशु चिकित्सालय खोलने की आवश्कता पर चर्चा के लिये।

24. विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ के पशु चिकित्सालयों व उप केन्द्रों में चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने एवं पशु चिकित्सालय प्रतापगढ़ के ध्वस्त भवन का पुनर्निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

25. विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ के पशु चिकित्सालयों में कृत्रिम गर्भाधान एवं नस्ल सुधार कार्यक्रम चालू कराने एवं ग्राम मोखमपुरा एवं नगर प्रतापगढ़ में लगने वाले पशु हाटों में आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर):

26. जैसलमेर जिले में नये पशु चिकित्सालय खोले जाने की आवश्यंकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोपाराम मेघवाल (सिवाना):

27. निर्वाचन क्षेत्र सिवाना के ग्राम रातड़ी, कुण्डल में पशु चिकित्सालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर):

28. निर्वाचन क्षेत्र चूरू में हमीरवास में पशु

(श्री नन्दलाल पूनिया)

चिकित्सालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

29. जिला चूरू के सरदारपुरा (राजगढ़) में पशु चिकित्सा सब सेंटर खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रमजान खान (पुष्कर):

30. ग्राम गगवान (अजमेर) में पशु चिकित्सालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू):

31. प्रदेश में फैले पशुओं के खुर पका रोग की रोकथाम हेतु कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

32. चूरू तहसील में विभिन्न विभागीय पशु उपचार कैम्पों में चिकित्सक व अन्य स्टाफ नहीं पहुंचने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

33. जिला पशुपालन अधिकारी चूरू के कार्यालय का लम्बे समय से आडिट नहीं होने व दवाइयों की खरीद-फरोख्त में हुई अनियमितता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

34. चूरू तहसील के पशु चिकित्सालय भामासी, खींवासर, लोहसना बड़ा, इन्द्रपुरा व पशु उप केन्द्र राणासर, कोटवादताल के बंद पड़े रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री केसाराम चौधरी (खारची):

35. खारची विधान सभा क्षेत्र में पशु चिकित्सालयों में रिक्त पड़े डाक्टर एवं कम्पाउडरों के पदों को शीघ्र भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

36. मारवाड़ जंक्शन में तहसील स्तर के पशु चिकित्सालयों में अव्यवस्था पर चर्चा के लिये।

37. खारची विधान सभा क्षेत्र पिलावती में बने पशु चिकित्सालय में डाक्टर लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

38. खारची विधान सभा क्षेत्र आऊवा में पशु चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी):

39. राज्य के पशु चिकित्सालयों में डाक्टर एवं अन्य स्टाफ के लम्बे समय से रिक्त पड़े पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

40. सीमन को सुरक्षित रखने हेतु तरल नाइट्रोजन गैस के अभाव में राज्य के पशु चिकित्सालयों में कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा लगभग बन्द होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (धोद):

41. राज्य में पशु चिकित्सालयों में दवाओं की कमी से खुर पका मुंह पका एवं अन्य बीमारियों का इलाज नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(श्री अमराराम)

42. राज्य में पशु चिकित्सालयों में लम्बे समय से रिक्त पदों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

43. धोद ग्राम (सीकर) में उपकेन्द्र पशु चिकित्सालय में रिक्त पदों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल डांगा (मेड़ता):

44. पशुपालन विभाग द्वारा संचालित मेलों की स्थिति एवं बछड़ों की बिक्री पर लगी रोक हटाने के संबंध में चर्चा के लिये।

45. विश्व व्यापार एवं उदारीकरण नीति के परिप्रेक्ष्य में डेयरी विकास के संबंध में चर्चा के लिये।

46. भेड़पालन, भेड़ों के निष्क्रमण पर उचित व्यवस्था तथा ऊन के विपणंन के संबंध में चर्चा के लिये।

47. पशुपालन, नस्ल सुधार, पशु चिकित्सा की उचित व्यवस्था के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री जनार्दन गहलोत (करौली):

48. विधान सभा क्षेत्र करौली के ग्रामों में पशु चिकित्सालयों की स्थापना के संबंध में चर्चा के लिये।

49. विधान सभा क्षेत्र करौली में पशुपालन केन्द्र एवं डेयरी खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

50. राज्य में पशु चिकित्सकों के रिक्त पड़े पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

51. विधान सभा क्षेत्र करौली के ग्रामों में पशु चिकित्सकों के रिक्त पदों पर भर्ती के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा):

52. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में उप पशु चिकित्सालयों के खाली पदों को भरने एवं मुख्यालयों पर उपस्थिति सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा):

53. गत वर्षों में खोले गये पशु चिकित्सालय एवं सब सेन्टर पर चिकित्सक व पशुधन सहायक की नियुक्ति किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री संजीव कुमार (भादरा):

54. राजकीय पशु चिकित्सालय भादरा को किराये के भवन से भेड़ व ऊन विभाग भादरा के भवन में स्थानान्तरित करने एवं भादरा क्षेत्र में नये पशु चिकित्सालय एवं उपकेन्द्र खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

55. भादरा विधान सभा क्षेत्र में स्थित विभिन्न पशु चिकित्सालयों एवं उपकेन्द्रों के लिये भवन निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

56. भादरा विधान सभा क्षेत्र के पशु चिकित्सा उपकेन्द्र गान्धीबड़ी को पशु चिकित्सालय

(श्री संजीव कुमार)

में क्रमोन्नत किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री भरोसी लाल (हिण्डौन):

57. हिण्डौन विधान सभा क्षेत्र के पशु चिकित्सालयों में पर्याप्त दवाइयां उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

58. हिण्डौन विधान सभा क्षेत्र में नवीन पशु चिकित्सालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हनुमान प्रसाद (सूरजगढ़):

59. पशु चिकित्सा केन्द्रों के विस्तार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं):

60. पशु चिकित्सा के क्षेत्र में निजी निवेश को सम्मिलित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

61. विदेशों से आने वाले दूध को रोकने के लिये सरकार द्वारा पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

62. ग्रामीण क्षेत्रों के पशु चिकित्सालयों में पदस्थापित कर्मचारियों की उपस्थिति पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

63. तीन वर्ष के कम आयु के बछड़ों को बाहर भेजने पर लगाई गयी रोक नहीं हटाने से पशुपालकों के समक्ष उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

64. पशुओं में अचानक फैली बीमारी पर समय पर नियंत्रण नहीं कर पाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर):

65. श्रीगंगानगर विधान सभा क्षेत्र में पशु चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

66. श्रीगंगानगर जिले में पशु चिकित्सकों व सहायकों के रिक्त पद भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री गणेशीराम मेघवाल (जालौर):

67. राज्य में जहां गौशालाएं स्थित हैं वहां पशु चिकित्सालय होने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

68. राज्य में अकाल की चपेट में आये पशुओं को मालिकों द्वारा छोड़ने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री शिवराम सिंह कुशवाह (धौलपुर):

69. पशु चिकित्सालय गांधीनगर, जयपुर में अकुशल पशुधन सहायक को लगाने से पशुपालकों को हो रही भारी असुविधा से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

70. पशु चिकित्सालय, गांधीनगर, जयपुर में कार्य की अधिकता के मद्देनजर एक और पशुधन सहायक लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं):

71. राज्य में उन्नत नस्ल के पशुओं के निरन्तर गिरते स्तर पर चर्चा के लिये।

72. सरकार द्वारा पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विभाग की उपेक्षा पर चर्चा के लिये।

श्री आर.पी.शर्मा (भरतपुर):

73. भरतपुर शहर से सरस दूध, घी वितरण हेतु बूथ खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

74. भरतपुर में डेयरी प्लांट स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम जैन (बेगूं):

75. विधान सभा क्षेत्र बेगूं के मंडेसरा ग्राम में स्वीकृत पशु चिकित्सालय को प्रारम्भ कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर):

76. डूंगरपुर जिले के पशु चिकित्सालयों में आवश्यक दवाइयों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

77. डूंगरपुर जिले के पशु चिकित्सालयों में चिकित्सकों के रिक्त पद भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

78. डूंगरपुर जिले में पशु चिकित्सालयों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर):

79. राज्य के प्रत्येक जिले में पशु चिकित्सा हेतु चल चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध करवायी जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

80. राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार खेड़िया (सोजत) तथा पचानपुरा (रायपुर) जिला पाली में खोले गये पशु चिकित्सालय में डाक्टर, कम्पाउंडर व अन्य कर्मचारियों की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

81. राज्य के प्रत्येक पंचायत समिति मुख्यालय के पशु चिकित्सक के पंचायत समिति की बैठकों में भाग लेने का अनिवार्य प्रावधान किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

82. भेड़ों में फैलने वाली बीमारी को रोकने के लिये जिला स्तर एवं तहसील स्तर के पशु चिकित्सालयों में मुफ्त दवाइयां वितरण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

83. गायों की रक्षा एवं संवर्धन के लिये इस अकाल वर्ष में पशु शिविरों की ज्यादा से ज्यादा व्यवस्था की जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हेमन्त कुमार (दीगोद):

84. राज्य के पशु चिकित्सालयों में पशु चिकित्सकों व कर्मचारियों के रिक्त पदों को भर्ती प्रक्रिया के तहत शीघ्र भर्ती कर भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

85. आयातीत दूध की बिक्री के कारण पशुपालकों के हितों की रक्षा करने व केन्द्र

(श्री हेमन्त कुमार)

सरकार को अवगत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़):

86. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) के सभी पशु चिकित्सालयों में घोर अव्यवस्था से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

87. विधान सभा क्षेत्र के सभी पशु चिकित्सालयों में दवाइयां उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

88. नौगांवा पशु चिकित्सालय में डाक्टर के समय पर नहीं आने एवं जनता से दुर्व्यवहार करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

89. ग्राम पंचायत पाटा में पशु चिकित्सा केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री खेमराज कटारा (उदयपुर ग्रामीण):

90. पशु चिकित्सालय के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा जिला उदयपुर के आदिवासियों के साथ उचित व्यवहार नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

91. जिला उदयपुर के पशु चिकित्सालयों की इमारतें जीर्ण-शीर्ण होने एवं किराये के भवन में पशु चिकित्सालय चलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

92. उदयपुर जिले के पशु चिकित्सालय में दवाइयों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

93. जिला उदयपुर के पशु चिकित्सालयों में रिक्त पड़े समस्त स्तर के पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सुचित्रा आर्य (नोहर):

94. राज्य के पशुओं में गंभीर बीमारियां होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर):

95. राज्य के पशु चिकित्सालयों में चिकित्साकर्मियों के लम्बे अरसे से रिक्त पड़े पदों को नहीं भरने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

96. भरतपुर के कस्बा नगर में पशु प्रजनन केन्द्र तथा भरतपुर में वेटेनरी कालेज खोलने की महती आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रमेश चन्द्र पंड्या (बांसवाड़ा):

97. ग्रामीण क्षेत्रों में पशु चिकित्सा हेतु शिविरों के आयोजन एवं प्रारम्भिक चिकित्सा उपकरणों की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कन्हैया लाल (बस्सी):

98. राज्य में पशु चिकित्सालय एवं सब सेन्टर खोलने के मापदण्ड निर्धारित करने की आवश्कता पर चर्चा के लिये।

99. विधान सभा क्षेत्र बस्सी में रात्रि के समय ट्रकों में भरकर हजारों की संख्या में छोड़ी गयी गायों के चारे-पानी की व्यवस्था पर चर्चा के लिये।

100. दूध उत्पादकों की पशु डेयरियों को जयपुर

(श्री कन्हैया लाल)

से बाहर करने से उपभोक्ताओं को सिंथेटिक, मिलावटी व क्रीम निकला दूध मिलने की बढ़ती संभावनाओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

101. जयपुर जिले के ग्राम भावगढ़ बन्ध (लूनियावास) में एशिया प्रसिद्ध गधा मेले की दुर्दशा से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

102. शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को मुर्गी पालन, सूअर पालन, खरगोश पालन, गाय-भैस पालन हेतु ऋण एवं अनुदान दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या 37 एवं 39 पर विचार

श्री उपाध्यक्ष : श्री मांगीलाल डांगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

श्री मांगीलाल डांगा (मेड़ता) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में कृषि और पशुपालन की मांगों पर विचार-विमर्श हो रहा है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आई विल नाट अलाउ, इस पर बहस नहीं होगी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ×××

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

श्री मांगीलाल डांगा : उपाध्यक्ष महोदय, पशुपालन व कृषि की अनुदान मांगों पर सदन में विचार किया जा रहा है उसमें मैं अपने आपको सम्मिलित करते हुए... (व्यवधान) राजस्थान ने कृषि उत्पादन में...

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री मांगीलाल डांगा : एक अग्रणी स्थान प्राप्त किया है।

श्री मानिक चन्द सुराना : ×××

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री मांगीलाल डांगा : खाद्यान्न उत्पादन, तिलहन उत्पादन और दलहन उत्पादन में हमारा किसान जो कि दूरदराज के गांवों में रहता है, साधनों का अभाव होते हुए भी आज हमारे किसान ने देश में उत्पादन बढ़ाया। खाद्यान्न आयात करना पड़ता था। लाल ज्वार...

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

श्री मांगीलाल डांगा : जो आप उसको मायलो कहा करते थे उसका आयात करना पड़ता था आज हमारे भण्डारों में पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न है और उनके लिए गोदामों की कमी है।

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री मांगीलाल डांगा)

पूरी तरह से हमारे किसान ने... (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

श्री मानिक चन्द सुराना : ×××

श्री मांगीलाल डांगा : ...चर्चा हो रही है और मैं...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : ×××

श्री मांगीलाल डांगा : ...आज आवश्यकता है कि जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही है...(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ×××

श्री सांवर लाल : ×××

श्री मांगीलाल डांगा : ...और उस बंटवारे के कारण से जो किसी परिवार के पास आज से 30 साल पहले 100 बीघा कृषि भूमि थी...(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ×××

श्री मांगीलाल डांगा : ...आज वह बंटवारा होते होते प्रत्येक परिवार के सदस्य के पास में 20-25 बीघा रह गयी है। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ×××

श्री उपाध्यक्ष : क्या कहना है? कह दिया। (व्यवधान) आर्डर आर्डर। आप बिराजें प्लीज। आप बिराजें एक मिनट। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ×××

श्री मानिक चन्द सुराना : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक मिनट बिराजें। आपने जो पर्ची के माध्यम से प्रश्न उठाया, आपका कोई नोटिस तो है नहीं कि सरकार जवाब दे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। (व्यवधान) क्या चाहते हैं आप? आप सुनना नहीं चाहते मुझे। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री मानिक चन्द सुराना : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप सुनना ही नहीं चाहते हो क्या मुझे? (व्यवधान) वही बात है। या तो आप बोल लो फिर।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री उपाध्यक्ष : क्या? (व्यवधान) ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नहीं लगा है। पर्ची के माध्यम से बोले हैं। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री उपाध्यक्ष : नहीं लगा तो क्यों बोल रहे हो इस पर? आप बिराजें प्लीज। (व्यवधान) आपने इसको पर्ची के माध्यम से उठाया है। (व्यवधान) उठा लिया न। क्या है? What is the problem? (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आपने इसको उठाया है और

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

माननीय मंत्री को आपने कोई नोटिस नहीं दिया है कि इस पर मैं बोलूंगा उसका जवाब आना चाहिए। दूसरी बात, माननीय उद्योग मंत्रीजी से यह पूछा कि आप यदि इस पर बोलना चाहें तो बोलें। उन्होंने कहा कि मामला आर.टी.डी.सी. का है इसलिए नहीं बोलना चाहते। I cannot force him.

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ×××

श्री सांवर लाल : ×××

श्री मानिक चन्द सुराना : ×××

श्री सांवर लाल : ×××

श्री मानिक चन्द सुराना : ×××

श्री उपाध्यक्ष : डिटेल में आपने बोल दिया। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : ×××

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ×××

श्री उपाध्यक्ष : काल अटेंशन के माध्यम से नहीं उठाया गया है। काल अटेंशन के माध्यम से उठाया जाता तो मैं अलाउ कर देता। (व्यवधान) बिराजें आप। वह आयेगा जब आ जाएगा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ×××

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री सांवर लाल : ×××

श्री मानिक चन्द सुराना : ×××

श्री उपाध्यक्ष : श्री मांगीलालजी। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें। मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि आप बिराजें। मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। और क्या चाहते हो आप? (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विषय को जिस ढंग से माननीय सदस्य ने महत्वपूर्ण विषय रखा, मैं सोचता हूं कि हममें से सदन में बैठा हुआ कोई भी सदस्य इस बात को सुनने के बाद उसके मन में इतना तो जरूर लगेगा कि यह जो डबल पेमेंट है यह तो कम से कम रोक दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : सरकार ने नोट कर ली यह बात।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अगर यह सरकार यह भी करने को तैयार नहीं, मंत्री यहां बैठे हैं वे अपना कोई रिएक्शन देने को तैयार नहीं, मतलब इस प्रकार की सच्चाई को सदन में उजागर करने के बाद भी सारे राजस्थान की जनता को क्या मैसेज जाएगा कि इस प्रकार का विषय होने के बाद भी सरकार मौन बैठी रहे, अपना कोई जवाब नहीं दे। केवल इतना है कि आप पेमेंट को रोक दें। पेमेंट नहीं होगा इतनी बात भी कह दें।

श्री उपाध्यक्ष : कौन काम्पीटेंट है?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : तो बाकी बात तो आगे की रहेगी। अगर इतना भी नहीं करना

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

चाहते आप, वापस उनसे वसूल नहीं करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से मैं अपने दल के सहित इस बात के विरोध में सदन से बहिर्गमन करता हूं।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री जीतमल खांट (बागीदोरा) : हम भी इस बात को लेकर वाक-आउट करते हैं।

(जनता दल के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री उपाध्यक्ष : यह आपका अधिकार है। श्री मांगीलालजी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चाहे पर्ची के जरिये ही हो...

श्री उपाध्यक्ष : हो गया न। यह बात तो खतम हो गयी। वह कह रहे हैं वह ही आप कह रहे हैं। बोलो न।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : बोलने तो देंगे न आप? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रही हूं कि इस प्रकार से चाहे पर्ची के माध्यम से ही मामला उठाया गया हो लेकिन एक गंभीर मामला सदन में उठा। दुबारा पेमेंट का, डबल पेमेंट का मामला इस प्रकार से सदन के सामने भी आया, आपने भी सुना और उसमें किसी तरह की प्रतिक्रिया सरकार की व्यक्त भी नहीं हो और उस बारे में आसन भी मौन बैठा रहे, हम लोगों को बोलने का अवसर भी न दें।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, आपको बोलने का मौका किसने नहीं दिया? किस नियम से बोलें वह कह दो आप।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उससे पहले तो आप हमें कुछ कहने ही नहीं दे रहे थे।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोल रही हैं और कह रही हैं कि मौका नहीं दिया।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अब बोल रही हूं। अब तो चूंकि मुझे बाहर जाना है इसलिए मुझे आपने मौका दिया वरना पहले तो आप बोलने ही नहीं दे रहे थे। तो मैं सदन के मार्फत आपसे यह निवेदन करती हूं कि ऐसे गंभीर मामले में यदि सरकार कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, कुछ भी कहने को तैयार नहीं है, अपनी गलती सुधारने के लिए तैयार नहीं है... (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : गंभीर गलती तो है ही नहीं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपकी नजर में नहीं है। आपकी नजरों में तो इसलिए नहीं है कि जब आपने भ्रष्टाचार कर लिया, डबल पेमेंट उठा लिया तो आपकी नजरों में तो कैसे गड़बड़ होगा। चूंकि यह पारदर्शी सरकार है, संवेदनशील भी है तो मैं यह निवेदन करते हुए कि हम भी इस मुद्दे पर सदन से बहिर्गमन कर रहे हैं।

(लोकतांत्रिक कांग्रेस समूह के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री उपाध्यक्ष : श्री मांगीलालजी।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी आपसे यह निवेदन करना

(मोहम्मद माहिर आजाद)

चाहता हूं कि इस आई.आर.सी. के सम्मेलन... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप भी वाक आउट करना चाहते हो?

मोहम्मद माहिर आजाद : उद्योग मंत्रीजी थे और उद्योग विभाग जो आई.आर.सी. को भुगतान करना था। आखिर यह ट्यूरिज्म डिपार्टमेंट को कनेक्ट किसने कर दिया और ट्यूरिज्म डिपार्टमेंट की तो खुद की अपनी होटल है जिसमें कैटरिंग भी है। फिर स्वीट कैटरर्स को दिया जिससे भ्रष्टाचार की बू आती है और सरकार इस पर कुछ भी स्पष्ट करने को तैयार नहीं है। यह जो दुबारा किया इसके विरोध में मैं भी सदन से बहिर्गमन करता हूं।

(बहुजन समाज पार्टी के माननीय सदस्य द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री मांगीलाल डांगा (मेड़ता) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि हमारे राजस्थान के किसानों ने अपने खून-पसीने से मेहनत करके राजस्थान में जो कृषि उत्पादन बढ़ाया, राजस्थान आज तिलहन के उत्पादन में एक अग्रणी राज्य बना। उसके लिये हमारे राजस्थान के किसान और हमारा कृषि विभाग धन्यवाद का पात्र है। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आज जिस तरह से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, किसान जो पुराने परिवार के पास एक परिवार में 100 बीघा, 25 बीघा भूमि थी, इस जनसंख्या की वृद्धि के कारण दिनोंदिन बंटवारा होकर वह भूमि छोटे-छोटे भू-भाग मे बंट रही है। आज इस स्थिति में कि राजस्थान की कृषि भूमि को तो हम नहीं बढ़ा सकते पर आवश्यक है कि हम आज की जो खेती है उस खेती को वैज्ञानिक एवं व्यावसायिक खेती बनाएं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आज चार बजे मुखबंद है इसलिए माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि समय का थोड़ा ध्यान रखकर अपनी बात कहें ताकि जितने माननीय सदस्य बोलने वाले हैं उनको मौका मिल जाए।

श्री शिवनाथ सिंह : मुखबंद चार बजे हो जाएगा क्या? एक्सटेंड तो नहीं होगा?

श्री उपाध्यक्ष : कोशिश यही करेंगे। आप पर डिपेंड करता है।

श्री शिवनाथ सिंह : आप पर निर्भर करता है। कायदा यह है कि एक बार मुखबंद का प्रस्ताव हो गया, उसमें कार्यसूची में आ गया...

श्री उपाध्यक्ष : मैंने यह कहा कि कोशिश यह कर रहे हैं कि चार बजे मुखबंद करें इसलिए आपसे निवेदन है कि आप थोड़ा समय का ध्यान रखकर, माननीय सदस्य, बोलें। 10-12 माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं तो यदि आप समय सीमा रखेंगे तो उस वक्त हो जाएगा, नहीं तो फिर देखेंगे।

श्री मांगीलाल डांगा : उपाध्यक्ष महोदय, अब इतनी देर तो व्यवधान ही था। समय की शुरूआत तो अभी हुई है। मैं कोशिश करूंगा कि संक्षेप में अपनी बात आपके समक्ष रखूं।

(13.29 बजे)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति, पदासीन)

(श्री मांगीलाल डांगा)

मेलों को लिंकबद्ध किया हुआ था हर त्यौहार से। किसान सोचता था कि मेड़ता के मेले में पशु बेचेंगे, बैल-बछड़े बेचेंगे, उसकी आमदनी आ जायेगी, बच्चियों के हाथ पीले करूंगा, बसंत पंचमी के मौके पर जो भी हमारे पारिवारिक खर्च हैं, ब्याह-शादी हैं, यह निपटायेंगे। आज भी यह स्थिति बनी हुई है कि आज हमारे गौवंश को किसान मजबूर हो रहे हैं छोड़ने के लिए, किसान का एकमात्र जो उत्पादन था, वह आज बंद हो गया है। मैं माननीय पशुपालन मंत्रीजी से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि तुरन्त आप इस अधिनियम में संशोधन करें और जो किसान की आजीविका के ऊपर पाबंदी लगाई हुई है, इससे आप मुक्त करें।

इसके साथ-साथ, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से पशुपालन मंत्रीजी को बधाई देना चाहूंगा, इन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी। दूध उत्पादन सहकारी संस्था और दूध उत्पादन सहकारी संघ, मैं तो यह समझता हूं कि ये एन.डी.डी.बी. के बंधक थी, आपने उसको सही रूप देकर जो आजादी दिलाई है उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा, जो हमारे यहां पर नस्ल सुधार कार्य है, दुग्ध उत्पादन है उसकी ओर भी विशेष ध्यान दें और उसका इस तरह से श्रेणीकरण, उत्पादन और पैकिंग की व्यवस्था करें कि आज जो चर्चा हो रही है कि जो बाहर से दूध आयेगा, वह हमारे अनुपात में सस्ता होगा, हमें इस ओर ध्यान से गौर करना पड़ेगा कि हमारे यहां का उत्पादन बाहर से आने वाले उत्पादन की प्रतिस्पर्द्धा से सस्ता रहे और यदि इसके लिए राजस्थान सरकार को अनुदान भी देना पड़े तो व्यवस्था करनी चाहिए, भारत सरकार से भी इसके लिए निवेदन करना चाहिए ताकि हमारे किसान की आजीविका का मुख्य साधन है उससे किसान आत्मनिर्भर रह सके। इसी के साथ आपने समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यावद, जय हिन्द।

श्री सभापति : आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय श्री हनुमान प्रसाद बैरवा।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) : माननीय सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। पहले पूरा सुन लें, उसके बाद निर्णय करें। यह मेकडोनाल्ड रेस्टोरेंट में फ्राई में गाय और सूअर का मीट होने की पूरे देश में चर्चा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं कि इसकी जब तक जांच नहीं करवाई जाये, किसी निजी एजेंसी से या और किसी एजेंसी से, तब तक इस रेस्टोरेंट को कम से कम पूरे देश में नहीं, राजस्थान में तो बंद कर दें। यह धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है। कहीं उत्पात हो जायेंगे, कहीं झगड़े हो जायेंगे, कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की बात है। मैं चाहूंगा कि सरकार से, सीनियर मंत्री बैठे हैं, इस मामले में कोई न कोई जवाब आप दिलवायें।

श्री सभापति : बिराजिये, बिराजिये। यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, माननीय सदस्य।

श्री मदन दिलावर : माननीय सभापति महोदय, यह गम्भीर मामला है और राजस्थान के किसी होटल में गौ-मांस और सूअर का मांस परोसा जा रहा है, यह चल नहीं सकता और सरकार को सोचना पड़ेगा कि पाबंदी लगानी पड़े...

(श्री मांगीलाल डांगा)

करनी चाहिए कि कृषि विभाग के द्वारा कृषि विपणन के लिए कृषि विपणन समितियां बनाई गयीं, कृषि विपणन बोर्ड का भी गठन किया गया और उसको एक अलग विभाग का दर्जा देकर अलग विभाग भी दे दिया गया।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जब इस विपणन बोर्ड का और विपणन समितियों का हमने गठन किया था और उसके पीछे यह उद्देश्य था कि किसान को उसके उत्पादन का सही मूल्य दिलाने का कार्य करें। आज हमारा विपणन बोर्ड सिर्फ जो पी.डब्ल्यू.डी. का कार्य कर रहा है सड़क बनाने का, उस कार्य तक सीमित रह गया है। इसलिए इसमें प्रावधान करना पड़ेगा कि बोर्ड का दायित्व होना चाहिए कि वह पता लगाये कि हमारे यहां पर उत्पादन किस-किस जिंसों का निर्यात कर सकते हैं और आयात से आने वाली जिंस हैं, उनके ऊपर उत्पादन में प्रतिस्पर्द्धा के लिए हमारे किसान को उनका न्यूनतम मूल्य पर उनका उत्पादन है, उसके लिए हम कैसे तैयार कर सकते हैं। इस ओर कदम उठाना पड़ेगा। सिर्फ यह सड़कों का निर्माण करना, यह बोर्ड का दायित्व नहीं है। बोर्ड का दायित्व है कि वह अलग-अलग खाद्यान्न, तिलहन, जो हमारे फूड एण्ड वेजीटेबल्स के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाये, उनके विदेशों में निर्यात के लिए द्वार खोलें और हमारे किसान को उसके लिए प्रशिक्षित करें। आज आवश्यकता है कि हमारा राजस्थान प्रदेश, एक सूखा प्रदेश है और इसलिए हां, हमने इन सालों में काफी अच्छा काम किया है। ड्रिप इर्रिगेशन में भी लिया, फव्वारा में भी लिया। आज हमें इस ओर ध्यान देना पड़ेगा कि हम कम से कम जल से ज्यादा सिंचाई कर सकते हैं और किस तरह से जल संधारण करके हमारी कृषि में उसका उपयोग कर सकते हैं। इसलिए नितांत आवश्यकता है कि हम इस ओर एक विशेष प्रकोष्ठ बनायें और तये करें कि आने वाले समय में वैज्ञानिक खेती द्वारा जल संसाधन के लिए विशेष काम किया जाये।

समय को देखते हुए मैं पशुपालन पर भी निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से पशुपालन मंत्रीजी से कि आज हमारा किसान कृषि के साथ-साथ पशुपालन पर भी निर्भर है। आजीविका का उसका 25 प्रतिशत हिस्सा पशुधन पर चाहे वह भेड़ पालने का हो, चाहे वह गौवंश पालने का हो, चाहे वह बैल-बछड़ों की बिक्री का हो, माननीय सभापति महोदय, भाजपा शासनकाल में एक अधिनियम बनाकर हमारे बछड़ों की बिक्री पर रोक लगाई गयी। मैं विशेष रूप से निवेदन करना चाहूंगा, मैं जहां से आता हूं नागौर जिला जहां का बैल, हमारा बैल पूरे देश में प्रसिद्ध है। हमारे यहां का बैल उत्तर प्रदेश में जाता है, हमारे यहां का बैल बिहार में बिकने के लिए ले जाते हैं। दो साल के और तीन साल के बछड़ों को खरीदकर वहां के किसान ले जाते हैं पर इस अधिनियम के माध्यम से रोक लगाई गयी है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पशुपालन विभाग में हमारे बड़े-बड़े मेले भराये जाते थे। आज उन दो साल के मेलों की तरफ विश्लेषण कीजिये कि आज से चार साल और पांच साल में उत्पादन था, वह आज मेलों की क्या स्थिति रह गयी है जिससे कि मेलों की आमदनी घटी है उसी तरह से हमारे किसान की आमदनी भी कम हो गयी है। किसान सोचता था कि मेड़ता का मेला आयेगा, परबतसर का मेला आयेगा, उन

(श्री मांगीलाल डांगा)

मेलों को लिंकबद्ध किया हुआ था हर त्यौहार से। किसान सोचता था कि मेड़ता के मेले में पशु बेचेंगे, बैल-बछड़े बेचेंगे, उसकी आमदनी आ जायेगी, बच्चियों के हाथ पीले करूंगा, बसंत पंचमी के मौके पर जो भी हमारे पारिवारिक खर्च हैं, ब्याह-शादी हैं, यह निपटायेंगे। आज भी यह स्थिति बनी हुई है कि आज हमारे गौवंश को किसान मजबूर हो रहे हैं छोड़ने के लिए, किसान का एकमात्र जो उत्पादन था, वह आज बंद हो गया है। मैं माननीय पशुपालन मंत्रीजी से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि तुरन्त आप इस अधिनियम में संशोधन करें और जो किसान की आजीविका के ऊपर पाबंदी लगाई हुई है, इससे आप मुक्त करें।

इसके साथ-साथ, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से पशुपालन मंत्रीजी को बधाई देना चाहूंगा, इन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी। दूध उत्पादन सहकारी संस्था और दूध उत्पादन सहकारी संघ, मैं तो यह समझता हूं कि ये एन.डी.डी.बी. के बंधक थी, आपने उसको सही रूप देकर जो आजादी दिलाई है उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा, जो हमारे यहां पर नस्ल सुधार कार्य है, दुग्ध उत्पादन है उसकी ओर भी विशेष ध्यान दें और उसका इस तरह से श्रेणीकरण, उत्पादन और पैकिंग की व्यवस्था करें कि आज जो चर्चा हो रही है कि जो बाहर से दूध आयेगा, वह हमारे अनुपात में सस्ता होगा, हमें इस ओर ध्यान से गौर करना पड़ेगा कि हमारे यहां का उत्पादन बाहर से आने वाले उत्पादन की प्रतिस्पर्द्धा से सस्ता रहे और यदि इसके लिए राजस्थान सरकार को अनुदान भी देना पड़े तो व्यवस्था करनी चाहिए, भारत सरकार से भी इसके लिए निवेदन करना चाहिए ताकि हमारे किसान की आजीविका का मुख्य साधन है उससे किसान आत्मनिर्भर रह सके। इसी के साथ आपने समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यावद, जय हिन्द।

श्री सभापति : आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय श्री हनुमान प्रसाद बैरवा।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) : माननीय सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। पहले पूरा सुन लें, उसके बाद निर्णय करें। यह मेकडोनाल्ड रेस्टोरेंट में फ्राई में गाय और सूअर का मीट होने की पूरे देश में चर्चा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं कि इसकी जब तक जांच नहीं करवाई जाये, किसी निजी एजेंसी से या और किसी एजेंसी से, तब तक इस रेस्टोरेंट को कम से कम पूरे देश में नहीं, राजस्थान में तो बंद कर दें। यह धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है। कहीं उत्पात हो जायेंगे, कहीं झगड़े हो जायेंगे, कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की बात है। मैं चाहूंगा कि सरकार से, सीनियर मंत्री बैठे हैं, इस मामले में कोई न कोई जवाब आप दिलवायें।

श्री सभापति : बिराजिये, बिराजिये। यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, माननीय सदस्य।

श्री मदन दिलावर : माननीय सभापति महोदय, यह गम्भीर मामला है और राजस्थान के किसी होटल में गौ-मांस और सूअर का मांस परोसा जा रहा है, यह चल नहीं सकता और सरकार को सोचना पड़ेगा कि पाबंदी लगानी पड़े...

श्री सभापति : बिराजिये, बिराजिये आप। बैठिये आप।

श्री मदन दिलावर : मैं बैठ जाऊंगा, सभापति महोदय, यह राजस्थान के लोगों की मां है... (व्यवधान) हम सबके लिए पूजनीय है। हम सब लोग 36 करोड़ देवी-देवताओं का वास उस गाय में मानते हैं और यह हमारी आर्थिक स्थिति की रीढ़ की हड्डी बनी हुई है...

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : यह राजस्थान के लोगों की धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बिराजिये, बिराजिये प्लीज। (व्यवधान) मदन दिलावरजी, बिराजिये।

श्री मदन दिलावर : सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस पर...

डा. किरोड़ी लाल : सभापति महोदय, इसमें कोई न कोई व्यवस्था होनी चाहिए क्योंकि यह धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है।

श्री सभापति : बिराजिये आप। कोई व्यवस्था अभी नहीं कर सकते हैं। बिराजिये आप।

डा. किरोड़ी लाल : सभापति महोदय, अगर कोई इसमें...

श्री मदन दिलावर : यह हमारी धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : राजस्थान की धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है, इसमें कोई न कोई व्यवस्था जरूर करनी चाहिए।

श्री मदन दिलावर : सभापति महोदय, यह आक्रोश फूट सकता है, कोई भी अनहोनी घटना हो सकती है इस राजस्थान की धरती पर। (व्यवधान)

श्री सभापति : बिराजिये, बिराजिये।

श्री मदन दिलावर : इस राजस्थान की धरती पर... (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : सभापति महोदय, आज पशुपालन की मांग पर चर्चा हो रही है, आज पशुपालन पर भी चर्चा हो रही है इसलिए गाय के मांस का मेकडोनाल्ड को बंद करवाया जाये। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : सभापति महोदय, मामला बहुत गम्भीर है, आज पशुपालन की मांग पर चर्चा चल रही है।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : किसी भी एजेंसी से इसकी जांच करवा ली जाये। (व्यवधान)

श्री सभापति : बिराजिये, बिराजिये प्लीज। बहुत हो गया। बिराजिये। आर्डर प्लीज। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मेकडोनाल्ड को बंद करवाया जाये।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, बैठिये। (व्यवधान) आर्डर प्लीज, बिराजिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : बंद करो मेकडोनाल्ड को बंद करो। मेकडोनाल्ड को बंद करो।

श्री सभापति : माननीय सदस्यगण, बिराजिये।

श्री जसंवत सिंह गुर्जर : +++

अनेक माननीय सदस्य : +++ (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : यह सरकार इतनी +++ हो गयी...

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह पशुपालन पर चर्चा चल रही है आज... (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) (राज्य मंत्री, डेयरी एवं पशुपालन) : आप जो कह रहे हैं कि राज्य में गौ-मांस बिक रहा है। राज्य में गौवध के ऊपर, गौ-मांस की बिक्री के ऊपर कानूनन पूर्ण प्रतिबंध है। आप कोई ऐसी अगर रिपोर्ट देंगे, किसी भी पुलिस के थाने में जाकर आप दर्ज करा दीजिये उस पर सख्त से सख्त कार्यवाही होगी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : हम दे रहे हैं मेकडोनाल्ड की। मेकडोनाल्ड की दे रहे हैं।

श्री मदन दिलावर : अखबारों में छप चुका है। यह अखबार में समाचार आ चुका है। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : आप किसी भी होटल का नाम बता दीजिये, लिखकर दे दीजिये, उस पर कार्यवाही हो जायेगी। आप किसी भी होटल का नाम लिखकर दे दीजिये उस पर कार्यवाही हो जायेगी। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : आप तो, माननीय मंत्री महोदय, यह कह दीजिये कि जो फ्रेंच फ्राई के नाम से मेकडोनाल्ड में बिक रहा है उसकी किसी खाद्य एजेंसी से जांच करवा लेंगे। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : मेकडोनाल्ड होटल को बंद करना चाहिए।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : आप लिखित में मुझे रिपोर्ट भेज दीजिये, मैं उस पर कार्यवाही करा दूंगा।

श्री मदन दिलावर : क्या होती है लिखित में रिपोर्ट? (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : लिखित में क्या होगा। यह लिखित में बात है। पूरे देश में चर्चा है...

श्री मदन दिलावर : सभापति महोदय, हम सदन में इस बात को कह रहे हैं और माननीय मंत्री महोदय लिखित में मांग रहें हैं।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : यह तो सरकार को सुओमोटो करा लेनी थी, माननीय सभापति महोदय, इसकी जांच, इसमें लिखकर देने की क्या बात है? समाचार-पत्रों में छपा है...

डा. किरोड़ी लाल : अखबारों में छप रहा है, समाचार-पत्र में छप रहा है और सरकार को जानकारी है और माननीय सदस्य ने ध्यान आकर्षित किया, उससे बड़ी सूचना क्या होगी?

श्री सभापति : माननीय डाक्टर साहब, किरोड़ी लालजी, आर्डर प्लीज।

डा. किरोड़ी लाल : सभापति महोदय, अखबारों में यह बात छप रही है। माननीय सदस्य ने पूरे तथ्य रखे हैं, इससे बड़ी सूचना क्या होगी?

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री सभापति : बिराजिये, कृपा करके बिराजिये। सिंघवी साहब, कृपापूर्वक बिराजिये। अब बिराजिये आप, एक बार बिराजिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : सभापति महोदय, सदन में चर्चा हो गयी मेकडोनाल्ड की, हम कह रहे हैं कि उसकी जांच करवायें। जब तक जांच हो तब तक मेकडोनाल्ड बंद हो जाये।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : आप जांच करायें।

श्री सभापति : बिराजिये। आप

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मेकडोनाल्ड बंद हो जाये, तब तक बंद हो जाये, सभापति महोदय।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : सभापति महोदय, यह मामला मैंने बड़ी गम्भीरता से उठाया है।

श्री सभापति : आप बिराजिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : एक रेस्टोरेंट बंद करने में क्या फर्क पड़ता है, साहब।

श्री सभापति : आप बिराजें तो सही। आप सुनें तो सही कोई बात।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मेकडोनाल्ड को बंद किया जाये, जब तक जांच हो, मेकडोनाल्ड, माननीय मंत्री महोदय ने कहा है जांच के लिए...

श्री सभापति : बिराजिये आप, बिराजिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : हम जांच के लिए कह रहे हैं, साहब।

श्री सभापति : आप बिराजें तो सही।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : जब तक बंद हो जाये, साहब।

श्री सभापति : आप स्थान ग्रहण करें। देखिये, आज कृषि और पशुपालन की मांगों पर विचार-विमर्श हो रहा है। आपकी पार्टी की तरफ से बोलने वाले सात माननीय सदस्यों के नाम हैं। आपको यह बात उस वक्त कहने का अवसर मिल सकता है क्योंकि आज पशुपालन विभाग की मांग पर चर्चा चल रही है, सरकार की तरफ से आपके पास जवाब आ जावेगा। इसके बाद भी रहता है तो माननीय मंत्री महोदय उत्तर देंगे उस वक्त इस पर आप उनसे स्पष्टीकरण ले सकते हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना : दे दिया आपने उत्तर।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, आप उनसे पूछ सकते हैं। अब इस समय कोई नियम ऐसा नहीं है, माननीय सदस्यगण, कि आप बीच में, मैंने नाम पुकार लिया हनुमान प्रसादजी बैरवा साहब का और आप सब इकट्ठा हो गये, इकट्ठा होकर के सामूहिक रूप से बोलना शुरू कर दिया। तो आप मानेंगे इस बात को (व्यवधान) आर्डर प्लीज, यह तो विधान सभा के नियमों के तहत चल रही कार्यवाही में (व्यवधान) आर्डर प्लीज। विधान सभा की कार्यवाही तो नियमानुसार चल रही थी उसमें आप बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि कृपा कर ऐसा नहीं करें।

श्री मदन दिलावर : गाय को बचाना आप बाधा मानते हैं, सभापति महोदय (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : इसको बचाना, गौ-मांस बिक रहा है, आप इसको बाधा मानते हैं।

डा. किरोड़ी लाल : महत्वपूर्ण सूचना दी गयी है माननीय सदस्य द्वारा।

श्री मदन दिलावर : गौ-मांस बिक रहा है, गौ-मांस लोगों को परोसा जा रहा है।

डा. किरोड़ी लाल : यह भावनाओं से जुड़ा हुआ सवाल है। इसमें सरकार को काग्नीजेंस लेना चाहिए।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : यह चर्चा के टाइम पर ठीक है कि जवाब दे देंगे पर यह भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है।

श्री मदन दिलावर : छोटी-छोटी बातों पर तो उठकर खड़े हो जाते हो...

श्री सभापति : आपकी तरफ से बोलने वाले माननीय सदस्य...

श्री मदन दिलावर : राजस्थान के करोड़ों-करोड़ों लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ प्रश्न है...

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : यह बहुत गम्भीर मामला है, सभापति महोदय (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बिराजिये। आप बिराजिये।

श्री नाथूराम अहारी : बैठ जाओ।

श्री मदन दिलावर : क्या मतलब है... (व्यवधान) क्या करवाना चाहते हो।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : क्या मतलब है, आप कौन हो। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : +++ बीच में आपको...

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : आप से ज्यादा जोर से बोलना जानते हैं... (व्यवधान)

श्री जसवंत सिंह गुर्जर : +++

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : +++

श्री ज्ञानदेव आहूजा : +++(व्यवधान)

श्री नाथूराम अहारी : क्या बना रखा है यह, यह मजाक है क्या, हाउस है या मजाक है? क्या कर रहे हैं यह? छोटी-छोटी बातों पर यहां आ जाते हैं बीच में। बैठ जाओ यहां, सारे हाउस का समय बरबाद किया। आपको अता-पता तो है ही नहीं, प्रश्न कोई करता है उसके ऊपर भी खड़े हो जाते हो +++

(भारतीय जनता पार्टी के अनेक माननीय सदस्यगण सदन कूप में आकर जोर-जोर से बोलने लगे।)

श्री सभापति : स्थान ग्रहण करें।

श्री मानिक चन्द सुराना : राजस्थान में गौ वध बंद है। जब गौ वध बंध है तो निश्चित रूप से कोई अन्तरराष्ट्रीय कम्पनी यदि गौ-मांस का विक्रय करती है तो राज्य सरकार को उस पर न सिर्फ जांच करनी चाहिए बल्कि उसमें सख्त कार्यवाही करनी चाहिए।

श्री सभापति : बिराजिये प्लीज।

श्री नाथूराम अहारी : यह +++ काहे को करते हो। +++ करते हो यों। +++ कर रहे हैं

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री नाथूराम अहारी)

यह। बेकार की बात करते हैं।

श्री सभापति : बिराजिये, बिराजिये आप।

श्री मदन दिलावर : +++

अनेक माननीय सदस्य : +++

श्री सभापति : बिराजिये, बिराजिये। प्लीज, कन्टीन्यू योअर स्पीच।

श्री हनुमान प्रसाद (सूरजगढ़) : माननीय सभापतिजी, मैं मांग संख्या 37 कृषि तथा मांग संख्या 39 पशुपालन पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूं। भारत की आजादी के पश्चात् कृषि की दुर्दशा को देखते हुए योजनाबद्ध विकास के माध्यम से कृषि को बढ़ावा दिया गया, विशेष तौर से आधारभूत सुविधाओं का विकास जिससे सिंचाई सुविधाएं, विद्युत उत्पादन, खाद के कारखाने, अन्य ऐसी सुविधाएं जिससे कृषि आगे बढ़ सके। विशेष तौर से 1964-65 के आसपास से हरित क्रांति की शुरूआत हुई, जिसके परिणाम 1975 के लगभग हमें विशेष तौर से देखने को मिले जब हम खाद्यान्न के आयात को बंद कर सके और खाद्यान्न का निर्यात प्रारम्भ किया। एक देश जिसकी आबादी 1950 के आसपास 36 करोड़ थी, जो 1975-76 में दुगुनी से भी ज्यादा हो गयी फिर भी आत्मनिर्भरता के साथ–साथ हम निर्यात की स्थिति में आ सके, यह एक योजनाबद्ध विकास की कड़ी जो कांग्रेस के महान् नेता और भारत के प्रथम प्रधान मंत्री की सूझ-बूझ का एक नतीजा था। उसी क्रम में राजस्थान ने भी प्रगति की है। राजस्थान अनाज की दृष्टि से भारत में एक बहुत ही कमजोर राज्य था। विशेष तौर से यहां गेहूं का उत्पादन और दूसरे जो रबी के उत्पादन हैं वह बहुत छोटे पैमाने पर थे। मोटा अनाज विशेष तौर से बाजरा और दलहन ही था लेकिन इस हरित क्रांति का एक बहुत बड़ा प्रभाव राजस्थान में पड़ा और खास तौर से विद्युत उपलब्धि के कारण, सिंचाई की सुविधाएं, नहरी सिंचाई के अतिरिक्त भी कुओं से जो सुविधा उपलब्ध हुई उसका परिणाम यह हुआ कि राजस्थान आज खाद्य उत्पादन की दृष्टि से एक आत्मनिर्भर राज्य है। विशेष तौर से तिलहन के उत्पादन में राजस्थान आज भारत में प्रथम राज्य है। लेकिन यह उपलब्धियां, बाजार की कुछ जो वर्तमान में गतिविधियां हुई हैं, विशेष तौर से डब्ल्यू.टी.ओ. विश्व व्यापार संगठन की संबद्धता के कारण और आयात में जो खुली छूट खाद्य उत्पादन पर और डेयरी उत्पाद पर मिली है उसके कारण आज किसान की स्थिति में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है।

विद्युत की जो उपलब्धि हमने राजस्थान में पिछले दो-तीन साल में देखी है और खास तौर से इस वर्ष में, उससे उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ा है क्योंकि हमें विद्युत पूरे तौर पर केन्द्र सरकार के माध्यम से या तो पड़ोसी राज्य है उनसे नहीं मिल पायी। लेकिन ये जो आयात नीति के तहत एक नयी स्थिति उत्पन्न हो रही है उसका कुप्रभाव राजस्थान के किसानों पर सबसे अधिक पड़ेगा। आपको मेरे पूर्व वक्ता ने जैसे बताया कि विदेशी दूध जो भारत में आएगा मैंने उसके संबंध में जानकारी ली थी चार रुपये प्रति लीटर भारत में विदेशी दूध इम्पोर्ट होगा, उपभोक्ता तक

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री हनुमान प्रसाद)

पहुंचते-पहुंचते करीब 6 रुपये भी है। तो जो डेयरी के माध्यम से हमने उपलब्धियां प्राप्त की हैं राजस्थान में, गुजरात में और पूरे भारत में उन पर कुप्रभाव पड़ेगा। राजस्थान में तो विशेष तौर से खाद्यान्न के अतिरिक्त पशुपालन एक बहुत बड़ा धन्धा है अगर उसकी स्थिति पर विदेशी आयात से कुप्रभाव पड़ता है तो आप किसानों की स्थिति देख सकते हैं कि क्या हो जाने वाली है। इसलिए विशेष तौर से मैं कृषि मंत्रीजी और पशुपालन मंत्रीजी को आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इस स्थिति से किसानों को उबारने के लिए जो भी संभव हो, उपाय किये जाएं। खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से जो दूसरी सुविधाएं राजस्थान में उपलब्ध करायी जा रही हैं उनका विकास भी निश्चित तौर से हो रहा है लेकिन उसमें भी गतिरोध है। खास तौर से बीज, खाद की उपलब्धि में पिछले साल कमी रही उसकी आपूर्ति के लिए जो लक्ष्य रखे गये हैं वो सराहनीय हैं यदि हम उन लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें तो।

मैं पशुपालन के संबंध में दो-चार बातें कहना चाहता हूं कि पशु चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार की बहुत बड़ी आवश्यकता है और इस आवश्यकता की पूर्ति इस वर्ष के बजट में नहीं रखी गयी है। उस ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। हम एक मापदण्ड लेकर चले थे कि हर 10 किलोमीटर पर पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध होंगी और उसके लिए 7500 पशुओं पर और 10 किलोमीटर की परिधि इन दोनों को ध्यान में रख कर पशु चिकित्सा सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। पिछले साल तो एक सौ इकाइयां बढ़ायी गयीं लेकिन इस वर्ष कोई नये औषधालय या चिकित्सालय खोलने का प्रावधान नहीं रखा गया है जो रखा जाना आवश्यक था। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं उसमें भैंस और गायों की अच्छी नस्ल रखने का रिवाज है और दुग्ध उत्पादन में काफी अग्रणी क्षेत्र है। वहां पशु चिकित्सा सेवाएं 10 किलोमीटर तो क्या 20-20 किलोमीटर पर भी वेटरिनरी सेन्टर उपलब्ध नहीं है। तो इस ओर मैं पशुपालन मंत्रीजी का विशेष तौर से ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। पशु चिकित्सालय की दृष्टि से 1420 चिकित्सालय यानि हास्पिटल्स हैं जिनमें डाक्टर्स उपलब्ध हैं और 285 औषधालय या वेटरिनरी डिस्पेंसरीज हैं जिनमें वेटरिनरी असिस्टेंट या एल.एस.ए. वगैरह लगते हैं। ये जो प्रगति प्रतिवेदन दिया है उसमें 1992-93 में 65 औषधालयों को चिकित्सालयों में परिवर्तित किया गया था, अपग्रेड किया गया था उसके बाद 285 औषधालय लगातार बने हुए हैं जबकि नये चिकित्सालय या हास्पिटल डायरेक्ट खोले हैं। मेरा इस संबंध में सुझाव है कि जो पुरानी डिस्पेंसरीज चली आ रही हैं उनको पहले अपग्रेड करके हास्पिटल का दर्जा दिया जाए क्योंकि ये एस्टेब्लिश हो चुकी हैं। उस क्षेत्र के लोगों को सेवा दे रही हैं उनको अस्पताल बनाकर, नये रूप से अस्पताल खोलने की जो प्रक्रिया है उसमें सुधार की आवश्यकता महसूस करता हूं। ये सुझाव मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी को देना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में जो हरियाणा से लगता हुआ क्षेत्र है कृषि उपज मंडी समिति का अभाव है। इस संबंध में मैंने पिछले वर्ष भी निवेदन किया था। खास तौर से बुहाना पंचायत समिति क्षेत्र जो महेन्द्रगढ़ के करीब 35 किलोमीटर, नारनौल से भी 35 किलोमीटर, सूरजगढ़ से 25

(श्री हनुमान प्रसाद)

किलोमीटर के लगभग खेतड़ी से 35 और चिड़ावा से भी 35 किलोमीटर, एक ऐसा क्षेत्र है जो दोनों फसलों को सघन रूप से करता है और बुहाना में कृषि उपज मंडी समिति के गठन के अभाव में काश्तकारों को अपनी उपज महेन्द्रगढ़ और नारनौल की मंडियों में ले जानी पड़ती है क्योंकि मेरे विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ की कृषि उपज मंडी का जो मुख्यालय है वो एक कोने में पड़ता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बुहाना जो तहसील हैडक्वार्टर है, पंचायत समिति है और दूसरे कार्यालय भी हैं और वहां पर कृषि उत्पादन की दृष्टि से अग्रणी क्षेत्र झुंझुनूं जिले का इसका पूरा उत्पादन हरियाणा की मंडियों में जाकर बिके और किसानों को बहुत असुविधा हो। इस असुविधा से किसानों को बचाने के लिए मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि बुहाना मुख्यालय पर कृषि उपज मंडी समिति का गठन किया जाए।

अंत में मैं कृषि मंत्रीजी और पुशपालन मंत्रीजी को विशेष तौर से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने कृषि उत्पादन और पशुपालन में सुविधा सम्पन्न कराने का जो कार्यक्रम है उसको निरन्तर प्रगति पर रखा है। जय हिन्द।

श्री सभापति : माननीय श्रीमती सुमित्रा सिंह।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : माननीय सभापति महोदय, जैसा कि आप सदन के सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि राजस्थान इस देश का सबसे बड़ा भू-भाग है और सबसे बड़ा भू-भाग होने के नाते भी और वैसे भी समस्त हिन्दुस्तान में ही 80% आबादी गांवों में बसती है और गांवों में बसने वाले लोगों का मुख्य धन्धा या तो खेती है या पशुपालन है। आज सदन में पशुपालन और खेती के ऊपर जो चर्चा हो रही है, मंत्रीजी ने मांग रखी है और इस पर कटौती प्रस्तावों के जरिये मैं भी कुछ अपनी बात कहना चाहूंगी। तीन अरब अड़तीस लाख रुपये की, जैसा कि शोर-शराबे में मैं सुन पायी थी कि तीन अरब और अड़तीस लाख की राशि हमसे अर्थात सदन से मांगी गयी है। मुझे बड़ा दु:ख हो रहा है यह कहते हुए और हम सदन के सभी सदस्यों को भी यह जानकर अच्छा नहीं लगेगा कि धीरे-धीरे राजस्थान में कृषि और पशुपालन पर, पशु चिकित्सा पर होने वाला खर्चा और बजट लगातार, निरन्तर कम होता जा रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि सारे हमारे उद्योग धन्धे भी और हमारी पर कैपिटा इनकम, हमारी बहबूदी, हमारी प्रगति सारी ही तो खेती पर निर्भर रहती हैं, उद्योग-धन्धे कैसे चलेंगे यदि खेती ही नहीं होगी तो और एक ऐसा प्रदेश कि जहां पर भगवान भरोसे खेती है तीन साल से लगातार अकाल पड़ रहा है और उस अकाल के अन्दर जहां रबी क्रोप होती है वहां बिजली नहीं मिली उस हालत में धीरे-धीरे चाहे गौरव के साथ हम कह लें इस बात को कि किसी समय हम तिलहन, पैदा करने में भी प्रथम थे, सरप्लस थे, खाद्यान्न का उत्पादन भी हमारा बहुत था।

(14.00 बजे)

लेकिन धीरे-धीरे हम आज कहां से कहां जा रहे हैं यह एक सोचने की बात है। कृषि विभाग के बारे में मैं क्या कहूं, मुझे कहते हुए बहुत दु:ख होता है, बहुत पीड़ा होती है कि कृषि विभाग

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

जैसे अपनी कोई जिम्मेदारी समझता ही नहीं है। वह समझता है कि यह खेती करने वाला आदमी अपने बलबूते पर, अपने हिसाब से खेती करेगा, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो हमारी तो कोई जिम्मेदारी है नहीं। मैं यह इसलिए कर रही हूं कि मैं स्वयं किसान हूं और मुझे मालूम है कि उसमें कितनी दिक्कतें आती हैं। मैं राजस्थान के सीड कारपोरेशन की बात ही आपसे कहती हूं। राजस्थान का सीड कारपोरेशन बजाय किसान को सहयोग देने के उसके लिए सिरदर्द बना हुआ है। पहले तो रजिस्ट्रेशन कराओ, ढाई सौ रुपये रजिस्ट्रेशन का दीजिए यदि आपको सीड पैदा करनी है तो, उनको वापस देना है तो। उसके बाद 55 रुपये पर हैक्टेयर उनकी इंस्पेक्शन की फीस दीजिए और उसके बाद आपने जो पैदा किया है वह 75 परसेंट आपको देंगे और आपका बीज ले लेंगे और लेने के बाद 6 महीने तक आपको न तो उस सीड के बारे में कुछ कहेंगे और बतायेंगे। और 6 महीने बाद कहेंगे आपके इस बीज में घास के बीज मिल गये हैं और इसलिए इसे हम नहीं लेंगे, आप इसे ले जाइए। मेरे कहने का मतलब यह है कि न कोई इंस्पेक्शन करेगा, इंस्पेक्शन करें, जाएं तो सही। खेत में जाकर यह बात करें, चाहे कोई सा भी बीज हो, चाहे वह ग्वार हो, मूंगफली हो चाहे कोई और हो, जाकर कहे कि देखिए यह जो आपके सीड हैं इनमें दूसरे सीड मिल गये हैं इन्हें निकालिए। वह कोई इंस्पेक्शन करता नहीं है, एक जगह बैठ जाते हैं, कर लेते हैं। कृषि पर्यवेक्षकों की और ग्रामसेवकों की तो कोई जिम्मेदारी है ही नहीं, वह तो कुछ बताते ही नहीं हैं, वह तो कभी जाते ही नहीं हैं। अपने-अपने हैडक्वार्टर पर बैठे रहकर तनख्वाह लेने का उनका काम है जो काम करते रहते हैं।

श्री सभापति : हैडक्वार्टर पर तो बैठते हैं क्या?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हैडक्वार्टर पर तो बैठते ही होंगे, मुझे क्या पता। वहां तो बैठते ही होंगे, अपने घर में रहते होंगे, कुछ भी करते होंगे लेकिन जो काम उनका है, किसान को जाकर बताने का जो काम उनका है, वह तो वहां जाते नहीं। मैं जानती हूं क्योंकि मैंने न तो कभी ग्रामसेवक को देखा है, न कभी मैंने किसी पर्यवेक्षक को देखा है, न कभी डिमांस्ट्रेशन के ऊपर इंस्पेक्शन करने जाते हैं, न कहीं और जाते हैं। हां, रजिस्ट्रेशन के पैसे ले लेते हैं, इंस्पेक्शन के पैसे हमसे जरूर जमा करवा लेते हैं। मैं यह निवेदन कर रही थी यह तो हालत है सीड कारपोरेशन की बाकी मैं और बहुत कुछ कहना चाहूंगी इस बारे में।

राजस्थान से सटे हुए हमारे जो प्रदेश हैं हरियाणा और पंजाब, वहां किसान की खेती पर शीत लहर का प्रकोप हो, ओलावृष्टि हो जाए तो दोनों स्टेट में किसान को प्रति एकड़ के हिसाब से कम्पेनसेशन दिया जाता है लेकिन राजस्थान में कितना ही कहो यहां तो किसान को बिल्कुल भगवान भरोसे छोड़ रखा है और भगवान भी मारता है। तीन साल से लगातार अकाल पड़ रहा है और सरकार तो अपनी जिम्मेदारी समझती ही नहीं है। ओलावृष्टि हो, बरबाद हो जाए तो कुछ नहीं मिलेगा, शीत लहर से नुकसान हो जाए तो कुछ नहीं मिलेगा। बीज की हालत तो यह है कि बाजरे का बीज आन्ध्र प्रदेश से आयेगा। आन्ध्र प्रदेश की जलवायु में और यहां की

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

जलवायु में कितना फर्क है। मान लीजिए वह बीज अच्छा भी है, अच्छे बीज की कोई गारन्टी नहीं है क्योंकि सीड कारपोरेशन खुद कहता है आपकी शिकायत सही है और जगह से भी यह शिकायत आई है कि यह बीज ठीक नहीं था, इस बार का मूंगफली का बीज ठीक नहीं है। वहां पर जायेंगे, मूंगफली को तीन-चार बार छानेंगे उसके बाद कुछ तो निकल जाता है और उसके बाद जो पैसा मिलता है उसमें भी बाजार से कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। वैसे तो बाजार में ही बेच दो तो अच्छा है। मैं यह निवेदन कर रही थी कि आखिर विभाग की कोई जिम्मेदारी भी होगी। विभाग का सहयोग का रवैया भी होना चाहिये क्योंकि वह किसान के सहयोग के लिए है, कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए है, उसको सहूलियत देने के लिए है, न कि उसे परेशान करने के लिए है।

सभापति महोदय, यह तो हालत है हमारे कृषि विभाग की। मैं एक बात निवेदन करना चाहती हूं, हो सकता है कि वह बात किसी को अनुचित लगे, उचित नहीं लगे लेकिन खेती के दो सबसे बड़े दुश्मन हैं। खेती का एक दुश्मन है रोज, जिसको हम रोजड़ा बोलते हैं, आप चाहे नील गाय कह दीजिए चाहे रोज कह दीजिए और दूसरा दुश्मन है तोता। फलों का तो है तोता। (व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, मैं आपका प्रोटेक्शन चाहूंगी कि मुझे बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं करे।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, ऐसा नहीं करें, बोलने दीजिए इनको।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रही थी कि खेती के दो बड़े दुश्मन हैं। एक तो रोज और दूसरा है तोता। तोता तो फलों का दुश्मन है। मिर्ची को वह नहीं छोड़ता, मटर को वह नहीं छोड़ता, आम को वह नहीं छोड़ता, पपीते को वह नहीं छोड़ता, अमरूद को वह नहीं छोड़ता, अनार को वह नहीं छोड़ता, किसी भी फल को वह नहीं छोड़ता। एक बार दिल्ली में वहां की जो सबसे बड़ी रिसर्च इंस्टीट्यूशन ए.आई.आर.आई. है, वहां से कुछ लोग आये थे उनके सामने मैंने यह बात रखी कि यदि अनुसंधान के जरिए मच्छर को भगाने और मारने की दवा निकल सकती है और मच्छर को खतम किया जा सकता है तो कोई ऐसी दवा का ईजाद आप क्यों नहीं करते हैं कि जिस दवा को स्प्रे करने के बाद फलों को पेड़ के ऊपर तोता आये नहीं। 15 दिन तक आये नहीं और 15 दिन के बाद फिर स्प्रे कर दें। यह जो तोते से होने वाला नुकसान है वह इतना जबर्दस्त नुकसान है कि प्रोड्यूसर को कुछ मिलता ही नहीं है। तोता इतना जबर्दस्त नुकसान करता है कि उसकी कोई कल्पना ही आप नहीं कर सकते। एक पेड़ के ऊपर एक दिन में 5 किलो कैरी काट कर डाल देगा। वह किसी काम भी नहीं आयेगी क्योंकि थोड़ा सा कुतरता है और थोड़ा कुतरने के बाद नीचे डाल देता है। जब तक हम इस मामले मे रिसर्च नहीं करेंगे कि कोई ऐसी दवा ईजाद हो कि जिस दवा के स्प्रे के बाद तोता उस पेड़ पर नहीं बैठे और रोज का भी हमें इंतजाम करना पड़ेगा। इनकी तो संख्या मल्टीपाई होती जाती है और झुंड के झुंड, 10-10, 20-20 के झुंड के झुंड फिरते हैं और इतना खेती में नुकसान करते हैं कि जिसकी, कृषि मंत्रीजी, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। मैं निवेदन कर रही थी कि और तो

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

आप कुछ करिये चाहे ना करिये, कम से कम इन दोनों जानवरों एक तो पक्षी और एक जानवर का तो कुछ बंदोबस्त करिये ताकि खेती को बचाया जा सके।

माननीय सभापति महोदय, आज हालत यह है कि कीटनाशक को सरसों पर तीन-तीन बार स्प्रे करके हम देख लेते हैं उसके बाद भी हमारी सरसों रोग मुक्त नहीं हो पाती है। कारण आपके इन्सैक्टिसाइड पैस्टीसाइड जितने भी हैं सब स्पूरियस हैं, सब मिलावटी हैं और कई बार इस बात की शिकायत भी की गयी लेकिन इन कम्पनीज को, इन फैक्ट्रीज को आप ब्लैक लिस्ट भी नहीं करते हैं। जब ब्लैक लिस्ट नहीं करते हैं तो वही आते रहते हैं और किसान के नुकसान होता रहता है। सरसों पर तीन-तीन बार वही स्प्रे के बाद चेपा लगा रहता है, तीन बार स्प्रे कर दीजिए लेकिन चेपे से फिर भी फसल मुक्त नहीं हो पाती है। जब तक किसान को अच्छा बीज गुणवत्ता का बीज, अच्छी कीटनाशक दवाइयां जब तक शुद्ध नहीं मिलेंगी तब तक खेती को बढ़ावा नहीं मिल सकता, खेती का उत्पादन नहीं बढ़ सकता और इसीलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम अच्छे बीज के बारे में सोचें। आज हालत यह है कि हर बार बजट में कहा जाता है कि हमने इतने मिनीकिट्स का वितरण किया। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि किसको किया? हम तो जब अपने जिले में जाते हैं तब भी पूछते हैं कि हमें बताइए तो सही, लिस्ट तो दीजिए कि आपने यह मिनीकिट्स किसको बांटे हैं। यह भी पूछते हैं कि हमें तो कभी कोई कुछ नहीं देता, हमारे पास भी जमीन है, हमारे पास तो कोई नहीं आता। हमको तो कोई भी यह मिनीकिट्स देने नहीं आता है, यह सब चीजें जाती कहां हैं, यह मैं जानना चाहूंगी। इसलिए, कृषि मंत्रीजी, जब आप जवाब दें तो हमें बताइयेगा कि आखिर यह सब चीजें जाती कहां हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं कुछ पशुपालन के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगी। पशुपालन विभाग और चिकित्सा विभाग की हालत भी यह है, इनका बजट निरन्तर पिछले सालों के मुकाबले बहुत कम होता जा रहा है और राजस्थान में, जयपुर में ही हमारी बहुत अच्छी गायें थीं हमने क्रोस ब्रीड के जरिये बहुत अच्छे जानवर यहां पर कर लिए थे वह धीरे-धीरे डिटेरियोरेट हो रहे हैं। अब न उतना दुध है, न पशुओं का आकार है और उन पशुओं की ससेप्टिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गयी है क्योंकि जितना विदेशी खून बढ़ता जाएगा वैसे-वैसे पशु कमजोर होता जाएगा, छोटा भी होता जाएगा और उसका आकार भी कम होता जाएगा और साथ ही उसके दुध की क्षमता भी कम होती जाएगी। यह डिपार्टमेंट न तो यह बताता है कि देखिए, यह जो उन्नत नस्ल के पशु हैं इनको टाइमली किसी न किसी वेक्सीन की आवश्यकता होती है। जैसे खुर पका और मुंह पका की बीमारी आती है। यह बीमारी जबर्दस्त सारे यूरोप मे फैल गयी है। मैं कहती हूं कि एक तो अकाल के कारण से वैसे ही गायों की संख्या वन फोर्थ रह गयी, कुछ अकाल के कारण पलायन कर गयी और कुछ को लोगों ने तिलक लगा-लगाकर भगवान भरोसे छोड़ दिया और कुछ भूख से मर गयीं, कुछ मिट्टी खाकर मर गयीं। जो थोड़ी बहुत बची हैं वह खुर पका और मुंह पका के अंदर चली गयीं। क्या विभाग की यह जिम्मेदारी नहीं थी कि अखबारों

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

के जरिये, और वैसे भी वह जानते थे कि यह हमारी उन्नत नस्ल के पशुपालक हैं उनको बताते कि इस साल आप खुर पका मुंह पका का वेक्सीन लगवा दीजिए ताकि आपके पशु को यह बीमारी नहीं आए। जब तमाम दुनियां में फैल रही थी तो वह वायरस तो यहां भी आता ही है हवा के जरिये। तो क्या विभाग की यह जिम्मेदारी नहीं थी? लेकिन विभाग ने जिम्मेदारी नहीं निभाई।

उसी तरीके से, मैं इस बात को बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रही हूं कि विभाग पहले उन्नत नस्ल के पशुपालकों को एक कार्ड दिया करता था और उस कार्ड के अंदर पशु की हिस्ट्री हुआ करती थी कि इसकी मां कौनसी है हरियाणा नस्ल की है या थारपारकर है या जर्सी है या होलस्टीन है, और इसका पिता कौन है, उसके पिता का नाम होता था। अब पिता का नाम और दोनों का रिकार्ड नहीं होने की वजह से इनब्रिडिंग होती है और पशुपालक बेचारे ज्यादा पढ़े-लिखे तो हैं नहीं, इनब्रिडिंग होती है और इसकी वजह से धीरे-धीरे नस्ल खराब होती है। तो इनब्रिडिंग के कारण कम से कम विभाग की यह जिम्मेदारी है कि विभाग अपनी जितनी अच्छी-अच्छी डेयरी रखने वाले लोग हैं, चलाने वाले लोग हैं उनको भी और जो उन्नत नस्ल के पशुपालक हैं, सभापति महोदय, आप भी अच्छे पशु और अच्छी गायें रखते हैं, तो यह जिम्मेदारी है विभाग की कि वह उनको इस तरह के कार्ड दे जिसके अंदर बाकायदा उनके मदर-फादर का नाम हो ताकि उनके बच्चे-बच्चियों में आपस में इनब्रिडिंग न हो जाये। इनब्रिडिंग के जरिये उनकी नस्ल डिटेरियोरेट न हो जाये, नीचे नहीं गिर जाये।

मैं यह भी निवेदन कर रही थी कि वैसे तो इस सदन के अंदर जब बजट भाषण हो तो बड़े गर्व के साथ गर्वोक्ति करते हुए चाहे वित्त मंत्री हो, चाहे विभाग का मंत्री हो, यह कह देते हैं कि हम इस साल इतने स्कूल खोल रहे हैं, इतने अस्पताल खोल रहे हैं। पिछली बार पशुपालन मंत्रीजी ने भी कहा कि पशुओं की चिकित्सा के लिए हमारे यहां पर 100 डिस्पेंसरीज खोलेंगे और 400 सब-सेन्टर खोलेंगे। सभापति महोदय, मैं पशुपालन मंत्रीजी से पूछना चाहूंगी कि कितने अस्पतालों के अंदर आपके चिकित्सक मौजूद हैं? आपके खुद का ही डिपार्टमेंट इस बात को मानता है कि 309 चिकित्सकों की कमी है। फिर क्या मतलब निकला? महज आपने केवल नाम ले दिया कि हमने डिस्पेंसरी खोल दी और उसमें चिकित्सा के लिए कोई डाक्टर है नहीं तो फिर अस्पताल और स्कूल खोलने का क्या तात्पर्य निकलता है? इसलिए मेहरबानी करके यदि आप खोलते हैं तो उसमें डाक्टर भी भेजिये, कम्पाउण्डर भी भेजिये और उसके अंदर दवाइयां भी भेजिये, और उसके अंदर आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन के लिये बाकायदा आप सीमन भी भेजिये। पांच-सात दिन पहले आपका खुद का स्टेटमेंट आया था कि इस चीज को स्वीकार करते हैं कि हमारे पास तरल नाइट्रोजन की कमी है। सीमन तरल नाइट्रोजन में ही प्रिजर्व किया जाता है। जब तरल नाइट्रोजन ही आपके पास नहीं है तो कहां से सीमन होगा, कहां उसे आप प्रिजर्व कर लेंगे, तो यह तो पशुपालन विभाग की हालत रही है।

जैसा कि मुझसे पहले बोलने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, सूरजगढ़ से आने वाले कह रहे थे 6 रुपये किलो दुग्ध जब बाहर से इम्पोर्ट किया हुआ मिलेगा तो कौन पशु रखेगा। पशु

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

पालने वाले को परेशानियां भी तो होती हैं। उसको गंदगी भी तो सहनी पड़ती है। गोबर की स्मेल भी उसको सहनी पड़ती है और उसको पशु के पास खड़ा होकर पशु जैसा ही बनना होता है तो फिर कौन इतनी तवालत उठायेगा, इसलिये वह क्यों पशु पालेगा। भारत सरकार की नीतियों के हिसाब से तो वैसे ही गांव खतम हो जायेंगे, वैसे ही खेती और पशुपालन का धन्धा खतम हो जायेगा तो राजस्थान सरकार को तो सोचना चाहिये, उनको तो आप कन्डेम करते हो। भारत सरकार की नीति है कि वह तो इम्पोर्ट करेगी। हालांकि उस दिन बड़ी जिम्मेदारी के साथ लूणकरनसर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, और मंत्रीजी ने भी कहा था कि तरल दुग्ध नहीं आयेगा। तो पाउडर तो आ ही रहा है, पहले से ही आ रहा है उसमें कौनसी नई बात होगी। उसके जरिये तो छह रुपये किलो नहीं होगा लेकिन जो भय व्याप्त किया जा रहा है इस रयूमर के जरिये, इस अफवाह के जरिये आज पशुपालक बहुत डरे हुए हैं।

मेरे खेत के पास एक डेयरी चलाने वाला किसान है। वह कह रहा था कि साहब, अब क्या करें, क्या मैं इन पशुओं को बेच दूं? मैं सुन रहा हूं कि बाहर से 6 रुपये किलो दुग्ध आयेगा और हमारे दुग्ध की लागत तो 10-11 पड़ती है। और जब 10-11 रुपये दुग्ध की लागत पड़ती है और मैं बेचता हूं 12 रुपये, तो मैं भी 6 रुपये किलो वाला ही ले आऊंगा। ऐसा उन्होंने कहा। लोगों में आशंका हो रही है कि अब इन पशुओं का हम क्या करेंगे, और जिस कदर, इस बार यदि विभाग के पास आंकड़े नहीं हैं, लेकिन मैं अपनी जानकारी के अनुसार जानती हूं कि शायद ही कोई ऐसा भाग्यशाली पशुपालक होगा जिसकी 1-2 गायें मरी नहीं हों। बाकी ऐसा कोई नहीं है जिसके एक या दो जानवर नहीं मरे हो। किसी-किसी के तो 4-4 गायें खतम हो गयी हैं। यदि यही हालत हमारी रही, यही हमारी उदासीनता रही इस विभाग के प्रति तो क्यों आप हमसे 3 अरब 38 लाख रुपये मांग रहे हो। यदि यही हालत, यही व्यवस्था आपको रखनी है तो मैं समझती हूं कि कोई आवश्यकता नहीं है। इस पैसे को कहीं और खर्च करें। माननीय कृषि मंत्रीजी और पशुपालन मंत्रीजी से मैं निवेदन करना चाहती हूं कि जिस तरीक से पशुपालन विभाग में चिकित्सकों की कमी, दवाइयों की कमी है,आज जयपुर में एक पशु अस्पताल जो पांचबत्ती के पास में है, वहां चले जाएं, सब दवाइयां खुद पशुपालक को लानी पड़ती हैं, वहां पर कुछ भी नहीं है। इसलिए यही हालत है तो कौन बेचारा पशु रखेगा और क्यों उसे पालेगा। लेकिन गांव में रहने वाले आदमी की यह मजबूरी है क्योंकि उसके पास और कोई धन्धा नहीं है। उसके पास धन्धा या तो खेती करना है। सच पूछिये तो वह केवल अपना पेट-पेट भरता है बाकी उसके जरिये वह कुछ भी नहीं कर सकता है। पेट भरने का साधन उसके पास है। वह काम में लगा हुआ है और पेट भर जाता है, उसको दो जून की रोटी तो मिल जाती है। पहनने के लिए मोटा कपड़ा मिल जाता है, इसलिये वह उसमें लगा हुआ है वरना खेती में कुछ नहीं है। यह दोनों सरकारों की जो नीतियां चल रही हैं चाहे भारत सरकार हो, चाहे राजस्थान सरकार, आज किसानों को इस कदर मजबूर कर दिया है कि किसान यह सोचता है कि वह कहां जाये। लोग इसीलिए नौकरी की ओर दोड़ रहे हैं और इसीलिए

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

गांवों से पलायन कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी, जैसा कहना चाहिए उनकी श्योरिटी नहीं है किसी चीज की भी। एक राजस्थानी की कहावत है, राजस्थान में गांव में रहने वाले लोग कहते हैं कि हरी खेती और ग्यावन गाय पर पड़े जब जानिए। दोनों ही बड़ी मुश्किल चीजें हैं। खेती, आदमी बहुत खुश होता है लेकिन किस वक्त शीत लहर का प्रकोप होता है, कब उसे गर्म हवा अर्थात् झोला मारेगा, कब उसको गर्म हवा मार देगी, कब उस पर ओलावृष्टि हो जाएगी, कब खलिहान में पड़े हुए के ऊपर बरसात होकर अनाज को एकदम काला कर देगी, उन सब चीजों से मुकाबला करता है। इसलिए ऐसे एक व्यक्ति को जिसे आप अन्नदाता कहकर तो गौरव प्रदान करते हो लेकिन धरती का पेट चीर कर अपना पेट पालना और समाज को देना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए उसकी पीड़ा को समझिये। उसकी मेहनत को समझिये। तीनों मौसम के अन्दर, सर्दी में जब तमाम दुनिया गर्म लिहाफों के अन्दर सोई रहती है, उस समय पानत करता है। दिन में बिजली नहीं देते हो आप। रात में बिजली मिलती है और उस समय वह पानत करता है और उस समय ठंड की हवा तो लगती है और ठंडा पानी भी उसको महसूस होता है। गर्मी के अन्दर तवे जैसी तपती रेत के ऊपर वह खड़ा होकर अपनी खेती को सम्भालता है। इसलिए उस मजबूर प्राणी को जो रात और दिन मेहनत करके इन दोनों व्यवसायों में लगा हुआ है, खेती में और पशुपालन में, माननीय सहकारिता राज्य मंत्रीजी को हंसी आ रही है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, वे तो खुद ही काश्तकार हैं।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप अच्छा बोल रही है इसलिए हंसी आ रही है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अच्छा बोलने पर हंसी नहीं आया करती। अच्छा बोलने पर तो हंसी नहीं आती, अच्छा बोलने पर आदमी को प्रसन्नता होती है।

श्री परसादी लाल : आप अच्छा बोल रही हैं।

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह प्रसन्नचित्त हैं।

श्री परसादी लाल : सभापति महोदय इसलिए घंटी नहीं बजा रहे हैं, इसलिए हंस रहा था।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, शुक्रिया आपका। तो मैं निवेदन कर रही थी कि...

श्री परसादी लाल : इनको भी सर्दी लग गयी।

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय इनका लिहाज़ रखते हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नहीं, कोई लिहाज नहीं है। अभी मेरा समय बाकी है।

श्री परसादी लाल : आप अच्छा बोल रही हैं न।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं निवेदन कर रही थी, इसलिए मैं दोनों ही विभागों के मंत्रीगणों से चाहूंगी कि वे इन सब, किसान की कठिनाई को, खेती की कठिनाई को जैसा मैंने कहा कि अच्छी गुणवत्ता का बीज नहीं, कीटनाशक आपके सही

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

नहीं, वो सब इनफीरियर और विभाग का किसी तरह का कोई सहयोग नहीं किसानों को, खेती करने वालों को। आज राजस्थान में हीं नहीं जयपुर के आसपास में भी हालत यह है कि फलों के बड़े अच्छे-अच्छे उद्यान थे, यहां पर आमों के बगीचे थे बहुत अच्छे-अच्छे, सब खतम हो गये। एक तो खतम कर दिया हमारी आवासीय समस्या ने। मेरे खेत के पास ही पृथ्वीराज नगर योजना बन रही है जिसमें सैंकड़ों बीघा जमीन ले ली गयी आवास के लिए। मैं कहती हूं कि यह आप होरीजेंटल की बजाए वर्टिकल मकान क्यों नहीं बनाते हो ताकि यह उजड़े नहीं। किसान उजड़े नहीं, वह अपना पुश्तैनी धंधा करता रहे, नहीं तो क्या करेगा वह। तो धीरे-धीरे, मैं यही निवेदन करते हुए कि फलों के उद्यान हमारे खतम हो गये, हालत आपकी यह है, कृषि मंत्रीजी, पिछली बार मैंने विभाग को कहा कि मुझे आम्रपाली के पौधे चाहिए, आम के, आम्रपाली के। विभाग ने मुझे कहा कि अगस्त में आएंगे तो मैंने कहा कि अगस्त में क्या करूंगी, अगस्त में तो बारिश खतम हो जाएगी यदि मुझे लगाने हैं तो जून–जुलाई में आप दीजिए। पहली बारिश के साथ आपको आना चाहिए। अभी तो हमारा आदमी गया हुआ है यू.पी. के अन्दर और वह यू.पी. से लाएगा तब तक अगस्त आ जाएगा। मैं पूछती हूं कि क्या जरूरत है अगस्त में लाने की? और अगस्त में लगाया हुआ आपका पेड़ कैसे पनप पाएगा? इसलिए समय रहते, यही हालत बीज की है, समय पर बीज नहीं मिलता है। समय पर कोई चीज आप नहीं दे पाते हैं। न बीज दे पाते हैं, न समय पर दवा दे पाते हैं, न समय पर पौधा दे पाते हैं और उनको सम्भालने वाला तो कोई है ही नहीं। किसी भी डिपार्टमैंट के अन्दर, खास तौर से आपके जो फलों के होर्टिकल्चर का मामला है वह तो और भी माशाअल्लाह है। वहां पर तो कोई सम्भालता ही नहीं है। किसी चीज के बारे में कुछ कहता ही नहीं है, न कोई बुकलेट निकालते हैं, न कोई ब्रोशर्स निकालते हैं, न कोई सम्पर्क करता है, किसी से बात भी करना चाहो तो दौरे पर है, आज नहीं है, कल मिलेंगे, परसो मिलेंगे। इसलिए आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, कृषि मंत्रीजी, आप अपनी कृषि को, होर्टिकल्चर को, इनको कैसे आप बढ़ाएं और किस प्रकार से उत्पादन हमारा बढ़े यह देखने की आपकी जिम्मेदारी है इसलिए इन सब बातों का आप अगली बार पूरा ध्यान रखेंगे। समय पर बीज, समय पर खाद, समय के ऊपर आपका कीटनाशक, समय के ऊपर उचित सलाह, चाहे ब्रोशर्स के जरिये दें, चाहे आप किसी पेम्फलेट के जरिये दें, चाहे आप वैसे जाकर खेतों में जाकर आपका पर्यवेक्षक दे लेकिन यह देना चाहिए तब ही हमारी खेती है उसका उत्पादन बढ़ सकेगा और हमारा उत्पादन रह सकेगा इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कटौती प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत कर रही हूं।

श्री सभापति : श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : माननीय सभापति महोदय, सदन में मांग संख्या 37 और 39 पर चर्चा हो रही है। सभापति महोदय, इन दोनों मांगों का सम्बन्ध राजस्थान के उन साढ़े तीन करोड़ लोगों से है जो गांव में बसते हैं। गांव, किसान, खेत और गरीब इसकी पूरी आजीविका कृषि और पशुपालन पर आधारित

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

है। यह विड़म्बना रही है जब कभी किसान के वोट से हमें वैतरनी पार करनी होती है तब हम कभी उसको धरती पुत्र कहते हैं और कभी अन्नदाता कहते हैं और निश्चित तौर पर, सभापति महोदय, आप भी उसी वर्ग से आते हैं, आपने भी यह अनुभव किया होगा कि यह किसान संगठित भी नहीं है और भोला भी है इसलिए, सभापति महोदय, यह जो सत्ता के मद में चूर सरकार बैठी है पिछले ढाई वर्षों से एक राग जरूर अलापती है, मुख्य मंत्रीजी का तो तकिया कलाम है कि हमने चुनाव घोषणा पत्र जारी किया, हम हमारे चुनाव घोषणा पत्र के प्रति प्रतिबद्ध हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं उस घोषणा पत्र की चंद लाइनें पढ़कर सुनाना चाहता हूं। घोषणा पत्र में पृष्ठ 18 और 19 पर इसी कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की थी, 19 घोषणाएं हैं, मैं सबका जिक्र नहीं करूंगा परन्तु, सभापति महोदय, दो, तीन, चार मोटी-मोटी घोषणा के बारे में कहूंगा। इसी सरकार ने यह कहा था, इसी पार्टी ने यह कहा था कि अगर हम सत्ता में आये तो हम कृषि को उद्योग का दर्जा दे देंगे। इसी सरकार ने यह कहा था कि हम नई कृषि नीति लाकर किसान की सारी समस्याओं का पूरा समाधान कर देंगे। प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को तुरन्त मुआवजा देंगे। किसान की उपज का उचित मूल्य मिले, इसका प्रबन्ध करेंगे और, सभापति महोदय, यहां तक कह गये कि किसान को कृषि कार्य हेतु जो भी किसान ऋण लेगा उसका ब्याज अगर मूलधन से ज्यादा भी हो गया तो उसको भी यह माफ करेंगे। वेयरहाउसिंग का प्रबन्ध करेंगे। परन्तु, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि ढाई वर्ष हो गये, आपकी सरकार उत्तरार्द्ध में है। सरकार की उम्र अगर वास्तविक रूप से देखें तो चार वर्ष है, पांचवां वर्ष चुनाव का वर्ष है। इन ढाई वर्षों में किसी ने रोका कि आप कृषि को उद्योग का दर्जा मत दो। किसी ने रोका कि आप किसान को उचित समर्थन मूल्य पर उसका अनाज बिके इसका प्रबन्ध नहीं करें। आपके मुख्य मंत्रीजी ने एक पत्र लिखा था कि सरकार अपने संसाधनों से किसान की उपज को, जौ को, गेहूं को, सरसों को उचित मूल्य पर खरीदेगी। निश्चित तौर पर, सभापति महोदय, भारत सरकार की एफ.सी.आई. उसमें इन्वाल्व्ड है, राजफैड इसमें इन्वाल्व्ड है परन्तु कल्याणकारी सरकार जो किसान को यह कहे कि हम आपकी कृषि को उद्योग का दर्जा देंगे, अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते और उस समय तो जिम्मेदारी और ज्यादा हो जाती है जब आपके मुख्य मंत्रीजी सार्वजनिक तौर पर कहते हैं कि राज्य सरकार ने साहसिक निर्णय लिया है, हम अपने संसाधनों से किसान की उपज के उचित मूल्य का प्रबन्ध करेंगे। अब, सभापति महोदय, आज हालत क्या है, आज मंडियां अनाज से अटी पड़ी हैं। आज अगर किसी को फायदा हो रहा है तो बिचौलियों को हो रहा है। किसान अपनी उपज को लेकर जाता है, खड़ा रहता है। आज कृषि विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत के कारण, राजफैड के अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत के कारण जो बिचौलिए हैं, वह किसानों को कहते हैं कि अगर तुझे तेरी जिन्स बेचनी है, फसल बेचनी है तो मुझे फसल दे जा। वह जरूर समर्थन मूल्य का लाभ ले रहे हैं।

कृषि मंत्रीजी, किसान की आप बात बहुत करते हैं। आप बड़ी अच्छी उर्दू भी बोलते हैं।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आपकी भाषा भी अच्छी है। परन्तु मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आप जब से पधारे हैं, कभी आपने सोचा कि कृषि और कृषि कार्यों पर जो योजना का व्यय है, योजनागत व्यय, उसमें लगातार कमी क्यों होती जा रही है? 1998–99 में पूरे प्लान का, योजनागत व्यय का 7.57 प्रतिशत कृषि कार्यों पर व्यय करने का आपका प्रावधान था। 1999-2000 में कम होकर हो गया 6.2 प्रतिशत। 2000-2001 में हो गया 4 प्रतिशत और अब की बार 3 प्रतिशत। अब यह जो इस योजना के अन्तर्गत आपको जो राशि आबंटित हुई है, कृषि मंत्रीजी, कभी आपने इस पर निगाह डाली? आपको जितना आउट-ले मिला उसका एक्सपेंडिचर कितने प्रतिशत हो रहा है, कितना हो रहा है? 1998-99 में आपका आउट-ले था 364 करोड़ का और आपने खर्च किया 290 करोड़। 1999-2000 में 355 करोड़ और आपने खर्च किया 238 करोड़। 2000-2001 में 258 करोड़ और खर्च किया इन्होंने 169 करोड़। और अब के तो 3 प्रतिशत टोटल प्लान का। आपको मिला है 153 करोड़ के लगभग। अब आप खर्च क्या करेंगे, यह समय बताएगा।

सभापति महोदय, जिस तरह की जलवायु राजस्थान की है, आप अच्छी तरह अनुभव करते हैं कि लगातार तीन वर्षों में किसान को चारों तरफ से मार पड़ी है। कृषि मंत्रीजी, आपकी सरकार ने केन्द्रीय सरकार को ज्ञापन दिया। उस ज्ञापन में आपने स्वयं ने स्वीकार किया है कि पिछले वर्ष के अन्दर राजस्थान के किसान की 3512 करोड़ की फसल नष्ट हो गयी। 30,583 गांवों में अकाल पड़ा। 19,817 गांवों में पूरी फसल नष्ट हो गयी 75 से 100 प्रतिशत खराबा। 10,766 में 50 से 75 प्रतिशत खराबा। अब है, सभापति महोदय, खरीफ की बुवाई हुई 116 लाख हैक्टेयर में। 89 लाख हैक्टेयर फसल सूखे की चपेट में आ गयी। इसी तरह रबी के अंदर बुवाई हुई 52.28 लाख हैक्टेयर और पानी की कमी के कारण, बिजली के कारण, यह बात तो करते हैं आठ घण्टे बिजली देने की, सभापति महोदय, परन्तु हालत क्या हो गयी? आज इनके खुद के आंकड़े यह कह रहे हैं कि 22 लाख हैक्टेयर की फसल का नुकसान रबी के अन्दर हुआ।

सभापति महोदय, जो किसान की मुख्य उपज है गेहूं, बाजरा, ज्वार, 1998-99 में 40 प्रतिशत समाप्त हो गया। 1999-2000 में 53 प्रतिशत हुआ और 2000-01 में 44 प्रतिशत हुआ। मूंग, मोठ, चने के अन्दर 1998-99 में 47 प्रतिशत का खराबा हुआ, फसल नष्ट हो गयी, खेत के अन्दर नष्ट हो गयी। 1999-2000 में 73 प्रतिशत और 2000-2001 के अन्दर 46 प्रतिशत। इसी तरह तिलहन के अन्दर 19 प्रतिशत, 23 प्रतिशत और 28 प्रतिशत। इसके बाद, सभापति महोदय, सपोर्ट प्राइस पर किसान की फसल बिकी। इसकी चर्चा बहुत हुई। आरोप–प्रत्यारोप भी बहुत हुए परन्तु, कृषि मंत्रीजी, इस आरोप-प्रत्यारोप से उस किसान का भला नहीं होगा। कम से कम इस बात को विचार करना चाहिए, खुले मन से विचार करना चाहिए और कल्याणकारी सरकार कहने वाली सरकार, जो अपने आपको पारदर्शी, संवेदनशील कहती है, आपको इन्तजाम करना चाहिए। आपको इन्तजाम इस बात का करना चाहिए कि किसान को उसकी उपज का पूरा मूल्य मिले।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अब मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि बाजरे का समर्थन मूल्य है 445 रुपये और बाजरा बिका 350 में। सभापति महोदय, आपने खुद ने अनुभव किया होगा... (व्यवधान) बाद में बढ़ा दिया। धान का तो 510 में बिका 407 में, सरसों का 1100 और सरसों बिकी 950 के लगभग और जौ का 500, सभापति महोदय, आज जौ कि फसल इस शुष्क जलवायु के अन्दर लोगों ने बड़ी मात्रा में बोई। आज 350-400 रुपये में किसान उस फसल को बेचने के लिए मजबूर है। यानि किसान हर जगह लूट रहा है।

सभापति महोदय, मैंने इस प्रगति प्रतिवेदन को पढ़ा। मैं बड़ी गंभीरता से निवेदन करता हूं। यह प्रगति प्रतिवदेन और इसके अन्दर जो-जो कार्यक्रम, कृषि मंत्रीजी ने जिन-जिन कार्यक्रमों का उल्लेख किया है, एक भी कार्यक्रम के लिए किसान से पूछें, यह है कृषि विभाग, राजस्थान, इस राजस्थान के कृषि विभाग ने 27 जिलों में कृषि विस्तार के अन्दर, सभापति महोदय, आप बता दें, आप जाते हैं गांवों में, मंडावा में पधारते हैं और आप अपनी आदत के अनुसार गांवों में घूमते हैं, आपने कोई कृषि विस्तार केन्द्र और उसमें किसी किसान को लाभान्वित होते देखा हो तो बताओ। यह कह दिया किसान मण्डल की बैठकें और यहां कह दिया इस प्रगति प्रतिवेदन में प्रत्येक सोमवार, मंगलवार, बुधवार और शुक्रवार को इन दिनों में दोपहर में दो बजे से लेकर पांच बजे तक बैठकें होंगी। सभापति महोदय, मैंने तो आज तक देखी नहीं। गांवों में मैं भी घूमता हूं और गांवों में आप भी जाते हैं। आप किसी भी जिले में चले जाएं अगर वास्तविक रूप से आप देखे, कागजों के अन्दर इस तरह की बैठकें होती हैं।

श्री सभापति : आपका क्षेत्र कृषि प्रधान नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, सभापति महोदय, मेरा क्षेत्र शुष्क जरूर है परन्तु मेरे क्षेत्र में भी आजीविका का मुख्य अगर कोई साधन है तो पशुपालन और कृषि है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा था, सभापति महोदय, इन्होंने प्रतिवेदन में लिखा कि 2000-2001 में 6455 किसानों की गोष्ठियां इन्होंने कर लीं और उसमें 9,35,349 किसानों ने भाग ले लिया। सभापति महोदय, यह गोष्ठियां भी कागजों में, यह सारी कागजों में हुईं। यह मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं, कृषि मंत्रीजी, कि यह जो सारे कार्यक्रम हैं, मैंने आपके तीन प्रतिवेदन पढ़े हैं, यूं लगता है कि एक-दूसरे की कापी की हुई है। आप भी किसानों से संबंधित रहे हैं। तीन-तीन सूबे के अन्दर मंत्री रहने का सौभाग्य एकमात्र आप व्यक्ति हैं, जिनको प्राप्त है। कम से कम यह देखते तो सही कि यह चीज है। यूं लगता है कि पिछले प्रतिवेदन को लेकर उसकी कापी करके डाल दी। इसमें जो कार्यक्रम हैं, इन कार्यक्रमों का यथार्थ में कोई उपयोग है क्या?

अब किसान सलाहकार समिति पर आपने 32 लाख रुपये खर्च कर दिये। आप अपने विधान सभा क्षेत्र में चले जाना और वहां पूछ लेना किसान सलाहकार समिति की बैठकें कभी हुईं क्या? आपने किसान सखा की बात कर दी। किसान का सखा कौन है? जब से आप पधारे हो न ऊपर वाला सखा है, न आप सखा हैं। उस पर आपने 20 लाख रुपये खर्च कर दिये। किसान सेवा की

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

बात कर ली। सभापति महोदय, यह जो कृषि विकास योजना विश्व बैंक की सहायता से यह चला रहे हैं, यह भी पूरी की पूरी कागजों में चल रही है। हां, एक काम आप जरूर कर रहे हैं। आज जिस तरह अंधाधुंध फर्टिलाइजर का उपयोग बढ़ा रहे हैं, इंसेक्टिसाइड का बढ़ा रहे हैं, पेस्टिसाइड का बढ़ा रहे हैं, उसमें खाद का उपयोग तो बढ़ रहा है, खाद वितरण करने का काम आप जरूर कर रहे हैं। 2000-2001 के अन्दर छह लाख 68 हजार टन और 2001-02 में आपने लक्ष्य रखा है 9,02,086 । खाद की खपत भी बढ़ रही है। आज, सभापति महोदय, जमीन की उर्वरा शक्ति धीरे-धीरे कम होती जा रही है। खाद पर भी निर्भरता ज्यादा बढ़ती जा रही है। सभापति महोदय, आपने अनुभव किया होगा कि इस फर्टिलाइजर के उपयोग से, इंसेक्टिसाइड के उपयोग से, पेस्टिसाइड के उपयोग से जो फसल पैदा होती है, जो फल-सब्जी पैदा होती है, उसका टैस्ट पुराने टैस्ट जैसा नहीं रहा। पहले तो हम गांवों के अन्दर बाजरे की रोटी सीधी-सीधी अगर तोड़कर भी खाना चालू कर दें तो मीठी लगती थी। अब संकर बाजरे की रोटी तो आप खा ही नहीं सकते। गांव में खेत में जाता-जाता, दौड़ता-दौड़ता किसान बाजरे की रोटी खा लेता था।

श्री के.सी. विश्नोई : यह ढाई साल में हुआ है क्या? इससे पहले आप क्या कर रहे थे?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, ढाई साल में नहीं हुआ। मैं नहीं कहता कि ढाई साल में ही हुआ है। परन्तु यह एक इस तरह का विषय है, संगरिया से आने वाले माननीय सदस्य, इस पर सदन को निश्चित तौर पर विचार करना चाहिए।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : अब चूरू रहना पड़ रहा है न, इसलिए बाजरे की रोटी का टैस्ट अब पता चला है। पहले आप यहां जयपुर बिराजते थे तो यह पता नहीं चलता था। आप जिनको समझा रहे हो, उनकी पूरी जिंदगी, 70 साल हो गये और यह गांवों में बिराज रहे हैं और संकर का और बाकी सारे बाजरे का सारा टैस्ट पता है इनको।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। बीच में बोलने वालों की बात पर आप अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करें और इग्नोर कर दें उनको।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि 1998-99 में फर्टिलाइजर की खपत प्रति हैक्टेयर 34.26 किलो थी, वह 2001-02 में 45 किलो हो गयी। कितनी तेजी से बढ़ रही है। अब हो क्या रहा है, सभापति महोदय, आज किसान फिर ठगा जा रहा है। पहले प्रकृति ने मारा और फिर कृषि विभाग ने मारा। मैं दावे के साथ कहता हूं मंत्री महोदय, कि नकली खाद, नकली कीटनाशक और अप्रमाणित बीज जितनी बड़ी मात्रा में आपके विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत से और आपकी नाक के नीचे, अपने आपको संवेदनशील सरकार कहने वाली सरकार में बिक रहा है, यह पहले कभी इस तरह का नहीं था। कहने को तो आपने प्रत्येक जिले में एक डिप्टी डायरेक्टर लगा दिया। 197 फर्टिलाइजर इंस्पेक्टर हैं, 197 सीड इंस्पेक्टर हैं और 260 औषध निरीक्षक हैं। अब आप देखे कीटनाशक के लिए इन्होंने लैब कहां खोल रखा है। खाद के लिए 9 लाख टन के लगभग खाद का उपयोग

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

हो, और बीज का उपयोग इनके आंकड़ों के अनुसार, 193 हजार क्विंटल प्रमाणित बीज का आपने कहा है कि इतना उपयोग बीज का आपने अनुमानित किया है। अब अगर आपको पेस्टिसाइड को जांच करवाना है तो आपके पास दो प्रयोगशालाएं हैं, जयपुर और बीकानेर की। खाद अगर नकली मिले और आपको जांच करानी है तो आपको जोधपुर, जयपुर और उदयपुर जाना पड़ेगा। बीज का जयपुर, गंगानगर, कोटा और चित्तौड़। अब इन प्रयोगशालाओं में आप यह भी देखें कि विभाग ने यह तय कर लिया है कि कितने-कितने यह नमूने लेंगे। खाद के नमूने का लक्ष्य था, मंत्री महोदय, 1999-2000 में 6000, अब आप बताएं कि इतनी बढ़ी मात्रा में खाद का उपयोग और नमूने ले रहे हैं 6000, और आपने लिए कितने, 4295। 2000-01 में 6000 की जगह आपने लिए 4000। और आपने खुद ने माना है कि सब-स्टैण्डर्ड, अमानक पाये गये 55 और 37। आप जब अपना जबाव दें तब मेरे को बताना कि जो अमानक पाये गये उनमें आपने क्या कार्यवाही की?

श्री तैयब हुसैन : यह बता दूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूं, आज भी सदन में यह सवाल था, लाडनूं से आने वाले माननीय सदस्य ने किया था, जिस पर पिछली बार भी बड़ी चर्चा हुई थी। आपको याद होगा बायो फर्टिलाइजर, कानोता वाला मामला। उसको 50 परसेंट अनुदान मिलता है, 10,82,972 पैकेट उसको मिले और उसका जब नमूना लिया तो 319 नमूने सब-स्टैण्डर्ड पाये गये। केन्द्रीय कृषि मंत्रालय की टीम ने दौरा कर लिया और यह कह दिया अपने निरीक्षण के बाद कि बायो फर्टिलाइजर बनाने के लिए कारखाना उपयुक्त नहीं है। सदन में चर्चा हो गयी, कम से कम आप कहते कि मेरे ध्यान में नहीं आया। परन्तु आपके ध्यान में आने के पश्चात् आज तक आपने इस बायो फर्टिलाइजर, कानोता के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की। उसका व्यापार चलता जा रहा है। अब आपका दामन वहां पाक-साफ होता तो कम से कम यह प्रमाणित बातें हैं, इनके खिलाफ तो आप कार्यवाही करते।

श्री तैयब हुसैन : सभापति महोदय, इस सिलसिले में...

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदय, आपकी रिप्लाई के समय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, बीच में बोलना चाहें बोल लें, मेरे को कोई एतराज नहीं।

श्री तैयब हुसैन : मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने कहा है...

श्री सभापति : इस समय आप इसको अपने पास ही रहने दीजिये, बहस बढ़ जायेगी। आप बोलेंगे तो इसकी प्रतिक्रिया होगी... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कोटा के अन्दर सोयाबीन में तम्बाकू इल्ली लगी थी, आप पधारे थे और आपकी आंख तब खुली थी जब प्रतिपक्ष के नेता वहां चले गये और अखबारों में... (व्यवधान) मैं 15 मिनट लूंगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप मेरी

(श्री सभापति)

तरफ देखिये, उनको मुखातिब मत होइये आप। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि कोटा के अन्दर 5000 हैक्टेयर जमीन पर खड़ी फसल की मेहनत से, धरती का सीना चीर कर सोयाबीन पैदा करने की इच्छा थी, उसकी एक-दो नहीं, सभापति महोदय, 5000 हैक्टेयर में तम्बाकू इल्ली ने पूरे कोटा संभाग के अन्दर किसान को ऐसी चोट पहुंचाई कि आज भी वहां का किसान कराह रहा है। अखबारों में साया हो गया कि तम्बाकू इल्ली ने सोयाबीन की फसल को चट करना प्रारम्भ कर दिया। किसान रोता-रोता कृषि विभाग के अधिकारियों के पास जाता है, अधिकारी कहते हैं कि हमें तो इसका नमूना लेना पड़ेगा। यह जो शंकू के रूप में, जिसको कि प्यूबा कहते हैं, इसकी जांच करवायेंगे और जांच करवाते-करवाते इतने लेट हो जाते हैं कि वो लारवा बन जाता है।

सभापति महोदय, यही नहीं, किसान वहां के राजफैड से, क्रय-विक्रय सहकारी संघ से कीटनाशक खरीद कर लाता है, छिड़कता है लेकिन असर नहीं होता। जब यह सारा बवेला खड़ा होता है, सभापति महोदय, तो मंत्रीजी वहां जाते हैं, मुख्य मंत्रीजी भी जाते हैं और प्रतिपक्ष के नेता भी जाते हैं। और कहते हैं कि हम जांच करवायेंगे लैप्सेज कहां-कहां रह गये। सभापति महोदय, मैं बड़े अदब से निवेदन करना चाहता हूं कि जो पेस्टिसाइड वहां राजफैड से और क्रय–विक्रय सहकारी संघ की दुकान से खरीदा गया वह अमानक निकला, उसके अन्दर जिस टैक्निक का उपयोग होना चाहिए था, 60 परसेंट जिसका कंसटेंट होना चाहिए 30 परसेंट रहा। पूरी समस्या का जिन लोगों ने समाधान समय पर नहीं किया, जिन लोगों ने किसान के दर्द को नहीं सुना, जांच रिपोर्ट हुई, प्रतिपक्ष के नेता वहां गये और उनके बाद तो कृषि मंत्रीजी की नींद खुली। बड़ी कृपा की, आप कोटा की धरती पर पधारे तो सही। परन्तु आप उत्तर दें तब बतायें, मैं पूछना चाहता हूं कि आपने घोषणा की, सरकार ने घोषणा की कि हम जांच करवायेंगे। वह जांच रिपोर्ट आपके पास आ गयी, ठण्डे बस्ते में क्यों पड़ी है, कृषि मंत्रीजी? आप कम से कम इसको भी बतायें।

सभापति महोदय, आज हालत क्या है, गंगानगर और हनुमानगढ़ में बड़ी मात्रा में कीटनाशक नकली बिक रहा है और नकली बिकने का कारण भी है। हरियाणा और पंजाब में इस पर टैक्स नहीं है, हमारे यहां 4 परसेंट टैक्स है प्लस सरचार्ज भी है। गरीब किसान जाता है पेस्टिसाइड, इन्सैक्टिसाइड खरीदने के लिए। वहां कृषि विभाग की मिलीभगत से वहां के दुकानदार किसी भी प्रसिद्ध कम्पनी का कुछ पेस्टिसाइड, इन्सैक्टिसाइड मंगा कर रख लेते हैं और उसी सीरियल का और और उसी बैच नम्बर का बड़ी मात्रा में नकली भी मंगा कर रख लेते हैं। किसान को कहते हैं कि तू अगर बिल लेगा तो 4 परसेंट टैक्स लगेगा, हरियाणा से लाये हैं, पंजाब से लाये हैं बिना टैक्स के, बिल नहीं देंगे, ले जा। वह सिर्फ इसलिए कि अगर बाद में किसान कहे कि यह नकली निकला, इसका असर नहीं हुआ तो कहते हैं कि मेरी दुकान से खरीदा ही नहीं। आज हालत बड़ी विचित्र है।

मंत्रीजी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपके वहां के जो इंस्पेक्टर हैं, जो आपके डिप्टी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

डायरेक्टर हैं और लम्बे समय से जमे बैठे हैं, पहली बात तो सैम्पल लेते नहीं और सैम्पल लेते हैं तो दुकानदार को कहते हैं कि वह असली वाला निकाल कर ला, उसका सैम्पल लेंगे।

कृषि मंत्रीजी, एक और वहां बड़ी मिलीभगत चल रही है, बहुत बड़ी मिलावट चल रही है। आपको मालूम है कि किसान ज्यादातर फसल की बुवाई के अन्दर, चाहे गेहूं हो, चाहे धान हो, डी.ए.पी. खाद का उपयोग करता है। सभापति महोदय, डी.ए.पी. खाद की कीमत है 425 रुपये प्रति बैग, इसमें फासफेट और नाइट्रेट दोनों होते हैं और इसी रंग का, इसी तरह का सुपर फासफेट का कट्टा आता है, उसकी कीमत है 150। अब डी.ए.पी. को खोल करके सुपर फासफेट आधा डाल कर और धड़ल्ले से वहां बिक रहा है। एक निवेदन करना चाहता हूं, मंत्रीजी, आपसे कि कम से कम सर्टिफाइड सीड के नाम पर जो आपके विभाग ने लूट-खसोट मचा रखी है, इससे बड़ा कोई दुश्मन किसान का हो नहीं सकता।

सभापति महोदय, होता क्या है, पहले तो इनका फीडर सीड होता है, अब फीडर सीड पैदा करते हैं तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी करती है या कृषि अनुसंधान केन्द्र करता है। फीडर सीड जब बन जाता है तब सीड कारपोरेशन क्या करती है, इसको कुछ किसानों को ब्रीडर सीड पैदा करने को देती है और जब ब्रीडर सीड पैदा हो जाता है तो उसको स्टेट सीड सर्टिफाइड एजेंसी वेरिफाई करके फिर जितना बीज की आवश्यकता होती है वह किसानों को कहते हैं कि आप बीज पैदा करो और उसको सर्टिफाइड बीज कहते हैं। अब इस सर्टिफाइड बीज पर प्रति क्विंटल का 300 से लेकर 500 रुपये का अनुदान एक्सट्रा मिलता है। सामान्य कीमत तो मिलती ही है इसके अलावा अतिरिक्त पैसा मिलता है। अब होता क्या है, सर्टिफाइड सीड जिस फील्ड के अन्दर बीजा जाता है, मेरे नाम से कोई खेत है या नहीं है, कृषि विभाग के अधिकारी लिख देते हैं कि राजेन्द्र सिंह, रकबा नम्बर इतना-इतना, सर्टिफाइड सीड। फिर दूसरा आप गेहूं या चना, जिस चीज का सीड जो पैदा होता है, उसको लेकर सर्टिफाइड सीड का ठप्पा लगा कर उसको बेचने का काम करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि बीज नियंत्रण अध्यादेश बना हुआ है, फर्टिलाइजर कंट्रोल 1985 का है, पेस्टिसाइड कंट्रोल आर्डर भी है परन्तु इसके तहत आप कार्यवाही क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते कि आप जो घोषणा करते हैं, उन घोषणाओं पर आप अमल करते नहीं।

कृषि मंत्रीजी, आज यहां पर कृषि विपणन मंत्रीजी हैं नहीं, उनकी भी मांग इसी से सम्बन्धित है।

श्री तैयब हुसैन : परसादी लालजी हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अच्छा, आप बिराज रहे हैं। अगर वो होते तो खड़े होकर बीच में अच्छा भाषण तो दे लेते हैं। सभापति महोदय, आज हालत क्या है?

श्री सभापति : पशुपालन पर नहीं बोलोगे क्या कुछ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : दो मिनट ही लूंगा। आज लम्बी-चौड़ी घोषणा करना सरकार की आदत में शुमार हो गया। सभापति महोदय, यह प्रगति प्रतिवेदन राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड का प्रगति प्रतिवेदन है। इसके पृष्ठ तीन पर ग्रामीण सड़कें

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

1999-2000 है। बड़ी जोर से घोषणा की थी, इस घोषणा पत्र को लेकर सदन के अन्दर कई बार खड़े हो करके जोर-जोर से बोले हैं मंत्रीजी। ग्रामीण सड़कों में प्रशासनिक स्वीकृति निकाली इन्होंने 7710 लाख की और वित्तीय स्वीकृति निकाली 2259 की। अब इनसे कोई पूछे कि इस प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति में इतना अन्तर क्यों? और 2000-2001 के अन्दर 5559 और वित्तीय स्वीकृति निकली 264, मतलब इनको थोथी बातें कहनी।

सभापति महोदय, इसके अलावा आपको याद होगा, आपसे भी प्रस्ताव लिया होगा, सरकार ने लम्बी-चौड़ी घोषणाएं कीं, मुख्य मंत्रीजी का भी वक्तव्य एक बार छपा कि आर.आई.बी.एफ. योजना के अन्तर्गत नाबार्ड से डेढ़ सौ करोड़ का लोन लेंगे और इन्होंने तीन चरण तय कर दिए और कहा कि हम सड़कें बनायेंगे। हुआ क्या, अब प्रथम चरण के अन्दर 275 सड़कें तय कीं, लम्बाई 1064, राशि के लिए इन्होंने कहा कि 8680 अब इसके लिए तो इन्होंने कहा कि कार्य प्रगति पर है। अब तक इन्होंने 4571 लाख रुपये खर्च भी कर दिए। दूसरे चरण का देखो 281 किलोमीटर सड़क की बात कह दी, 2255 लाख रुपये खर्च करने की बात कह दी और अब आगे लिखते हैं कि राज्य सरकार द्वारा नहीं करवाने का निर्णय लिया गया है। तो इनसे कोई पूछे कि राज्य सरकार ने अब कार्य नहीं करवाने का निर्णय लिया, इसीलिए तृतीय चरण के अन्दर इसी सदन के अन्दर इन्होंने सब चरणों की घोषणाएं की थीं। तीसरे चरण के अन्दर लिख दिया कि नाबार्ड द्वारा योजना स्वीकृत नहीं की गयी मतलब नाबार्ड को इन्होंने जिस तरह के कागजात भेजे, ऋण की शर्तें रखीं, नाबार्ड ने अस्वीकार कर दिया। सरकार की साख ही ऐसी है कि नाबार्ड जैसी संस्था इनको ऋण देना नहीं चाहती। तो मेरी समझ में नहीं आया, जब आप जवाब दें तब बतायें कि आवश्यकता क्या पड़ी थी आपको घोषणा करने की फर्स्ट फेज, सैकिण्ड फेज और थर्ड फेज की। जब आपके पास पैसा नहीं, यह हश्र होने वाला है, सभापति महोदय, जितनी घोषणाएं इन सबका। इसी तरह 660 करोड़ की इन्होंने घोषणाएं भी की हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसी तरह अब हालात क्या बन गये। आज बड़ी संख्या के अन्दर ठेकेदार बीच में काम छोड़कर चले गये। सरकार ने एक जांच बिठायी और जांच बिठाकर साढ़े तीन करोड़ रुपये जिन ठेकेदारों का बकाया था उन ठेकेदारों को ब्लैक लिस्टेड करके उनसे पैसा वसूल करने की कार्यवाही करने की मंशा जताई। जांच पूरी की डायरेक्टर स्तर के अधिकारी ने परन्तु वह पत्रावली सचिवालय पहुंचते-पहुंचते ठण्डे बस्ते में चली गयी। आप क्यों बचाना चाहते हैं ऐसे लोगों को? मेरी समझ में नहीं आया। अभी हिण्डौली के चुनाव में आपने घोषणा कर दी केशोरायपाटन की मिल को चलाने के लिए क्योंकि आपको तो वोट ठगना था, 66 लाख रुपया आप देंगे, कृषि उपज मण्डी लोन देगी,यह सार्वजनिक घोषणा की थी, कहां गया वह पैसा, कम से कम कुछ बातों के अन्दर तो आपको जो कहो वह करना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं ज्यादा नहीं कहते हुए पशुपालन पर दो तीन बातें कहना चाहूंगा। सभापति महोदय, आप गांव से आते हैं। गांवों के अन्दर गौवंश की जो नस्ल है उस पर हम ही नहीं पूरा राष्ट्र गौरव करता है। पर हो क्या रहा है,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आज चाहे राठी गाय हो, थारपारकर हो, कांकरेज हो या राहू हो यह अलग-अलग इलाके की अलग-अलग जलवायु के कारण गायों की वहां सार्थकता है। इन गायों का इस तरह का रहन सहन और इनका चारे का, पीने का पानी का सारी चीजें जो जीवनचर्या है, उसमें इन गायों की वहां उपादेयता है परन्तु धीरे-धीरे ये गायें तो लुप्त होती जा रही हैं। और होलिस्टीन और जर्सी, मंत्रीजी, जब आप जवाब दें तब बतायें कि आप परम्परागत नस्लों को बचाने के लिए क्या कार्यवाही करते हैं, इसके लिए आपके पास क्या योजना है।

अब भेड़ पालकों के बारे में दो मिनट निवेदन करके अपनी बात समाप्त करूंगा। तीन भेड़ अनुसंधान केन्द्र हैं हमारे यहां फतेहपुर, चित्तौड़ और जयपुर। फतेहपुर की चर्चा करूंगा क्योंकि मेरें निर्वाचन क्षेत्र से लगता हुआ क्षेत्र है। फतेहपुर का जो भेड़ अनुसंधान केन्द्र है उसमें भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के अन्दर विदेशी लोग आकर देखा करते थे कि वहां रम्बूलेट और मेरिनो जैसी जो विदेशी भेड़ें हैं जिनसे अच्छी ऊन पैदा होती है उनसे वहां उन्नत किस्म के मैंढ़े तैयार करके किसानों को रियायती दर पर बेचने का काम हुआ करता था। अब इस वर्ष में वहां 4200 भेड़ें कुल हैं और बजट है उसका 125 लाख और कर्मचारी वहां काम कर रहे हैं 85 और छह महीने के अन्दर चारे के अभाव में सरकार के इस फार्म के अन्दर जिसको भेड़ प्रजनन अनुसंधान केन्द्र के नाम से जाना जाता है, जिसकी ख्याति थी कभी, अब ख्याति से तो कोई मतलब ही नहीं है, 720 भेड़ें मर गयीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि उनका पेट खाली था। मेरी समझ में नहीं आता कि 125 लाख का बजट 80 से ज्यादा कर्मचारी, डिप्टी डायरेक्टर के स्तर का वहां का प्रभारी और उसके बाद भेड़ें मर रही हैं। मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर आपको इसकी जांच करवानी चाहिए। पशुपालन मंत्रीजी, मैं आपका ध्यान केन्द्रीय ऊन बोर्ड एकीकृत विकास परियोजना की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित वजन के मैंढ़े को पैदा करके उनको तैयार करके किसानों को सस्ते दाम पर उपलब्ध कराये जाने थे। मैंढ़े आपने खरीदे नहीं और डेढ़ करोड़ की दवाइयां आपके निदेशक ने खरीद लीं, किसके आदेश से? सभापति महोदय, मैंढ़े हैं नहीं, डेढ़ करोड़ की दवाइयां खरीद लीं इस परियोजना के अन्तर्गत, भारत सरकार का पैसा हो, चाहे राजस्थान सरकार का पैसा हो, यह पैसा राजस्थान की गरीब जनता का पैसा है, राजस्थान के किसान का पैसा है। भारत सरकार ने कुछ उद्देश्य लेकर इस योजना को चलाया था। डेढ़ करोड़ रुपये की दवाइयां पड़ी-पड़ी एक्सपायर हो रही हैं क्योंकि कमीशन की बात थी इसलिए इन दवाइयों को खरीदना बहुत जरूरी था।

सभापति महादेय, मैं निवेदन करूं, अभी आपने पढ़ा होगा, ब्रिटेन के अन्दर और दूसरे कई देशों के अन्दर खुरं पका, मुंह पका जिसको एफ.एम.डी. कहते हैं वहां तय कर लिया कि इस संक्रमण को रोकने के लिए जो भी इससे संक्रमित पशु हैं उनको समाप्त कर दें। मैं यह नहीं कहता कि हमें यह करना चाहिए था नवम्बर और दिसम्बर से लेकर मार्च तक, सभापति महोदय, यह रोग राजस्थान के चाहे झुंझुनूं जिला हो, नागौर

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

जिला हो और चाहे जयपुर जिला हो, जयपुर में सबसे ज्यादा प्रभावित था। रोग फैलता रहा, मंत्रीजी, आप अलमस्त रहे। फिर आपने औपचारिकता पूरी करने के लिए मुख्य मंत्रीजी की सदारत में एक बैठक बुला ली। अब तो हालांकि क्लाईमेट चेंज हो गया, अब तो इस क्लाईमेट के अन्दर, इस टेम्प्रेचर के अन्दर वायरस अपने आप मर गया परन्तु मेरा आरोप है कि इस तरह के रोग पर भी आपने कोई कार्यवाही नहीं की। आपने कार्यवाही किस कारण से नहीं की, यह मेरी समझ के बाहर की बात है। अभी झुंझुनूं से आने वाले माननीय सदस्या कह रही थीं कि आपके विभाग की हालत इतनी खरीब है, धीरे–धीरे आपकी खुद की साख चली गयी और आपके चिकित्सालय की भी साख चली गयी। एक दो नहीं, जहां साढ़े तीन सौ से ज्यादा पद रिक्त हों, ये ही मंत्रीजी बजट के अन्दर घोषणा करें कि हम इतने पशु चिकित्सालय खोलेंगे, इतने पशु उप केन्द्र खोलेंगे, सबमें ताले पड़े हुए हैं और विड़म्बना इस बात की है कि जितनों में ताले पड़े हैं, बन्द हैं पशु चिकित्सालय, उन सबकी दवाइयां खरीदी जा रही हैं और कहा जा रहा है कि पड़ोस के जहां चिकित्सालय चल रहे हैं उनका उपयोग वहां लिया जा रहा है। इन दवाइयों की खरीद फरोख्त में लाखों रुपये का घोटाला हो रहा है इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं...

श्री दिग्विजय सिंह : सभापति महोदय, यह फुट एण्ड माउथ बीमारी जो आपने बतायी कि जो जनवरी में आयी थी अभी डेढ़ दो महीने पहले, वह क्या है, फुट एण्ड माउथ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मुझे इतना तो मालूम नहीं परन्तु इस बीमारी को हमारी भाषा में मुंह पका और खुर पका कहते हैं। यह वायरल डिजीज है, सभापति महोदय, जिससे पशु का पैर पक जाता है और पशु का मुंह भी पक जाता है और लार टपकने लग जाती है। और लार के माध्यम से यह इतनी तेजी से फैलती है, इसको रोकने का उचित प्रबन्ध नहीं हो और उसका टीकाकरण पूरा नहीं हो तो इस बीमारी को रोका नहीं जा सकता।

सभापति महोदय, मैं राजस्थान कोआपरेटिव डेयरी फैडरेशन के लिए दो मिनट निवेदन करना चाहूंगा। सभापति महोदय, इसमें कोई शक नहीं कि आर.सी.डी.एफ....

श्री सभापति : रेगिस्तान के जहाज के बारे में कुछ नहीं बोलोगे क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, आप और हम देखते रहेंगे, वास्तव में हमारे राजस्थान का जहाज जिसको ऊंट कहते हैं, किसी जू के अन्दर चाहे देख लेना, आज की हालत के अन्दर ऊंट इकोनामिक हो गया परन्तु इसकी धीरे-धीरे नस्ल समाप्त होती जा रही है। जिस तेजी से ऊंट मर रहा है, मुझे तो आश्चर्य तब हुआ जब रोज समाचार पत्रों में आना चालू हुआ कि ऊंट भी मर रहे हैं, ऊंट भी कम होते जा रहे हैं। जनसंख्या का आंकड़ा जो माननीय मंत्रीजी ने दिया है इससे भी सिद्ध होता है कि राजस्थान के अन्दर ऊंटों की संख्या में निरन्तर गिरावट आ रही है। और इसके अलावा गिद्ध चला गया, मोर अब जाने में है, हालात इस तरह के बने हुए हैं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यहां अभी इस बात की चर्चा हुई, झुंझुनूं से आने वाली माननीय

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सदस्या ने चिन्ता प्रकट की, उस डब्ल्यू.टी.ओ. के समझौते के बाद दूध छह रुपये किलो आएगा। मैं समझता हूं...

(15.00 बजे)

श्री सभापति : छह रुपये किलो आ सकता है क्या आपके हिसाब से?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मेरे हिसाब से, सभापति महोदय, संभव नहीं है क्योंकि दूध पर 44 परसेंट से लेकर 60 परसेंट तक कस्टम ड्यूटी लगी है। यह तो जान-बूझकर इस तरह का वातावरण बनाया जा रहा है। पर, मंत्रीजी, मैं पूछना चाहता हूं, 23 दिसम्बर, 1994 को डब्ल्यू.टी.ओ. पर हस्ताक्षर करने वाले किसकी सरकार के अन्दर यह हुआ? लिबरलाइजेशन की बात कोई आज की बात नहीं है, 1991 से यह चर्चा चालू हुई और 1991 से चर्चा करते-करते हमने दिसम्बर, 1994 में डब्ल्यू.टी.ओ. पर दस्तखत किये। आज निश्चित तौर पर कृषि उत्पादन का खुला आयात-निर्यात होना अभी धीरे-धीरे प्रारम्भ हुआ पर इसमें सारे यह बात नहीं माननी चाहिए कि सारा का सारा गुनाह भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में बैठी सरकार के समय में हुआ है। इसके फाल आउट क्या रहेंगे, यह तो समय बताएगा। इसलिए, सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं इन सारे हालात को देखते हुए राजस्थान के साथ, यह राजस्थान की सरकार जो किसान के नाम पर वोट लेकर यहां आ गयी और किसानों के लिए घोषणा पत्र में 19 घोषणाएं कर डालीं, एक भी घोषणा को अमली जामा इस सरकार ने पहनाया नहीं। मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, हिम्मत हो तो वास्तविकता के साथ जवाब दो। हिम्मत थी वन मंत्रीजी में, उन्होंने खड़े होकर कहा कि मेरा विभाग सबसे भ्रष्ट है। एडिटोरियल लिखे गये, सभापति महोदय, देश के सारे अखबारों में उनकी प्रंशसा छपी। आपको यह कहना चाहिए कि मेरे पशु चिकित्सालय खाली पड़े हैं, आपको यह कहना चाहिए कि मेरे नीचे करोड़ों रुपये की दवाई को घोटाला हो रहा है और, कृषि मंत्रीजी, आप भी हिम्मत करके सामने आएं और यह कहें, राजस्थान के अन्दर कोटा के अन्दर, हनुमानगढ़ के अन्दर, गंगानगर के अन्दर नकली खाद बिक रही है, नकली पेस्टिसाइड बिक रहा है, अप्रामाणिक बीज बिक रहा है।

मैं समझता हूं इन बातों के साथ सामने आयेंगे तो ठीक होगा। आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री रामचन्द्र सराधना। ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : गाय पर बोल लिए, बैल पर बोल लिए, गधों पर बोले नहीं... (व्यवधान) गधों पर भी बोलना चाहिए था।

श्री सभापति : प्लीज, प्लीज। बोलने दें, माननीय सदस्य। आपके दल के माननीय सदस्य का नाम मैंने पुकार लिया, मान्यवर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह तो यह कह रहे हैं गधों पर भी बोलना चाहिए।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़) : माननीय सभापति महोदय, कृषि, कृषि विपणन और पशुपालन और डेयरी पर इस मांग की विशेष चर्चा में मैं मेरे विचार व्यक्त करने जा रहा हूं।

(श्री रामचन्द्र सराधना)

महोदय, मैं बिना किसी भूमिका के सीधे मुद्दे की बात करना चाहता हूं। वास्तव में यह बात सही है कि खेती करने वाले लोगों के लिए या किसानों के लिए हर राजनीतिक दल अपनी–अपनी चिन्ताएं जताया करता है और वह कितना कर पाता है वह स्वयं भी जानता है। लम्बी-चौड़ी बातें करने के लिए, लम्बे-चौड़े भाषण देने के लिए सब तैयार रहते हैं और जो विपक्ष में बैठता है बहुत अच्छी बात कर लेता है और जब सत्ता पक्ष में आ जाता है तब उसकी हवा निकल जाती है। अभी ढाई वर्ष पहले की बात है, जो लोग अभी बात कर रहे हैं सामने वाले, माननीय राजेन्द्र सिंहजी राठौड़ बोल रहे थे...

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह असंसदीय शब्द है हवा निकल जाती है।

श्री रामचन्द्र सराधना : यह पहले समझ लेना चाहिए कि असंसदीय क्या होता है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : हवा निकल गयी यह असंसदीय शब्द है।

श्री रामचन्द्र सराधना : असंसदीय नहीं है, बिराजिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : सभापति महोदय, यह असंसदीय शब्द है।

श्री रामचन्द्र सराधना : बिराजिये, असंसदीय तो अपन बात करते हैं कई बार वह होता है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : +++ (व्यवधान)

श्री रामचन्द सराधना : +++ अब तक अन्तर इतना ही है। उधर बैठते हैं वह वैसी भाषा बोलते हैं इधर बैठने वाले ऐसी भाषा बोलते हैं। किसान वहां की वहां खड़ा है। कृषि नीति ज्यों कि त्यों पड़ी है। परिवर्तन उसमें नहीं हो पाता है... (व्यवधान) परिवर्तन जो उसमें होना चाहिए...

श्री ज्ञानदेव आहूजा : +++ के बारे में पूछो ज्ञाननाथ से।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपने अपने आपको +++ स्वीकार कर लिया, काफी है।

श्री रामचन्द्र सराधना : आपके बीच में नहीं बोलें। हम भी बीच में नहीं बोलते हैं और आपको भी नहीं बोलना चाहिए। बड़ी सीनियर माननीय सदस्या हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपने अपने आपको +++ कहा, मैं तो यही कह रही हूं कि आप अपने आपको +++ कह रहे हैं, अच्छी बात है।

श्री रामचन्द्र सराधना : मैं वास्तविकता पर बात करता हूं और आप जो करती हैं वह एकतरफा बात करती हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्या, आप बहुत वरिष्ठ हैं। इस सदन की बहुत आदरणीय वरिष्ठ सदस्या हैं। माननीय सदस्य प्रथम बार आये हैं उनको प्रोत्साहित कीजिए।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : प्रोत्साहित तो कर रहे हैं। उन्होंने +++ कहा अपने आपको यह कहा मैंने तो।

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री रामचन्द्र सराधना : आदरणीय सभापतिजी, कृषि के मामले में जो नीतियां बननी चाहिए वह दृढ़ता से नहीं बन पाती हैं। कुछ दिनों पहले तीन-चार दिन तक बहस होती रही, जौ की खरीद समर्थन मूल्य पर नहीं हो रही है। यदि उसको सच्चाई से देखा जाए, चाहे विपक्ष के साथी बोलें चाहे पक्ष के बोलें, हर माननीय सदस्य को मालूम है कि किसान के यहां से खरीद पहले ही हो चुकी थी। किसान को केवल मण्डी में खड़ा किया जा रहा है और उसके नाम पर खरीद की जा रही है बनिये की दुकान से जौ की और उसका फायदा किसान को नहीं मिलकर वहां बिचौलियों को, उन सेठों को या उन व्यापारियों को हो रहा है। क्या इस मामले में दृढ़ता से कोई नीति नहीं बनायी जा सकती? किसान जब खरीद अपने नाम पर दे रहा है तो क्या उसकी गिरदावरी और जमाबंदी को नहीं देखा जा सकता है कि उसने कितना जौ बोया था, कितना पैदा हुआ और कितना बेचा है। एक किसान शाम तक 150--200 बोरी बेचता है, अपने नाम। शाम को 200-250-300 रुपये ले करके सेठ से वापस घर चला जाता है। यह हम समर्थन मूल्य पर बिकवाली कर रहे हैं? उनका बेचान करवा रहे हैं और यहां बड़े-बड़े भाषण दे रहे हैं और इलाके में जो कुछ हो रहा है उसकी ओर कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं।

मैं निवेदन कर रहा था कृषि की दो-तीन बातें हैं। खलिहान में आग लग जाती है तो उसकी क्षतिपूर्ति का कोई इन्तजाम नहीं है। कोई कानून नहीं बना हुआ है। यदि किसी के अग्नि दुर्घटना हो जाए, घर जल जाए, छप्पर जल जाए तो कोई लेना-देना नहीं है। उसके घर की चारों ओर से दीवार बनी हुई है और छप्पर जल जाता है तो उसको मामूली पैसा दे दिया जाता है लेकिन जिसका भरा पूरा खलिहान, छह महीने की कमाई उसकी जल जाती है उसका कोई इलाज नहीं है, उसके लिए कोई कानून नहीं बनाया हुआ है।

माननीय कृषि मंत्रीजी यहां बिराज रहे हैं, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे ओले पड़ने से फसल नष्ट हो, चाहे अग्नि दुर्घटना के कारण उसका खलिहान नष्ट हो उसके लिए निश्चित रूप से कोई न कोई मुआवजा तय करना चाहिए और मुआवजा भी आज की तिथि में, आज के समय में जितना अपेक्षित हो उसके हिसाब से करना चाहिए।

माननीय सभापतिजी, दूसरा मुद्दा कृषि विपणन का है। छोटी-छोटी दो--तीन बातें कहना चाहता हूं। मेरा नम्बर नहीं था उसके बावजूद भी मेरी प्रार्थना पर समय दिया है। कृषि विपणन के लिए कृषि विपणन की सड़क बनाने की बहुत बड़ी नीति है।

(15.07 बजे)

(श्री दिग्विजय सिंह, सभापति, पदासीन)

और उन नीतियों को पी.डब्ल्यू.डी. की नीतियों से जोड़ दिया गया है। पी.डब्ल्यू.डी. की जो नीति है उसके अनुसार कृषि विपणन अपनी सड़क बनायेगा तो उसका लाभ राजस्थान की जनता को नहीं मिल पा रहा है। यदि नीतियों के तहत ही बनता तो पी.डब्ल्यू.डी. रोड बना देती, कृषि विपणन के द्वारा बनायी जाने वाली सड़कों के लिए तो नीति अपनी ऐसी सुगम होनी चाहिए जो गांवों के लिए, छोटे-छोटे गांवों में पहुंचने के लिए, वहां के किसानों को आने-जाने के लिए सड़कें बनाने की। ग्रामीण सड़कें की

(श्री रामचन्द्र सराधना)

बात आती हो कृषि विपणन बोर्ड के द्वारा, और कृषि विपणन बोर्ड ने भी यदि पी.डब्ल्यू.डी. की नीतियों के आधार पर सड़क बनाना शुरू किया तो इसका लाभ राजस्थान की जनता को नहीं मिल पाएगा। इसलिए मैं निवेदन करता हूं आपके माध्यम से कि सड़क नीति में कृषि विपणन बोर्ड के द्वारा जो बनायी जा रही है उसमें परिवर्तन किया जाना चाहिए।

तीसरी बात है डेयरी विकास की। डेयरी विकास में मैं भी मेरे क्षेत्र के दो गांवों के लिए दो वर्ष से बराबर यह मांग करता आ रहा हूं इसमें एक तो भिंडोर गांव है, ग्राम पंचायत आमलोदा पंचायत समिति विराटनगर और एक गांव है पणदोबरनाड़ा पंचायत समिति विराटनगर का, वहां के किसानों को बहुत दूर तक डेयरी की सुविधा उपलब्ध नहीं है। वहां के लिए मैंने मांग की थी बराबर लिख-लिखकर दिया है लेकिन डेयरी मंत्री महोदय ने उस पर गौर नहीं किया। मैं चाहता हूं उस पर गौर फरमायें।

पशु चिकित्सा के लिए, पशुओं के लिए दूर-दूर तक चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है, इस बजट में भी कोई ऐसा प्रावधान नहीं किया। मैं निवेदन करता हूं इस बात के लिए भी कि पशुओं की चिकित्सा की व्यवस्था भी ज्यादा से ज्यादा करवायी जानी चाहिए ताकि किसानों को उसका लाभ मिल सके।

अभी एक छोटे से मुद्दे को बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया। गौ-मांस और सूअर-मांस का। यह निश्चित रूप से है कि यह धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ है। सूअर किसी दूसरे धर्म की भावनाओं से जुड़ा हुआ है, गाय किसी दूसरी धार्मिक भावनाओं से जुड़ी हुई है। इसी तरह से किसी न किसी जानवर को देखा जाए, किसी न किसी प्राणी को देखा जाए तो वह किसी न किसी धर्म से जुड़ा हुआ है। जैन धर्म को देखा जाए तो निश्चित रूप से वह भी कहते हैं किसी भी तरह के प्राणी की हत्या नहीं होनी चाहिए, जीव की हत्या नहीं होनी चाहिए। जब गाय की और सूअर की बात करके हम शोर मचाने के लिए तैयार हो जाते हैं, सभापति जी, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं हम यहां पर जितने भी सदस्य मौजूद हैं उनमें से कोई यह भी कह सकते हैं हम किसी भी तरह के प्राणी को मारने को तैयार नहीं हैं। कोई ऐसा कह सकता है?

श्री मदन दिलावर : इनको शर्म नहीं आती क्या... (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना : शर्म आपको नहीं आती उतनी जितनी मेरे को आती है।

एक माननीय सदस्य : जब भी कोई बोलते हैं बीच में खड़े हो जाते हैं... (व्यवधान)

श्री सभापति : बिराजिए, आप सुन लो इनको भी।... (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना : आपको शोर मचाने का शौक है, कपड़े फाड़ने का शौक है, जूते दिखाने का शौक है... (व्यवधान) हम इस स्थिति में नहीं आते और कभी नहीं आयेंगे। जीवन में हमने सीखा है, आपकी तरह +++ करना नहीं सीखा है... (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप बिराजिये। हमें आपको देखते हुए ढाई वर्ष हो

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री रामचन्द्र सराधना)

गये जो +++ करते हो। कपड़े फाड़ने को तैयार रहते हो, थेले में कपड़े रखकर लाते हो हम आपकी योजनाओं को जानते हैं... (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : गाय का मांस बिक रहा है... (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना : आप हमारी सुनिये। जिस तरह आपको तकलीफ होती है... (व्यवधान) हर धर्म वाले को तकलीफ होती है। जैन धर्म के भाइयों को भी तकलीफ होती है। आप जाकर होटलों में दूसरी तरह का मांस, मदिरा खाते हैं, क्या ऐसी घोषणा करने को तैयार हैं, हम तो छंटे-छंटाये राजस्थान से 200 आदमी चुन कर आये हैं। हम लोगों में से ऐसा कोई है क्या जो यह कह सके की हम किसी तरह का मांस नहीं खायेंगे। करो ना घोषणा, करने की बात करते हो। सूअर को ज्यादा दर्द होता है या गाय को ज्यादा दर्द होता है... (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : अपने जीवन में कभी खाया है न खायेंगे... (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना : दर्द हर प्राणी को होता है। सब धर्मों का पालन करना चाहिए। हम तो छंटे-छंटाये हैं। समझदार चुनकर आये हैं, राजस्थान में से 200 आदमी को चुनना मायने रखता है। राजस्थान के प्रबुद्ध और समझदार आदमी के लिए... (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : सराधना जी, गुर्जर हो... (व्यवधान) गौवंश के नाम पर गोचर भूमि... (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं...

श्री ज्ञानदेव आहूजा : गौ-मांस की बात करते हो... (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना : सभापति महोदय, इन लोगों को तो भाषण देने की आदत है... (व्यवधान) इन लोगों को शौक है हल्ला मचाने का, दूसरों को चुप करने का शौक है, लेकिन चुप करें तो कुछ कहकर करें। कोई मुद्दे पर करें, मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह मुद्दा सबसे ज्यादा मुद्दा है... (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना : उस पर भी गौर करना चाहिए और दूसरे लोगों को, दूसरे धर्मों का पालन करवाने वाले लोगों के लिए और प्राणियों की भी हत्या नहीं होनी चाहिए। मेरा इसमें यह सबमिशन है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : सभी प्राणियों की नहीं होनी चाहिए।

श्री रामचन्द्र सराधना : सभापति महोदय, एक निवेदन और करना चाहूंगा कि सत्ता पक्ष का सदस्य होने के बावजूद भी मुझे इस बात की थोड़ी सी तकलीफ है कि इस सदन में चाहे पर्ची के माध्यम से सवाल उठायें, चाहे किसी प्रक्रिया के माध्यम से सवाल उठायें, यदि आपने परमिशन दी है तो उस मुद्दे पर बहस होती है। और उस मुद्दे पर डिबेट होती है तो उस पर निश्चित रूप से गौर होना चाहिए। अभी माननीय सदस्य जो आर.टी.डी.सी. की बात कर रहे थे, उन लोगों

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री रामचन्द्र सराधना)

ने एक बात कही कि डबल पेमेन्ट हो रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं और आग्रह करूंगा कि यदि डबल पेमेन्ट हुआ है तो उसके बारे में अपने विचार व्यक्त करें और नहीं हुआ है तो ना करें। यह सार्थकता तब है हमारी कि यहां बैठ करके, इस सभागार में बैठ करके, इस सदन में बैठ करके हम बातें करते हैं तो कुछ सार्थक करते हैं। ऐसा नहीं हो कि किसी भी बात पर बात कर लें और किसी को उड़ा दें। हमारा शौक नहीं है इस तरह की बात करने का कि असत्य बात लेकर के आडंबर बना दें। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात पर भी गौर फरमायें और इस बात पर गंभीरता रखें कि सदन में बात हो तो गंभीरता से हो। केवल मात्र इसलिए नहीं हो कि अखबार वालों की तरफ देखकर कि हमारा भाषण में नाम आ जाना चाहिए। मैंने पहले भी एक दिन अखबार वालों से निवेदन किया था और फिर निवेदन करता हूं मीडिया से कि मीडिया हम लोगों को सुधार सकता है। मीडिया समाज को सुधार सकता है। ऐसा करके सुधार सकता है कि उदंडता करने वाले लोगों का, हल्की बात करने वालों का जब अखबार में नाम छपेगा तो दूसरे दिन ज्यादा तैयारी के साथ आयेगा। मैं मीडिया से अनुरोध करता हूं आपके माध्यम से कि यह जो स्थिति बनती जा रही है, यह राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत है। जब ग्राम पंचायतों की बात चल रही थी तो यहां कह रहे थे कि लट्ठ मचेंगे, पंचायतों में यह हो जाएगा, वह हो जाएगा। आप कौनसी पंचायत की बात कर रहे हैं। यह राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत है जिसमें हम क्या कर रहे हैं। राजस्थान की जनता देख रही है, रोज अखबार उठाकर देख रही है, टेलीविजन को देख रही है कि यह हमारा चुना हुआ व्यक्ति, हमारा चुना हुआ नेता कैसा भाषण दे रहा है और किस मुद्दे पर कैसी बात कर रहा है, और हम खुश हो रहे हैं कि हमने बड़ा हुड़दंग मचाया। दो घंटे तक हमने विधान सभा को, हाउस को नहीं चलने दिया। आधा घंटे हमने वैल में बैठाकर बिता दिया।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि मैं तो छोटा सा आदमी हूं, पहली बार चुनकर आया हूं। लेकिन पहले का इतिहास उठाकर देखते हैं वैल में आना कोई मायना रखता था। वाक आउट करना मायने रखता था। यह तमाशा नहीं था। हर किसी के बीच में बोलना बहुत बड़ी बात थी, यदि कोई माननीय सदस्य खड़ा होकर बोलता था तो पहले सोचता था कि मुझे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। पक्ष का नेता बोल रहा है या विपक्ष का कोई माननीय सदस्य बोल रहा है, उसकी बात के बीच में बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। गंभीरता से सोचा करते थे। अब वह बातें हल्की हो गयी हैं। मैं इस सदन से भी...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप डिमांड पर बोलें।

श्री रामचन्द्र सराधना : डिमांड मेरी पूरी हो गयी। मेरी सबसे बड़ी डिमांड यह है कि मुझे इस बात का गिला है, मुझे बड़ी शिकायत है इस बात से कि बड़े माननीय सदस्यों से जो बात सीखनी चाहिए, उस बात में हल्कापन आता जा रहा है।

डा. के.सी. चौधरी : खड़े हो गये हैं, उनको कैसे सुधारेंगे यह बतायें... (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना : मेरी बात को किसी पक्ष-विपक्ष की बात नहीं मानकर... (व्यवधान) एक ही निवेदन करना चाहता हूं... (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : +++ उनको शिक्षा दीजिये। यहां शिक्षा दे रहे हैं। +++ ने दिल्ली में क्या किया? 15 दिन तक लोक सभा चलने नहीं दी, गैर मुद्दे पर, आप यहां पर शिक्षा दे रहे हैं। यहां पर गरिमा की बात कर रहे हैं... (व्यवधान)

डा. के.सी. चौधरी : इतना बड़ा मुद्दा था... (व्यवधान) आपकी पार्टी का।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : +++ (व्यवधान)

डा. के.सी. चौधरी : इससे बड़ा मुद्दा और क्या होगा... (व्यवधान) यह बहुत बड़ा मुद्दा था... (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : सभापति महोदय, 50 करोड़ का नुकसान हुआ है... (व्यवधान)

श्रीमती कमला : राष्ट्रीय सुरक्षा से बढ़कर... (व्यवधान)

श्री कय्यूम खान : +++ (व्यवधान)

श्रीमती कमला : राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में... (व्यवधान) बर्दाश्त कोई भी राष्ट्र नहीं करेगा... (व्यवधान) उनका कहां मुकाबला कर रहे हैं आप।

श्री बाबूलाल सिंगारिया : तहलका मचता है... (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बिराजें, माननीय सदस्य... (व्यवधान)

श्री कय्यूम खान : +++ (व्यवधान) पंडितजी का नाम लेते हो आप लोग... (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बिराजें... (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यहां +++ कर रहे हैं... (व्यवधान) इनकी राष्ट्रीय नेता +++ (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बिराजें, माननीय सदस्य... (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह डिमांड पर तैयारी नहीं करके आये... (व्यवधान)

श्री सभापति : आसन पैरों पर है, आप बिराजें, माननीय सदस्य... (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : सभापति महोदय, यह डिमांड पर तैयारी नहीं करके आये।

श्री सभापति : मैं कह रहा हूं, आप बिराजें, मुझे नाम लेना पड़ेगा नहीं तो (व्यवधान) आई एम वार्निंग यू।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : कृषि पर तैयारी नहीं रहीं, पशुपालन पर तैयार नहीं रही... (व्यवधान)

श्री सभापति : मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं... (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : +++ (व्यवधान)

श्री सभापति : मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं आपको, पराकाष्ठा होती है किसी चीज की।

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री नाथूराम अहारी : क्या किया सोनिया गांधी ने... (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजें, आप भी बिराजें...(व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना : सभापति महोदय, मैं मेरी बात समाप्त करने जा रहा हूं...।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : तैयारी करके आइये डिमांड पर। डिमांड पर बोलिये।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजें। आहूजा साहब, आप सारे सदन की मर्यादाओं को बिगाड़िये मत। मैं माननीय सदस्यों को निवेदन कर रहा हूं कि आप जब भी बोलें, आप आसन को संबोधित करें, एक दूसरे के मामले में आप बात नहीं करें तो अपने आप संयम रहेगा। और माननीय आहूजा साहब, विशेष तौर से आपसे निवेदन करूंगा कि आप भावुक नहीं हों और जब समय आये तब आप अपनी बात कह देना... (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मैंने इतना ही कहा कि डिमांड पर तैयारी करके नहीं आये... (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बिराजें, माननीय सदस्य।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : होम वर्क करके नहीं आये। पशुपालन पर, डेयरी पर... (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : सभापति महोदय, +++ (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बिराजें... (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप जारी रखें।

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : सभापति महोदय, +++ (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आपका तो कहीं भी नहीं आयेगा... (व्यवधान) हमारा कहीं तो पार्ट आयेगा। आपका तो कहीं भी नहीं आयेगा। +++ और +++ जरूर कहीं पहुंच जाते, कहीं मंत्री बन जाते... (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना : सभापति महोदय, मैं मेरी बात जारी रखता हूं लेकिन बीच में जो बातें हुईं उसके लिए मैं निवेदन पहले ही कर रहा था कि बोलता कौन नहीं है। भगवान सबको बोलने का हक देता है और आवाज भी सबको देता है लेकिन हम क्या बोलते हैं इस पर हम गौर नहीं करते हैं। खैर, जो कुछ भी किया ठीक किया। करते रहें। इन माननीय सदस्य ने तो मुझे पहले कह दिया कि आपको बोलने नहीं दूंगा। वह कर रहे हैं +++ कोई बात नहीं, मैं निवेदन इतना ही कर रहा हूं, मेरी बात समाप्त कर चुका हूं। मुझे बीच में टाइम दिया गया दो-तीन मिनट का उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं और मुबारकबाद देता हूं इस बात के लिए कि आपने हम लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश की और हिदायत दी इस बात के लिए कि बोलें तो अच्छा बोलें। बुरा बोलने की बजाय चुप रहें। धन्यवाद, शुक्रिया।

श्री सभापति : माननीय मोहम्मद माहिर आजाद।

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : सभापति महोदय, यह सदन आज कृषि, पशुपालन और डेयरी जैसे महत्वपूर्ण विषयों की अनुदान की मांगों पर चर्चा कर रहा है। सभापति महोदय, आप भलीभांति जानते हैं कि राजस्थान एक कृषि प्रधान प्रांत है, राजस्थान के 80 प्रतिशत से ज्यादा लोग ग्रामों में रहते हैं और उनका जीविकोपार्जन कृषि और कृषि से जुड़े हुए दूसरे धंधे और पशुपालन है और डेयरी जैसे कामों पर निर्भर करते हैं।

सभापति महोदय, मैं स्मरण दिलाना चाहता हूं कि मैंने अपने बजट भाषण में भी इस बात पर दु:ख व्यक्त किया था कि राजस्थान जैसे कृषि प्रधान राज्य के बजट में जो हमने कटौती की है वह एग्रीकल्चर और उससे जुड़े हुए चीजों पर, पशुपालन और उद्योग पर जिससे राजस्थान की इकोनोमी जुड़ी हुई है, उन चीजों पर कमी की थी और मैंने सरकार को यह सुझाव दिया था कि कम से कम राजस्थान के लोगों के साथ यह अन्याय और अत्याचार मत कीजिये। इससे राजस्थान के लोगों का हित और उनकी आर्थिक स्थिति जुड़ी हुई है। अकाल के समय में हमेशा से ही होता आया है कि राजस्थान में जब भी अकाल पड़ता था, राजस्थान के किसान खास तौर से पश्चिमी राजस्थान के लोग अपनी दूध देने वाली गायों को बचाने के लिए जो बैल थे, उन बैलों को बेच दिया करते थे, उससे गौ माता की रक्षा होती थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से इसके ऊपर जिस तरीके का बवाल मेरे राइट हैण्ड पर बैठने वाले लोगों ने मचाया, उससे आज स्थिति यह आ गयी कि जो गाय की रक्षा की बात करते हैं, हम भी यह बात करते हैं कि गाय की रक्षा होनी चाहिए, गाय राजस्थान की इकोनोमी में महत्वपूर्ण पशु है लेकिन आज आप जाकर देखें कि स्थिति क्या हो रही है। आज चाहे बीकानेर के लूणकरणसर महाजन इलाके में चले जाएं, चाहे आप टौंक रोड पर चाकसू, फागी और निवाई की तरफ चले जाएं, आपको सैंकड़ों नहीं हजारों गायें लावारिस घूमती नजर आएंगी, उनके चारे-पानी की व्यवस्था अकाल के समय नहीं है।

आज आखिर राजस्थान का पशुधन बचे तो कैसे बचे? राजस्थान में बड़े-बड़े पशु मेले, मल्लीनाथ पशु मेला बालोतरा में होता था, मेड़ता, परबतसर, नागौर और पूरा पश्चिमी राजस्थान, भरतपुर में हमारे नुमाइश मैदान में नगर के अन्दर खुद हमारे माननीय मंत्री महोदय जानते हैं कि बड़े-बड़े मेले होते थे, उनमें राजस्थान से ही नहीं हरियाणा, पंजाब, गुजरात, दिल्ली, यू.पी., एम.पी. और आसपास के राज्यों के बड़ी तादाद में पशुपालक आते थे। बालोतरा में आज भी अच्छी नस्ल के घोड़े, नागौर में अच्छी नस्ल के बैल और राजस्थान के कई पशु राजस्थान के आसपास के राज्यों में काफी नामवर थे, उससे राजस्थान की आर्थिक स्थिति और इकोनोमी जुड़ी हुई थी। लेकिन आज स्थिति यह हो गयी है कि एक तरफ अकाल की स्थिति यह है कि अभी कृषि विभाग द्वारा प्रगति प्रतिवेदन दिया गया है, सभापति महोदय, इसका आप अध्ययन करें, पूरे राजस्थान में औसत से कम वर्षा हुई है, वर्षा कम हो और आज भी आजादी के 53 वर्ष बीत जाने के बाद भी चाहे हमने करोड़ों रुपये; अरबों रुपये राजस्थान नहर, गंग कैनाल; कहीं यमुना का पानी लाने के नाम पर, कहीं साबी नदी के नाम पर, कहीं और दूसरे डैम बनाने के नाम पर और कहीं बीसलपुर के नाम पर खर्च कर दिए लेकिन आज भी आप देखें तो इस चार्ट में दे

(मोहम्मद माहिर आजाद)

रखा है, आज औसत से कम वर्षा की स्थिति है। किसान को अपनी फसल को बचाने के लिए जो सिंचित क्षेत्रफल है, जरा उसका आप अध्ययन करें। नहरों से 15.57, तालाबों से 0.93 नलकूपों से 8.26 और कुओं से 29.75, यानि आज भी हमारा सिंचित क्षेत्रफल है वह 54 में से 29.75 यानि 30 प्रतिशत के करीब किसान के पास सिंचाई का जो साधन है वह नलकूप है, कुएं हैं और कुओं पर बिना बिजली के कैसे पानी आयेगा, कैसे आदमी अपनी फसल को बचाने का काम करे। एक तरफ केन्द्र सरकार ने डीजल की रेट बढ़ा कर किसान की कमर तोड़ी, दूसरी तरफ राज्य सरकार ने बिजली के दाम बढ़ा दिए, पर्याप्त बिजली नहीं मिलती। वर्षा कम, बिजली मिले नहीं, फसल की बुआई कम हुई, फसल को किसान ने जैस-तैसे करके बचा भी लिया तो उसको उसकी फसल का समर्थन मूल्य नहीं मिलता। ओले पड़ जाते हैं, कहीं बेमौसम की बारिश हो जाती है, कहीं सूखा पड़ जाता है। सभापति महोदय, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हम सदन में इस स्थिति को अनेक वर्षों से उठा रहे हैं और मांग कर रहे हैं। आज फिर मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्रीजी से, जो स्वयं एक किसान हैं, किसान वर्ग से आते हैं, किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इनसे निवेदन करना चाहता हूं कि हरियाणा की तरह राजस्थान के किसान कीअगर अकाल और फसल के खराबे की स्थिति में आप मदद करना चाहते हैं तो फसल बीमा योजना आपको राजस्थान में लागू करनी चाहिए ताकि किसान जो रात भर खड़ा रहता है एक टांग पर, चाहे कड़ाके की सर्दी पड़ रही हो, चाहे दोपहर की लू चल रही हो, किसान को अपनी औलाद की नहीं, चिंता होती है फसल की। किसान की महिला बच्चे को कपड़े में लपेट कर पेड़ से लटका देती है, बच्चा रोता रहता है लेकिन उसको दूध पिलाने के बजाय उसको लावणी की, न्याण की और अपनी फसल की चिंता रहती है। पाणत देने के लिए बिजली का इंतजार करती रहती है। ऊर्जा मंत्रीजी का मुंह ताकती रहती है कि बिजली आएगी कि नहीं आएगी। और बेमौसम की बरसात हो, खलिहान में अनाज पड़ा हो, ओले आकर फसल को बरबाद कर देते हैं, उसके साल भर की इकोनोमी चौपट हो जाती है। आज फैक्ट्री में आग लग जाए तो तुरन्त बीमा है उसको बीमा की राशि से जितना उसको नुकसान होता है उससे ज्यादा मिल जाता है। किसान का कौन सरोकार है, किसान का कौन पैरोकार है, किसान का कौन हिमायती है? सभापति महोदय, इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में फसल बीमा योजना लागू कराएं और किसान की फसल चाहे वह प्राकृतिक आपदा से खराब हो, उसे उसका मुआवजा मिलना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं माननीय कृषि मंत्री महोदय को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि पिछले सालों की बनिस्बत इस साल चाहे आपने बीज वितरण कराया हो, किट घर पर पहुंचाएं हों, चाहे आपके जो कम पानी से सिंचाई होती है जिसमें फव्वारा सैट से जल का समुचित उपयोग हो, चाहे बूंद-बूंद सिंचाई, ड्रिप इर्रिगेशन का काम हो, इसमें पिछले वर्षों के बनिस्बत इस साल राजस्थान में अच्छा काम हुआ है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन साथ ही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि केवल किताब में योजना लिख देने से, केवल

(मोहम्मद माहिर आजाद)

हम घोषणा कर दें, कायदे और कानून बना दें उसको अमली जामा नहीं पहनाया जाए तो इससे गांव का, गरीब और किसान का भला होने वाला नहीं है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि किसान सलाहकार समितियों का प्रावधान है लेकिन कहां-कहां किसान सलाहकार समितियां बनी हुई हैं? जरा उठाकर देखिए स्थिति कि आज राजस्थान में किसान सलाहकार समितियां कहां-कहां बनी हुई हैं। कृषक दलों के भ्रमण का प्रावधान है कि हम किसानों का दल बनाकर उनको दूसरी जगह अध्ययन करने के लिए टू विजिट द लेटेस्ट टेक्निक फोर एग्रीकल्चर क्रोप, आप दूसरी जगह भेजेंगे। कितने किसानों के दल गये, उनकी रिपोर्ट आई है?

सभापति महोदय, किसान सेवा केन्द्रों के निर्माण की बात आप करते हैं। राजस्थान में कितने सेवा केन्द्रों का निर्माण हुआ है? यह मैं आपसे जानना चाहता हूं, कृपया आप बताने का काम करें।

आपके कृषि विभाग में सोइल कंजर्वेशन का काम है। सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस पर बहुत ज्यादा मानीटरिंग और बहुत ज्यादा नियंत्रण की आवश्यकता है। इसमें निश्चित रूप से गड़बड़ होती है, इसका कोई लेखा-जोखा नहीं है। सोइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट को ज्यादा जितना चैक करेंगे उतना ही काश्तकारों को लाभ मिलेगा, चाहे वह एनीकटों के निर्माण के जरिये हो, चाहे भूमि सुधार का काम हो, कहां जिप्सम की आवश्यकता है, कितना किस हिसाब से मिल रहा है। कई बार आवश्यकता के अनुरूप नहीं मिलता है। मुझे भी पिछली बार जरूरत पड़ी, मुझे कई जगह प्रयास करने पड़े, तब जाकर शिवदासपुरा सहकारी समिति से मुझे 100 कट्टे बड़ी मुश्किल से मिले।

सभापति महोदय, आप जानते हैं किसान जितनी खपत करता है, जितनी लागत लगाता है उतनी पैदावार उसको नहीं होती इसलिए किसान अनाज पैदा करने के बजाय, तिलहन पैदा करने के बजाय आजकल पौधों का बाग लगाने का काम करता है। जयपुर के आसपास आपके होर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर का बयान मैंने पढ़ा कि जयपुर को आंवलों का शहर बनाएंगे, जयपुर के आसपास आंवलों के पौधे लगाएंगे। मैंने भी ड्रिप इर्रिगेशन का सिस्टम लगाया, मैंने कहा कि हम भी आंवला लगाएंगे। मैंने लोगों से बात की लेकिन इतना खराब पौधा उस समय मिला, वह पौधा बढ़ा ही नहीं। आंवले आने की बात कहते थे कि दो साल में आ जायेंगे लेकिन नहीं आये। बाद में उसकी जांच भी हुई। किसी ने कहा कि सहारनपुर से पौधा मंगवाया था, किसी ने कहा जयपुर के सिरसी रोड पर किसी फार्म पर किसी का पौधा था। मेरा आपसे निवेदन है कि कहीं से भी आए, किसान की फसल को अनइकोनोमी मानते हुए बाग लगाने का काम करें, उस किसान को होर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से पौधा भी अच्छा मिलना चाहिए और उसको प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए कि वह अपना बाग, अपने पौधे किस हिसाब से सुरक्षित रखे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसको आप करिये। जहां तक एग्रीकल्चर मार्केटिंग का सवाल है....।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : परसराम मोरदिया ने दिया था।

मोहम्मद माहिर आजाद : मैंने हिण्ट दिया है। किसी ने भी दिया हो लेकिन वह अच्छा पौधा नहीं था। उससे जयपुर के आसपास के काश्तकार जो लगाना चाहते थे, उनको बड़ा नुकसान हुआ। मैं जब खुद दुर्गापुरा फार्म में गया, कुमावतजी और गोधाजी थे, उनको कहा कि आपने आखिर कैसे पौधे दिये, एक भी नहीं बढ़ रहा है, बाद में जिनकी कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में आपको सोचना चाहिए और अच्छा काम करना चाहिए।

(15.29 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

मैं, चूंकि समय कम है, माननीय उपाध्यक्षजी आ गये हैं, घण्टी बजाएंगे...।

श्री उपाध्यक्ष : है ही नहीं। कम क्या है, है ही नहीं।

मोहम्मद माहिर आजाद : अभी तो मैंने शुरू ही किया है, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, पांच बजे मुखबंद है। सवा चार बजे माननीय मंत्री महोदय जवाब शुरू करेंगे। उस हिसाब से मेहरबानी करके आप अपनी बात कहिए।

मोहम्मद माहिर आजाद : धन्यवाद। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज खुद भी ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि आज दोनों मंत्री भरतपुर से आते हैं। इनसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप जरा उठाकर देखिए स्थिति, माननीय छोगालालजी बाकोलिया, यातायात मंत्री, उन्होंने सिरोही जिला हैडक्वार्टर पर डिपो नहीं खोला लेकिन रेवदर में रोडवेज का डिपो खोल लिया। टेक्निकल एजूकेशन मिनिस्टर +++ ने बिलाड़ा में पोलीटेक्निक कालेज खोल लिया। हैल्थ मिनिस्टर की हैसियत से उन्होंने जोधपुर में मेडिकल और नर्सिंग कालेज खोल लिया।

श्री उपाध्यक्ष : क्या बोल रहे हो आप?

मोहम्मद माहिर आजाद : मेरी बात तो सुनें।

श्री उपाध्यक्ष : क्या बोल रहे हो आप?

मोहम्मद माहिर आजाद : मैं जो कह रहा हूं वो सुनिए तो सही।

श्री उपाध्यक्ष : कैसे सुनूं।

मोहम्मद माहिर आजाद : सोशल वेलफेयर मिनिस्टर साहब बैठे हैं, इन्होंने निवाई में छात्रावास खोला।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप कह रहे हो , आपने मंत्री का नाम लिया है।

मोहम्मद माहिर आजाद : आप दोनों भरतपुर से आते हैं, भरतपुर पिछड़ा हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : आपने नाम लिया है। यह एक्सपंज कर दो। आप कैसे नाम लेकर बोल रहे हो।

मोहम्मद माहिर आजाद : किसका?

श्री उपाध्यक्ष : +++ जो खोल दिया, उन्होंने यह खोल दिया।

+++ नाम अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

मोहम्मद माहिर आजाद : इसमें एक्सपंज की क्या बात हो गयी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। इसमें एक्सपंज जैसी क्या बात हो गयी?

श्री उपाध्यक्ष : नो, नो।

मोहम्मद माहिर आजाद : मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। Let me complete Hon'ble Deputy Speaker Sir.

श्री उपाध्यक्ष : आप कोई चार्ज मत लगाओ किसी पर।

मोहम्मद माहिर आजाद : काहे का?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : इन्होंने कोई असंसदीय बात थोड़े ही बोली है।

मोहम्मद माहिर आजाद : इसमें क्या बात हुई? मैं तो यह कह रहा हूं आप दोनों भरतपुर से आते हो, भरतपुर पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, वहां भी आपको वेटरिनरी कालेज खोलना चाहिए।

श्री भंवर लाल शर्मा (हवामहल) : इन्होंने तो अपने पक्ष में कोई बात कहने के लिए भूमिका बनायी है, बाकी इसमें एक्सपंज करने जैसी कोई बात नहीं है।

मोहम्मद माहिर आजाद : मैंने कोई आरोप थोड़े ही लगाया है।

श्री भंवर लाल शर्मा (हवामहल) : अब ये कहेंगे दोनों मंत्री भरतपुर के हैं तो भरतपुर में कुछ करवाने के लिए कहेंगे ये तो।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कोई आरोप नहीं लगाया है। मैंने तो यह कहा है कि जो आदमी जिस पद पर होता है अपने पद का उपयोग करते हुए क्षेत्र के लोगों को कोई न कोई सुविधा मुहैया कराता है। इसलिए जिन-जिन मंत्रियों ने अपने क्षेत्र की जनता की भावनाओं के अनुरूप काम किया है, आप दोनों भी भरतपुर जिले से आते हो, भरतपुर पूर्वी राजस्थान के छोर का एक पिछड़ा हुआ जिला है इसलिए मैं आप दोनों से निवेदन करना चाहता हूं, माननीय कृषि मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आपके भरतपुर में कृषि महाविद्यालय खोलना चाहिए। भरतपुर भी कृषि के हिसाब से एक बहुत महत्वपूर्ण जिला है और सरसों, गेहूं की, तिलहनों की अच्छी फसल देने वाला जिला है। इसलिए वहां पर कृषि महाविद्यालय भरतपुर में आपको खोलना चाहिए।

इसी तरीके से माननीय पशुपालन मंत्री महोदय भी भरतपुर से आते हैं। मैं दो-तीन निवेदन करना चाहता हूं। आपने 1998, 1999 में और 2000 में राजस्थान में पशु चिकित्सालय खोलने की घोषणा की। लेकिन आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, आपकी चाहे कुछ भी मजबूरी रही हो, चाहे आपको वित्त विभाग की स्वीकृति नहीं मिली हो, लेकिन आज भी उन चिकित्सालयों ने काम करना शुरू नहीं किया। वहां आपने न तो डाक्टर लगाए, न कोई कम्पाउंडर लगाए, न कोई चपरासी या कर्मचारी लगाये। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भी आपने जालूकी में और गोपालगढ़ में दो पशु चिकित्सालय खोलने की विगत दो वर्षों में घोषणा की थी। आज तक वहां भी एक भी चपरासी, कम्पाउंडर या कर्मचारी नहीं लगा। मैं जब क्षेत्र में जाता हूं तो लोग कहते हैं आप कह रहे थे यह चिकित्सालय खुल गया, लेकिन यहां तो कुछ भी नहीं हुआ अभी। इसलिए ऐसी थोथी घोषणाओं से कोई लाभ, मंत्रीजी, होने वाला

(मोहम्मद माहिर आजाद)

नहीं है। इससे बदनामी और होती है कि लो, साहब, घोषणा कर दी और उसको अमली जामा नहीं पहनाया गया। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जहां-जहां आपने पशु चिकित्सालय नवसृजित किये हैं वहां आपको तुरन्त स्टाफ लगाना चाहिए, वरना जनता को भ्रम में नहीं रखना चाहिए, आपको कह देना चाहिए कि हम यहां पर नहीं खोलेंगे।

मैं आपको इस बात के लिए तो धन्यवाद देता हूं कि राजस्थान में भी जो खुर पका व मुंह पका की बीमारी का प्रकोप एकदम से शुरू हुआ था जिसके लिए विदेशों तक में लोगों ने 10-10 लाख पशुओं को जिंदा दफनाने का काम किया, आपने समय रहते तुरन्त उपाय किये और उससे राजस्थान के पशुधन को बचा लिया। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन आपसे साथ में यह भी मांग करता हूं, आप भी भरतपुर से आते हैं कम से कम भरतपुर में आपने एक बार हां की थी छात्रसंघ के उद्घाटन समारोह में, एक वेटेरिनरी कालेज तो आप कम से कम भरतपुर में खोलने का काम करिये, माननीय पशुपालन मंत्री महोदय। भरतपुर की जनता आपसे पूछेगी कि आप दोनों भरतपुर से थे, आपने भरतपुर को क्या दिया और मैं भी पूछता हूं जनता की तरफ से कि इस अढ़ाई साल के शासन में भरतपुर जिले को आप लोगों से क्या लाभ मिला, भरतपुर को आपने क्या नयी चीज मुहैया करायी है या आपको करानी चाहिए? इसलिए मैं आपको अंत में... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इनको समाप्त करने दो।

श्री दिग्विजय सिंह : इनको तो पूछती रहेगी जनता, पर आपको ज्यादा पूछेगी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय दिग्विजय सिंहजी, समय का ध्यान रखें।

मोहम्मद माहिर आजाद : इसीलिए तो मैं मांग कर रहा हूं। मैं मेरा फर्ज अदा कर रहा हूं, ये अपना फर्ज अदा करें। इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष माहेदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि डेयरी महकमा भी कुम्हेर से आने वाले माननीय पशुपालन मंत्रीजी संभालते हैं। कुछ दिनों से पिछले शासन में एन.डी.डी.बी. आ गया था और पूरे राजस्थान के को-आपरेटिव डेयरी फैडरेशन का पूरा चार्ज नेशनल डेयरी डवलपमेंट कारपोरेशन ने संभाल लिया था। उस समय शायद पिछली सरकार को यह उम्मीद थी कि इससे राजस्थान को बहुत ज्यादा फायदा होगा, लाभ होगा, हमारी बनिस्बत इनका मैनेजमेंट अच्छा होगा, लेकिन जो मजबूरी हुई उससे यह स्थिति बनी कि उसको वापस हटाकर या वो छोड़कर चले गये और आज डेयरी का नियंत्रण भी आपको खुद को अपने पास लेना पड़ा है। इसलिए जैसी सदन में पहले चर्चा हुई थी कि आज कोई कहता है वहां से चिकन आएगा, आस्ट्रेलिया से, कोई कहता है वहां कनाडा से दूध आएगा, कोई कहता है और कोई चीज आएगी, इसको लेकर राजस्थान के किसानों में चिंता है। आना भी शुरू हो गया, बाम्बे में आ गया, कोई कहते हैं और दूसरी जगह आ गया, बैंगलोर में आ गया। इसलिए राजस्थान के किसानों में बड़ा भय है। और राजस्थान के पशुपालक और दुग्ध उत्पादकों में और जो डेयरी का काम करने वाले लोग हैं, आपको उनको

(मोहम्मद माहिर आजाद)

विश्वास दिलाना चाहिए कि हम किसी भी कीमत पर राजस्थान के किसानों, राजस्थान के पशुपालकों के हितों पर कुठाराघात नहीं होने देंगे, उनके हितों को सुरक्षित रखेंगे।

मैं डेयरी के संबंध में आपको कुछ सुझाव देकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हमें एन.डी.डी.बी. को अगस्त, 2001 से पहले 54 करोड़ रुपये का भुगतान करना है। राज्य सरकार इस बात की पूरी तरह से जांच कर ले कि कहीं एक साथ 54 करोड़ रुपया देने से संघों की आर्थिक स्थिति तो खराब नहीं हो जाएगी। आज जो आपके दुग्ध उत्पादक संघ हैं उनकी क्या स्थिति है। मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार डेयरी फैडरेशन एवं जिला दुग्ध संघों पर एन.डी.डी.बी. के 350 करोड़ रुपया ऋण लेने हेतु दबाव डाल रही है। एन.डी.डी.बी. द्वारा डेयरी फैडरेशन से जो ब्याज वसूल करना है 13 करोड़ से 133 करोड़ रुपये की मांग करना आदि से एन.डी.डी.बी. का चरित्र का पता चल जाता है। अत: हमारी राय में ऐसी संदिग्ध संस्था से आगे ऋण नहीं लिया जाना चाहिए। कुल मिलाकर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के गांव-गांव में जो दुग्ध उत्पादकों ने अपनी समितियां बना रखी हैं, जो दुग्ध उत्पादक संघ बने हुए हैं, दुग्ध उत्पादकों पर, पशुपालकों पर राजस्थान के किसानों के हितों के ऊपर किसी तरीके का कुठाराघात न हो इसकी आपको व्यवस्था करनी चाहिए।

अंत में एक बात और कृषि विपणन बोर्ड से संबंधित कहना चाहता हूं कि कृषि विपणन बोर्ड सड़क तो बना देता है लेकिन उन सड़कों की मरम्मत की कोई व्यवस्था नहीं होती। मेरे भरतपुर जिले में 1980 से जो सड़कें बनी हैं आज तक दुबारा उनका पेच रिपेयरिंग का, कारपेटिंग का या मरम्मत का कोई काम नहीं हुआ। इसलिए आप नयी सड़क हाथ में लेने की बजाय इस साल आपने जो सड़कों के ... (व्यवधान) मैं अपनी बात कह रहा हूं, आप क्यों इंटरप्ट कर रहे हो। आपके यहां ब्यावर में अच्छी सड़कें हो सकती हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज।

मोहम्मद माहिर आजाद : मैं तो खतम ही कर रहा हूं, इंटरप्ट करते हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : उनसे क्या है, आप अपनी बात को खतम करो ना।

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि आपने घोषणा की थी कि प्रत्येक पंचायत मुख्यालय को हम सड़कों से जोड़ने का काम करेंगे। अपनी उस घोषणा को निश्चित रूप से आप लागू करेंगे और खास कर भरतपुर और पूर्वी राजस्थान, जहां बहुत खराब स्थिति है, कृषि विपणन बोर्ड के जरिये आप वहां प्रत्येक पंचायत को सड़क से जोड़ने का काम करेंगे।

आपने बोलने का अवसर दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मुख्य सचेतकजी।

समिति का प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति का पन्द्रहवां प्रतिवेदन

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के पन्द्रहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के पन्द्रहवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 8 मई, 2001 को मध्याह्न पश्चात् 1.30 बजे माननीय अध्यक्ष के वैश्म में हुई। समिति ने कार्य सलाहकार समिति के चौदहवें प्रतिवेदन में आंशिक संशोधन करते हुए यह निर्णय लिया है कि दिनांक 12 मई, 2001 तक सदन में लिये जाने वाले कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाए :-

गुरूवार, दिनांक 10 मई, 2001	1. राजस्थान वित्त विधेयक, 2001 पर विचार एवं पारण
	2. जयपुर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2001 पर विचार एवं पारण
शुक्रवार, दिनांक 11 मई, 2001	राज्य में अकाल एवं पेयजल की स्थिति पर विचार
शनिवार, दिनांक 12 मई, 2001	राज्य में बिजली की स्थिति पर विचार।

शुक्रवार दिनांक 11 मई, 2001 को शून्यकाल तथा शनिवार दिनांक 12 मई, 2001 को प्रश्नकाल व शून्यकाल नहीं होगा। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के पन्द्रहवें प्रतिवदेन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गयी। श्री बंशीलाल गहलोत।

मांग संख्या 37 एवं 39 पर विचार

श्री बंशीलाल गहलोत (राजसमन्द) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज मांग संख्या 37 कृषि और 39 पशुपालन एवं चिकित्सा के उपलक्ष्य में भाग लेकर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। वैसे पूर्व में झुंझुनूं से आने वाली माननीय सदस्या ने सारगर्भित बातें और महत्वपूर्ण सुझाव जो आपको दिये हैं वो मेरे सारे सुझाव मैक्सिमम उसमें कवर हो गये। लेकिन मेरे क्षेत्र की यह जो मांग है उससे मैं आपको अवगत कराना नितान्त आवश्यक समझता हूं। अगर मैं अपने क्षेत्र की मांग न रखूं तो वहां की जनता के साथ धोखे वाली बात होगी। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान वेटेरिनरी कालेज जो जिला मुख्यालय से 18 किलोमीटर दूर ले जाया जा रहा है उसे मेहरबानी करके

(श्री बंशीलाल गहलोत)

राजसमंद मुख्यालय के पास बहुत सारी जमीन बड़ाड़ा व पीपाड़ के बीच में पड़ी हुई है, वहां स्थापति करने का कष्ट करें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को धन्यवाद दूंगा कि मेरे क्षेत्र में एक साल पहले सब सेंटर की जो घोषणा की उससे किसान काफी खुश हुए। लेकिन अफसोस इस बात का है कि अभी तक उन सेंटरों में न तो कोई डाक्टर, न कम्पाउण्डर, न कोई स्टाफ गया। आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप जल्दी से जल्दी वहां स्टाफ की नियुक्ति करायें ताकि सब सेंटर पर, जो वहां के लोगों ने अपनी जमीन देकर बिल्डिंग तक बना दी है, उसका लाभ किसानों को मिल सके।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वहां बनेड़िया में जिसके आसपास काफी बंजारे रहते हैं जो पशुओं का बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं वहां एक शिड्यूल्ड कास्ट का व्यक्ति है दानदाता, जिसने अपनी सम्पत्ति, अपनी निजी जमीन में से देकर उसमें एक बिल्डिंग बना दी पशु औषधालय के लिए और ग्राम पंचायत को समर्पित भी की। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि एक पशु औषधालय बनेड़ा में स्थापित करें ताकि वहां के पशुपालकों को सुविधा मिल सके। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उदयपुर डेयरी में जाने वाला सारा मैक्सिमम दूध रेलमगरा तहसील से जा रहा है और वहां के पशुओं को देखरेख, पशुपालक को सुविधा ज्यादा से ज्यादा अगर मुहैया करा देंगे तो उनको काफी लाभ होगा। उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने किस तरह पशुपालकों और किसानों को नुकसान देने वाली नीतियां बनायीं और इसके बारे में पहले भी माननीय सदस्यों ने कहा है कि बाहर से दूध आएगा। मैं तो कहता हूं दूध आएगा कि नहीं, दूध आ गया नाथद्वारा में चार रुपये किलो और दालें भी आ गयीं। उपाध्यक्ष महोदय, चार रुपये किलो चने की दालें भी आ गयीं, ऐसे में किसान अपनी खेती को कैस कर पायेगा, कैसे खेती से अपना जीवन यापन कर पायेगा, यह सोचने का विषय है। इसलिए आपके माध्यम से मैं कृषि मंत्रीजी और पशुपालन मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि जितने बीज, खाद की सुविधा उसमें सब्सिडी अगर स्टेट गवर्नमेंट, राजस्थान सरकार भी करे तो उससे काफी किसानों को लाभ होगा और पशुपालकों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा उपलब्ध कराने का कष्ट करें। आज आपने मुझे बोलने का समय दिया, मैं अपनी बात आपको धन्यवाद देते हुए समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री धर्मपाल चौधरी।

श्री धर्मपाल चौधरी (मण्डावर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में मांग संख्या 37 व मांग संख्या 39 पर चर्चा हो रही है। यह दोनों मांगें राजस्थान के गांवों में रहने वाले गरीब व किसान के साथ जुड़ी हुई हैं। राजस्थान की 75 प्रतिशत जनसंख्या उन व्यक्तियों की है जिनसे इन दोनों मांगों का संबंध है। विडम्बना यह है कि खेती पर जिन्दा रहने वाला किसान संगठित नहीं है, उसके संगठित नहीं होने के कारण से आज उसका अनाज जो समर्थन मूल्य है उस पर नहीं खरीदा जा रहा है। वोट लेने के समय चाहे कोई भी पार्टी हो, वह लुभावने वादे देकर किसानों से वोट ले लेती है। इसी तरह इस चुनाव में कांग्रेस ने भी अपने घोषणा पत्र में यह वादा किया था

(श्री धर्मपाल चौधरी)

कि हमारी सरकार आएगी तो बिजली सस्ती देंगे, उचित मूल्य पर अनाज किसान का खरीदेंगे लेकिन आज सत्ता हथियाने के बाद, शासन में आने के बाद वह भूल गयी। आज किसान की जो हालत है, जो गेहूं 610 रुपये में बिकना चाहिए वह मंडी में बिक रहा है 500 रुपये। सरसों की कुछ खरीद चालू हुई, पहले सरसों 11 सौ रुपये में बिक रही थी लेकिन नैफेड ने जब कुछ खरीद चालू की तो सरसों का भाव साढ़े 11 सौ रुपये के लगभग आ गया। यहां पर राज्य सरकार ने राजफैड द्वारा जौ की खरीद की बात कही। अगर सरकार अब तक इस जौ की खरीद चालू कर देती तो शायद जो 500 रुपये की जगह साढ़े 3 सौ रुपये में जौ बिक रहा है उसका मूल्य भी ऊपर आ जाता लेकिन यहां पर किसान के प्रति कोई चिन्तित नहीं है। यहां पर जब भी बोलते हैं तो सत्ता पक्ष के लोग खड़े होकर कहने लग जाते हैं कि आपने क्या किया, भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। आज हरियाणा में जो मेरे विधान सभा क्षेत्र के साथ लगता हुआ क्षेत्र है, वहां पर वह सरकार इतनी चिन्तित है कि हमारे क्षेत्र का अनाज भी वहां पर रेवाड़ी में जाकर बिक रहा है। लोगों ने वहां पर अपना गेहूं बेचा। सरकार को इससे डबल नुकसान हुआ। एक तो सरकार को जो मंडी शुल्क मिलता है, सैल्स टैक्स मिलता वह टैक्स यहां से हरियाणा गवर्नमेंट को चला गया और हमारे यहां आज भी अभी-अभी टेलीफोन आज सुबह मैंने किया, पता चला कि खरीद बिलकुल बन्द कर दी है। क्रय-विक्रय संघ ने अपनी दुकान के ताला लगा रखा है। किसान की जो हालत हमने कर रखी है, यह बहुत शोचनीय है। हमारे यहां खैरथल मंडी को बने एक साल पूरा हो गया। सन् 1998 में इस मंडी का काम चालू हुआ और 1999 में यह मंडी बनकर तैयार हो गयी लेकिन दो तरफ से जो रास्ता बनना था उस मंडी के अन्दर आने के लिए, एक तरफ तो कुछ एक टुकड़ा है उसको एक्वायर नहीं किया गया, दूसरी तरफ से रास्ता जहां से बनना था वहां पर हमें सिर्फ जमीन सौ फीट चाहिए लेकिन एक पूरे चार बीघा का खेत जिसका उस खैरथल की मंडी से कोई ताल्लुकात नहीं है उसको एक्वायर कर रहे हैं। उसका मालिक यह कहता है रास्ते के लिए जितनी जमीन चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं। फरवरी माह में दुकानें दुकानदारों को आबंटित कर दीं, सबको आश्वासन दे दिया कि हम अप्रैल में मंडी को शिफ्ट कर देंगे लेकिन आज तक वह मंडी शिफ्ट नहीं हुई। उन दुकानदारों पर किराया लागू कर दिया। वह मंडी जो पुरानी मंडी है, वह इतनी छोटी है कि उसमें 5 हजार बोरी से ज्यादा नहीं आ सकती है। इस खैरथल की मंडी में जो हम प्रतिवेदन में कहते हैं कि हमने कृषि उप मंडी बनायी है वह इसलिए बनायी है कि किसानों के तौल सही हों, उसका मूल्य सही बिके। वहां पर सुबह किसान आता है तो रात के 11 बजे तक उस किसान का नम्बर नहीं आता। क्या तो उसका भाव होगा, क्या उसकी सही तुलाई होगी। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी को ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो साढ़े 6 करोड़ रुपये लगाकर मंडी को नयी जगह ले जाना है उसको ले जाने के लिए तुरन्त कार्यवाही करें।

अब मेरे मण्डावर क्षेत्र में, राजस्थान में तो पिछले तीन साल से अकाल है लेकिन अलवर जिले में, पूर्वी राजस्थान में अकाल कम पड़ता है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में पिछले तीन साल से

(श्री धर्मपाल चौधरी)

एक भी गांव में अकाल नहीं पड़ा और अकाल को विकास से माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जोड़ दिया। मंडी टैक्स हम देते हैं मंडी में पैदा करके और एक किलोमीटर भी सड़क का निर्माण मेरे विधान सभा क्षेत्र में नहीं किया। मेरे विधान सभा क्षेत्र मण्डावर का सारा अनाज खैरथल मंडी में आकर बिकता है और वहां एक किलोमीटर सड़क का भी निर्माण नहीं किया। तो मेरा आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह निवेदन है कि वहां पर भी जो हम मण्डी टैक्स देते हैं, जो हम राजस्थान की जनता का पेट भरते हैं, हमारे यहां भी इस चीज का ध्यान रखा जाए।

कृषि के मामले में कई योजनाएं प्रशासनिक प्रतिवेदन में कही गयी हैं। किसान मण्डल, किसान बैठक, किसान गोष्ठी, मासिक कार्यशाला, किसान सेवा केन्द्र, किसान सलाहकार समिति, किसान सखा, किसान सेवा केन्द्र पत्र-पत्रिका, किसान सेवा केन्द्र भवन, ये सारी की सारी योजनाएं कागजों में हैं। एक भी योजना से किसान को लाभ नहीं है। हमारे जिले में कुल 950 के लगभग गांव हैं और अकाल सिर्फ 422 गांवों में है। अकाल नहीं था लेकिन बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि की वजह से हमारे जिले में नुकसान हुआ। मेरा आपके माध्यम से कृषि मंत्रीजी से निवेदन है कि उन किसानों को भी, जिनका नुकसान हुआ, मुआवजा दिलाने का कष्ट करें।

पशुपालन मंत्रीजी से निवेदन है कि पिछले वर्ष 100 नये पशु चिकित्सालय खोले लेकिन आज तक उनमें पद नहीं भरे गये। हमारे यहां एक भी पशु चिकित्सालय नहीं खुला। मेरे मण्डावर क्षेत्र में सिर्फ चार पशु चिकित्सालय हैं जबकि पशुओं की संख्या बहुत ज्यादा है। मेरा मंत्रीजी से अनुरोध है कि हमारे यहां भी जब आपके पास वित्तीय संसाधन हों तो पशु चिकित्सालय खोलने का कष्ट करें। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रमेश पंड्या। श्री मदन दिलावर। आप यदि जल्दी समाप्त कर देंगे तो अमरारामजी का नम्बर आ जाएगा।

श्री मदन दिलावर (अटरू) : मैं जल्दी समाप्त करूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कृषि, पशुपालन और डेयरी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। कृषि एक महत्वपूर्ण हमारा आर्थिक मेरुदण्ड है और पूरे राजस्थान में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि और पशुपालन पर ही लोग अपनी जीविकोपार्जन करते हैं। बहुत बड़े-बडे नारे राजस्थान सरकार ने दिये हैं। बड़ी-बड़ी वार्षिक योजनाएं बनायी हैं और बड़ा धन का प्रावधान करके यहां हम सब लोगों से तालियां पिटवाने का काम किया है। आपका मैं थोड़ा सा वार्षिक योजना 1999-2000 की तरफ ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं। कृषि एवं सम्बद्ध सेवाओं पर जहां प्रावधान किया था 35,591 लाख रुपये का और उसमें कटौती कर दी 10,073 लाख रुपये की। लगभग 30 प्रतिशत कटौती कृषि में करके आखिर में यह सरकार किसानों का और पशुपालकों का क्या भला करना चाहती है या उनके साथ अन्याय करना चाहती है, यह हमको विचार करना पड़ेगा।

दूसरा, मैं आपका थोड़ा भू-संरक्षण कार्यों की तरफ ध्यान दिलाता हूं कि भू-संरक्षण कार्यों में कितना प्रावधान किया था और कितना खर्च किया। राजस्थान सरकार की धनराशि नहीं होते

(श्री मदन दिलावर)

हुए भी केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की तरफ ही आपका ध्यान ले जा रहा हूं। यहां 9,644 लाख रुपये का प्रावधान किया था उसमें से 6,523 लाख रुपये खर्च किये। केन्द्र का पैसा भी यह सरकार खर्च नहीं कर पायी।

बंजर भूमि विकास योजना की तरफ आपका ध्यान ले जाऊं तो केवल 42 प्रतिशत ही प्रावधान का यह सरकार खर्च कर पायी है। राज्य योजना के प्रावधान का 78 प्रतिशत पैसा ही यह सरकार खर्च कर पायी है। केन्द्र से जो पैसा मिलता है, बड़ी आशा के साथ वह सरकार हमको पैसा उपलब्ध करवाती है वहां की सरकार वहां के लोगों का विकास करेगी, वहां के लोगों का भला होगा, किसान खुशहाल होंगे। लेकिन हम जैसे लोग उनका उपयोग नहीं कर पाते हैं और हमारी अकर्मण्यता के कारण से वह पैसा लैप्स हो जाता है।

जीवाणु खाद के ऊपर मैं ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता क्योंकि मेरे से पूर्व माननीय सदस्यों ने चर्चा कर दी है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय ने यहां कहा था और यह कहा था कि यदि मेरे कथन में कोई भी गड़बड़ हो, मेरे विभाग में कोई भी गड़बड़ हो तो मैं इस्तीफा तो क्या राजनीति से संन्यास ले लूंगा। उसकी ओर मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चहता हूं, इन्होंने कहा था कि हम जीवाणु खाद बेचने के कोई लक्ष्य तय नहीं करते हैं। लेकिन मैं आपको याद दिला रहा हूं, निदेशक कृषि, राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक एफ.4/क्र.वि./257/2000/80/193 दिनांक 4.4.2000 के क्रम में, विस्तार कार्यक्रमों की भौतिक कार्य योजना दी गयी उसके माह अप्रैल, 2000 के बिन्दु संख्या 8 पर जीवाणु खाद के 500 प्रति कृषि पर्यवेक्षक व माह नवम्बर, 2000 की कार्य योजना में बिन्दू संख्या 8 अप्रैल माह के बिन्दू संख्या 6 के अनुसार 500 वितरण करने का लक्ष्य दिया गया था। यह आदेश जारी करके उन्हें लक्ष्य दिया गया। मंत्री महोदय, आप इस्तीफा दे रहे हैं या आप संन्यास ले रहे हैं? या आपने पहले सदन को गुमराह किया था?

श्री मोहन लाल मोदी : आप अपने गिरहबान में झांक कर देखिये।

श्री मदन दिलावर (अटरू) : मैं इतना निवेदन कर रहा हूं कि माननीय मंत्री महोदय ने इतने संजीदा होने के बावजूद भी इस प्रकार से इस सदन को गुमराह क्यों किया। इस्तीफा क्यों नहीं दे देते हैं श्रीमान्। इसमें सैंकड़ों की संख्या में जो जैविक खाद बेचा है जयपुर की संस्था का, सैंकड़ों की संख्या में अमानक पाये गये। मेरे पास सारा है, मैं यह लाया हूं। जहां रजिस्टर में लक्ष्य तय करके ग्रामसेवकों को, पर्यवेक्षकों के दस्तखत कराकर उनको अलाट किया गया था कि तुमको किस-किस माह में कितना-कितना बेचना है और उन्होंने कितना-कितना उठाया है वह मेरे पास रजिस्टर की फोटो प्रति है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि आप समय ज्यादा देने के मूड में दिखाई नहीं दे रहे हैं, मैं यह कह रहा हूं कि इल्ली का प्रकोप हमारी हाड़ौती की धरती पर हुआ, उसकी बहुत चर्चा हो गयी, उस पर मैं तो एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। केन्द्र सरकार ने प्रति हैक्टेयर 500 रुपये अनुदान देने का वादा किया और राजस्थान सरकार को धन उपलब्ध करावाया लेकिन इस

(श्री मदन दिलावर)

राजस्थान की संवदेनहीन सरकार ने काश्तकारों को 100 रुपये प्रति हैक्टेयर से ज्यादा का अनुदान नहीं किया। यह ऐसा धोखा, ऐसा विश्वासघात सरकार ने काश्तकारों के साथ, यहां के किसानों के साथ क्यों किया है? मैं जानना चाहता हूं कि कौनसी आफत आ गयी थी जिसके आधार पर ये किसानों के साथ इतना सारा अत्याचार करना चाह रहे हैं। हाड़ौती में भवानी मण्डी क्षेत्र है। क्षमा करेंगे, मैं पहले ही संक्षिप्त कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : उनको अलाउ नहीं करना?

श्री मदन दिलावर : संक्षिप्त कर रहा हूं। आपका बड़ा आभारी हूं और मैं पांच या सात मिनट में अपनी बात कह दूंगा। भवानी मण्डी क्षेत्र में संतरे की बहुत बड़ी मण्डी है और बहुत बड़ा उत्पादन क्षेत्र है लेकिन आपको यह जानकर बहुत दुःख होगा कि किस ढंग से वहां के संतरे उत्पादकों को लूटा जा रहा है। छह प्रतिशत आढ़त होती है, श्रीमान्, लेकिन वहां पर काश्तकारों से छह प्रतिशत आढ़त के रूप में काटा जाता है। यही नहीं, ढेर करके बेचे जाते हैं और एक मण वहां पर कितने किलो का होता है, श्रीमान्, मैंने तो अभी तक 40 किलो का एक मण पढ़ा है, वहां 43 किलो से लगाकर 44 किलो तक का एक मण काश्तकारों से लिया जाता है। वहां के कृषि उपज मंडी के सचिव को कहा जाता है तो कहते हैं कि परम्परा बनाये रखो, पहले से चलता आ रहा है, वह चलेगा, इसमें व्यवधान मत डालो। आखिर में सरकार क्या कर रही है। क्या लुटते पिटते किसानों को यह वहां लाभ नहीं दे सकती, उनको सुविधा नहीं दे सकती? उन पर इस तरह अत्याचार क्यों किया जा रहा है? वहां के किसान संघ आन्दोलन करते हैं, उनको आश्वासन दिया जाता है, ठीक तरह खरीदा जायेगा, आढ़त ठीक काटी जायेगी फिर भी कुछ नहीं होता है, श्रीमान्।

(16.00 बजे)

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमरारामजी। श्री अमरारामजी, बोलना है? बोलिये, खड़े होओ।

श्री मदन दिलावर : श्रीमान्, रुक जाइये। गौशालाओं को अनुदान ये नहीं दे रहे हैं। पांच मिनट...

श्री उपाध्यक्ष : बोलिये, बोलिये। अमराराम जी, बोलिये। अगर आप नहीं बोलना चाहते हैं तो ये तो समाप्त करेंगे नहीं। बोलो फिर, खड़े होओ।

श्री मदन दिलावर : ...अभी तक गौशालाओं के अनुदान को इन लोगों ने बंद किया हुआ है, श्रीमान्, और गौशाला के अनुदान को बंद करके इन लोगों के साथ बहुत बड़ी ज्यादती कर रहे हैं।

मेरा एक निवेदन और है। हाड़ौती क्षेत्र बहुत बड़ा कृषि प्रधान क्षेत्र है राजस्थान में और कृषि में बहुत उर्वरक है। मेरी मांग है कि वहां कृषि विश्वविद्यालय खोला जाये और वहां पशुपालक भी बहुत सारे रहते हैं...

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमरारामजी। को-आपरेट कीजिये प्लीज। आपके माननीय सदस्य को बोलने का मौका दीजिये। हो गयी न बात।

श्री मदन दिलावर : ...इसलिए एक वेटेरिनरी कालेज भी हाड़ौती क्षेत्र में खोला जाये

(श्री मदन दिलावर)

तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा काम हो जायेगा। इसलिए कृषि विश्वविद्यालय हाड़ौती की धरती पर नहीं खुलता है, वेटेरिनरी कालेज नहीं खुलता है तो बहुत बड़ा भेदभाव और अन्याय इस हाड़ौती के साथ होगा। पशु चिकित्सालय सारे खाली हैं, राजस्थान में सिर्फ 350 पशु चिकित्सालय खुले हैं। पशु चिकित्सालय खाली होने के कारण...

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमरारामजी। बैठिये, आप प्लीज। बैठिये।

श्री अमराराम (पचपदरा) : सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कृषि क्षेत्र में हमने जो पिछले 1990 से लगाकर 1998 तक उपलब्धियां अर्जित कीं और उसके बाद में 1998 के बाद में कृषि की स्थिति है, उसी के बारे में निवेदन है कि हमारी तीन चौथाई, आज 75 प्रतिशत जनता कृषि पर निर्भर है। लेकिन कभी अनावृष्टि, कभी अतिवृष्टि और कभी असमान वर्षा के कारण से हमें कई परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं हमारे कृषि विशेषज्ञों को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज हम कृषि में आत्मनिर्भर हो गये हैं और हम आज गेहूं को निर्यात करने की स्थिति में हैं। हमारे कृषि विशेषज्ञों ने बहुत कुछ तरक्की की है। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी सातवीं पंचवर्षीय योजना और आठवीं पंचवर्षीय योजना में जो हमारा विनियोजन पहले 5 प्रतिशत कम था, सातवीं में 11 प्रतिशत अधिक हमारा विनियोजन हुआ। और हमारे तिलहन के बारे में और खाद्यान्न उत्पादन में हमें कहना चाहिए कि ज्यादा उपलब्धियां कीं और जिसके कारण से राजस्थान को कई बार इसमें पुरस्कार मिला और तिलहन में हम प्रथम रहे। इसके अलावा सोयाबीन में हमारा तीसरा स्थान रहा और उसके बाद में अभी जो हमारी स्थिति है, वह 2000-2001 और 1999 में हमारे खाद्यान्न उत्पादन, तिलहन आदि में कमी आयी है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो किसान को बीज दिये जा रहे हैं, उसमें बाजरे का बीज, अरंडी का बीज, चने का बीज इसमें इतनी घटिया क्वालिटी के दिये जा रहे हैं और जिसके कारण से किसान को पैदावार होनी चाहिए, वह पैदावार नहीं हो रही है। हाल ही में जो अरंडी का बीज गुजको-4 सप्लाई किया गया और जो अंकुरित हुआ और सैम्पल भी लिये गये लेकिन इस प्रकार का बीज जगह-जगह, सब जगह दुकानों पर पड़ा है, उनको जब्त करने की कार्यवाही अभी तक नहीं की गयी है। सर्टिफाइड बीज, नाममात्र का ही सर्टिफाइड किया जाता है और वह तो अंकुरित भी वैसे ही हो जाता है। दूसरा बीज क्यों नहीं अंकुरित होता है? नकली बीज दिया जा रहा है जिसके कारण से हमारी पैदावार नहीं हो रही है। बाजरे के बारे में अंधाधुंध हमारी सोसायटी के मार्फत यह बीज दिया जा रहा है और जिसके कारण से इन्होंने अपने जवाब में, मेरे 295 के जवाब में इन्होंने स्वयं ने यह माना है कि बाजरे में डाउनिंग मिलोडियो की बीमारी का प्रकोप बढ़ रहा है और कृषि विशेषज्ञों की सिफारिश के आधार पर इस किस्म के बीज का उत्पादन धीरे-धीरे कम किया जा रहा है। फिर आप देते ही क्यों हो? आप मानते हैं कि जमीन में इस प्रकार के जीवाणु पैदा हो गये हैं जिसके कारण से यह बाजरा पनप नहीं रहा है तो आपको बाजरे की किस्म 8203 आईसीटीपी किस्म का जो बाजरा है, जिसमें यह बीमारी नहीं आती है, वही

(श्री अमराराम)

बाजरा आपको देना चाहिए वरना काश्तकार को एक तरफ तो वर्षा की कमी और दूसरी तरफ इस प्रकार के घटिया बीज जो बीमारी लगे, उससे काश्तकार अभी ऊपर नहीं आ सकता, उसकी आर्थिक हालत ठीक नहीं हो सकती।

जलग्रहण के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। आज जो जलग्रहण की योजनाएं चल रही हैं, मैंने देखा भी है, जलग्रहण के अन्दर, अपने भीलवाड़ा के अन्दर, अजमेर जिले में हमने कई बार पुरस्कार प्राप्त किये हैं लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पुरस्कार तो प्राप्त किये हैं लेकिन इसमें कुछ कमियां हैं। व्यावहारिक दृष्टि से वह कमी यह है कि 25,000 रुपये का एक टांका बनता है, वह पर्याप्त नहीं है। कम से कम एक लाख गैलन पानी के लिए आपको अपनी स्कीम चेंज करनी चाहिए। और सिर्फ आप ट्रैक्टर चलाकर, इधर से एक बार चलाया, दूसरा ट्रैक्टर वापस उसी के सहारे-सहारे थोड़ा 1-2 मजदूर लगाकर पाल को ठीक कर दिया, दो फुट पर, इस प्रकार से मेड़बंदी नहीं करके आपको एक टांका ऐसा बनाना चाहिए जिसमें एक लाख गैलन पानी रह सके और उसका कैचमेंट एरिया चार बीघा जमीन हो और वह पक्का टांका हो, जिससे कम से कम 12 बीघा जमीन को सिंचाई की जा सके। इस प्रकार की योजना बनानी बड़ेगी तभी हम जो हरित क्रांति लाना चाहते हैं वह ला सकते हैं और काश्तकार को ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ दे सकते हैं। केवल जलग्रहण के बारे में धोरा पानी जिसकी ऊंचाई बहुत ही कम है, कम से कम 3-4 फुट होती है तो पानी के लिए वह काम आती है। वह तो बाद में खतम हो जाती है और रेगिस्तानी क्षेत्र में तो यह बिलकुल ही संभव नहीं है। इस प्रकार से आपकी जो यूजर्स कमेटियां वगैरह बनी हुई हैं, उसमें जो मजदूरों को मजदूरी देकर काम कराना चाहिए, वहां आजकल ट्रैक्टरों से काम हो रहा है। दूसरा निवेदन मैं यह करना चाहूंगा कि पहले माननीय भैरोंसिंहजी की सरकार में ट्रैक्टरों पर अनुदान दिया जाता था। आपका प्रतिवेदन मैंने पढ़ा, पहले जो 300 ट्रैक्टर दिये गये थे अनुदान पर, और इसमें दस ट्रैक्टर ही आपने बताये हैं। इस प्रकार से काश्तकारों को ट्रैक्टर पर अनुदान की जो पुरानी नीति है, डी.आई.-1 पर तीस हजार रुपये की, वह आप चालू रखें और यह कमी जो आपके बजट में हो रही है उस बजट को भी काश्तकारों के लिए बढ़ाने का निवेदन करें।

फसल बीमा के बारे में भी आपने इसमें लिखा जरूर है लेकिन कोई आपकी स्कीम नहीं है। सिर्फ फसल बीमा है, ''इस कार्य हेतु निम्नलिखित प्रावधान प्रस्तावित है'', आपने लिखा है। प्रस्तावित किया गया है लेकिन क्या फसल बीमा आप करेंगे? मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब ओले गिरते हैं, जब अकाल पड़ता है और ओलों के कारण से फसल नष्ट हो जाती है और सर्दियों के अन्दर जो जीरा है, थोड़ी-सी बरसात होने पर ईसबगोल आपका नष्ट हो जाता है। फसल ईसबगोल की बिलकुल नष्ट हो जाती है, ऐसे काश्तकारों को आप फसल बीमा के जरिये मदद करेंगे तो काश्तकार आपको हमेशा याद रखेंगे।

यही बात मैं निवेदन करके आपसे यही कहना चाहता हूं कि जो हमारे आजकल के स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हैं, वह पी.एच.डी. किये हुए बैठे हैं। सैंकड़ों स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने

(श्री अमराराम)

बीकानेर यूनिवर्सिटी से पी.एच.डी. की है लेकिन उनको कहीं भी नौकरियां नहीं हैं। हमारे एग्रीकल्चर इंजीनियर्स हैं यह बेरोजगार बैठे हैं उनको एक को भी नौकरी नहीं दी गयी है। आज उनकी क्या हालत हो रही है। यहां एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर ज्यादातर गांव के लोग पढ़ते हैं, किसानों के बच्चे पढ़ते हैं, उन किसानों के बच्चों को भी आपने इन तीन सालों में एक को भी नौकरी नहीं दी है। इसलिए उनमें बड़ा भारी असंतोष है। आप यह न करें तो आप एग्रो सेंटर खोलकर उनको खाद-बीज बेचने का लाइसेंस दे दें। पेस्टिसाइड के बारे में, आपकी फर्जी जो दवाइयां बिक रही हैं जगह-जगह के कारण से, किसान की खेती के अन्दर पैसा देने के बावजूद भी वह फसल के अन्दर असर नहीं करती हैं। ऐसी दुकानों के लिए आपके पास कई उड़नदस्ते हैं, आप उन पर रेड कीजिये और उड़नदस्तों के द्वारा बड़े-बड़े जितने भी हैं, खास तौर से मैं आपको कहना चाहता हूं, जहां यह एरिया है गंगानगर, हनुमानगढ़ के अन्दर, माननीय कृषि मंत्रीजी, आप उन उड़नदस्तों को भेजिये, दुकानों में तो वह आने नहीं देंगे उनको। आपके उड़नदस्तों जायेंगे, वह दुकानों में नहीं घुसने देंगे, इतने लोग शक्तिशाली बने हुए हैं। इसके कारण से हमारे काश्तकारों को फर्जी दवाइयों का उपयोग करना पड़ता है। बाई फ्लाई का हो, चाहे इल्ली का रोग हो, इसके बारे में हमारे इंजीनियर्स ने, हमारे विशेषज्ञों ने बहुत काम किया है लेकिन इसके बारे में आपको प्रशिक्षण देकर के यह बीमारियां भविष्य में नहीं फैलें यह आपको देखना है। इस फर्जी पेस्टिसाइड्स के कारण यह जो बीमारियां फैली हैं इसके कारण उनका असर नहीं होता, इसलिए सोयाबीन वाले काश्तकारों को बहुत नुकसान हुआ। हमारे कपास में नरमा में जो अभी हमें नुकसान हुआ वह भी इस बाई फ्लाई के कारण हुआ। इसलिए मेरा निवेदन यही है कि आप मेहरबानी करके इन किसानों पर हमदर्दी रखें और इन किसानों को हमेशा आगे बढ़ने के लिए, उनकी फसल की रक्षा करने के लिए आप पूरे जागरूक रहें। आज बेरोजगारी खास तौर से फैल रही है। आप यूनिवर्सिटी पर यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं। इससे क्या होता है, मैं यह कह रहा हूं, जितनी ज्यादा यूनिवर्सिटीज होंगी उसका महत्व बहुत ही कम होगा और ज्यादा यूनिवर्सिटीज नहीं होने पर ही उसका महत्व ज्यादा रहता है। आज राजस्थान यूनिवर्सिटी का नाम था, ज्यादा यूनिवर्सिटीज हो गयीं और राजस्थान यूनिवर्सिटी का नाम नहीं रहा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री अमराराम : इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि बेरोजगार इंजीनियर चाहे एग्रीकल्चर इंजीनियर हों और चाहे पी.एच.डी. किये हुए हों, उन सबको आप कहीं न कहीं इस प्रकार का धन्धा दें वरना इस समाज में बहुत ही अराजकता फैलने की संभावना है। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कृषि मंत्रीजी। 45 मिनट में आप तीन माननीय मंत्रीयों को जवाब देना है, समय का बंटवारा आप कर लें।

श्री तैयब हुसैन (कृषि मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं माननीय सदस्यों का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इतनी दिलचस्पी दिखाई और काफी अमूल्य सुझाव दिये और काफी उन्होंने अच्छी-अच्छी बातें भी कहीं और कुछ साथियों ने नावाकफियत

(श्री तैयब हुसैन)

क़ी बिना पर कुछ सही बातें भी नहीं कहीं। क्योंकि जब किसी आदमी को पता न हो कि क्या कह रहा है तो वह कुछ कह दे। तो इसमें दूसरे सारे माननीय सदस्य नहीं बोल पाये। लेकिन जिन्होंने कटमोशंस भेजे हैं, हम एक-एक का जवाब उनको भिजवा देंगे और उसके बाद भी अगर कोई बात उन्हें और पूछनी होगी तो वह भी हम उनको उपलब्ध करा देंगे।

यह सारा मुल्क ही कृषि प्रधान है और यहां की 75 से 80 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर करती है। हमारे यहां प्रदेश में तीसरा अकाल का साल चल रहा है। हालात काफी इस तरह के रहे हैं कि काफी परेशानी है और उसमें कृषि के लिए पानी पहली जरूरत है। जैसे है, पानी जीवन है और उसी से काम चलता है और मैं तो कहा करता हूं कि अगर किसान के पास पानी मिल जाए तो बाकी इंतजाम वह खुदकर लेता है। इसमें कोई दो राय भी नहीं है। मैं आज बधाई देना चाहता हूं राजस्थान के किसानों को कि उन्होंने इन हालात साजगार नहीं होते हुए भी जिन परिस्थितियों में अपने आपको संभाला है उसके लिए वह मुबारकबाद के मुस्तइक हैं। आज यह देखने की बात है कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। आज इन हालात में कहना तो बहुत आसान है, जो जिसकी समझ में आया उन्होंने कहा भी, बाकी देखना यह है कि हमने जब से राज संभाला है, उस वक्त से हम लोग क्या कुछ कर पाये क्योंकि मुख्तसर तौर पर मैं अर्ज करना चाहूंगा, चूंकि आपने वक्त की सीमा लगा दी है, हमने शुरू में ही यहां से जब संभाला, डायरेक्टर आफ होर्टिकल्चर का 1989 में बना, सिर्फ 20 जिलों में ये होर्टिकल्चर का काम रहा 1999 तक। हमने आते ही इसको 30.6.99 से पूरे के पूरे जिलों में पूरे राजस्थान में इसको लागू किया होर्टिकल्चर के प्रोग्राम को। क्योंकि होर्टिकल्चर में कुछ चीजें चाहे वह धनिया हो, चाहे मैथी हो, चाहे सौंफ हो, चाहे जीरा हो, इसमें राजस्थान का अपना एक मुकाम है और उसमें एक्सपोर्ट भी होता है। तो इसी तरह से पारदर्शिता की तरफ जो बात कही गई कि हमने जो यह मिनीकिट्स थे या डिमांस्ट्रेशन थे इनको लाटरी के जरिये सरपंच और लोगों की मौजूदगी में लाजमी कर दिया कि वो इसको करें। यह हमने जारी किया 26.6.99 को। इसी तरह से और भी जो हैं करते रहे, और पिछले साल यह ड्रिप सिस्टम में, इर्रिगेशन सिस्टम में पी.पी. में और इस तरह की चीज थी तो उसकी हमने एक कमेटी मुकर्रर की जिसमें डायरेक्टर, एग्रीकल्चर, वाटरशैड, होर्टिकल्चर, डिप्टी सैक्रेटरी एग्रीकल्चर, चीफ अकाउंट्स आफिसर, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट तो इनका सारा इस तरह से किया कि रहे और जो फर्में थीं उनसे हमने 50 हजार रुपये की सिक्योरिटी और एक लाख रुपये की बैंक गारंटी ली किसी का माल अगर गलत हो जाए तो उसको भी वो देख सके। तो इसी तरह से कुछ पौधों की बात भी आयी कुछ पौधे अच्छे नहीं आये। हो गया ऐसा मैं यह नहीं कहता कोई बात आने में कुछ उस तरह से लेकिन हमने 1998–99 में अगर आम का पौधा 8.69 था तो हमने 6.52 का, इसी तरह से आंवले का पौधा 14.40 था तो 13.31 का और अमरूद का 6.72 का तो 4.8 का, तो इसी तरह से कोशिश की। यानी जो नर्सरी के तौर पर जो पौधे वगैरह इस्तेमाल होते थे उनको करें हम तो और इसी तरह से सब्सिडी वगैरह का हमने कोशिश की है कि जिस हद तक उसका जो गलत इस्तेमाल

(श्री तैयब हुसैन)

होता है उसको हम रोक पायें। इसी तरह से वाटर शैड का। ठीक बात है। बातें आती हैं कि वाटर शैड का काम कई जगह वो है। आज भी एक सवाल था। मैंने कहा है कि उसको दिखवायेंगे। और भी कोई बात अगर कोई भी माननीय सदस्य या कोई पब्लिक का आदमी भी अगर इस तरह की कोई बात नोटिस में लाएगा तो उसको यकीनी तौर से दिखवायेंगे और इंक्वायरी करवाएंगे पूरी तरह से।

इसमें अब गांधी ग्राम योजना के तहत हमने यह तय किया है कि हर ब्लाक के एक गांव को चुनें ताकि उसमें करने की बात हो सके, ताकि उसको वहां अच्छी तरह से डवलप किया जा सके। इसमें 182 गांव चुन लिये गये हैं और जो बाकी के गांव हैं उनमें वाटर शैड का काम चल रहा है। दूसरा यह है कि मैं इस वक्त यह भी कि वाटर शैड डिपार्टमेंट की जो स्थिति है, काफी परेशानीपूर्ण रही है। आज भी है। रोज कोई दो-चार ए.पी.ओ. हो जाते हैं। उसमें हुआ क्या कि 1991 में वाटर शैड का काम शुरू हुआ और वो काम शुरू हुआ सेन्ट्रली स्पोन्सर्ड स्कीम्स के तहत। अब सेन्ट्रली स्पोन्सर्ड स्कीम्स तो हो गयीं कम, फाइनेंस ने मंजूरी दे दी। ओवर स्टाफिंग हो गयी। और जब वो स्कीमें खतम हो गयीं तो उनकी तनख्वाहों का मसला अड़ गया। तो उसमें, यानी कटौती की गयी, 667 पोस्टें कम हुईं। और क्योंकि केन्द्रीय सरकार ने यह भी कर दिया कि क्योंकि पहले एडमिनिस्ट्रेटिव जो था करीब 40 प्रतिशत इस पर खर्च हो रहा था। उन्होंने कहा कि नहीं 10 प्रतिशत पर आप इसको लाइये तो 10 प्रतिशत लाने में ये हो गया और एक बहुत बड़ी लायबिलिटी हो गयी, जिसमें यानी 493 लाख रुपये सिर्फ तनख्वाहों पर बकाया हो गये। मुझे यह कहते हुए खुशी है कि सी.एम. साहब की कोशिश से हम उनकी तनख्वाहें 31 मार्च तक बिलकुल बेबाक कर पाये। इतनी भारी बकाया 5 करोड़ रुपये का करीबन बकाया वो हमने उनको अदा किया वरना रोज ही यही चारों तरफ रहता था कि किस तरह से ये तनख्वाहें दी जाएं। क्योंकि पोस्टें ऐसी क्रियेट कर दी गयीं कि जो सेन्ट्रली स्पोन्सर्ड स्कीम थीं वो स्कीम तो खतम हो गयीं लेकिन स्टाफ रह गया। तो इस तरह से और इसी तरह की चीजें हैं। बाकी मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए और हमारे दो साथी बोलेंगे, तो हमने कोशिश की है और इसी में हम सब लोग आप सब लोगों का सहयोग चाहते हैं कि सारी चीजें हों। इसमें इसी तरह से वेयर हाउसिंग में है। उसमें यह है कि इस साल उसका कोई 12 करोड़ का नफा हुआ है वेयर हाउसिंग कारपोरेशन में, जो एक रिकार्ड है। और हमने यही नहीं एक नयी स्कीम यहां चालू की और उसका फायदा हुआ। मैं सहमत हूं माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने कहा था कि इस तरह का अगर माहौल रहे कि किसान की कुछ मदद हो सके तो हमने यह सुविधा उसको दी कि वो जब अपना माल चाहे रख लें और रख करके वो यहां अपना काम चलायें। तो उसको हम 70 प्रतिशत का मार्केट का उसको पैसा दे देंगे वो हमने किया, चलाया, उससे फायदा हुआ। कितने लोगों ने लाकर जमा किया वो अलग बात है लेकिन कम से कम जो डिस्ट्रेस सैल करने की बात थी उसमें कम से कम उसे एक सहारा मिला कि कम से कम वो अपनी बात इस तरह से कह सके।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वेयर हाउसेज में किराया कितना कर दिया आपने?

श्री तैयब हुसैन : किराये के बारे में अर्ज यह है कि जो फार्मर है उसको हम 50% रिबेट देते हैं किराये में।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कुल कितना देते हैं, रिबेट का सवाल छोड़िये।

श्री तैयब हुसैन : मैं पता करके बता दूंगा, मुझे इस वक्त पता नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी : यह पहले से ही चल रहा था यह आपने कोई अलग से नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं इन्होंने यह थोड़े ही कहा है कि इन्होंने किया।

श्री तैयब हुसैन : नहीं मैंने यह नहीं कहा। मैंने यह कहा है कि अगर पिछले सालों में, मैंने यह नहीं कहा चौधरी साहब, और आपसे तो मैं ज़्यादा इसलिए उम्मीद करता हूं कि आपसे यह महकमा मेरे पास आया है। मुझे तो आप यह बताइये कि आपके जमाने में क्या था और मैंने उसमें क्या खराबी पैदा कर दी क्योंकि इससे पहले तो आप ही थे मेरे प्रीडिसेसर। तो मुझे तो खुशी होगी। और मैंने तो जब भी कभी आप मिले हैं आपसे यही अर्ज किया है कि चौधरी साहब, बतायें कि क्या सुधार करें।

श्री रामनारायण चौधरी : आपने बहुत सुधार किये हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बहुत सुधार किया है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : चौधरी साहब बतायें कि हमने क्या खराबी की है?

श्री तैयब हुसैन : तो इसलिए जैसे यह 1997-98 में अगर...

श्री उपाध्यक्ष : कोई बात नहीं, आप कहें।

श्री तैयब हुसैन : यह कागज भी उन्होंने वो ही भेजा है जो मैंने आपसे अर्ज किया है। यह है कि कितना किराया दूसरे सालों से क्या किराया लेते हैं पहले क्या लेते थे अब कितना है। अगर है तो...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कह दिया ना बता दें।

श्री तैयब हुसैन : ऐसी कोई बात नहीं है मैं तो बिलकुल, जैसे यह 1999-2000 में था, यह था 6.42, और अबके यह 12 करोड़ हुआ जो मैंने अर्ज किया। और इसमें हम जो तमाम किसान हैं उनको 50% रिबेट देते हैं और एस.सी./एस.टी. को 60% रिबेट देते हैं। अगर वो लाकर हमारे यहां रखवायें और इसमें मुझे खुशी है इस बात की कि जब हमने स्कीम चालू की तो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने हमको 50 करोड़ रुपये भी को-आपरेटिव बैंक से दिलवाये कि इसके लिए जो भी कुछ हो सके तो इसमें हमने जो कैपेसिटी थी वो भी बढ़ायी है और भी किया है। और कोशिश कर रहे हैं कि जितनी हमसे इसमें खिदमत हो सके वो कर पायें।

जैसे आप सबको खुशी है हमने जो उदयपुर संभाग के लोगों की एक बड़े दिनों से चली आ रही थी, बड़ी उनकी जज्बाती डिमाण्ड थी कि वहां एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो, तो महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर एण्ड टेक्निकल यूनिवर्सिटी वहां हम बना पाये। यह ठीक है अभी वहां कुछ और जरूरतें हैं इससे पहले कि कटारिया साहब कुछ

(श्री तैयब हुसैन)

कहें मैं खुद ही कह दूं। तो जो जरूरतें हैं पूरी करेंगे। क्योंकि रोम वाज नोट बिल्ट इन ए डे। हर चीज को बनाने में कुछ समय लगेगा लेकिन वहां के लोगों की जो जज्बाती डिमाण्ड थी उसको माननीय चीफ मिनिस्टर साहब ने पूरी करवायी जो आपके हद तक तो वायदों तक ही रह गयी, कागजों तक ही रही। लेकिन जो जरूरतें हैं उनको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। दूसरा यहां पे बुनियादी जरूरत है किसान की कि उसको अच्छा बीज मिले, अच्छी दवाई मिले, खाद मिले और यह हमारी कोशिश है कि हम उसको दें। और क्यों न दें, आप सब भी यही चाहते हैं, पूरा हाउस भी यही चाहता है, माननीय सदस्य भी यही चाहते हैं। हमारी कोशिश है और उस कोशिश में आप सबसे अदब के साथ दरख्वास्त है कि ताईद करें और हमारी मदद करें। कहीं अगर आप समझते हैं कि यहां और चौकसी की जरूरत है तो उसे भी हम करने को तैयार हैं, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है।

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय मंत्रीजी, आपने जो हनुमानगढ़, सूरतगढ़, अनूपगढ़, लूणकरनसर में जो सहायक निदेशक कार्यालय समाप्त किये थे और फिर उसको स्थापित करने का विचार किया था, एज इट इज, उसके संबंध में आप क्या फरमाते हैं।

श्री तैयब हुसैन : लूणकरनसर से आने वाले माननीय सदस्य को मैं अर्ज कर देता हूं, मैंने तो एक बात यह कही थी कि हमारे कुछ माननीय सदस्य मेरे पास गये थे तो मैंने उनसे यह कहा था कि बेटी को ससुराल वाले भगा दें तो मायके वाले तो रखेंगे ही। अगर दूसरे विभाग वाले हमारे अधिकारियों को वापस करेंगे तो हम अपनों को गले से लगा कर रखेंगे, उन्हें कोई परेशानी नहीं होने देंगे। मैं यह अर्ज कर देता हूं, हमारे पास सी.ए.डी. का अभी खत आया है। हमने उसमें अभी यह तय किया है कि जहां जो लग रहे हैं उसको वहीं रख रहे हैं। और फरमाइए,और क्या चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : और बिराजिए बस और क्या चाहते हैं।

डा. किरोड़ी लाल : माननीय मंत्रीजी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। पेस्टिसाइड और सीड्स में अब तक जो मिलावट हुई है, उसमें आज तक कोई कार्यवाही की है क्या आपने?

श्री तैयब हुसैन : हां सुनिए जनाब, वह भी सुनिए। क्योंकि सब्जेक्ट काफी लम्बा है और माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने कह दिया कि इतने मिनट में बोलना है इसलिए मैं बहुत ही ब्रीफ में अर्ज कर रहा हूं। फर्टिलाइजर 1996-97 से 2000 तक। सैम्पल एनलाइज्ड 4262, 1997 में 3952, 1998-99 में 3516, 1999–2000 में 4352, 2000-2001 में 4546। नतीजा यह है कि हर साल हमने यह बढ़ाये हैं। 1996 में 2.792, 1997-98 में 2.126, 1999-2000 में 1.264, 2001 में 0.88।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : साहब, यह 0.88 क्या है?

श्री तैयब हुसैन : परसेन्टेज हैं, सब-स्टेण्डर्ड हैं और सुनिए आप। एक्शन टेकन आन नान स्टेण्डर्ड सैम्पल्स। इनमें हमने show cause

(श्री तैयब हुसैन)

notice issued, court cases launched, F.I.R. warnings इनकी मैं डिटेल आपको बता दूं, आप सुन लीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, दो मंत्री और बोलेंगे।

श्री तैयब हुसैन : देखिए, साहब, बात यह है कि क्योंकि कृषि प्रधान प्रदेश है और 85 परसेंट पर हम लोग इसमें हैं। असल में जो सवाल है जिसकी तरफ मैं आना चाहता हूं, क्योंकि यह तो हमारी और माननीय सदस्यों की बात है। इस वक्त जो कृषि के मसले पर अटैक हो रहा है और जिसमें इधर से फुटबाल मार दी उधर और उधर से मार दी इधर, इससे तो काम चलने वाला है नहीं। माननीय को-आपरेटिव मिनिस्टर भी आ गये हैं क्योंकि खरीद की बात इन्होंने बता दी। मैंने भी इनसे कहा है कि खरीद कम हो रही है। मैं तो इनसे कहता रहता हूं। खरीद होने में मेरी राय में ज्यादा जिम्मेदार केन्द्रीय सरकार है क्योंकि पैसा उन्हें देना है। यही नहीं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी वही मुकर्रर करते हैं। यह थोड़े ही है कि आदमी एक तरफ तो कुछ कहे और दूसरी तरफ कुछ कहे। अब जैसे कई फसलों का तो हमारे यहां मुकर्रर ही नहीं किया गया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप तो एक छोटी सी बात बता दो फर्टिलाइजर्स हो, इन्सेक्टिसाइड हो, सीड हो या और कोई चीज हो, आपने सैम्पल लिया और सैम्पल घटिया पाये गये या स्पेसिफिकेशन के अनुसार नहीं पाये गये, आज तक किसी आदमी को सजा मिली है क्या, कोई जेल गया है क्या?

श्री तैयब हुसैन : मैं आपसे यह अर्ज़ कर रहा हूं क्योंकि आप भी जानते हैं कि अदालतों के काफी लंबे काम हैं लेकिन खुदा ने चाहा तो तैयब हुसैन सजा करा के रहेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दोनों साथ ही जायेंगे।

श्री तैयब हुसैन : जब मैं आपसे कह सकता हूं कि खरीद सही नहीं हो रही है तो हाउस को बताने में क्या दिक्कत है। अब उसके लिए 50 बहाने हो सकते हैं। जिस दिन मैं यह बयान दे रहा था शायद आपने देखा हो मैंने इनसे कहा भी कि कुछ तो करो। क्योंकि मैं अपनी बात क्यों रखूं अपने मन में। जो बात है उसको साफ कहूं। खेतसिंहजी की अपनी मजबूरियां हैं। यह तो वही बात है, मेवाती में एक कहावत है, एक औरत थी उसको सब यूं कहते थे कि इस काम को क्यूं नहीं करती है, क्यूं नहीं करती है। तो उसने कहा कि तीतर तो बहुत है लेकिन छोंकू क्या खसम का हाड़। हमको मिला क्या है, कर्जा मिला है, कर्जा छोड़ कर गये हैं।

अनेक माननीय सदस्य : बहुत बढ़िया।

डा. किरोड़ी लाल : बहुत प्रभावी भाषण हो रहा है, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : क्या पता इससे ज्यादा अच्छा वो दे दें।

श्री तैयब हुसैन : इसी तरह से हमने एक नया तजुर्बा किया है कि गेहूं की खेती मेड़ पर बोई जाए। डायरेक्ट्रेट व्हीट रिसर्च करनाल ने दी है। उसमें बीच में इस तरह से ट्रैक्टर से चलती है और उसमें तीन लेयर बोई जाती है और दोनों

(श्री तैयब हुसैन)

तरफ से पानी जायेगा। उससे पैदावार भी ज्यादा होगी, बीज भी कम लगेगा, पानी भी कम लगेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय मंत्री महोदय, यह तजुर्बा कहां किया है आपने।

श्री तैयब हुसैन : अब तो यह गंगानगर में ही बन रहा है और 15 हजार में यह आ रहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह फोटो हमें भी दीजिए एक-एक।

श्री तैयब हुसैन : हां लीजिए, गंगानगर की फोटो है यह।

श्री उपाध्यक्ष : आप बाद में दे देना।

मोहम्मद माहिर आजाद : साहब, हमें भी देओ।

श्री तैयब हुसैन : उन्होंने मांग ली इसलिए उनको दे दी, आप मांगेंगे आपको भी दे देंगे।

मोहम्मद माहिर आजाद : मैं यह कह रहा हूं इनको मत दो, मुझे दो। राठौड़ साहब को क्यों दे रहे हो। मैं भी किसान हूं, मेरे भी है।

श्री तैयब हुसैन : इसी तरह से हमने किया है इसको वैरायटी आफ सीड्स दिया है उसमें जैसे कहीं खराबी आई, मेरे प्रिडिसेशर माननीय श्री अमरारामजी चौधरी ने कहा, आपका काल अटेशन आया था, हुजूर, उसके जवाब में सारी बात लिख दी है और अगर उसमें और कुछ चाहिए तो और बता दीजिए मैं और आप दोनों मिलकर चल पड़ेंगे जहां खराबी है। इसमें क्या बात है (व्यवधान) देखिए साहब, बात हो जाने दीजिए।

मोहम्मद माहिर आजाद : राठौड़ साहब, आप इनको रोक क्यों रहे हो? यहां राठौड़ी नहीं चलेगी। फसल बीमा पर बोलो।

श्री तैयब हुसैन : ठहरिए, साहब, तसल्ली तो रखो, एक-एक पाइंट पर बात दूंगा कोई ऐसी बात नहीं है। मेरे पास कोई चीज ऐसी नहीं है जिसे छुपाने की जरूरत हो। हमने पिछले साल यह महसूस किया कि खास तौर से...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, वह भी बोलेंगे, थोड़ी देर उनको भी मौका दो।

श्री तैयब हुसैन : चलिए, साहब, अब और संक्षिप्त करता हूं। उदयपुर डिविजन में काफी हद तक चैफ कटर्स भी दिये क्योंकि वहां लोग मवेशियों को यूं ही घास डाल देते हैं। हमने 1800 कुट्टी काटने की मशीनें वहां दीं। इसी तरह से इंश्योरेंस वाले मसले में पहले जो स्कीम चली आ रही थी काम्प्रीहैंसिव क्राप इंश्योरेंस स्कीम, उसके साथ कुछ ठीक था फिर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह बात प्राइम मिनिस्टर साहब को लिखी। प्राइम मिनिस्टर साहब को लिखा कि यह हमारी स्टेट के लिए भारी है कि हम इतना दे पाएं आप इसे 80 तक कीजिए। और आज तक उस चिट्ठी का भी जवाब नहीं आया। 14 सितम्बर को एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स कान्फ्रेंस थी। मैंने वहां भी कहा कि इस बात को कीजिए, अभी तक केन्द्र सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कृषि को उद्योग घोषित कर दीजिए। (व्यवधान)

श्री तैयब हुसैन : जी, क्या...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कृषि को आप उद्योग घोषित कर दीजिए।

डा. किरोड़ी लाल : कृषि को आप उद्योग घोषित कर दीजिए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : और यह आप ही कर सकते हो। यह तो आप ही कर सकते हो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री तैयब हुसैन : प्लीज, आप सुन लीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, प्लीज डिमाण्ड पास करवाइये। (व्यवधान)

श्री तैयब हुसैन : अच्छा साहब, मैं अर्ज कर रहा हूं आपसे इस सिलसिले में कि आल इण्डिया लेवल पर इसको इण्डस्ट्रीज का दर्जा नहीं दिया गया है। जब एप्रोप्रिएट टाइम होगा, appropriate action will be taken.

डा. किरोड़ी लाल : मंत्रीजी, घोषणा पत्र में तो आपने ही लिखा है। आपने घोषणा पत्र में लिखा था। (व्यवधान)

श्री तैयब हुसैन : दूसरी एक बात...

श्री मदन दिलावर : टारगेट तय किया था या नहीं किया। जैविक खाद बेचने का लक्ष्य तय किया था या नहीं किया, बताइये।

श्री तैयब हुसैन : नहीं किये, बिल्कुल नहीं किये। सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। श्रीमान्, आप सुनिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि मैंने... (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : क्या सुनाना चाहे रहे हो।

श्री तैयब हुसैन : अरे भाई, सुन लीजिए आप।

श्री मदन दिलावर : हां सुनाइये, सुनाइये।

श्री तैयब हुसैन : आप सुनेंगे तो नहीं, मैं... (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : नहीं, नहीं आप सुनाइये ना।

श्री तैयब हुसैन : खैर, आपके समझ से बाहर की बात है। कुछ बातों के लिए समझ चाहिए वह शायद ऊपर वाले ने आपको नहीं दी है।

श्री मदन दिलावर : ऐसा है, बुद्धि पर ठेका आपका ही नहीं है। भगवान की दया से मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं। आपने गायें चराई होंगी।

श्री तैयब हुसैन : सुनिए, माननीय उप नेता महोदय बैठे हुए हैं वह समझ लेंगे इस बात को। यह बायो फर्टिलाइजर वाली पिछले सैशन में भी चली थी। उस वक्त हमारे दो माननीय सदस्यों ने, चूरू से आने वाले माननीय सदस्य और हनुमानगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने यह बात उठाई थी। मैंने आपसे कहा था और आज भी कह रहा हूं कि मेरी मिनिस्टरी मुतल्लिक का कोई भी कागज, कोई भी देखना चाहे तो 24 घंटे दरवाजा खुला है। (व्यवधान) बैठो, बैठो आपकी समझ से बाहर की बात है।

श्री मदन दिलावर : मैं पत्र पढ़ रहा हूं, उस पत्र को पढ़कर देखें। पत्र क्रमांक 1/14ए/बी/

(श्री मदन दिलावर)

257/2000/80/153 दिनांक 4.4.2000 (व्यवधान)

श्री तैयब हुसैन : जरा सुनिए। मेरी बात सुनिए, आप बैठिये। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : विस्तार कार्यक्रम की मासिक कार्य योजना में जो आपका पत्र है उस पत्र को पढ़कर बताइये।

श्री तैयब हुसैन : आप बैठिए। मैं यह अर्ज कर रहा हूं इनसे, मैंने कहा कि आप आ जाइए लेकिन आज तक भी इन माननीय सदस्यों ने तकलीफ गवारा नहीं की। अब आ जाएं। Have a cup tea and see things.

श्री रामप्रताप : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इस पर एतराज है। मैं आपके पास क्यों आऊंगा? यह सर्वोच्च सदन है, आप यहां पर बताइये ना।

श्री तैयब हुसैन : बता रहा हूं, सुन लीजिए।

श्री रामप्रताप : प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने इस बात को समेटा था और यह पटाक्षेप इसी वजह से हुआ था, अदरवाइज आपको पता है कि उस दिन आपकी क्या हालत हुई थी।

श्री तैयब हुसैन : मैं जो आपसे अर्ज कर रहा हूं वह सारा रिकार्ड मैंने पिछले सैशन में सदन की टेबल पर रखा है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : मैं जिस पत्र का हवाला दे रहा हूं आप उस पत्र को पढ़कर बताइये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज।

श्री तैयब हुसैन : सुनिए तो सही, बात सुन लो भाई...

श्री मदन दिलावर : मैं जिस पत्र का हवाला दे रहा हूं उस पत्र को पढ़कर बताइये। पत्र में टारगेट... (व्यवधान)

श्री तैयब हुसैन : जरा आप सुन लीजिए, आज भी जो....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय पशुपालन मंत्रीजी। डिमाण्ड पास करवाइये प्लीज।

श्री तैयब हुसैन : एक सैकण्ड, साहब, एक सैकण्ड।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज कोआपरेट।

श्री तैयब हुसैन : लाडनूं से आने वाले माननीय सदस्य ने सवाल पूछा उसमें जो टोटल रिपोर्ट्स हैं, जिसमें बिजली, ट्रांसपोरटेशन, वह सारी चीजें, मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि आप वह रिपोर्ट्स पढ़ लीजिए। आपने यह तो हवाला दिया है कि वह सवाल है लेकिन उसके साथ टोटल रिपोर्ट्स अटैच हैं, आप उन्हें देख लीजिए। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय कृषि मंत्रीजी से एक सीधा सा सवाल है।

श्री तैयब हुसैन : 1995 में यह प्रोजेक्ट रिपोर्ट आई और उस वक्त इन्हें पांच लाख रुपये एकमुश्त में सब्सिडी दे दी गयी, उस जमाने से यह फैक्ट्री लगी हुई है।

श्री रामप्रताप : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप इस विषय को बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए

(श्री रामप्रताप)

आपको टाइम देना पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री तैयब हुसैन : वह सारी रिपोर्ट्स रखी हुई हैं। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि डिमाण्ड पास... (व्यवधान)

श्री रामप्रताप : यह सदन को गुमराह कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय पशुपालन मंत्रीजी।

श्री रामप्रताप : यह 1998 में जब आई थी तब कितने पैकेट्स बिके थे? बाद में इसको बंद करने का सैन्ट्रल टीम ने कहा था। क्या आज की तारीख में बायो फर्टिलाइजर चल रही है?

श्री मदन दिलावर : मेरा आरोप है, यह गलत जवाब दे रहे हैं। लोगों ने इसमें करोड़ों रुपयें का घोटाला किया। आप इस पत्र को पढ़कर बताइये।

श्री तैयब हुसैन : डाक्टर रामप्रतापजी, आज की जो रिपोर्ट दी है चूरू से आने वाले माननीय सदस्य से लीजिए, और मार्च के महीने की रिपोर्ट है... (व्यवधान)

श्री रामप्रताप : मैं आपसे जानकारी चाहता हूं...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामप्रतापजी।

श्री रामप्रताप : बार-बार आप कह रहे हो आपके टाइम में थी, हमारे टाइम में 1998, अक्टूबर में इसमें आब्जेक्शन उठा था और उसके बाद में कितने समय तक जयपुर बायो फर्टिलाइजर चली है?

श्री तैयब हुसैन : टोटल इंक्वायरी रिपोर्ट्स, टोटल इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स माननीय चूरू से आने वाले सदस्य से ले लीजिए।

श्री रामप्रताप : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतना महत्वपूर्ण मुद्दा था तो आप एक माननीय सदस्य को बता रहे हैं, आप अपनी पोजीशन क्यों नहीं क्लियर कर रहे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय पशुपालन मंत्रीजी।

श्री रामप्रताप : एक सदस्य को क्यों दे दिया आपने?

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये।

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने निदेशक के पत्र का हवाला दिया है, उस पत्र को पढ़कर बताइये, नहीं तो साफ जाहिर है कि जैविक खाद बेचने में +++ (व्यवधान) मेरा आरोप है, +++ जैविक खाद में, यह मेरा आरोप है। आप उस पत्र को पढ़कर बताइये जिस पत्र का मैंने हवाला दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज बिराजिए।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) (राज्य मंत्री, पशुपालन) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं...

डा. महेश जोशी (उप मुख्य सचेतक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो आरोप लगाया गया है इसको सदन की कार्यवाही से निकाला जाए।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए प्लीज। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह क्या बात हुई?

श्री मदन दिलावर : मैं पत्र का हवाला दे रहा हूं उसको आप पढ़कर बताइये।

एक माननीय सदस्य : कौनसा आपने नोटिस दिया?

श्री रामप्रताप : आप आरोप निकलवाने के लिए तो तैयार हो जाते हैं, पर माननीय सदस्य जो पत्र दे रहे हैं वह नकली है क्या... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए, बिराजिए।

श्री मदन दिलावर : मैं जिस पत्र का हवाला दे रहा हूं उसे पढ़कर बताइये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिए। अंकित नहीं हो।

श्री तैयब हुसैन : We are not selling of agent of anybody.

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज बिराजिए।

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है। माननीय सदस्य, बैठिए।

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री तैयब हुसैन : ना हम किसी का माल बेचते हैं और न ही हमारा कोई मतलब है। हर आदमी अपना माल खुद बेचता है। मैं जो कह रहा हूं हम किसी का माल नहीं बेचते।(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री उपाध्यक्ष : पशुपालन मंत्रीजी, प्लीज आप बोलिए।

श्री देवीलाल बैरवा : ×××

श्री उपाध्यक्ष : देवीलालजी, बिराजिए।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) (राज्य मंत्री, पशुपालन) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूं उन माननीय सदस्यों का जिन्होंने पशुपालन संबंधी मांग संख्या 39 पर अपने बहुमूल्य विचार प्रकट किये। मैं उन सभी माननीय सदस्यों का भी आभारी हूं जो मांग के विचार के समय यहां पर आज उपस्थित हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सभी जानते हैं कि राजस्थान में और विशेषकर राजस्थान के ग्रामीण अंचल में आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए राजस्थान के ग्रामीण पशुपालकों की अर्थव्यवस्था के लिए यदि कोई जीवन रेखा है तो वह है कृषि, और कृषि के पश्चात् पशुपालन है। पशुपालन के लिए कभी हमारे अनादिकाल से साहित्यकारों ने इस धन को सर्वोत्तम धन माना है। जब धनों की व्याख्या करने लगे हैं तो सबसे पहले पशुधन में गौ धन, गज धन, बाझ धन, सब ही रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूलि समान। सबसे ज्यादा गौ धन को प्रमुखता दी गयी है। वह इसलिए दी गयी है कि

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री हरिसिंह)

यह ऐसा धन है जो डेड असेट्स नहीं है जो इनकम बियरिंग असेट्स है और इनकम भी हमें छमाही या सालाना नहीं मिलता है बल्कि रोज मिलती है। ऐसा कोई दूसरा इन्वेस्टमेंट नहीं है, ऐसी कोई दूसरी असेट्स नहीं है जिसमें कि प्रतिदिन आमदनी होती हो, इसलिए पशुधन राजस्थान के लिए बहुत ही मूल्यवान धन है।

यह हमारा सकल घरेलू उत्पाद है उसका 19 प्रतिशत कन्ट्रीब्यूट करता है। हम राजस्थान में अपने देश का 10 प्रतिशत दुग्ध उत्पादन करते हैं। हम सम्पूर्ण देश का राजस्थान में 40 प्रतिशत मांस उत्पादन करते हैं। हम राजस्थान में 42 प्रतिशत ऊन का उत्पादन करते हैं। पूरा राजस्थान एक तरफ और पूरा हिन्दुस्तान एक तरफ इतने महत्वपूर्ण विषय पर निवेदन करना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लोगों को कई बार आशंकाएं हो रही हैं कि राजस्थान के पशुपालकों का भविष्य उतना उज्जवल नहीं है जितना वह उज्जवल करना चाहते हैं।

मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सरकार की नीति यह है कि हम पशुपालकों को इतना सक्षम कर दें, पशुपालकों का दूध है, हम उसको उस कीमत पर लें। पशुपालकों के लिए दूध का मार्केट हम बना सकें, पशुपालकों के दूध के उत्पाद को हम अच्छी कीमत पर बेच सकें, उसका हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। और उसके प्रयास के सम्बन्ध में, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमने जो अपना डेयरी मूवमेंट है, आज इस प्रकार से इसको सक्षम कर दिया है और हमारी आगे की जो योजनाएं हैं, इसको सक्षम करने के लिए मैं आपको दो मिनट में निवेदन करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, इस समय राजस्थान में जो हम दूध का संकलन कर रहे हैं, हमने गत वर्ष संकलन किया था 7.81 लाख किलोग्राम दूध का प्रतिदिन और इस साल 2000-2001 में हमने किया है 8.86 लाख किलो प्रतिदिन। और हम 2003-2004 तक इसको 14 लाख किलो प्रतिदिन तक ले जाना चाहते हैं। इसी प्रकार से दूध का वितरण भी पहले हम 4.80 लाख किलो प्रतिदिन कर रहे थे इसको 2000-2001 में 5.44 लाख पर हमने किया है और हम अगले 2003 तक 10 लाख किलो प्रतिदिन ले जाना चाहते हैं। तो मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपसे यह निवेदन कर रहा था कि आज हम डेयरी मूवमेंट से राजस्थान में एक करोड़ रुपया प्रतिदिन पशुपालकों को देते हैं, ऐसा कोई दूसरा और धंधा नहीं है राजस्थान के अन्दर जो कि एक करोड़ रुपया प्रतिदिन पशुपालकों के लिए देता हो। यह सर्वोत्तम धंधा है लेकिन वह अकाल के समय भी असफल नहीं हो जाता है। जब अकाल में कृषि असफल होती है तो पशुपालक के लिए, ग्रामीण अंचल के लिए जो दूसरा धंधा, जो कि उसकी जीवन रेखा बनकर उसके सामने आता है वह है हमारा पशुपालन। हमने जयपुर डेयरी को काफी सक्षम करने के प्रयास किये हैं और जयपुर डेयरी के बारे में आपको निवेदन करना चाहूंगा कि भारतवर्ष में राष्ट्रीय उत्पादन पुरस्कार जयपुर डेयरी को मिला है, राजस्थान में जो सबसे पहली डेयरी है उसको यह पुरस्कार मिला है। आई.एस.ओ. 9002, जो कि एक सर्टिफिकेट मिलता है किसी भी संस्थान के लिए, वह जयपुर डेयरी को मिला है, अलवर को मिला है, भीलवाड़ा को मिला है और बीकानेर को मिला है, इन चार डेयरीज़ को मिल चुका है और

(श्री हरिसिंह)

दो डेयरीज के लिए हम प्रयास में हैं, अजमेर के लिए और उदयपुर के लिए। मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि जयपुर डेयरी में हमारी जो महिला समितियां हैं, वे आज काफी काम कर रही हैं। आपने सुना होगा और अखबारों में देखा होगा कि नायला में जब बिल क्लिंटन आये थे उन्होंने हमारी जयपुर की जो महिला डेयरी है, महिला समिति जो संचालन करती है, उसको देखा था। और किस प्रकार से एक महिला उसकी सैक्रेटरी थी, वह कैसे अपने मिल्क-स्टेशंस हैं और मिल्क टैस्टर्स हैं, उनको आटोमैटिक रूप से संचालित करती है वह उन्होंने देखा। और हमारी महिला समितियों ने बिल क्लिंटन साहब ने जब उनसे कोई उपहार मांगा तो उन्होंने अपनी डेयरी की मैम्बरशिप का कार्ड उनको दिया। जब उन्होंने पूछा कि इस कार्ड से मुझे क्या अधिकार मिलते हैं तो उन्होंने कहा कि यदि आपको भैस खरीदने की जरूरत बड़े, क्लिंटन साहब, तो हमारी महिला समिति आपको इस बात के लिए ऋण दे सकेगी। यह कार्ड आपको आथोराइज करता है। तो वे कार्ड को ले गये और उन्होंने कहा कि इस कार्ड को अपने व्हाइट हाउस में, वाशिंगटन के अन्दर मैं रखूंगा। तो मैं आपसे यह निवेदन करना चाह रहा था कि हमारी आज जो गांव की महिलाएं हैं वे भी आटोमैटिक जो मिल्क-स्टेशंस हैं, उनको हैंडल कर सकती हैं।

अब मैं एक निवेदन और करूं, जयपुर डेयरी के अन्दर एक नया डोक खोलना चाहते हैं जयपुर में दूध को रिसीव करने के लिए। हम कोटपूतली और दौसा में नये चिलिंग सैण्टर्स स्थापित करना व क्षमता बढ़ाना चाहते हैं जिससे हमारे यहां के दूध का संकलन ज्यादा हो सकेगा। यह मैं आपसे निवेदन करके चलना चाहता हूं। इसके अलावा हम दूदू में भी चिलिंग सैण्टर नया खोलना चाहते हैं। हम इसकी, अपनी डेयरी की कैपेसिटी को जो आज डेढ़ लाख है उसको हम पांच लाख करना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, एक मिनट, समय बढ़ा दें।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय मांग संख्या 37 एवं 39 के साथ–साथ शेष रही सभी मांगें पारित होने तक बढ़ा दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : मांगें पारित होने तक समय (व्यवधान) वे तो इसमें शामिल है।

डा. महेश जोशी (उप मुख्य सचेतक) : एप्रोप्रियेशन बिल भी शामिल है।

श्री उपाध्यक्ष : वह तो इसमें शामिल है न आप पेश करोगे वह तो इंट्रोडक्शन हो जाएगा।

श्री हरिसिंह (महुवा) : आज की कार्य सूची पूरी होने तक समय बढ़ा दिया जाए। आज की कार्य सूची पूरी होने तक।

श्री उपाध्यक्ष : कार्य सूची पूरी होने तक समय बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

मांग संख्या 37 एवं 39 पर विचार

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर में करीब-करीब सभी पंचायत हैडक्वार्टर पर जहां पर हमारी महिला समितियां काम कर रही हैं, वहां पर हम बल्क कूलर्स लगाना चाहते हैं। बल्क कूलर्स लगाने से यह होगा कि उस गांव का दूध वहां इकट्ठा होगा। वहीं उसका चिलिंग हो जाएगा और जब हमारा कोई वाहन लेने के लिए जाएगा, चाहे चार घंटे बाद जाओ, छह घंटे बाद जाओ, आठ घंटे बाद जाओ तो दूध की क्वालिटी में कोई फर्क नहीं आएगा। यानि मैं यह निवेदन करना चाह रहा था कि हम दूध की बिक्री बढ़ाना चाहते हैं और दूध की क्वालिटी बढ़ाना चाहते हैं। आज जो इस बात का डर हो रहा है कि आयातित दूध आकर यहां सस्ता बिकेगा, उसको रोकने के लिए हम चाहते हैं कि हमारे दूध की क्वालिटी अच्छी हो, दूध का संकलन ज्यादा हो, दूध की बिक्री ज्यादा हो तब ही हम दूध की जो रेट है उसको कम कर पाएंगे। इसके लिए हम हर पंचायत हैडक्वार्टर पर, पंचायत समिति पर बल्क कूलर्स लगाना चाहते हैं और इसके लिए 30 करोड़ रुपये व्यय करने का हम प्रावधान करने जा रहे हैं। हम 70 नई महिला समितियां खोलकर छह हजार नये सदस्यों को इससे जोड़ेंगे, इस प्रकार से हमारे सदस्यों की संख्या 84 हजार हो जाएगी। यही नहीं बल्कि हम पूरे राजस्थान में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो हमारी संस्था समितियां काम कर रही हैं उनको बढ़ाकर 5885 करेंगे। अगले साल 2003-2004 तक हम 2000 समितियां बढ़ाकर इनकी जो सदस्य संख्या है वह 4 लाख 36 हजार जो आज है, उसको भी ज्यादा बढ़ाने का प्रयास करेंगे। यह मैंने आपको अपने डेयरी मूवमेंट के बारे में कहा।

कुछ सदस्यों ने इस बात की आशंका जाहिर की थी कि एन.डी.डी. में जाने के बाद उनका जो 54 करोड़ रुपये का कर्जा है उसको हम चुका पायेंगे या नहीं और नहीं चुका पाये तो ऐसा तो नहीं हो कि हमारा डेयरी मूवमेंट समाप्त हो जाएगा। मैं उनकी इस आशंका को निर्मूल करने के लिए उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज हमारे यहां पर जितने अपने ग्रामों के अन्दर और हमारे जिलों में जो हमारे डेयरीज के संघ हैं, उनके पास में इतना पैसा है, फिक्सड डिपोजिट के रूप में पैसा है कि हम जो कर्जा 54 करोड़ रुपये का हमारे ऊपर है उसको आसानी से चुका सकेंगे और यदि हमें टाइम लिमिट की आवश्यकता होगी, एन.डी.डी. से हम टाइम लिमिट लेकर अपना जो मूवमेंट है उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने देंगे।

अब मैं आपको पशुधन के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। इस सम्बन्ध में आपसे यह निवेदन करूं, श्रीमन्, कि हमारा उद्देश्य यह है कि हम स्वास्थ्य रक्षा के लिए काम करें। इस समय हमारे राजस्थान में 3425 पशु चिकित्सालय और सब-सैण्टर्स स्थापित हैं। जिसमें से हमने सरकार में आने के बाद 100 नये चिकित्सालय और 400 सब-सैण्टर्स खोले थे और जहां तक स्टाफ का सवाल है, मुझे यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि हम सभी जगह पर अपना स्टाफ अभी तक नहीं लगा पाये हैं। लेकिन हम इस बात के लिए प्रयासरत हैं और हमने इस वर्ष में 149 नये डाक्टर साहिबान की भर्ती की है। वेटरिनरी आफिसर की भर्ती की है और 100 नये एल.एस.ए. हम अभी कुछ ही समय में लगा देंगे, नये रिक्रूटमेंट करके जो मैं समझता हूं कि इससे कुछ और जगह पर राहत

(श्री हरिसिंह)

मिलेगी। इसके अलावा जो अभी शीप एवं वूल का मर्जर हुआ है वह शीप एवं वूल के मर्जर से भी हमें कुछ और व्यक्ति मिले हैं। 285 हमें स्कन्ध सहायक मिले हैं जिन्हें हम एल.एस.ए. की जगह पर लगाएंगे। और 288 हमें गड़रियां मिले हैं जिन्हें हम जल्दी ही क्लास फोर्थ की जगह पर लगाएंगे। यह 400–500 आदमी हमें इस समय और मिल जाएंगे इसलिए हम जहां पर स्टाफ की कमी है, वहां पर स्टाफ की कमी को पूरा करेंगे।

अभी एफ.एम.डी. की बात चल रही थी। एफ.एम.डी. के बारे में कोई चर्चा चली। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि एफ.एम.डी. आज राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में इसने एक तहलका मचा दिया था और इंगलैण्ड और अन्य कण्ट्रीज में तो 10 लाख पशु जिंदा जला दिये गये, जिंदा मार दिये गये लेकिन राजस्थान में इसका प्रकोप हुआ। हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा था कि हम इसको फेस नहीं कर पाये। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में एक ही नहीं कई गांवों में मैं गया हूं। सबसे पहले अटैक हुआ था इसका सांगटेड़ा गांव के अन्दर। वहां मैं स्वयं गया और वहां हमारी टीम गयी। उसके बाद जयपुर जिले के और गांवों में अटैक हुआ। हनूत में मैं माननीय कमलाजी के साथ गया था और वहां हमारी टीम गयी। अलवर जिले में इस बीमारी का अटैक हुआ, वहां मैं स्वयं गया 2-3 गांवों में, और मैं कोई अपनी बात बड़ाई करके नहीं करना चाहता हूं।

मोहम्मद माहिद आजाद : बधाई दी आपको

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : आपने बधाई दी है लेकिन हमारे एक सदस्य ने कहा था, तो गांव में मेरा और डाक्टर साहब का उन गांव वालों ने बड़ा आदर किया, सम्मान किया। पुष्प-मालाओं से स्वागत किया कि राजस्थान में आपने एफ.एम.डी. के सम्बन्ध में जो काम किया है वह सराहनीय है। तो मैं आज यह कह सकता हूं कि राजस्थान के अन्दर एफ.एम.डी. का कोई भय नहीं है और इसके टीके... (व्यवधान)

(17.00 बजे)

सदन की कार्यवाही

मुखबंद हेतु निर्धारित समय में वृद्धि

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, मुखबंद का समय पांच बजे था।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : मैं बस इन्हीं शब्दों के साथ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट आप बिराजिये। मैं आपको बोलने दूंगा। सदन के एक माननीय मंत्री को जवाब और देना है। सदन की अनुमति हो तो मुखबंद का समय 15 मिनट और बढ़ा दिया जाये?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पहले प्रस्ताव आये।

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : आसन सक्षम है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। फालतू की बहस मत करो आप।

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : आसन अगर व्यवस्था दे रहा है तो... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आसन सर्वोपरि है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजो न फिर।

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : जब आसन ने व्यवस्था दे दी तो... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजो न फिर काहे को टाइम खराब कर रहे हो? Why are you wasting time?

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : मुख्य सचेतक आसन को थोड़ी सुपरसीड करेगा। आसन ने व्यवस्था दे दी।... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मंत्रीजी, बिराजिये। समय बढ़ाया जाये या नहीं बढ़ाया जाये?

श्री रामनारायण चौधरी : आप क्या चाहते हैं?

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : समय बढ़ा दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : समय 15 मिनट और बढ़ाया। बोलिये। इससे आपको काई लाभ नहीं मिलेगा।

मांग संख्या 37 एवं 39 पर विचार

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : इसमें यह निवेदन आपसे कर रहा था कि हमने पशुओं के बचाव करने के लिए टीकाकरण का पूरा प्रबन्ध किया है। हम एच.एस. जिसे गलघोंटू बीमारी होती है और बी.क्यू., जिसे लंगड़ा बुखार कहते हैं... (व्यवधान) मेरा तो डिपार्टमेंट है, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : हां, बोलो।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : दोनों बीमारियों के लिए वैक्सीन हम स्वयं पैदा करते हैं और उस वैक्सीन की हमारे पास कोई कमी नहीं है। इनको हम पशुपालकों की जहां कहीं भी डिमाण्ड होती है, वहां लगाने के लिए स्टाफ और हमारी वैक्सीन तैयार है। इसके अलावा बांझपन निवारण कैम्पों के प्रावधान किये हैं। 19,181 बांझ निवारण केन्द्र बनाएंगे। नेचरल सर्विस के लिए भी मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं जो कोई पशुपालक ए.आई. आर्टिफिशल इन्सेमीनेशन को पसन्द नहीं करता उसके लिए हमने प्रबन्ध किया है कि हम मुर्रा नस्ल की, गीर नस्ल की, राठी नस्ल की, जो भी नस्लें राजस्थान के अन्दर हैं उन सबके सांडों को फ्री वितरित करते हैं, सीमा जरूर है वितरण करने की। लेकिन हम जितनी भी आवश्यकता होती है उसी के अनुरूप प्रयास करते हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : पिछले छह महीने से आपका तरल नाइट्रोजन नहीं मिलने से... (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : नहीं, आपने उस समय भी प्रश्न उठाया था।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आज तो कम से कम आप बताओ क्या व्यवस्था हुई?

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : मैंने उस समय भी आपसे यह निवेदन किया था।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आज तो बता दें आप, क्या व्यवस्था होगी?

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : हम बहुत जल्दी ही...

श्री गुलाब चन्द कटारिया : छह महीने पूरे हो गये आज की तारीख से...

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : छह महीने पूरे नहीं हुए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कटारिया साहब, बैठिये।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : छह महीने पूरे नहीं हुए, माननीय सदस्य।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : सारे राजस्थान में कहीं उपलब्ध नहीं है।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : पूरे नहीं हुए। आज हर जिले...

श्री उपाध्यक्ष : यह उसी रोज जवाब दे दिया था इन्होंने। उसी रोज कह दिया था इन्होंने। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : हर जिला, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं...

श्री गुलाब चन्द कटारिया : इतना महत्वपूर्ण है, इस चीज के बारे में आप कह रहे हैं... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कह दिया न, इन्होंने उस रोज ही कह दिया न।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : छह महीने से कहीं भी उपलब्ध नहीं है।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : मैंने आपसे निवेदन किया कि हमारे कुछ दिक्कत आ गयी थी तरल नाइट्रोजन की। उपलब्ध नहीं होने की वजह से कम्पनी की तरफ से तरल नाइट्रोजन हमको उपलब्ध नहीं हुआ था। अब हम शीघ्र ही इस बात के प्रयास में हैं कि तरल नाइट्रोजन खरीद कर आर्टिफिशल इन्सेमीनेशन की जो रुकावट आ गयी थी, उसको दूर करेंगे। जो कमी हुई, उसमें मैं आपको इंकार नहीं कर रहा। उस वक्त दिक्कत आ गयी थी और बड़े-बड़े कामों में दिक्कत आ जाती है, इसलिए इसमें भी दिक्कत आ गयी थी और मैं यह मानता हूं यह हमारा बहुत इम्पार्टेण्ट काम है, इस काम को करने में हम पूरी तरह से प्रयासरत हैं और इस काम को हम करेंगे।

इसके अतिरिक्त, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम आपसे यह भी निवेदन करना चाहते हैं कि पशुपालन विभाग में ऊन विभाग का मर्जर हुआ है। भेड़ और ऊन के जहां पर पुरने चैक पोस्ट लगे हुए थे, उनको समाप्त नहीं करके कई जगह जरूरी है वहां उनको बदस्तूर कायम रखेंगे और भेड़ों के लिए एतराज किया कि आपने दवाइयों में... (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : मंत्री महोदय, मैं पूछना चाह रहा हूं कि मेरे आउवा... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, माननीय सदस्य।

श्री केसाराम चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं हास्पिटल के लिए पूछ रहा हूं। पचास हजार रुपये लिए हुए तीन साल से बैठे हैं। मैं हास्पिटल के लिए प्रश्न नहीं पूछूं? पैसे जमा हैं। पचास हजार रुपये लेकर बैठे हैं। हमारे पचास हजार रुपये वापस दिला दो। आप हास्पिटल खोलना चाहते हैं कि नहीं?

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : जहां कहीं भी पचास हजार रुपये जमा कराये गये और वहां की पंचायत

(श्री हरिसिंह)

ने इस बात की अंडरटेकिंग दे दी कि हम खर्चा चलाएंगे आगे का, तो हमने आठ जगह पशु औषधालय खोल दिये। आप शायद आउवा की चर्चा करना चाह रहे हैं।

श्री केसाराम चौधरी : हां, मैं आउवा की कहना चाह रहा हूं। तीन साल से कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री केसाराम चौधरी : बिराजें क्या, साहब? न तो पैसे दे रहे हैं तीन साल से। हमारे पैसे वापस दे दो।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : आउवा में आपकी पंचायत ने यह लिखकर दे दिया कि हम खर्चा वहन करने को तैयार नहीं हैं इसलिए आउवा में पशु चिकित्सालय, आपकी पंचायत है उसकी प्रार्थना के अनुसार अब हम वहां पर पशु चिकित्सालय नहीं खोलेंगे। यह मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं।

श्री केसाराम चौधरी : नहीं खोलेंगे तो हमारे पैसे ब्याज सहित वापस दो।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : आपके पैसे वापस हो जाएंगे।

श्री केसाराम चौधरी : ब्याज सहित देना पड़ेगा। आपने पैसे लिए हैं उनका बैंक के हिसाब से ब्याज देना पड़ेगा।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : जो राशि है, वह हम देंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे विभाग की मांग को पास किया जाये, स्वीकार किया जाये।

श्री केसाराम चौधरी : और पिलावणी में अपना गांव अपना काम योजना में हास्पिटल बना हुआ पड़ा है, क्या उसको भी खोलेंगे कि नहीं?

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये।

श्री केसाराम चौधरी : मेरे यहां हास्पिटल बने हुए पड़े हैं, दानदाताओं ने बनाये हैं। गांव वालों ने पैसे लगा दिये। पिलावणी में है, मारवाड़ जंक्शन में है और जगह-जगह 100 हास्पिटल खोले और हमारे यहां एक हास्पिटल खोलने में आपकी बात समझ में नहीं आती।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। श्री परसादी लालजी मीणा। माननीय मंत्रीजी।

श्री परसादी लाल (राज्य मंत्री, सहकारिता): उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 37 में कृषि विपणन बोर्ड भी आता है, उसके संबंध में दस माननीय सदस्यों ने अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं। मैं माननीय सदस्यों के कटौती प्रस्तावों का जवाब कल तक उनके पास लिखित में भिजवा दूंगा और उनके संबंध में जो भी आवश्यक कार्यवाही होगी, वह शीघ्र की जाएगी।

कृषि विपणन विभाग का मुख्य काम है किसानों को बिचौलियों से बचाना और किसानों की उपज का समय पर प्रतिस्पर्धा में उचित मूल्य दिलाना। यह कृषि विपणन विभाग का कार्य है। राज्य में कुल 124 मंडियां कार्यरत हैं और इसमें किसानों को सारी सहूलियतें दी जाती हैं। मंडी टैक्स के रूप में पिछली सरकार के समय जो इनका 1997-98 का 128 करोड़ का टैक्स था, हमने अच्छे प्रबन्ध द्वारा, कुशल प्रबन्ध द्वारा उसको बढ़ाकर 149 करोड़ तक ले गये हैं। हम

(श्री परसादी लाल)

कोशिश कर रहे हैं कि किसानों की सारी की सारी फसलें, किसानों का ज्यादा से ज्यादा लगाव अपनी फसलों को बेचने का मंडियों में हो, इसके लिए हमने एक कृषि उपहार योजना लागू की है उसमें किसानों के लिए अच्छी इनामें, पहले ट्रैक्टर वगैरह भी हमने रखे हैं। यह योजना काफी अच्छी है। उनको दस हजार की बिक्री पर एक निःशुल्क कूपन दिया जाता है और इससे किसान काफी आकर्षित हुए हैं। अकाल की विषम परिस्थितियों के बाद, राजस्थान में तीन साल लगातार अकाल होने के बाद भी, कृषि पैदावार इससे काफी प्रभावित होने के बाद भी हमने कुशल प्रबन्धन से मंडी समितियों की आय बढ़ायी है और इस आय से राजस्थान में सड़कों का निर्माण जहां पिछली सरकार के समय में प्रतिवर्ष 888 कि.मी. हुआ, हमारे समय में 1200 कि.मी. सड़कों का प्रतिवर्ष निर्माण किया जा रहा है। यह हमारी सरकार के, हमारे विभाग के कुशल प्रबन्ध का एक तरह से उदाहरण है। मैं आपको... (व्यवधान)

श्री अमराराम (पचपदरा) : माननीय मंत्रीजी, आपने 15 लाख थे हमारे रोड के, वह आपने रोड़ी डाली और बंद कर दी। वह 15 लाख आप कहां लगा रहे हैं, मेवानगर से बरिया रोड है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये। (व्यवधान)

श्री परसादी लाल : आप पूरा तो कर लेने दीजिये एक बार। जब आप मंत्री थे तब हम बीच में नहीं बोलते थे। राजेन्द्रजी, आपको तो इस नियम का पालन करना चाहिए। पूरा जवाब सुनिये फिर पूछना है तो बाद में पूछिये। राजस्थान कृषि बोर्ड का गठन होने के बाद सन् 1974 से लेकर अब तक हमने साढ़े बारह हजार कि.मी. सड़कें राजस्थान में बनायी हैं और कुल 682 करोड़ की लागत से इन सड़कों का निर्माण कराया गया है।

अब सवाल यह उठता है जैसे नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा इन सड़कों का रखरखाव नहीं किया जा रहा है। पहली बार सरकार ने, इन सड़कों का रखरखाव करने के लिए कृषि विपणन बोर्ड ने 100 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बनायी और जो सड़कें ज्यादा खराब हैं, माननीय सदस्यों की सलाह के अनुसार उनको पहले ठीक कराया जाएगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम राजस्थान में किसानों के लिए एक टर्मिनल मार्केट बनाने जा रहे हैं जो कि प्रदेश में अपने आप में एक तरह का होगा। अन्य प्रदेशों में भी और विदेशों में भी किसान अपनी फसलों के लिए एक तरह से टर्मिनल मार्केट बना रहे हैं। मुहाना के पास इसके लिए हमने कार्य शुरू कर दिया है और उसके प्रथम चरण का काम बहुत तेज गति से चल रहा है। जैसे आज टमाटर की फसल का कोई भाव नहीं है। किसान इन फसलों को उचित मूल्य पर बेचे। इनके रखरखाव के लिए हम कोल्ड स्टोरेज भी बना रहे हैं। जिस तरह वेयर हाउस में किसान अपना माल रख सकता है उसी तरह इस टर्मिनल मार्केट के कोल्ड स्टोरेज में किसान अपनी फसलें, फल रखकर तब अच्छे भाव आयें तो वह अपनी फसलों को अच्छे भाव पर बेच सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमने एक कृषक साथी योजना भी राज्य में लागू की है। जैसे बस्सी से

(श्री परसादी लाल)

आने वाले माननीय सदस्य का एक कटौती प्रस्ताव आया था कि किसानों को जब वे रात में पानी में जाते हैं तो सांप, गोहरे काट जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। हमने इसके लिए 25 हजार रुपये मृत्यु होने पर किसानों को दिये जाएं, इसके लिए कोई पोस्टमार्टम की, या इस तरह की कोई ज्यादा औपचारिकताओं के बिना ही पंचनामे के आधार पर भी हम किसानों को मुहैया करा रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह योजना कब से शुरू की है?

श्री सांवर लाल : कब से चालू की यह योजना? (व्यवधान)

श्री कन्हैया लाल : ...वो बोले, बिना पोस्टमार्टम के पैसा नहीं मिलेगा।

श्री परसादी लाल : नहीं, मिलेगा। बिना पोस्टमार्टम के पैसा दे रहे हैं। पंचनामे के आधार पर भी हम भुगतान कर रहे हैं।

श्री कन्हैया लाल : नहीं, दे नहीं रहे हैं।

श्री परसादी लाल : अगर ऐसा कोई मामला हो तो आप मुझे बताना, उसका भुगतान करवा देंगे।

श्री सांवर लाल : मंत्रीजी, कब से लागू की है राजस्थान में यह योजना? यह तो ज्ञानसिंहजी चौधरी ने लागू की है भैरोंसिंहजी के टाइम में। ध्यान रखो आप।

श्री शैलेन्द्र जोशी : पहले नहीं हुआ था एन्फोर्समेंट, हमने ही एन्फोर्समेंट किया है।

श्री रतनाराम चौधरी : ... (व्यवधान) हटना पड़ा था, आपने हटा दिया था ज्ञानसिंह को।

श्री परसादी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा मंडियों का निर्माण कराया जाये, सड़कों का निर्माण कराया जाये, सुदृढ़ीकरण कराया जाये और किसानों को ज्यादा से ज्यादा इन मंडियों में सुविधाएं दी जायें, जैसे किसान हाउस भी बनाये गये हैं। सब मंडियों के कामों की प्रगति है। अलग-अलग हमारे निदेशालय हैं। एक तरह से इन मंडियों में किसानों का शोषण नहीं हो, किसानों के साथ किसी तरह की चीटिंग नहीं हो इसके लिए हमारा विभाग पूरी तरह से सतर्क रह करके किसानों को अपनी उपज का सही तरीके से मूल्य दिलवाने में कामयाब रहता है।

उपाध्यक्ष महोदय, कृषि विपणन बोर्ड का गठन 1974 में होने के बाद हमने 101 मंडियों का निर्माण करवाया और 106 गौण मंडियों का निर्माण करके 1974 के बाद हमने निर्माण कार्य पूरे करवाये हैं कुछ मंडियों के, करीब-करीब 8-9 मंडियों के काम पूरे हैं। जैसा मण्डावर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा खैरथल मंडी का है, बांदीकुई मंडी का है। बांदीकुई मंडी को भी जिस दिन माननीय सदस्य कहेंगे, हमारी तरफ से पूरी तैयारी है, काम पूरी तरह से तैयार है, हम उसको शिफ्ट करा देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी सादड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने एक मामला कटमोशन के जरिये उठाया था। उसमें यह कहा था कि जो ग्रामीण हाट बने थे 1982-83 में, उनका कोई सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। मैं आपको आश्वस्त

(श्री परसादी लाल)

करना चाहता हूं कि जब 56 शेष रहे हैं बाकी हमने ग्राम पंचायतों को ट्रांसफर कर दिये हैं, 56 हमारे पास जो हैं, अगर ग्राम पंचायतें चाहें तो हम यह भी ग्राम पंचायतों को ट्रांसफर कर दें और ग्राम पंचायतें उनको काम में लें। यह विभाग का दायित्व है।

उपाध्यक्ष महोदय, किसानों को बिचौलियों से बचाने के लिए, किसानों को अधिक सुविधाएं देने के लिए, किसानों को ज्यादा दूर नहीं जाना पड़े, गौण मंडियों की स्थापना के लिए कई माननीय सदस्यों के कटौती प्रस्ताव आये, उन पर निश्चित रूप से, जो उपयुक्त पाये जायेंगे, हम निष्पक्ष हो करके विचार करेंगे और उन गौण मंडी की स्थापना के लिए किसानों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिलें, किसानों को ज्यादा दूर अपना माल लेकर जाना नहीं पड़े इसलिए उनकी सुविधा के लिए जहां भी माननीय सदस्य इस तरह की किसानों की सुविधा के लिए गौण मंडियों के प्रस्ताव भेजेंगे, सरकार उस पर निश्चित रूप से विचार करेगी।

इसके अलावा आपको मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों ने जो बातें उठायीं उनका हम लिखित में जवाब भेजेंगे। कल या परसों तक आपके पास सारे कटौती प्रस्तावों के जवाब लिखित में भिजवा देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, विभाग की कार्य कुशलता के बारे में और इसके बारे में माननीय सदस्यों ने कोई शिकायत नहीं की कि यह विभाग अच्छा काम नहीं कर रहा है या विभाग में यह कमियां हैं। इसका मतलब विभाग अच्छा काम कर रहा है। किसी भी माननीय सदस्य ने विभाग की आलोचना नहीं की। मैं आप सबको मेरी ओर से, विभाग की ओर से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने विभाग की अच्छी प्रशंसा की। सड़कों की रिपेयरिंग का काम हम बहुत जल्दी हाथ में लेकर आपकी जो शिकायतें हैं उनको दूर करायेंगे। धन्यवाद। जय हिन्द।

मांग संख्या-37 का पारण

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या 37, कृषि के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,18,41,82,000 (दो अरब अट्ठारह करोड़ इकतालीस लाख बयासी हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-39 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-39, पशुपालन एवं चिकित्सा के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,20,32,23,000 (एक अरब बीस करोड़ बत्तीस लाख तेईस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(श्री उपाध्यक्ष)

मुखबन्द

अनुदान की शेष मांगों का पारण

मांग संख्या-1, राज्य विधान मण्डल

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-1, राज्य विधान मण्डल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 11,92,17,000 (ग्यारह करोड़ बानवे लाख सत्रह हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-2, मंत्रिपरिषद्

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-2, मंत्रिपरिषद् के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,83,28,000 (दो करोड़ तियासी लाख अट्ठाइस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-3, सचिवालय

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-3, सचिवालय के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 93,08,50,000 (तिरानवे करोड़ आठ लाख पचास हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-4, जिला प्रशासन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-4, जिला प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,05,84,82,000 (एक अरब पांच करोड़ चौरासी लाख बयासी हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-5, प्रशासनिक सेवाएं

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-5, प्रशासनिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 32,42,16,000 (बत्तीस करोड़ बयालीस लाख सोलह हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(श्री उपाध्यक्ष)

मांग संख्या-6, न्याय प्रशासन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-6, न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,10,66,67,000 (एक अरब दस करोड़ छियासठ लाख सड़सठ हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-7, निर्वाचन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-7, निर्वाचन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 16,20,15,000 (सोलह करोड़ बीस लाख पन्द्रह हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-8, राजस्व

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-8, राजस्व के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,77,97,44,000 (एक अरब सतहत्तर करोड़ सतानवे लाख चवालीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-9, वन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-9, वन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,52,86,36,000 (एक अरब बावन करोड़ छियासी लाख छत्तीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-10, विविध सामान्य सेवाएं

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-10, विविध सामान्य सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 18,79,000 (अट्ठारह लाख उनयासी हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(श्री उपाध्यक्ष)

मांग संख्या-11, विविध सामाजिक सेवाएं

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-11, विविध सामाजिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 8,97,70,000 (आठ करोड़ सतानवे लाख सत्तर हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-12, अन्य कर

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-12, अन्य कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 39,39,79,000 (उनतालीस करोड़ उनतालीस लाख उनयासी हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-13, आबकारी

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-13, आबकारी के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,36,49,81,000 (एक अरब छत्तीस करोड़ उनचास लाख इक्यासी हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-14, बिक्री कर

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-14, बिक्री कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 51,82,56,000 (इक्यावन करोड़ बयासी लाख छप्पन हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-15, पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-15, पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 15,85,23,34,000(पन्द्रह अरब पिचयासी करोड़ तेईस लाख चौंतीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(श्री उपाध्यक्ष)

मांग संख्या-18, जन सम्पर्क

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-18, जन सम्पर्क के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 9,02,73,000 (नौ करोड़ दो लाख तिहेत्तर हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-20, आवास

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-20, आवास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,11,87,74,000 (एक अरब ग्यारह करोड़ सतयासी लाख चौहत्तर हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-23, श्रम और रोजगार

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-23, श्रम और रोजगार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 39,08,22,000 (उनतालीस करोड़ आठ लाख बाइस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-25, कोषागार व लेखा प्रशासन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-25, कोषागार व लेखा प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 42,32,34,000 (बयालीस करोड़ बत्तीस लाख चौंतीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-26, चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-26, चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 9,58,72,22,000 (नौ अरब अट्ठावन करोड़ बहत्तर लाख बाइस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(श्री उपाध्यक्ष)

मांग संख्या- 29, नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-29, नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,56,55,55,000 (पांच अरब छप्पन करोड़ पचपन लाख पचपन हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-31, पुनर्वास एवं सहायता

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-31, पुनर्वास एवं सहायता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 22,03,000 (बाइस लाख तीन हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-32, नागरिक आपूर्ति

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-32, नागरिक आपूर्ति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 20,95,37,000 (बीस करोड़ पिचयानवे लाख सैंतीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-35, विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-35, विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,82,27,05,000 (दो अरब बयासी करोड़ सत्ताइस लाख पांच हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-38, लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-38, लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,07,97,91,000 (एक अरब सात करोड़ सतानवे लाख इक्यानवे हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(श्री उपाध्यक्ष)

मांग संख्या-40, राजकीय उपक्रम

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-40, राजकीय उपक्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 74,01,000 (चौहत्तर लाख एक हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-42, उद्योग

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-42, उद्योग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 40,51,02,000 (चालीस करोड़ इक्यावन लाख दो हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-43, खनिज

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-43, खनिज के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 31,17,66,000 (इकतीस करोड़ सत्रह लाख छियासठ हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-44, लेखन सामग्री एवं मुद्रण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-44, लेखन सामग्री एवं मुद्रण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 14,18,16,000 (चौदह करोड़ अट्ठारह लाख सोलह हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-45, राज्य कर्मचारियों को ऋण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-45, राज्य कर्मचारियों को ऋण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,52,47,20,000 (एक अरब बावन करोड़ सैंतालीस लाख बीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(श्री उपाध्यक्ष)

मांग संख्या-47, पर्यटन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-47, पर्यटन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 13,47,71,000 (तेरह करोड़ सैंतालीस लाख इकहत्तर हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-48, विद्युत

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-48, विद्युत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 9,27,19,35,000 (नौ अरब सत्ताइस करोड़ उन्नीस लाख पैंतीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-49, स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-49, स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 18,15,20,000 (अट्ठारह करोड़ पन्द्रह लाख बीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-50, ग्रामीण रोजगार

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-50, ग्रामीण रोजगार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 44,11,01,000 (चवालीस करोड़ ग्यारह लाख एक हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

माननीय वित्त मंत्रीजी।

विधायी कार्य: विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2001

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2001 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2001 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2001 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की बैठक बुधवार, दिनांक 9 मई, 2001 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 17.31 बजे बुधवार, दिनांक 9 मई, 2001 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या-475 की सूची) परिशिष्ट "अ"

विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में भू-संरक्षण के तहत विभिन्न योजनाओं में कराये गये कार्यों की सूची जिसमें विकास कार्यक्रम चल रहा है

क्रमांक	योजना का नाम	कार्य का नाम
1.	राष्ट्रीय जलग्रहण विकास योजना	खुशियारा जलग्रहण क्षेत्र
		कुण्डी जलग्रहण क्षेत्र
2.	सुनिश्चित रोजगार योजना	बरेडा जलग्रहण ब्लाक "ए"
		बरेडा जलग्रहण ब्लाक "बी"
		बरेडा जलग्रहण ब्लाक "सी"
		बरेडा जलग्रहण ब्लाक "डी"
		बरेडा जलग्रहण ब्लाक "ई"
		बरेडा जलग्रहण ब्लाक "एफ"
		गदरेटा जलग्रहण ब्लाक "ए"
		गदरेटा जलग्रहण ब्लाक "बी"
		गदरेटा जलग्रहण ब्लाक "सी"
		गदरेटा जलग्रहण ब्लाक "डी"
3.	सूखा सम्भावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम	मझारी जलग्रहण ब्लाक "ए"
		मझारी जलग्रहण ब्लाक "बी"
		मझारी जलग्रहण ब्लाक "सी"

परिशिष्ट-2

(समायाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उत्तर)

विधान सभा क्षेत्र नैनवां में चिकित्सा केन्द्रों की स्वीकृति

477. **श्री प्रभुलाल करसोल्या** (नैनवां) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र नैनवां में कितने सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं रेफरल चिकित्सालय कार्यरत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य में वर्ष 1999-2000 व 2000-2001 में कितने केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत/क्रमोन्नत किये गये?

(3) विधान सभा क्षेत्र नैनवां में कहां-कहां पर स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत किये जाने की मांग की गई और कहां-कहां पर उक्त स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत किये गये? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में उक्त चिकित्सा केन्द्र स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां पर और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र नैनवां में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 8 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्यरत हैं? जिनकी सूची "क" संलग्न है।

(2) राज्य में वर्ष 1999-2000 में 12 ग्रामीण एवं 5 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये।

(3) वित्तीय वर्ष 1999-2000 में उक्त विधान सभा क्षेत्र में कहीं भी स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने हेतु मांग नहीं की गई।

वर्ष 2000-2001 में जहां-जहां स्वास्थ्य केन्द्र खोलने हेतु मांग नहीं की गई, उनकी सूची "ख" संलग्न है, किन्तु विभाग की वर्ष 2000-2001 की राज्य योजनान्तर्गत नवीन चिकित्सा संस्थान खोले जाने हेतु वित्तीय प्रावधान उपलब्ध नहीं होने के कारण उक्त क्षेत्र में नवीन स्वास्थ्य केन्द्र नहीं खोले गये।

(4) विभाग की वर्ष 2001-2002 की राज्य योजनान्तर्गत नवीन चिकित्सा संस्थान खोले जाने हेतु वित्तीय प्रावधान उपलब्ध नहीं होने के कारण विधान सभा क्षेत्र नैनवां में उक्त चिकित्सा केन्द्र खोला जाना सम्भव नहीं है।

सूची "क"

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र

क्र.सं.	संस्थान का नाम
1.	रेफरल चिकित्सालय, नैनवां

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

क्र.सं.	संस्थान का नाम
1.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बासी
2.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दुगारी
3.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, तलवास
4.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, करवर
5.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, देई
6.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बामनगाव
7.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, माण्डूद्रा
8.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खटकड

सूची "ख"

विधान सभा क्षेत्र नैनवां, बून्दी के वर्ष 2000-2001 में स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने वाले प्राप्त प्रस्तावों की सूची

क्र.सं.	ग्राम का नाम	पंचायत समिति
1.	देई	नैनवां- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने के प्रस्ताव
2.	नैनवां	नैनवां-नई डिस्पेंसरी खोले जाने के प्रस्ताव

जिला झुन्झुनूं में अनिवार्य शिक्षा योजना की प्रगति

478. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला झुन्झुनूं अनिवार्य शिक्षा योजना के अन्तर्गत चयनित है? यदि हां, तो उक्त सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही/प्रगति की गई है?

(2) उक्त जिले का उक्त योजना कार्य हेतु क्या प्रशासनिक ढांचा है तथा उसके द्वारा क्या कार्यवाही की गई है और की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, नहीं। वर्ष 1997-98 में बजट भाषण में राज्य के झुन्झुनूं एवं राजसमंद जिलों में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू किये जाने की घोषणा की गई थी। किन्तु मंत्री मण्डलीय बैठक दिनांक 15.4.98 द्वारा इसे स्थगित रखने एवं शैक्षिक सुविधाओं के विस्तार व इनमें सुधार पर ध्यान दिया जाने का निर्णय किया गया। साथ ही यह भी देखा जावे कि भारत सरकार द्वारा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू करने की दिशा में किया कार्य किया जा रहा है। भारत सरकार से यदि कोई दिशा-निर्देश प्राप्त हो तो उन्हें भी ध्यान में रखा जावे।

(2) चूंकि अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा जिले में लागू ही नहीं की गई, अतः कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

राजस्थान जनजाति परामर्शदात्री परिषद् की बैठकें

479. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान जनजाति परामर्शदात्री परिषद् का पुनर्गठन कब किया गया था? उक्त परिषद् के पुनर्गठन के पश्चात् दिसम्बर, 1998 से दिसम्बर, 2000 तक कितनी बैठकें आयोजित की गई?

(2) राजस्थान जनजाति परामर्शदात्री परिषद् की बैठकें वर्ष में कितनी बार संवैधानिक रूप से आहूत की जानी चाहिए?

(3) गत दो वर्षों में जनजाति परामर्शदात्री परिषद् की कितनी बैठकें आयोजित की गई और उनमें क्या निर्णय लिये गये? निर्णयों की पालना रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त जनजाति परामर्शदात्री परिषद् की बैठक कम आयोजित करने के लिए कौन जिम्मेदार है?

उत्तर

(1) राजस्थान जनजाति परामर्शदात्री परिषद् का पुनर्गठन दिनांक 6.5.2000 को किया गया। पुनर्गठन के पश्चात् परिषद् की एक ही बैठक दिनांक 19.6.2000 को हो सकी।

(2) नियमानुसार परिषद् की वर्ष में चार बैठकें (प्रत्येक त्रैमास में) होनी चाहिए।

(3) गत दो वर्षों में परिषद की एक बैठक दिनांक 19.6.2000 को आयोजित की गई। उक्त बैठक में लिये गये निर्णय एवं अनुपालना की स्थिति परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

(4) अपरिहार्य कारणों की वजह से निर्धारित संख्या में बैठक आयोजित नहीं की जा सकी हैं।

परिशिष्ट "1"

राजस्थान अनुसूचित जनजाति परामर्शदात्री परिषद् की बैठक दिनांक 19.6.2000 में लिये गये निर्णय एवं अनुपालना का विवरण

बिन्दु संख्या	निर्णय	अनुपालना
1	2	3
1.1	महाराष्ट्र प्रणाली के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2000-2001 में प्राप्त होने वाली राशि रु. 112.00 करोड़ निम्नप्रकार व्यय की जावे :— 1. सिंचाई योजनाएं 45.40 करोड़ 2. सड़क निर्माण 43.00 करोड़ 3. शिक्षा योजनाएं 10.00 करोड़ 4. वन विभाग की योजनाएं 5.00 करोड़ 5. विद्युतीकरण 5.00 करोड़ 6. जलप्रदाय योजनाएं 2.00 करोड़ 7. अन्य कार्यक्रम 1.60 करोड़ **योग 112.00 करोड़**	राज्य सरकार से राशि उपलब्ध न होने के कारण कार्य स्वीकृत/क्रियान्वित नहीं किये जा सके।
1.2	अनुसूचित क्षेत्रों में महाराष्ट्र प्रणाली के सुचारू संचालन परिवीक्षण हेतु जिला कलक्टरों की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समितियों का गठन किया जावे।	राज्य सकार से राशि प्राप्त नहीं हुई। अतः समितियों का गठन नहीं किया गया।
1.3	गांवों तक विद्युत लाइन पहुंचाने का कार्य विद्युत मण्डल अपने बजट से करे तथा जनजाति व्यक्तियों के घरों में बिजली लगाने पर हुआ व्यय जनजाति विकास विभाग द्वारा दी गई राशि में से किया जावे।	भविष्य में विद्युत लाइनों हेतु जनजाति विकास विभाग द्वारा राशि नहीं दी जावेगी।
1.4	वन क्षेत्रों से होकर गुजरने वाली निर्माणाधीन सड़कों के कार्यों को पूर्ण कराने हेतु वन विभाग अपनी अनुमति प्रदान करें।	उक्त प्रकार के निर्माणों की अनुमति भारत सरकार द्वारा दी जाती है। वर्तमान में कोई भी प्रस्ताव लम्बित नहीं है।

1	2	3
1.5	लघु सिंचाई योजनाओं एवं सड़क निर्माण के प्रस्ताव जिला कलक्टरों एवं जन प्रतिनिधियों से राय लेकर तय करें।	महाराष्ट्र प्रणाली के अन्तर्गत सड़क निर्माण एवं सिंचाई योजनाओं के प्रस्ताव जिला कलक्टरों एवं जन प्रतिनिधियों की राय से ही तैयार किये गये हैं।
1.6	जिन क्षेत्रों में भारी वर्षा का पानी बहकर गुजरात में चला जाता है उन क्षेत्रों में सिंचाई विभाग एनीकट/बांध का निर्माण कराये।	इस सम्बन्ध में वृहत योजनाएं तैयार की जा रही हैं।
1.7	जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग का नाम आदिवासी कल्याण विभाग किये जाने हेतु परिषद् ने अपनी सहमति नहीं दी।	अनुपालना अपेक्षित नहीं।
1.8	राज्य में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 12 प्रतिशत कोटे में से अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासियों हेतु सभी सरकारी/अर्द्ध सरकार सेवाओं में 5 प्रतिशत आरक्षण दिया जावे।	कार्यवाही विचाराधीन है।
1.9	अतिरिक्त आयुक्त, माडा का कार्यालय उदयपुर से जयपुर स्थानान्तरित करने हेतु परिषद् ने अपनी असहमति व्यक्त की।	अनुपालना अपेक्षित नहीं।
1.10	नई फसल प्रदर्शन एवं उन्नत सब्जियों के अन्तर्गत क्षेत्र विस्तार योजनाओं को चालू रखने हेतु परिषद् ने सहमति व्यक्त की।	योजनाएं संचालित की जा रही है।
1.11	ब्लास्टिंग द्वारा कुएं गहरे कराने के लिए वर्तमान में रु. 3200/- प्रति कुआं, प्रति कृषक अनुदान बढ़ा कर रु. 6000/- प्रति कूप प्रति कृषक किया जावे।	रु. 6000/- तक अनुदान स्वीकृत करने हेतु निर्देश दिये जा चुके हैं।

विधान सभा क्षेत्र खारची की सड़कों की मरम्मत

480. श्री केसाराम चौधरी (खारची) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने सड़कों की मरम्मत हेतु कोई नीति निर्धारित की है? यदि हां, तो नीति/आदेश या नियम की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र खारची में मार्च, 1998 से मार्च, 2001 तक किस-किस सड़क पर कितनी-कितनी राशि मरम्मत कार्य पर व्यय की गई? उक्त राशि से किस-किस सड़क की मरम्मत का काम नहीं कराया गया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार जिन सड़कों की मरम्मत नहीं की गई है उन सड़कों की मरम्मत कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी, हां। राज्य सड़क नीति की प्रति परिशिष्ट "क" में संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र खारची में मार्च, 1998 से मार्च, 2001 तक सड़कवार मरम्मत पर किया गया व्यय का विवरण परिशिष्ट "ख" में संलग्न है। जिन सड़कों पर मरम्मत कार्य नहीं किया गया उसकी सूची परिशिष्ट "ग" में संलग्न है।

(3) जी, हां। राज्य में सड़क संधारण योजना के अन्तर्गत वर्ष 2001-2003 की अवधि में क्षतिग्रस्त सड़कों के नवीनीकरण एवं साधारण मरम्मत का कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

परिशिष्ट "क"

सरकार द्वारा सड़कों की मरम्मत हेतु निर्धारित नीति निम्नप्रकार है

1. सामान्य मरम्मत कार्य जिनमें पेच-रिपेयर, सड़क की सतह की देखभाल सड़क के किनारों की मरम्मत एवं पुलियाओं व पूलों की मरम्मत आदि के साधारण प्रकृति के कार्य सम्मिलित हैं, की आवश्यकतानुसार निरन्तर प्रक्रिया से कराया जाना।

2. नवीनीकरण कार्य, डामर की सड़कों पर, प्रायः निम्नलिखित समय-चक्र (रिन्यूवल साइकल) के अनुसार कराया जाना, जो कि यातायात के घनत्व एवं सड़क के महत्व पर आधारित है।

1. शहरी सड़कें	—	4 से 5 वर्ष में
2. राज्य उच्च मार्ग	—	6 से 8 वर्ष में
3. मुख्य जिला सड़कें	—	8 से 10 वर्ष में
4. अन्य जिला एवं ग्रामीण	—	12 वर्ष में

— नवीनीकरण कार्य यथा-सम्भव पेवर द्वारा ही करवाया जाने का निर्णय लिया गया है जिसमें कि सड़क की सतह अच्छी सुविधाजनक एवं पूर्ण कैम्बर की बने, सतह अधिक टिकाऊ हो और कम मरम्मत की आवश्यकता हो।

3. सरकार द्वारा हाल ही में लिये गये नीतिगत निर्णय के अनुसार क्षतिग्रस्त सड़कों के रख-रखाव, सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण हेतु वर्ष 2001-2003 की अवधि में 600 करोड़ रुपये का व्यय किया जाना प्रस्तावित किया है। जिसमें लगभग 24000 कि.मी. लम्बाई में सड़कों का नवीनीकरण किये जाने का लक्ष्य है। विधान सभा क्षेत्र एवं चिन्हित सड़कवार प्रस्ताव विचाराधीन है।

परिशिष्ट "ख"

क्र. सं.	सड़क का नाम	व्यय की गई राशि वर्षवार (लाखों में)				कुल व्यय (लाखों में)
		मार्च 1998	व्यय वर्ष 98-99	व्यय वर्ष 99-2000	व्यय वर्ष 2000-2001	
1.	बिलाड़ा-देसूरी सड़क	—	2.73	2.95	2.25	7.93
2.	सम्पर्क सड़क सारण-बोरीमादा	—	0.06	0.28	2.11	2.45
3.	खैरवा से कामली घाट	—	0.57	0.68	1.33	2.58
4.	मारवाड़ जंक्शन से डिगोर की प्याउ	—	0.46	0.08	1.03	1.57
5.	जोधपुर-सरदार समन्द-मारवाड़ जंक्शन	—	2.40	0.96	1.84	5.20
6.	मारवाड़ जंक्शन से जोजावर	—	2.11	4.97	10.22	17.30
7.	नागा की बेरी से मारवाड़ जंक्शन	—	1.03	0.55	0.66	2.24
8.	मारवाड़ जंक्शन बाइपास	—	0.33	0.30	—	0.63
9.	बामोल खिंवाड़ा	—	0.52	—	0.33	0.85
10.	नाडोल धेनड़ी	—	0.05	0.99	8.27	9.31
11.	भगोड़ा से रामदेवजी बगेची अलखजी का मंदिर	—	0.50	—	—	0.50
12.	खैरवा से खारची	—	—	1.05	2.19	3.24
13.	कोट दिवेर सड़क	—	—	0.30	—	0.30
14.	सम्पर्क सड़क चौकड़िया	—	—	—	0.02	0.02
	योग		10.76	13.11	30.25	54.12

परिशिष्ट "ग"

सड़कें जिन पिछले तीन वर्षों मार्च, 1998 से मार्च, 2001 की अवधि में कोई मरम्मत कार्य नहीं किया गया

क्र.सं.	सड़क का नाम	क्र.सं.	सड़क का नाम
1.	खिवाडा से सोमेश्वर	14.	लिंक रोड खारची
2.	आऊवा से गादाना	15.	माण्डा से राणावास वाया ठाकरवार
3.	आऊवा से बान्ता वाया कराड़ी	16.	सम्पर्क सड़क सिनला
4.	सम्पर्क सड़क फूलाद	17.	डायलाना से केसुली
5.	बासनी-जोजावार सड़क	18.	सम्पर्क सड़क गुडा रामसिंह
6.	सम्पर्क सड़क भगोडा	19.	सम्पर्क सड़क राणावास रेलवे स्टेशन
7.	सम्पर्क सड़क बिढू ड़ाकला	20.	सम्पर्क सड़क माडपुरा
8.	मारवाड़ जंक्शन से भगवानपुरा	21.	जीवनखुर्द से खारडा
9.	सम्पर्क सड़क गुडा सुरसिंह	22.	सम्पर्क सड़क जीवनकलां
10.	सम्पर्क सड़क ईसाली वाया जाणुदा	23.	सम्पर्क सड़क रूगडी रायपुरीया
11.	सम्पर्क सड़क डाइलाना	24.	रामजी का गुडा से केरली
12.	सम्पर्क सड़क कोलर बाइपास	25.	सम्पर्क सड़क चवाडिया
13.	गुडा मोकम सिंह से गुडा केशर सिंह	26.	सम्पर्क सड़क झांझरिया हनुमानजी

जयपुर बायो फर्टिलाइजर से क्रय किये गये पैकेटों की गुणवत्ता की जांच

481. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने बायो फर्टिलाइजर के पैकेट खरीदे हैं? यदि हां, तो गत तीन वर्षों में कितने-कितने पैकेट कब-कब, किस फर्म से खरीदे तथा उनका उत्पादन किसके द्वारा किया हुआ था और कितनी-कितनी राशि के किस प्रक्रिया से खरीदे गये? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जयपुर बायो फर्टिलाइजर फैक्ट्री से भी उक्त खरीद की गई? यदि हां, तो उक्त फैक्ट्री की प्रतिदिन कितने पैकेट बनाने की क्षमता थी तथा इनकी गुणवत्ता के परीक्षण के लिए क्या व्यवस्था थी और किस प्रकार के कल्चर का निर्माण किया जाता है?

(श्री हरजीराम बुरड़क)

(3) उक्त पैकेटों का विवरण किस प्रकार व आधार पर कब-कब किया गया? जिलेवार व पंचायत समितिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि केन्द्रीय अध्ययन दल और कृषि सचिव ने निर्देश दिये थे कि उक्त फैक्ट्री द्वारा निर्मित कोई भी कल्चर पैकेट नहीं खरीदे जाएं? यदि हां, तो कब तक तथा क्या निर्देश था और उसके बाद भी यदि खरीद की गई है तो क्यों, किस के द्वारा और कब-कब, कितनी-कितनी?

(5) क्या उक्त फैक्ट्री मे निर्माण हो रहा है? क्या कल्चर पैकेटों के निर्माण के समय विभाग के अधिकारियों द्वारा उक्त की गुणवत्ता के बारे में निरीक्षण किया गया? यदि हां, तो कब-कब? निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) जी, नहीं।

(3) विभाग द्वारा उक्त पैकेटों का क्रय नहीं करने के कारण वितरण का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(4) जी, नहीं।

(5) जी, हां। कल्चर पैकेटों के निर्माण के समय विभाग के अधिकारियों द्वारा दिनांक 7.10.99, 27.4.2000, 10.5.2000, 24.5.2000, 8.6.2000 एवं 1.9.2000 को गुणवत्ता के बारे में निरीक्षण किया। निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रतियां परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(प्रतिवेदन की प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला सीकर में अनियमित विद्युत आपूर्ति की जांच

482. श्री अमराराम (धोद) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सीकर वृत्त को गत तीन वर्षों में कितनी बिजली की सप्लाई की गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सीकर व रींगस 220 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन सीकर सर्किल के बाहर दूसरे सर्किलों को गत तीन वर्षों में कितनी सप्लाई की गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) मार्च, 2000 से मार्च, 2001 तक रींगस व सीकर उक्त ग्रिड सब स्टेशनों से विद्युत सप्लाई कितने घण्टे ब्लाक की गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सीकर वृत्त को गत तीन वर्षों में विद्युत सप्लाई का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है :—

क्र.सं.	वर्ष	विद्युत सप्लाई (लाख यूनिट में)
1.	1998-1999	11312.04
2.	1999-2000	13151.80
3.	2000-2001	13245.50

(ऊर्जा मंत्री)

(2) सीकर व रींगस 220 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन से सीकर वृत के बाहर क्रमशः झुंझुनूं वृत, जयपुर जिला वृत एवं नागौर वृत को विद्युत आपूर्ति की गई जिसका गत तीन वर्षों का विवरण निम्नप्रकार है :—

क्र. सं.	वर्ष	220 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन, सीकर (ला.यू.)	220 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन, रींगस (ला.यू.)	कुल लाख यूनिट
1.	1998-99	1566.52	530.30	2096.82
2.	1999-2000	1745.66	415.20	2160.86
3.	2000-2001	1597.60	464.33	2061.93

220 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन, सीकर से झुन्झुनूं वृत को एवं 220 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन रींगस से जयपुर जिला वृत एवं नागौर वृत को विद्युत आपूर्ति की गई है।

(3) मार्च, 2000 से मार्च, 2001 तक रींगस व सीकर ग्रिड सब स्टेशन से की गई विद्युत सप्लाई (ब्लाक सप्लाई) का माहवार विवरण निम्नानुसार है :—

क्र.सं.	माह	विद्युत सप्लाई (ब्लाक सप्लाई)	
		सीकर	रींगस
1	2	3	4
1.	मार्च, 2000	5 से 7 घंटे	5 से 7 घंटे
2.	अप्रैल, 2000	4 से 6 घंटे	4 से 6 घंटे
3.	मई, 2000	4 से 6 घंटे	5 से 7 घंटे
4.	जून, 2000	4 से 6 घंटे	5 से 7 घंटे
5.	जुलाई, 2000	5 से 7 घंटे	5 से 7 घंटे
6.	अगस्त, 2000	4 से 6 घंटे	4 से 6 घंटे
7.	सितम्बर, 2000	4 से 5 घंटे	4 से 5 घंटे
8.	अक्टूबर, 2000	4 घंटे प्रतिदिन	4 घंटे प्रतिदिन

(ऊर्जा मंत्री)

1	2	3	4
9.	नवम्बर, 2000	5 से 6 घंटे	5 से 6 घंटे
10.	दिसम्बर, 2000	5 से 6 घंटे	5 से 6 घंटे
11.	जनवरी, 2001	4 से 5 घंटे	4 से 5 घंटे
12.	फरवरी, 2001	4 से 5 घंटे	4 से 5 घंटे
13.	मार्च, 2001	5 से 7 घंटे	5 से 7 घंटे

लाइफ लाइन फ्लूड स्टोर, कोटपूतली में कार्यरत फार्मासिस्ट

483. **श्री धर्मपाल चौधरी** (मण्डावर) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बी.डी.एम. अस्पताल, कोटपूतली में सैंट्रल स्टोर हेतु दवाई स्थानीय स्तर पर खरीदी जाती है? यदि हां, तो अप्रैल, 2000 से फरवरी, 2001 तक कौन-कौनसी दवाई किस-किस मूल्य पर खरीदी गई? दवाओं के नाम एवं खरीद मूल्य सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या बी.पी.एल. स्तर के बीमारों हेतु एम.आर.एस., कोटपूतली द्वारा दवाओं की खरीद की गई है? यदि हां, तो अप्रैल, 2000 से फरवरी, 2001 तक क्या-क्या दवाई किस-किस मूल्य पर खरीदी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि लाइफ लाइन फ्लूड स्टोर, कोटपूतली में विक्रयकर्ता स्वयं फार्मासिस्ट नहीं है तथा मेलनर्स को फार्मासिस्ट लगा रखा है? यदि हां, तो उक्त मेल नर्स का वेतन कहां से दिया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। अप्रैल, 2000 से फरवरी, 2001 तक खरीदी गई दवाइयों के नाम एवं खरीद मूल सहित सूची "अ" संलग्न है।

(2) जी हां, मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी, कोटपूतली के द्वारा बी.पी.एल. स्तर के रोगियों के लिए अप्रैल, 2000 से फरवरी, 2001 तक खरीदी गई दवाओं के नाम एवं खरीद मूल्य सहित सूची संलग्न है। सूची "ब"

(3) जी, हां। नर्स श्रेणी द्वितीय जिसके पास फार्मासिस्ट का प्रमाण पत्र है को लाइफ लाइन फ्लूड स्टोर पर विक्रयकर्ता के कार्य को देखने के लिए लगा रखा है एवं नर्स श्रेणी द्वितीय का वेतन राज कोष से दिया जाता है।

सूची "अ"

S. No.	Name of Medicine	Purchase Cost	Qnantity	Total
1	2	3	4	5
1.	Inj. Amikasin 500mg	36.00	110	3960.00
2.	Inj. Amikasin 250mg	23.00	170	3910.00
3.	Inj. Chlorompheinicol 1gm	24.00	200	4800.00
4.	Inj. Ciprofloxacillin 250ml	13.00	1000	13000.00
5.	Inj. Amplicloxacillin 250ml	7.50	1000	7500.00
6.	Inj. Ampicloxacillin 500ml	9.50	1000	9500.00
7.	Inj. Dexamethasone 2ml	4.00	500	2000.00
8.	Diclofence 30 mg	12.50	160	2000.00
9.	Diclofence stemetil 1ml	4.00	50	200.00
10.	Diclofenac Xylocaine Adrenelene 1ml	5.20	1500	7800.00
11.	Cap. Amoxycillin 250mg.	28.00/1 × 10	700	1960.00
12.	Tab. Amoxycillin DT 250mg.	28.00/1 × 10	700	1960.00
13.	Cap. Amoxycillin 500mg.	40.00/1 × 10	500	2000.00
14.	Cap. Amoxycillin 500mg.	48.00/1 × 10	400	1920.00
15.	Tab. Amoxyillin 125mg.	10.00/1 × 10	3500	3500.00
16.	Tab. Cetrizine 10mg.	78.00/1 × 100	5000	3900.00
17.	Tab. Ibu + Paractamol	5.00/1 × 10	8000	4000.00
18.	Tab. Diclo Paractamol	68.00/100	10000	6800.00
19.	Tab. Erythromysin 250mg.	27.50/1 × 10	1340	3685.00
20.	Tab. Ciprofloxacin 500mg.	19.50/1 × 10	6200	8680.00

1	2	3	4	5
21.	Tab. Ciprofloxacin 250mg.	14.00/1 × 10	6200	8680.00
22.	Tab. Prednisolone	80.00/100	1000	800.00
23.	Syp. Erythromycin	28.00/1	270	7560.00
24.	Multivatamin Paed Drops	13.00/1	200	2600.00
25.	Syp. Coften	18.00/1	110	1980.00
26.	Clotrimazole Oint.	14.50/1	200	2900.00
27.	Iron Paed Drops	11.00/1	200	2200.00
28.	Povidine Lotion 100ml.	40.00/1	100	4000.00
29.	Povidine Oint.	16.50/1	100	1650.00
30.	Povidine Lotion 450ml.	76.00/1	100	7600.00
31.	Tab. Cephexin 250mg.	39.00/1 × 10	500	1850.00

सूची "ब"

S. No.	Name of Medicine	Purchase Cost	Quantity	Total
1	2	3	4	5
1.	Tab. Rifa 16 Kid	15.25/1 × 10	100	152.50
2.	Tab. Deriphylline	2.30/1 × 10	2000	460.00
3.	Inj. Ambistrin 1 gm	8.65	85	735.25
4.	Atropine Eye Oint.	4.00/1	20	80.00
5.	Tocil Eye Drops	14.00	10	140.00
6.	Atrosolone Eye Drops	13.98/1	10	139.80
7.	Syscan Eye Drops	22.38/1	10	223.80
8.	Tab. Diamox	16.29/10	100	162.90

1	2	3	4	5
9.	Ciprolein Eye Drops	33.77/1	50	188.50
10.	Teracin Eye Drops	19.68/1	35	688.80
11.	Drosyn 10% Drops	31.59/1	10	315.90
12.	Kenalog. S. Oint.	16.40/1	62	1016.80
13.	Zoxan Eye Drops	4.01	35	140.00
14.	Ifiral Eye Drops	23.25	10	232.50
15.	Tab. Septran	7.29/10	3100	2259.90
16.	Inj. Ampiclox 500mg.	9.50	460	4370.00
17.	Tab. Spasmin	6.50/10	3000	1950.00
18.	Tab. Metronidazole	5.00/10	2000	1000.00
19.	Tab. B-Complex	85.00/1000	5000	425.00
20.	Gentaside DM Eye Drops	9.70	100	970.00
21.	Inj. Metronidazole 100mg	7.50	30	225.00
22.	Tab. Frusetin 40	22.10/10	1130	2497.30
23.	Inj. Ciprofloxacin 100ml.	12.50	30	375.00
24.	Tab. Amoxycillin 250mg.	28.00/1 × 10	3900	10920.00
25.	Tab. Ranitidine 150mg.	6.50/1 × 10	2700	1755.00
26.	Tab. Zolanex 25mg.	2.40/1 × 10	10800	2592.00
27.	Tab. Folic Acid	4.60/1 × 10	3600	1650.00
28.	Fosyfer Plus Paed Drops	11.00/1	200	2200.00
29.	Tonovit Paed Drops	13.00/1	192	2496.00
30.	Syp. Salbexin	24.40/1	384	9369.60

1	2	3	4	5
31.	Tab. Stemetil 5mg.	8.00/1 × 10	900	720.00
32.	Inj. Dexamethasone	4.00/1	245	980.00
33.	Tab. Ceplexin DT 250mg.	33.00/1 × 10	1500	4950.00
34.	Tab. Ceplexin 125mg.	19.00/1 × 10	1600	3040.00
35.	Tab. Ciprofloxacin 250mg.	15.50/1 × 10	1300	1950.00
36.	Tab. Ciprofloxacin 500mg.	9.50/10	4500	8775.00
37.	Tab. Ibu Paractamol	5.00/1 × 10	7000	3500.00
38.	Tab. Norflox 400mg.	22.50/10	500	1125.00
39.	Quitoderm Oint.	13.00/1	40	520.00
40.	Tab. Erythromycin 250mg.	31.00/1 × 10	1000	3100.00
41.	Cap. Amoxycillin 500mg.	40.50/10	2500	10125.00
42.	Syp. Ceftan	18.00/1	200	3600.00
43.	Declofence Oint	19.00/1	80	1520.00
44.	Inj. Insulin Plain	69.00/1	12	828.00
45.	Inj. Systophyline	1.75/1	100	175.00
46.	Tab. Paractamol	3.00/1 × 10	2000	600.00
47.	Tab. Lanoxin	5.80/1 × 10	250	145.00
48.	Inj. PPF 4 lac	4.80/1 × 10	98	470.40
49.	Tab. Disprin	2.05/1 × 10	960	235.00
50.	Albendazole Syp.	10.43/1	100	1043.00
51.	Cap. Cephexin 500g.	91.00	500	4550.00
52.	Inj. C.P. 10 lac	5.32/1	50	266.00

पंचायत समिति अटरू के निर्माण कार्यों की स्वीकृति के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों की जांच

484. श्री मदन दिलावर (अटरू) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या किसी विधायक द्वारा पंचायत समिति अटरू के निर्माण कार्यों की स्वीकृति जारी करने में प्रधान/विकास अधिकारी द्वारा रिश्वत लेने सम्बन्धी शिकायत जिला कलक्टर बारां को की गई थी? यदि हां, तो उक्त सम्बन्ध में किस अधिकारी द्वारा कब जांच की गई? शिकायती पत्र व जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जांच के निष्कर्ष क्या हैं? क्या यह अनियमितता की श्रेणी में आते हैं? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई और नहीं, तो क्यों तथा अब कब तक कार्यवाही की जावेगी?

उत्तर

(1) जी, हां। शिकायत की जांच अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, बारां द्वारा की गई। शिकायती पत्र परिशिष्ट "अ" एवं जांच रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट "ब" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जांच रिपोर्ट के अनुसार किसी प्रकार की अनियमितता नहीं पायी गई तथा शिकायत को निराधार पाया गया।

(शिकायत पत्र एवं जांच रिपोर्ट की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

अनुसूचित जाति/जन जाति के अभ्यर्थियों के साक्षात्कार

485. श्री सांवर लाल (भिनाय) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार ने अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ी जातियों को अलग-अलग वर्ग में अधिसूचित कर रखा है? यदि हां, तो किस-किस जाति को किस-किस श्रेणी में? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त जातियों को और वर्गीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार व किस कारण से?

(3) क्या अनुसूचित जाति व जनजाति में क्रिमिलेयर व्यवस्था लागू करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय में कोई दाद-रिट किसी के द्वारा की गई? यदि हां, तो क्या व सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

(4) क्या राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा उक्त जातियों के साक्षात्कार हेतु अलग-अलग तारीखें तय की गई हैं? क्या ऐसा करने से उक्त अभ्यर्थियों के साथ न्याय हुआ? यदि हां, तो कैसे?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) जी, नहीं।

(3) अनुसूचित जाति व जनजाति में क्रिमिलेयर व्यवस्था लागू करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय में दायर रिट की विभाग को जानकारी नहीं है।

(4) राजस्थान राज्य एवं अधिनस्थ सेवाओं के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा माह नवम्बर-दिसम्बर, 2000 में आयोजित साक्षात्कारों में अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग/सामान्य वर्ग के अभ्यार्थियों को दो वर्गों में आमंत्रित किया गया था। यह आयोग की आन्तरिक व्यवस्था है तथा समय-समय पर पूर्ण आयोग की बैठकों में हुए विचार विमर्श के आधार पर ये नीति बनाई गई है। जिसका उद्देश्य अनु. जाति/जनजाति के हितों को सुरक्षित रखना है।

डूंगरपुर से सरथूना हेतु बी.ओ.टी. पद्धति से सड़क

486. श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार डूंगरपुर से सरथूना सड़क जो गुजरात सीमा को जोड़ रही है एवं काफी महत्वपूर्ण है को बी.ओ.टी. पद्धति से पेवर सड़क करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी, हां। इस सड़क का बी.ओ.टी. प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है जिसके वाइबल (Viable) पाये जाने पर अग्रिम कार्यवाही किया जाना संभव होगा।

उद्योगपतियों से बकाया ऋण की वसूली

487. मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार ने उद्योगों के लिए छूट योजना लागू की थी? यदि हां, तो कब-कब?

(2) उक्त योजना के अन्तर्गत वर्ष 1987-1989 व 1997 में किस-किस उद्योग को कितना-कितना टैक्स में कंशेसन दिया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्तमान में सरकार का उद्योगपतियों में कितना ऋण बकाया है? उक्त ऋण की वसूली की क्या योजना और व्यवस्था है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, नहीं। राज्य सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना लागू नहीं की है।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता है।

(3) राजस्थान वित्त निगम द्वारा दी गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.3.2000 को निगम का 20602 ऋण खातों में 1054.09 करोड़ रुपये बकाया था। अधिदेय राशि

(उद्योग मंत्री)

की वसूली के लिए निगम का पूरे राज्य में नेटवर्क फैला हुआ है। निगम के 41 शाखा कार्यालय एवं 10 क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित हैं। जिनके माध्यम से प्रत्येक उद्यमी एवं औद्योगिक इकाई से देय राशि की वसूली हेतु सम्पर्क किया जाता है। जो इकाइयां वास्तविक एवं उचित कारणों से निगम की देय राशि का भुगतान करने में समर्थ नहीं है उनको इकाई के गुणावगुणों के आधार पर मूलधन की किश्तों का पुनर्निर्धारण कर दण्डनीय ब्याज में छूट प्रदान कर बकाया देय राशि की वसूली की जाती है। जो इकाई जानबूझकर एवं निगम के द्वारा बार-बार अनुरोध करने पर भी निगम की बकाया देय राशि का भुगतान नहीं करती है, उनके विरुद्ध राज्य वित्तीय निगम अधिनियम में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए देय राशि की वसूली हेतु विधिक कार्यवाही की जाती है। इसी प्रकार राज्य सरकार की ब्याज मुक्त ऋण योजना के अन्तर्गत रीको द्वारा स्वीकृत किये गये ऋण के अन्तर्गत 38 उद्यमियों पर 355.46 लाख रुपये बकाया है, जिसकी वसूली हेतु लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। 38 में से 25 प्रकरण जिनमें रु. 293.56 लाख की बकाया है उसकी वसूली प्रकरण सम्बन्धित जिलाधीशों को भू-राजस्व की बकाया के रूप में आर.एल.आर. एक्ट की धाराओं के तहत वसूली हेतु भेजे जा चुके हैं, एवं वसूली की कार्यवाही प्रगति पर है।

लूणकरणसर (बीकानेर) के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में अव्यवस्थाओं की जांच

488. **श्री मानिक चन्द सुराना** (लूणकरणसर) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लूणकरणसर, बीकानेर में वर्तमान में कौन-कौन से पद रिक्त हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त केन्द्र की एक्स-रे मशीन गत तीन साल से छोटे से पार्ट्स के कारण बन्द है ? क्या गत एक साल से उक्त मशीन को संचालित करने वाले रेडियोग्राफर को अन्यत्र स्थानान्तरित किया हुआ है।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त केन्द्र में खून व पेशाब की साधारण जांच की सुविधा उपलब्ध है लेकिन आवश्यक कैमिकल के अभाव में ट्रेण्ड स्टाफ के उपलब्ध होते हुए लूणकरणसर क्षेत्र के व्यक्तियों को उक्त सुविधा नहीं मिल पा रही है ? यदि हां, तो उक्त सुविधा कब तक प्रदान की जावेगी ?

(4) क्या यह सही है कि वर्तमान में उक्त केन्द्र में उपलब्ध 30 पलंगों पर कोई बैड नहीं है।

(5) क्या सरकार उक्त केन्द्र पर पलंगों के बैड की व्यवस्था करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, लूणकरणसर, बीकानेर में वर्तमान में रिक्त पदों की सूची संलग्न है।

(2) जी, नहीं। एक्सरे मशीन चालू हालत में है। यह सही है कि नवम्बर, 2000 में रेडियोग्राफर का स्थानान्तरण अन्यत्र किया गया था। किन्तु वर्तमान में सहायक रेडियोग्राफर कार्यरत है।

(3) जी, हां। सभी सुविधाऐं सुचारू रूप से उपलब्ध है।

(4) वर्तमान में उक्त केन्द्र के दस पलंगों पर बैड की व्यवस्था है।

(5) वर्तमान में दस बैडों की व्यवस्था है। शेष पलंगों पर बैड उपलब्ध करवाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

क्र.सं.	पदनाम	रिक्त पदों की सूची
1.	कनिष्ठ विशेषज्ञ (शल्य)	01
2.	नर्स श्रेणी-प्रथम	02
3.	नर्स श्रेणी-द्वितीय	02
4.	ओ.टी.ए.	01
5.	महिला स्वास्थ्य दर्शिका	01
6.	वाहन चालक	01
7.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	02

पदोन्नत शिक्षा कर्मियों का नियमितीकरण

489. श्री ललित भाटी (अजमेर-पूर्व) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार ने नई नियुक्ति/पदोन्नतियों पर रोक लगा रखी है?

(2) उक्त रोक कब लगाई गई तथा इसके बावजूद किन-किन कर्मचारियों/अधिकारियों को पदोन्नतियां दी गई? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार बिना विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित किये की गयी पदोन्नति को नियमित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी, नहीं। सीधी भर्ती से रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया आरम्भ करने से पूर्व वित्त एवं कार्मिक विभाग की अनुमति आवश्यक है तथा सेवा संवर्ग के पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने वाले पदों के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजि करने से पूर्व मंत्रिमण्डल द्वारा गठित उप समिति से विभाग के संवर्ग का विश्लेषण/ अवधारण/ पुनरावलोकन कराया जाना आवश्यक है।

(2) रोक अवधि में कोई पदोन्नतियां प्रदान नहीं की गई है। अपितु मंत्रिमण्डल द्वारा गठित उप समिति से विभाग के संवर्ग

(शिक्षा मंत्री)

का विश्लेषण/पुनरावलोकन कराये जाने के पश्चात् विभागीय चयन समिति की बैठक आयोजित की जाकर पदोन्नतियां प्रदान की जायेगी।

(3) तदर्थ रूप से दी गई पदोन्नतियों को आगामी वर्ष की डी.पी.सी. से चयन करवाया जाकर नियमित किया जाता है वर्ष 2000-2001 तथा 2001-2002 की विभागीय चयन समिति की बैठक आयोजित करवाये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

कोचिंग प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति के छात्रों के लम्बित आवेदन-पत्र

490. **श्री हीरासिंह चौहान** (रायपुर) एवं **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अनुसूचित जाति/जनजाति वित्त विकास निगम द्वारा पी.एम.टी., पी.ई.टी. व आई.आई.टी. की कोचिंग हेतु अनुसूचित जाति के गरीब छात्रों को प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों में प्रवेश लेने पर देय कोचिंग शुल्क हेतु कुल कितने आवेदन लम्बित हैं तथा उनका कितना शुल्क शेष है और कितना दे दिया गया?

(2) अब तक उक्त शुल्क का भुगतान क्यों नहीं किया गया?

(3) अनुसूचित जाति के छात्रों का मेडीकल/इंजीनियरिंग कालेज में प्रवेश होने के बाद देय ऋण के कितने छात्रों के आवेदन लम्बित हैं? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान अनुसूचित जाति, जनजाति, वित्त एवं विकास सहकारी निगम द्वारा पी.एम.टी., पी.ई.टी., की प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों में कोचिंग हेतु वर्ष 1999-2000 में 177 छात्रों के शुल्क, वृतिका एवं स्टेशनरी हेतु कुल 31.62 लाख रुपये का भुगतान किया जाना था, जिसमें से 12.89 लाख रुपये का भुगतान कर दिया गया है तथा शेष रुपये 18.73 लाख के भुगतान की कार्यवाही इसी माह में की जायेगी। वर्ष 2000-2001 में अध्ययनरत 146 छात्रों में देय राशि 27.89 लाख रुपये निगम के जिला कार्यालय को उपलब्ध करवा दी गयी है जिसमें 41 छात्रों को 7.39 लाख रुपये की राशि का भुगतान कर दिया गया है एवं शेष राशि का वितरण चालू है।

(2) भुगतान के लम्बित होने पर प्रमुख कारण संस्था/छात्रों द्वारा आवेदन पत्र देरी से प्रस्तुत करना एवं निगम को देरी से राशि प्राप्त होना है।

(3) अनुसूचित जाति के मेडिकल/इंजीनियरिंग कालेजों में अध्ययनरत 6 छात्रों के आवेदन पत्र उनमें कमी के कारण लम्बित हैं। परिशिष्ट "क" पर सूची उपलब्ध है।

परिशिष्ट "क"

मेडिकल/इंजीनियरिंग कालेज में अध्ययनरत छात्रों जिनके आवेदन पत्रों में कमी है, उनकी सूची

क्र.सं.	नाम/पिता का नाम	अध्ययनरत कालेज के जिले का नाम
1.	श्री लादूलाल/रामचन्द खटीक	कोटा
2.	श्री सुरेन्द्र कुमार/रामजीलाल बैरवा	कोटा
3.	श्री भैरू प्रकाश/बाबू लाल खटीक	कोटा
4.	श्री अनिल कुमार/पूरणमल खटीक	कोटा
5.	श्री नन्दकिशोर/धन्नाराम खटीक	उदयपुर
6.	श्री राहुल कुमार/महावीर चन्देल	उदयपुर

बाड़ी उप खण्ड (धौलपुर) में गजपुरा चौराहे से सोने के गुर्जा तक सड़क निर्माण

491. श्री जसवन्त सिंह गुर्जर (बाड़ी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला धौलपुर के बसेड़ी सेक्शन में डामरीकरण कार्य इस वर्ष कब-कब कौन-कौन सी सड़कों पर कराया गया? क्या उक्त कार्य विभागीय मानदण्डों के अनुरूप कराया गया है? यदि हां, तो एक ही माह में क्यों उखड़ गया?

(2) क्या यह सही है कि उक्त जिले में बाड़ी उपखण्ड में गजपुरा चौराहे से सोने के गुर्जा तक सड़क की मरम्मत गत 15 वर्षों से नहीं हुई है? क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला धौलपुर के बसेड़ी सैक्शन में डामरीकरण का कार्य वर्ष 2000-2001 में माह नवम्बर-दिसम्बर, 2000 में बसेड़ी बयाना सड़क पर किमी. 2 एवं 4 में कराया गया। यह कार्य विभागीय मापदण्डों के अनुसार ही कराया गया था, परन्तु कार्य सम्पन्न होने के बाद किमी. 2 में किसी वाहन से डीजल फैलने के कारण पेच पड़ गये, जिसे साफ कराकर ठेकेदार द्वारा मरम्मत कर ठीक करा दिया गया है।

(2) जी, नहीं। उक्त जिले के बाड़ी उपखण्ड में गजपुरा चौराहे से सोने का

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

गुर्जा तक सड़क की कुल लम्बाई 16 किमी. में पिछले 15 वर्षों में ,आवश्यकता अनुसार सभी किमी. में पेच रिपेयर एवं नवीनीकरण का कार्य किया गया है। सड़क संधारण योजनान्तर्गत वर्ष 2001-2003 में उक्त सड़क के क्षतिग्रस्त भाग में नवीनीकरण का कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

मिनरल ग्राइंडिंग उद्योग को बिक्री कर योजना का लाभ

492. डा. के. सी. चौधरी (ब्यावर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में गत 2 वर्षों में मिनरल ग्राइंडिंग के कितने उद्योग पंजीकृत हुए हैं?

(2) क्या मिनरल ग्राइंडिंग उद्योग को मैन्यूफैक्चरिंग उद्योग माना जाता है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या मिनरल ग्राइंडिंग उद्योग को बिक्री कर प्रोत्साहन योजना का लाभ मिलता है? यदि नहीं, तो क्यों और कब से बन्द हुआ?

(4) क्या मिनरल उद्योगों ने कर बोर्ड में कोई अपील भी की है? यदि हां, तो क्या कर बोर्ड के निर्णय की पालना हुई और नहीं, तो क्यों?

(5) क्या टैक्स बोर्ड ने अपने निर्णय में राज्य सरकार के फैसले को पुनर्विचार करने को कहा है? यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या कर बोर्ड के फैसले पर बिक्री कर विभाग ने अपील करने का निर्णय लिया है? क्या अपील की गई? यदि नहीं, तो निर्णय की पालना क्यों नहीं की गई?

उत्तर

(1) राज्य में गत 2 वर्षों में मिनरल ग्राइंडिंग के 112 उद्योग पंजीकृत हुए हैं।

(2) जी, नहीं। माननीय उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश ने अपने निर्णय (1) (1990)79 STC 156 B.M. Industries V/s Div. Dy. Commissioner of Sales tax (M.P.) (ii) 6 RTJS (1989) Raj. Tax Tribunal D.B. and Chogi Lal Aakodiya Mandal, Bhilwara V/s C.T.O. Bhilwara, 1986 R.T.C. 350. में यह निर्णय किया गया था कि "मिनरल ग्राइंडिंग मैन्यूफैक्चरिंग" एक्टीविटी नहीं है। इन न्यायालयों को निर्णयों की पृष्ठभूमि में राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1994 की धारा-2(27) में मैन्यूफैक्चरिंग एक्टीविटी को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया :— "Manufacture" includes every processing of goods which bring into existence a commercially different and distinct commodity but shall not include such processing as may be notified by the State Govt." इस परिभाषा को दृष्टिगत रखते हुए राज्य स्तरीय स्कीनिंग कमेटी ने अपनी बैठक दिनांक 23.3.99 में

(उद्योग मंत्री)

यह निर्णय लिया कि मिनरल ग्राइंडिंग मैन्यूफैक्चरिंग एक्टीविटी नहीं है एवं बिक्री कर मुक्ति/आस्थगन योजना, 1987/1989/1998 का लाभ ऐसी इकाइयों को नहीं दिया जा सकता क्योंकि बिक्री कर मुक्ति/आस्थगन योजना, 1987/1989/1998 की योजनाओं के "प्रियेम्बल" में बिक्री कर मुक्ति/आस्थगन का लाभ केवल मैन्यूफैक्चरिंग करने वाले उद्योगों को दिये जाने का ही प्रावधान है।

(3) जी, नहीं। मिनरल ग्राइंडिंग इकाइयों को बिक्री कर प्रोत्साहन योजना का लाभ नहीं प्राप्त होने का विवरण प्रश्न के खण्ड-2 मे दिया जा चुका है। मिनरल ग्राइंडिंग इकाइयों को बिक्री कर प्रोत्साहन योजना का लाभ दिनांक 23.3.99 से बन्द कर दिया गया है।

(4) जी, हां। मिनरल उद्योगों ने कर बोर्ड में जिला स्तरीय छानबीन समिति के निर्णय के विरुद्ध अपील की है। कर बोर्ड ने मामलों को जिला स्तरीय छानबीन समिति को पुनः विचार करने हेतु प्रेषित किये हैं, जिसके अन्तर्गत एक प्रकरण में छानबीन समिति ने निर्णय लिया है कि, यह प्रश्न राज्य सरकार को निर्णय हेतु प्रेषित किया जावे कि, क्या मिनरल ग्राइंडिंग गतिविधि को "मैन्यूफैक्चरिंग एक्टीविटी" माना जाता है अथवा नहीं? किन्तु राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1994 की धारा-2 (27) के अनुसार मिनरल ग्राइंडिंग मैन्यूफैक्चरिंग एक्टीविटी नहीं है एवं इसके अनुसार ही जिला स्तरीय छानबीन समिति को पुनः निर्णय करना है।

(5) जी, नहीं। टैक्स बोर्ड ने मै. हिन्दुस्तान प्लवराइजर्स, मै. कांति मिनरल, मै. मार्डन मिनरल्स, ब्यावर, मै. हिन्दुस्तान मिनरल एण्ड ग्राइंडिंग, मै.. बी.जी. मिनरल्स प्रा. लि., अजमेर, मै. महालक्ष्मी मिनरल्स एवं मै. जे.जी. मिनरल्स, अजमेर प्रकरणों को पुनः जिला स्तरीय छानबीन समिति अजमेर को "रिबाण्ड" किया गया है, न कि राज्य सरकार को।

(6) जी, नहीं। कर बोर्ड, ने मिनरल ग्राइंडिंग के प्रकरणों में जिला स्तरीय छानबीन समिति को पुनर्विचार करने हेतु प्रेषित किया गया है। जिला स्तरीय छानबीन समिति इसमें अपने स्तर पर निर्णय करेगी क्योंकि वह भी क्वासी ज्यूडिशियल अथोरिटी है।

सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर में बन्द लिथोट्रिप्सी मशीन

493. श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि इन्दर लाल रामकिशोर डेरेवाला ट्रस्ट ने सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर को दिनांक 19 दिसम्बर, 2000 को एक समारोह में लिथोट्रिप्सी मशीन दान में दी थी।

(2) क्या यह सही है कि उक्त मशीन का मुख्य प्रयोजन यह था कि पथरी

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

निकलवाने में जहां खर्चा 18-20 हजार के बाहर आता है उक्त मशीन के बाद सवाई मानसिंह अस्पताल में इसका खर्च मात्र डेढ-दो हजार रुपये का आना था?

(3) क्या यह सही है कि उक्त मशीन तब से अब तक बंद पड़ी हुई है? यदि हां, तो क्यों और नहीं, तो कुल कितने समय उक्त मशीन ने क्या-क्या कार्य किस-किस दिवस को किया?

उत्तर

(1) जी, हां। उक्त मशीन की लागत करीब 44 लाख रुपये ट्रस्ट ने बताई है जिसका लोकापर्ण माननीय मुख्य मंत्री द्वारा 19 दिसम्बर, 2000 को एक समारोह में किया गया।

(2) जी, हां।

(3) जी, नहीं। आज तक 134 मरीजों को इसका निःशुल्क लाभ पहुंचाया जा चुका है। दिनांकवार सूची संलग्न है।

DETWEISE WORK POSITION DONE THROUGH LITHOTRIPSY MACHINE

Date	Name of the Patients	Total
1	2	3
19.12.2000	Chote Lal, Abhishekh	02
20.12.2000	Vijay Singh	01
30.12.2000	Chanda Devi	10
01.01.2001	Mahendra, Moolchand, Ram Kumar	03
05.01.2001	Iswar Lal	01
12.01.2001	Ompraksh, Rajkumar, Musraf	03
15.01.2001	Pramodji	01
16.01.2001	Dilip Kumar	01
20.01.2001	Mukesh	01
22.01.2001	Moola Ram, Pramila	02
24.01.2001	Amitabh, Nirmal, Chanda, Musraf, Moolchand	05
25.01.2001	Ramkishore, Narendra, Abhishekha	03
29.01.2001	Mahendra, Girraj Prasad, Sultan Singh	03

1	2	3
30.01.2001	Dr. Ajay, Kanna Ram, Sazid	03
31.01.2001	Ramkaran, Sudha Sharma, Mohanlal	03
01.02.2001	S.K. Agarwal, Devendra, Pintoo, Vishmilaha.	04
02.02.2001	Nazli Khan, Ratna.	02
03.02.2001	Balwant	01
05.02.2001	Rajesh, Sitaram, Lokendera, Tulsidevi, Nandi, Devendra	06
06.02.2001	Ashish	01
07.02.2001	Munshiram, Mathu, Mohan Lal, Shahader Singh, Ram Dhan.	05
09.02.2001	Shri Krishna	01
10.02.2001	Trivediji	01
12.02.2001	Sukh Ram, Ramkishore	02
13.02.2001	Karna Ram, Sunet Kumar	02
14.02.2001	Mohan Lal, Vinod Kumar	02
15.02.2001	Bishmilaha, Bhawani Singh	02
16.02.2001	Radhey Shyam	01
17.02.2001	Mithleshji	01
19.02.2001	Dinesh, Shakuntla Devi	02
22.02.2001	Phoola Devi, Moolchand, Sarita	03
23.02.2001	Abdul Sattar	01
24.02.2001	Vandana, Lakhan Singh, Sunil	03
26.02.2001	Kunti Devi	01
05.03.2001	Murlidhar, Shahni, Banshidhar	03
07.03.2001	Mushi Ram, Suraj Agarwal	02
08.03.2001	Murli Ram	01
12.03.2001	Sadhu Ram	01

1	2	3
13.03.2001	Abdulrafik	01
14.03.2001	Kamla, Idrish Khan, Ramchandra	03
17.03.2001	Sarita, Sani Ram	02
19.03.2001	Laxmi Devi, Bhanwar Lal, Devendra	03
20.03.2001	Mithlesh	01
21.03.2001	Yogendra, Savita, Laxmi Devi	03
23.03.2001	Jagdev, Narayan, Antra Devi, Usha, Ramkanya	05
24.03.2001	Hari Prasad	01
27.03.2001	Ram Baby, Prahlad, Mukhatar Singh, Yojandra, Ashraf	05
28.03.2001	Idrish Khan, Ramkaran, Ramkishan, Bansidhar, Ramlal	05
29.03.2001	Munna Lal	01
30.03.2001	Karana Rama, Pramila, Laxmi	03
31.03.2001	Sushila, Ikbalkishan, Hanuman	03
03.04.2001	Kewal, Rajkumar	02
09.04.2001	Yogendra, Savita, Vinod, Bansidhar, Laxmi Devi	05
10.04.2001	Mukhtar Singh, Murliram, Ramkumar, Lakhan Singh	04
11.04.2001	Ranjan, Ikbal Kishan, Amitabhji, Manju, Jitendra, Abdul	06
	Total	**134**

पंचायत समिति में विकास अधिकारी को अधिकार

494. श्री अमीन खान (शिव) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि राज्य की प्रत्येक पंचायत समिति में एक विकास अधिकारी कार्यरत है? यदि हां, तो उनके पास क्या-क्या साधन हैं? राज्य में पंचायत समितियों के अध्यापकों के वेतन का वितरण कौन करता है? पंचायत समिति विद्यालयों बाबत विकास अधिकारी को क्या अधिकार है?

उत्तर

जी, हां। विकास अधिकारी के पास पंचायत समिति कार्यालय में स्टाफ तथा वाहन उपलब्ध करवाये जाते हैं। राज्य में अध्यापकों का वेतन माह फरवरी (मार्च में देय) तक विकास अधिकारी द्वारा किया जाता था तथा माह मार्च (अप्रैल में देय) से ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा दिये जाने के निर्देश प्रसारित कर दिए गए हैं। इस नई व्यवस्था के लिए ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारियों के पी.डी. खाते खुलवा दिये गए हैं तथा उन्हें आहरण/वितरण अधिकारी की शक्तियां प्रदान कर दी गई हैं। विकास अधिकारी पंचायत समिति का पदेन सचिव होने से समस्त कार्यों के लिए उत्तरदायी है। अतः ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी एवं विकास अधिकारी आपस में समन्वय रखकर कर्तव्यों/अधिकारों का निर्वहन करते हैं तथा दोनों अधिकारी प्रधान के नियंत्रण में कार्य करते हैं तथा पंचायत समिति के प्रति उत्तरदायी हैं।

वृद्धावस्था पेंशन हेतु निर्धारित पात्रताएं

495. श्री हरिशचन्द्र (नावां) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन देने की पात्रताएं भारत सरकार द्वारा निर्धारित की हुई हैं? उक्त पात्रताओं में फेर-बदल करने का क्या राज्य सरकार को कोई अधिकार है? यदि हां, तो उक्त आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या राज्य सरकार ने भी वृद्धावस्था व निराश्रितों के लिए पेंशन योजना चालू कर रखी है? यदि हां, तो उक्त पेंशन कौन-कौनसी पात्रता रखने वाले व्यक्ति या महिला प्राप्त कर सकते हैं और किस विभाग द्वारा स्वीकृत की जाती है?

(3) राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेशन किस विभाग द्वारा स्वीकृत की जाती है? भारत सरकार से वर्ष 2000-2001 में नागौर जिले को कितनी राशि प्राप्त हुई?

(4) क्या राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन धारक के लिए 65 वर्ष या उससे अधिक उम्र का होना आवश्यक है? क्या उसके वयस्क संतान होने पर भी उक्त पेंशन दी जा सकती है?

उत्तर

(1) भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार निम्न पात्रता रखने वाले राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्र है।

1. 65 वर्ष या इससे अधिक आयु के दीन-हीन महिला एवं पुरुष।
2. इन व्यक्तियों की प्रति वर्ष आय 1500/- रुपये से अधिक ना हो।
3. उक्त वर्णित श्रेणी में रहने वाली महिला अनुसूचित जाति, जनजाति, विकलांग, भूमिहीन कृषक एवं मजदूरों को प्राथमिकता।

भारत सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के दिशा निर्देशों में यह भी उल्लेख है कि दीन हीनता निर्धारित करने के उद्देश्य से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों में इस समय लागू मापदण्ड यदि कोई हों, भी अपनाये जा सकते हैं। केन्द्र सरकार को इन मानदण्डों की समीक्षा करने और उचित संशोधनों का सुझाव देने का अधिकार रहेगा। भारत सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के संगत अंश की प्रति संलग्न है।

(2) जी, हां। सरकार द्वारा वृद्धावस्था व निराश्रित व्यक्तियों के लिए विभिन्न श्रेणी की पेंशन योजनायें चालू हैं, जिनमें राज्य वृद्धावस्था, विधवा एवं विकलांग पेंशन योजना शामिल है। उक्त प्रकार की पेंशन स्वीकृत किये जाने हेतु प्रमुख मापदण्ड निम्न प्रकार हैं :—

राज्य वृद्धावस्था पेंशन :

1. राजस्थान के मूल निवासी जो कम से कम गत तीन वर्षों से राज्य में निवास कर रहे हों।
2. वृद्ध पुरुष 58 वर्ष तथा अधिक आयु के निराश्रित हो।
3. वृद्ध महिला 55 वर्ष तथा अधिक आयु की निराश्रित हो।
4. उक्त व्यक्तियों के जीवन निर्वाह के लिए कोई आय न हो। (नियमों में यथा परिभाषित)
5. जिनके 20 वर्ष से अधिक आयु का पुत्र/पौत्र न हो।

विधवा पेंशन :

1. राजस्थान की मूल निवासी जो कम से कम गत तीन वर्षों से राज्य में निवास कर रहे हों।
2. उक्त विधवा के जीवन निर्वाह के लिए कोई आय न हो। (नियमों में यथा परिभाषित)
3. विधवा के 20 वर्ष से अधिक आयु का पुत्र/पौत्र न हो।

विकलांग पेंशन :

1. राजस्थान में स्थाई रूप से निवास करते हों एवं जिनकी आयु 8 वर्ष से अधिक हो।
2. जो अपाहिज या अपंग या अंधे हैं जिसके फलस्वरूप वे अपनी आजीविका कमाने में असमर्थ हैं तथा उनके पास जीवन निर्वाह का कोई साधन नहीं है।

(समाज कल्याण मंत्री)

3. जिस व्यक्ति के पुत्र, पुत्र का पुत्र, पति, पत्नी, पिता, माता, भ्राता या पितामह में से एक या अधिक सम्बन्धी 20 वर्ष की आयु का है और वह सम्बन्धी स्वयं आजीविका के योग्य है तो ऐसा व्यक्ति पेंशन प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।

4. पति, पत्नी यदि दोनों विकलांग हैं तो दोनों पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास अधिकारियों द्वारा तथा शहरी क्षेत्रों में उप खण्ड अधिकारियों द्वारा पेंशन स्वीकृत की जाती है।

(3) ग्रामीण क्षेत्रों में विकास अधिकारियों द्वारा तथा शहरी क्षेत्रों में उप खण्ड अधिकारियों द्वारा पेंशन स्वीकृत की जाती है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2000-2001 में नागौर जिले के 2363 व्यक्तियों के लिए राशि रुपये 22.12 लाख प्राप्त हुई है।

(4) जी, हां। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने के लिए आवेदक का 65 वर्ष या इससे अधिक का होना आवश्यक है। वयस्क संतान होने पर भी पेंशनर्स को केन्द्र सरकार के मद से भुगतान किया जा सकता है। यदि उसकी या उसके परिवार की आय रुपये 1500/- प्रतिवर्ष से कम हो। राज्य में वर्तमान में 3,75,039 व्यक्तियों को राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। जबकि भारत सरकार द्वारा मात्र 1,57,536 व्यक्तियों के लिए राशि रुपये 14.74 करोड़ ही आवंटित की गयी है। ऐसी स्थिति में पेंशन स्वीकृतियां राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार ही जारी की जा रही है। तथा 20 वर्ष या इससे अधिक उम्र का पुत्र/पौत्र होने पर पेंशन देय नहीं है।

(संगत अंश की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

विधान सभा क्षेत्र भादरा में सड़क मरम्मत

496. श्री संजीव कुमार (भादरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र भादरा की लुदेसर सड़क क्षतिग्रस्त है? यदि हां, तो कब से?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सड़क की मरम्मत व चौड़ा किये जाने के कार्य के लिए वर्ष 2000-2001 में स्वीकृति देकर निविदाएं कई बार आमंत्रित की गई एवं कई बार स्थगित की गई?

(3) क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत एवं उसे चौड़ा करने के कार्य को शीघ्र करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र भादरा की भादरा-लुदेसर सड़क आंशिक रूप से गत एक वर्ष से क्षतिग्रस्त है।

(2) प्रथमवार निविदाएं दिनांक 30.6.99 को आमंत्रित कर उक्त कार्य का कार्य आदेश वर्ष 1999-2000 में दिया गया था किन्तु ठेकेदार द्वारा कार्य शुरू नहीं करने के कारण क्षतिपूर्ति लगाकर कार्य विथड्रा कर लिया गया एवं पुनः निविदाएं दिनांक 8.12.99 को आमंत्रित की गई। तत्पश्चात् वित्तीय संसाधन उपलब्ध नहीं होने से कार्य की निविदाएं प्राप्त नहीं की गई।

(3) जी, हां। सड़क संधारण योजना के अन्तर्गत वर्ष 2001-2003 में उक्त सड़क की चौड़ाई 7.00 कि.मी. में बढ़ाने एवं नवीनीकरण कार्य 10.00 कि.मी. में किया जाना प्रस्तावित एवं विचाराधीन है।

विधान सभा क्षेत्र छबड़ा के गांवों का विद्युतीकरण

497. **श्री प्रताप सिंह सिंघवी** (छबड़ा) एवं **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र छबड़ा के कुल कितने ग्रामों का विद्युतीकरण हो चुका है? क्या सभी विद्युतीकृत ग्रामों में बिजली पहुंच गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) छबड़ा में मूंडला एवं छीपाबड़ौद में सारथल 33 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन कब तक चालू कर दिये जावेंगे?

(3) क्या सरकार छीपाबड़ौद तहसील मुख्यालय पर सहायक अभियन्ता कार्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र छबड़ा के 360 ग्रामों को विद्युतीकृत घोषित किया जा चुका है। उपरोक्त में से 55 गांवों में विद्युत तंत्र क्षतिग्रस्त/अपूर्ण अथवा मांग न होने आदि कारणों से बिजली उपलब्ध नहीं है।

(2) पंचायत समिति छीपाबड़ौद के ग्राम सारथल में 33 के.वी. सब-स्टेशन दि. 21.3.2001 को चालू किया जा चुका है व पंचायत समिति छबड़ा के ग्राम मूंडला में 33 के.वी. लाइन का कार्य पूरा हो गया है तथा सब-स्टेशन का कार्य प्रगति पर है जिसको माह जून, 2001 तक पूरा करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(3) छीपाबड़ौद तहसील मुख्यालय पर सहायक अभियन्ता का कार्यालय सृजित करने पर अभी कोई प्रसताव विचाराधीन नहीं है।

पंचायत समिति जैसलमेर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना

498. श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में वर्ष 1999-2000 तथा 2000-2001 में कितने स्वास्थ्य केन्द्र तथा उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या स्वास्थ्य केन्द्र प्रारम्भ करने में जनसंख्या के साथ गांवों की दूरी का भी ध्यान रखा जाता है? यदि हां, तो कितनी दूरी पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिये?

(3) जिला जैसलमेर के कितने पंचायत मुख्यालयों में उप स्वास्थ्य केन्द्र नहीं हैं?

(4) क्या यह सही है कि उक्त जिले की तीन में से दो पंचायत समिति जैसलमेर तथा सांकड़ा में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है?

(5) क्या यह भी सही है कि उक्त जिले के उपनिवेशन क्षेत्र में कोई स्वास्थ्य सेवाएं नहीं हैं?

(6) क्या सरकार जैसलमेर सीमांत क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति तथा उपनिवेशन क्षेत्र को ध्यान में रखकर यहां स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में वर्ष 1999-2000 में 12 ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 05 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये हैं, जिलेवार सूची "क" संलग्न है। वर्ष 2000-2001 में कोई नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र नहीं खोले गये हैं।

(2) जी, नहीं। भारत-सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डानुसार ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर ही प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का प्रावधान है।

(3) जिला जैसलमेर में 18 पंचायत मुख्यालय पर उप स्वास्थ्य केन्द्र नहीं हैं, परन्तु पंचायत मुख्यालय के अन्य ग्राम का नाम जहां उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है सूची "ख" संलग्न है।

(4) जी, नहीं। जैसलमेर जिले की पंचायत समितियों सम में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रामगढ़ एवं सांकड़ा में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पोकरण कार्यरत एवं पंचायत समिति जैसलमेर, मुख्यालय पर 150 शैयाओं का जिला चिकित्सालय कार्यरत है।

(5) जी, नहीं। उप निवेशन क्षेत्र में चार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 18 उप स्वास्थ्य केन्द्र, स्वीकृत है, सूची "ग" संलग्न है।

(राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य)

(6) जी, नहीं। वर्ष 2001-2002 के राज्य योजना अन्तर्गत नवीन चिकित्सा स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने हेतु वित्तीय प्रावधान उपलब्ध नहीं होने के कारण उक्त क्षेत्र में नवीन चिकित्सा केन्द्र खोला जाना सम्भव नहीं है।

(सूचीयां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

ग्राम पंचायत कमोलर (कोटा) के यात्री प्रतीक्षालय का दुरुपयोग

499. श्री नाथूलाल गुर्जर (हिण्डौली), **श्री मदन दिलावर** (अटरू) एवं **श्री जसवन्त सिंह गुर्जर** (बाड़ी) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या ग्राम पंचायत कमोलर (कोटा) में ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा यात्री प्रतीक्षालय बनाये गये थे? यदि हां, तो कहां-कहां कब निर्माण प्रारम्भ हुआ व कब पूर्ण हुआ तथा कुल कितना खर्चा आया?

(2) वर्तमान में उक्त यात्री प्रतीक्षालयों का क्या उपयोग हो रहा है? क्या यात्री प्रतीक्षालय का निर्माण किराये पर देने हेतु किया गया था? यदि हां, तो ऐसे आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यात्री प्रतीक्षालय किराये पर देने की अनुमति जिला परिषद् या जिला कलक्टर से ली गई? यदि हां, तो अनुमति पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त यात्री प्रतीक्षालय को किराये पर देने वाले के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों तथा अब कब तक कार्यवाही करने का विचार है?

उत्तर

(1) जी, हां। ग्राम पंचायत कमोलर के ग्राम कमोलर में सुनिश्चित रोजगार योजना अन्तर्गत वर्ष 1999-2000 में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, कोटा द्वारा यात्री प्रतीक्षालय निर्माण हेतु रु. 84,000/- की स्वीकृति जारी की गई थी। यात्री प्रतीक्षालय का निर्माण दिनांक 16.12.99 को प्रारम्भ हुआ एवं कार्य दिनांक 15.4.2000 को पूर्ण हुआ एवं कार्य पर रु. 83,973/- व्यय हुए है।

(2) वर्तमान में उक्त यात्री, प्रतीक्षालय भवन हाड़ौती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के उपयोग में आ रहा है। ग्राम पंचायत कमोलर ने अपना भवन, जिसमें हाड़ौती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शाखा कार्यरत थी, की मरम्मत कराने के लिए खाली करवा कर, उक्त बैंक को अस्थाई तौर पर यात्री प्रतीक्षालय में किराये पर उपयोग लेने हेतु व्यवस्था की है। ग्राम पंचायत के भवन की मरम्मत होते ही बैंक के उस भवन में कार्यरत होने पर यात्री प्रतीक्षालय भवन यात्रियों के उपयोग हेतु उपलब्ध हो जावेगा।

(3) जी, नहीं।

(4) जी, हां। उक्त यात्री, प्रतीक्षालय को किराये पर देने की अनुमति जिला,

(ग्रामीण विकास मंत्री)

प्रशासन से नहीं ली गई है। जिला प्रशासन को पूर्व में इसकी कोई जानकारी नहीं थी। अब जानकारी प्राप्त होने पर स्थिति स्पष्ट करने एवं यात्री प्रतीक्षालय को अविलम्ब खाली कराने हेतु अति. कलक्टर, जि.ग्रा.वि. अभिकरण, कोटा ने विकास अधिकारी पंचायत समिति, सांगोद को निर्देश दे दिये हैं।

छात्रावासों में छात्रों को देय राशन सामग्री

500. श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्तमान में राज्य में कितने छात्रावास संचालित हैं? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त छात्रावासों में छात्रों को प्रति छात्र कितना राशन दिया जाता है?

(3) क्या यह सही है कि उक्त छात्रावासों में छात्रों को राशन कम मिलने से छात्रों को भूखे रहना पड़ता है?

(4) क्या सरकार पूर्व की भांति छात्रों को 300 ग्राम आटा व अन्य सामग्री निर्धारित मात्रा में छात्रावासों में देने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्तमान में समाज कल्याण विभाग द्वारा 528 राजकीय एवं 74 अनुदानित, कुल 602 छात्रावास संचालित किए जा रहे हैं, जिसकी जिलेवार संख्या सूची संलग्न है।

(2) छात्रावास में रहने वाले छात्र-छात्राओं को प्रति छात्र राशन की स्केल निर्धारित नहीं है वरन उसके स्थान पर 525 रुपये प्रति छात्र प्रतिमाह, राशन सामग्री हेतु छात्रावास की मैस समिति को उपलब्ध कराये जाते हैं।

(3) जी, नहीं।

(4) जी, नहीं। भोजन सामग्री हेतु वर्तमान में दी जाने वाली राशि रुपये 525 प्रति छात्र प्रति माह पर्याप्त है।

विभाग द्वारा संचालित राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों की संख्या सूची

क्र. सं.	नाम जिला	राजकीय छात्रावास	अनुदानित छात्रावास	राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों का योग
1	2	3	4	5
1.	अजमेर	17	2	19
2.	भीलवाड़ा	30	1	31
3.	नागौर	12	6	18
4.	टोंक	15	1	16
5.	बीकानेर	16	1	17
6.	चूरू	12	1	13
7.	हनुमानगढ़	9	1	10
8.	गंगानगर	20	–	20
9.	अलवर	20	–	20
10.	भरतपुर	14	1	15
11.	दौसा	11	2	13
12.	धौलपुर	7	–	7
13.	जयपुर	33	2	35
14.	झुंझुनूं	10	2	18
15.	सीकर	12	5	17
16.	बाड़मेर	18	–	18
17.	जैसलमेर	10	–	10
18.	जालौर	10	–	10
19.	जोधपुर	22	2	24
20.	पाली	23	1	24

1	2	3	4	5
21.	सिरोही	22	1	13
22.	बारां	24	5	29
23.	बूंदी	15	1	16
24.	झालावाड़	13	–	13
25.	करौली	9	–	13
26.	कोटा	14	1	15
27.	सवाईमाधोपुर	13	1	14
28.	बांसवाड़ा	25	12	37
29.	चित्तौड़गढ़	18	3	21
30.	डूंगरपुर	23	5	28
31.	राजसमन्द	11	1	12
32.	उदयपुर	30	10	40
		528	**74**	**602**

विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में नई सड़क निर्माण हेतु राशि

501. श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में 1 दिसम्बर, 1998 के बाद कितनी नई डामर/पेवर/स्टेट हाइवे सड़कों का निर्माण किया गया है और उक्त पर कितनी राशि व्यय की गई है?

(2) क्या सरकार वर्ष 2001-2002 में उक्त विधान सभा क्षेत्र में नई सड़कों के निर्माण एवं पुरानी सड़कों की मरम्मत हेतु राशि देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी राशि किस-किस सड़क हेतु कब तक स्वीकृत कर कार्य आरम्भ किया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में 1 दिसम्बर, 1998 के बाद कुल 12 सड़कों पर 34.45 किमी. लम्बाई में नई डामर सड़कों का निर्माण किया गया है जिन पर राशि रुपये 146.02 लाख व्यय की गई है। विवरण परिशिष्ट "क" में संलग्न है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(2) जी, हां। वर्ष 2001-2002 में उक्त विधान सभा क्षेत्र में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत दो स्वीकृत सड़क (1) सम्पर्क सड़क धांधोला हेतु 23.91 लाख एवं (2) सम्पर्क सड़क धुवाला वाया मोतीपुरा हेतु रुपये 50.60 लाख की राशि आवंटित की गई है, कार्य प्रगति पर है।

विधान सभा क्षेत्र की पुरानी सड़कों पर सड़क संधारण योजनान्तर्गत नवीनीकरण एवं साधारण मरम्मत का कार्य वर्ष 2001-2003 की अवधि में किया जाना सड़कवार राशि के निर्धारण के लिए माननीय सदस्य से विचार-विमर्श कर अन्तिम निर्णय लिया जावेगा।

परिशिष्ट "क"

भीलवाड़ा के विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में 1 दिसम्बर, 1998 के बाद निम्नलिखित डामर सड़कों का निर्माण किया गया

क्र सं.	सड़क का नाम	स्वीकृति (लाखों में)	स्वीकृत लम्बाई (कि.मी. में)	कार्य पूर्ण किया गया (कि.मी. में)	व्यय (लाखों में) (31 मार्च, 2001 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	सम्पर्क सड़क बिलेठा (जोब नं. 1123/5054/एमएनपी/ 95-96)	5.00	2.2	1.2	4.32
2.	सम्पर्क सड़क गांगोथला (जोब नं. 1125 एमएनपी/95-96)	7.50	2.5	2.5	6.64
3.	सम्पर्क सड़क बिलेठा वाया बीरमाता (जोब नं. 120/ 5054/एमएनपी/95-96)	5.00	1.3	1.3	4.19
4.	सम्पर्क सड़क बांकरा (जोब नं. 122/5054)	5.00	2.4	2.0	4.84
5.	सम्पर्क सड़क गांगीथला (जोब नं. 47/5054 बीएमएसपी/96/97)	14.00	2.5	2.5	14.26

1	2	3	4	5	6
6.	सतूर नागौर सड़क के भाग शाहपुरा-जहाजपुर 68/0 से 73/0	25.00	5.00	1.7	16.36
7.	बिलेठा/इटून्दा (एम.पी.स्कीम)	20.00	4.00	4.0	15.87
8.	सम्पर्क सड़क आसोप	2.50	1.25	1.25	1.96
9.	एप्रोच सड़क मंशा	8.0	2.0	2.0	7.57
10.	एप्रोच सड़क मंशा (जोब नं. 134/5054/एमएनपी/96-97)	2.50	1.0	1.0	1.62
11.	कोटड़ी से कंक्रोलिया घाटी (जोब नं. 1138/5054/एमएनपी/प्लान नं. 95/96)	11.0	3.0	3.0	10.82
12.	सम्पर्क सड़क कंक्रोलिया घाटी	60.0	12.0	12.0	57.57
	योग	**165.50**	**39.15**	**34.45**	**146.02**

विधान सभा क्षेत्र सवाईमाधोपुर में ग्रिड सब-स्टेशनों की स्वीकृति

502. श्रीमती यासमीन अबरार (सवाईमाधोपुर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत दो वर्षों में विधान सभा क्षेत्र सवाई माधोपुर में कितने 33 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशनों की कहां-कहां स्वीकृति हुई है?

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के मलारना डूंगर से मलारना स्टेशन के बीच, कुंडेरा एवं श्यामपुरा के बीच, खिरनी क्षेत्र के पास 33 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशनों का निर्माण स्वीकृत करने का विचार रखती है?

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र के शेरपुर, खिलनीपुर में पूर्व में स्वीकृत 33 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन का निर्माण कब तक हो जायेगा?

(4) उक्त विधान सभा क्षेत्र में किन-किन स्थानों पर तार चोरी के कारण अंधेरा है तथा किन-किन का कागजों में विद्युतीकरण है? अब उक्त क्षेत्र में कब तक विद्युत् आपूर्ति करवा दी जायेगी?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सवाईमाधोपुर में गत दो वर्ष (1999-2000 एवं 2000-2001) में तहसील सवाईमाधोपुर के ग्राम कुशतला में माह फरवरी, 2001 में एक 33 के.वी. सब-स्टेशन स्वीकृत किया गया है।

(2) उक्त क्षेत्र में ग्राम मलारना डूंगर से मलारना स्टेशन के बीच ग्राम विच्छीदोना में 33 के.वी. सब-स्टेशन के प्रस्ताव विचाराधीन है। ग्राम कुण्डेरा व श्यामपुर के नजदीक ग्राम शेरपुर में 33 के.वी. सब-स्टेशन पूर्व में ही स्वीकृत हैं, जिसका कार्य प्रगति पर है। खिरनी क्षेत्र 33 के.वी. सब-स्टेशन भाड़ौती में 33 के.वी. सब-स्टेशन स्थापित है। इस सब-स्टेशन की क्षमता 1.6 एम.वी.ए. से 3.15 एम.वी.ए. बढ़ाने के प्रस्ताव स्वीकृत हैं। अतः खिरनी क्षेत्र में अलग से सब-स्टेशन की आवश्यकता नहीं है।

(3) उक्त क्षेत्र में शेरपुर-खिरजीपुर में सब-स्टेशन निर्माण का कार्य प्रगति पर है। 12 कि.मी. लाइन में से 7.0 कि.मी. लाइन के पोल खड़े कर दिये गये हैं तथा शेष का कार्य भी प्रगति पर है। इस सब-स्टेशन को वर्ष 2001-2002 में पूर्ण किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(4) विधान सभा क्षेत्र सवाईमाधोपुर के 5 ग्राम महेसरा, पलसावटा, खातोली, कानसीर व मखोली में लाइनों के तार चोरी होने से विद्युत आपूर्ति बन्द है। इन सभी गांवों में उपभोक्ताओं में विद्युत बिलों की राशि बकाया चल रही है, जिसका ग्रामवार विवरण परिशिष्ट "अ" में संलग्न है। बकाया राशि जमा होने पर लाइन खेंचने का कार्य किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त 9 विद्युतीकृत घोषित ग्रामों में भी विद्युत आपूर्ति नहीं है, इनमें 3 ग्राम टाइगर प्रोजेक्ट क्षेत्र में होने व 6 ग्रामों में विद्युत लाइनें क्षतिग्रस्त होने से विद्युत आपूर्ति नहीं है। उपरोक्त 9 में से 3 ग्रामों में मांग होने से विद्युत लाइनें खेंचनें का कार्य प्रगति पर है तथा 1 ग्राम में कोर्ट केस के कारण कार्य शुरू नहीं किया गया है। दो ग्रामों में कोई आवेदन पत्र लम्बित नहीं है, अतः मांग होने पर ही विद्युत तंत्र स्थापित करने की कार्यवाही की जायेगी। ग्रामवार प्रगति विवरण परिशिष्ट "अ" में दर्शा दिया है।

परिशिष्ट "अ"

ग्रामों में तार चोरी का विवरण विधान सभा क्षेत्र सवाईमाधोपुर

क्रमांक	गांव का नाम	स्थापित विद्युत कनेक्शन	बकाया राशि विद्युत कनेक्शन	चोरी गई 11 के.वी. लाइन	बकाया राशि	विवरण
1.	महेसरा	43	37	3.0 km.	0.63 लाख रु.	बकाया राशि जमा होने पर लाइन खेंची जा सकेगी।
2.	पलसावटा	149	124	4.5 km.	2.45 लाख रु.	बकाया राशि जमा होने पर लाइन खेंची जा सकेगी।
3.	खातोली	1	1	4.6 km.	0.03 लाख रु.	बकाया राशि जमा होने पर लाइन खेंची जा सकेगी।
4.	कांनसीर	3	1	2.0 km.	0.10 लाख रु.	बकाया राशि जमा होने पर लाइन खेंची जा सकेगी।
5.	मखोली	29	25	2.0 km.	0.44 लाख रु.	बकाया राशि जमा होने पर लाइन खेंची जा सकेगी।

विद्युतीकृत घोषित गांवों का विवरण जिनमें विद्युत सप्लाई नहीं है

क्रमांक	गांव का नाम	विद्युतीकृत दिनांक	विद्युत कनेक्शन हेतु पास आवेदन पत्र	11 के.वी. क्षतिग्रस्त लाइन	विवरण
1.	किला रणथम्भौर	28.3.79	शून्य	—	टाइगर प्रोजेक्टर क्षेत्र में
2.	खाण्डोज	27.3.79	शून्य	—	टाइगर प्रोजेक्टर क्षेत्र में
3.	निनोनी	28.3.79	शून्य	—	टाइगर प्रोजेक्टर क्षेत्र में
4.	मोहम्मदपुरा	30.8.80	शून्य	1.5 km.	टाइगर प्रोजेक्टर क्षेत्र में
5.	सहरावता	22.3.82	शून्य	2.0 km.	टाइगर प्रोजेक्टर क्षेत्र में
6.	रइया खुर्द	27.3.89	1 No. कृषि	1.2 km.	विवाद होने के कारण कोर्ट केस के तहत विचाराधीन।
7.	बिलोली नदी	28.2.88	9 Nos. घरेलू	1.2 km.	11 के.वी. क्षतिग्रस्त लाइन को पुनः खोले जाने का कार्य प्रगति पर है।
8.	बाढ़ बिलोली	28.2.88	26 Nos. घरेलू	0.9 km.	11 के.वी. क्षतिग्रस्त लाइन को पुनः खोले जाने का कार्य प्रगति पर है।
9.	सामोली	28.2.88	5 Nos. कृषि	1.6 km.	11 के.वी. क्षतिग्रस्त लाइन को पुनः खोले जाने का कार्य प्रगति पर है।

पंचायत समिति गढ़ी (बांसवाड़ा) के बन्द उप स्वास्थ्य केन्द्र

503. श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या (बांसवाड़ा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि आई.सी.डी.एस. के अन्तर्गत संचालित उप स्वास्थ्य केन्द्र बन्द कर दिए गए हैं? यदि हां, तो क्यों?

(2) पंचायत समिति गढ़ी जिला बांसवाड़ा में कहां-कहां उक्त केन्द्र संचालित थे?

(3) क्या यह सही है कि उक्त ग्रामों में चिकित्सा सुविधा हटने से ग्रामीणों की परेशानियां बढ़ गई हैं? यदि हां, तो सरकार उक्त स्थानों पर अब क्या वैकल्पिक व्यवस्था कर रही है?

उत्तर

(1) जी, नहीं। भारत सरकार द्वारा समेकित बाल विकास सेवा योजना के अन्तर्गत सृजित प्रसाविकाओं के पदों को समाप्त कर दिया गया है।

(2) गढ़ी पंचायत समिति (बांसवाड़ा) में उक्त योजनान्तर्गत उप स्वास्थ्य केन्द्र संचालित है, जो निम्नानुसार है :

क्र.सं.	ग्राम का नाम
1.	बोरी
2.	मादलदा
3.	मोर
4.	रोहनिया खेड़ा
5.	वजवाना
6.	अव्वलपुरा
7.	आसन
8.	टामटिया

(3) जी, नहीं। चिकित्सा विभाग द्वारा उक्त उप स्वास्थ्य केन्द्रों के आसपास के चिकित्सा संस्थानों पर पदस्थापित चिकित्सा कर्मियों द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था कर, चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है तथा इन स्थानों पर नवीन पद सृजित करवाये जाने की कार्रवाही प्रक्रियाधीन है।

सीमावर्ती जिलों के संचालित छात्रावासों का बन्द प्रकरण

504. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला बाड़मेर, जैसलमेर बीकानेर एवं गंगानगर मुख्यालयों में सीमावर्ती छात्रावास श्री माणिक्य लालजी वर्मा के नाम से चलते थे?

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा अपर्याप्त सहायता दिये जाने के कारण उक्त छात्रावास बन्द हो गये।

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

(3) क्या उक्त में से जो छात्रावास भवन सरकार की सहायता से बने हुये हैं उनको सरकार समाज कल्याण द्वारा संचालित छात्रावास के अनुसार सहायता देकर चलायेगी? यदि हां, तो कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी, नहीं। वरन् छात्रावासों द्वारा लेखे प्रस्तुत नहीं करने एवं अन्य औपचारिकताएं पूर्ण करके नहीं दिये जाने की वजह से अनुदान नहीं दिया जा सका।

(3) शिक्षा विभाग द्वारा छात्रावासों को अनुदान हेतु कतिपय नियम बने हुए हैं। अतः छात्रावासों के द्वारा भी नियमों में वर्णित औपचारिकताएं पूर्ण करके प्रस्ताव प्रेषित करने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने पर विचार किया जा सकेगा।

दीवल खेड़ा (झालावाड़) की क्षतिग्रस्त सम्पर्क सड़क

505. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला झालावाड़ में एप्रोच रोड दीवल खेड़ा का कार्य किस संवेदक से कितनी राशि से करवाया गया?

(2) क्या उक्त सड़क का कार्य समाप्त होने से पूर्व ही जगह-जगह से उखड़ कर भारी गड्ढे हो गये हैं? क्या संवेदक को किया गया भुगतान मेजरमेंट लेकर चौड़ाई के हिसाब से किया गया है?

(3) क्या उक्त कार्य का भुगतान गुण नियंत्रण की अनुशंसा के आधार पर किया गया? यदि नहीं, तो क्यों? क्या उक्त प्रकरण में दोषी अभियन्ताओं के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) एप्रोच सड़क दीवल खेड़ा कार्य संवेदक मै. विजेन्द्र सिंह कुन्तल से राशि 2,24,849/- का एवं संवेदक श्री कैलाश चन्द झरोरिया सुरेश कुमार रायपुर से राशि 13,68,859/- रुपये का करवाया गया।

(2) जी, नहीं। कार्य का भुगतान सड़क की चौड़ाई के अनुरूप ही माप लेकर किया गया है।

(3) जी, हां

परिशिष्ट-3

(अतारांकित प्रश्न संख्या-818 की सूची)

क्र. सं.	संस्थान का नाम	पद नाम	स्वीकृत पद	रिक्त पद	कब से रिक्त
1	2	3	4	5	6
1.	राजकीय चिकित्सालय, भादरा	कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडीसन)	1	—	—
		2. क. वि. (सर्जरी)	1	1	5.12.2000
		3. क. वि. (स्त्री)	1	1	3.1.2000
		4. क. वि. (बच्चों)	1	1	26.12.2000
		वरिष्ठ चि. अधि.	1	—	—
		चि. अधिकारी	1	1	—
		नर्स श्रेणी-प्रथम	1	1	12/2000
		नर्स श्रेणी-द्वितीय	4	—	—
		ए. एन. एम.	6	—	—
2.	सामु. स्वा. केन्द्र, छाणीबाड़ी	क. वि. (मेडि.)	1	—	—
		क. वि. (सर्जन)	1	1	15.12.2000
		व. चि. अधि.	1	—	—
		चिकि. अधिकारी	2	2	19.1.2000 29.11.2000
		नर्स श्रेणी-प्रथम	2	—	—
		नर्स श्रेणी-द्वितीय	3	—	—
		ए.एन.एम.	2	—	—

1	2	3	4	5	6
3.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भिरानी	चिकि. अधि.	1	–	–
		नर्स श्रेणी-द्वितीय	2	–	–
		प्रसाविका	1	–	–
4.	प्राथमिक स्वा. केन्द्र, डाबड़ी	चिकि. अधिकारी	1	–	–
		नर्स श्रेणी-द्वितीय	2	–	–
		प्रसाविका	1	–	–
5.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गांधीबड़ी	चिकि. अधिकारी	1	–	–
		नर्स श्रेणी-द्वितीय	2	–	–
		प्रसाविका	1	–	–
6.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अजीतपुरा	चिकि. अधिकारी	1	–	–
		नर्स श्रेणी-द्वितीय	1	–	–
		ए. एन. एम.	1	–	–
7.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, तरादावास	चिकि. अधिकारी	1	–	–
		नर्स श्रेणी-द्वितीय	1	–	–
		प्रसाविका	1	–	–
8.	प्राथमिक स्वा. केन्द्र, जनाना	चिकि. अधिकारी	1	–	–
		नर्स श्रेणी-द्वितीय	1	–	–

1	2	3	4	5	6
9.	प्राथमिक स्वा. केन्द्र मलसीसर	चिकि. अधिकारी	1	—	—
		नर्स श्रेणी-द्वितीय	2	—	—
		ए. एन. एम.	1	—	—
10.	प्राथमिक स्वा. केन्द्र नेठराना	चिकि. अधिकारी	1	1	29.11.2000
		चिकि. अधिकारी	2	—	—
		नर्स श्रेणी-द्वितीय	1	—	—
11.	54 उप स्वा. केन्द्र	प्रसाविका	54	2	बिरान 2.2.2000 मलेखेड़ा 12/2000

परिशिष्ट-4

(अतारांकित प्रश्न संख्या-820 की पदों की सूचना)

प्रमुख चिकित्सा अधिकारी जालौर में चिकित्सालयों के रिक्त पदों की सूची

क्र.सं.	पद का नाम	रिक्त पद कब से है
1.	वरिष्ठ विशेषज्ञ (आर्थ्यो.)	3/99
2.	उप नियंत्रक	1/99
3.	कनिष्ठ विशेषज्ञ (एनेस्थे.)	3.1.01
4.	कनिष्ठ विशेषज्ञ (ई.एन.टी.)	26.12.2000
5.	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	11.9.2000
6.	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	4/99
7.	चिकित्सा अधिकारी	5/2000
8.	चिकित्सा अधिकारी	10.5.2000
9.	चिकित्सा अधिकारी	7/2000
10.	चिकित्सा अधिकारी	26.5.2000

परिशिष्ट-5

(अतारांकित प्रश्न संख्या-824 का विवरण)

क्र. सं.	प्रस्ताव भेजने वाले माननीय संदस्य का नाम	विधान सभा क्षेत्र	सड़क का नाम जहां पुलिया का प्रस्ताव किया गया	अधीक्षण अभियन्ता पाली द्वारा अधिशासी अभियन्ता पाली को प्रस्ताव भेजने हेतु लिखा गया	पुलिया का प्रकरण	पुलिया की अनुमानित लागत (लाखों में)	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	श्री आत्माराम मेघवाल	बाली	रामासिया से नाडोल कि.मी.17	एसई-4111 दिनांक 2.8.99	रपट निर्माण कार्य	3.00	
2.	श्री भंवरलाल मेघवाल, राज्य मंत्री	बाली	फलश् काजवे वेलीनरी नियाल भाग-3	एसई.9133 दिनांक	रपट निर्माण कार्य	29.62	
3.	श्री आत्माराम मेघवाल	देसूरी	गुडा गागनान से नादाना भाटान सड़क पर पुलिया निर्माण	एसई-11016 दिनांक 27.3.2001	4 नं. वेंटेड काजवे 30 मीटर	21.25	
4.	श्री आत्माराम मेघवाल	देसूरी	राबड़ियावास से हनुमानजी चौराहे पर पुलिया	एसई-11016 दिनांक 27.3.2001	1 नं. आरसीसी पुलिया	5.67	

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	श्री आत्माराम मेघवाल	देसूरी	जवाली से नादाना भाटान सड़क पर पुलिया व रपट निर्माण	एसई-11016 दिनांक 27.3.2001	4 नं. फलश् काजवे 1 नं. वेंटेड काजवे	25.39	
6.	श्री आत्माराम मेघवाल	देसूरी	निम्बाड़ा नदी पर रपट निर्माण कार्य	एसई-11016 दिनांक 27.3.2001	रपट निर्माण कार्य	10.41	
7.	श्री आत्माराम मेघवाल	देसूरी	इटन्तरा मेड़तियान नदी पर रपट कार्य	एसई-11016 दिनांक 27.3.2001	रपट निर्माण कार्य	35.42	
8.	श्री आत्माराम मेघवाल	देसूरी	ढालोप मामाजी की काकर पर रपट निर्माण	एसई-11016 दिनांक 27.3.2001	रपट निर्माण कार्य	10.68	
9.	श्री आत्माराम मेघवाल	देसूरी	खोड गांव में जे.एल. आर. टांके के पास रपट निर्माण	एसई-11016 दिनांक 27.3.2001	रपट निर्माण कार्य	5.91	

परिशिष्ट-6

(अतारांकित प्रश्न संख्या-825 का विवरण) परशिष्ट "अ"

क्र. सं.	स्वीकृत सड़क का नाम	स्वीकृत राशि	कार्य आदेश राशि एवं ठेकेदार का नाम
पेकेज सं. आर जे-25-01 पाली			
1.	सम्पर्क सड़क नाहरपुरा	4.00	मै. होडलसिंह गिरिराज सिंह सानि. वि. ठेकेदार को रुपये 1,46,82,305/- का कार्य आदेश दिया गया।
2.	सम्पर्क सड़क बागियारा	14.00	
3.	सम्पर्क सड़क गुडा जेतसिंह	17.00	
4.	सम्पर्क सड़क सिरमा	21.00	
5.	सम्पर्क सड़क बोरडी	37.35	
6.	सम्पर्क सड़क कालबखुर्द	44.00	
7.	सम्पर्क सड़क रामगढ़ शेरतान	15.00	
8.	सम्पर्क सड़क बिचरड़ी	9.00	
	योग :	**161.35 लाख**	
पेकेज सं. आर जे-25-02 पाली			
1.	सम्पर्क सड़क कोटरिया	15.00	मैं. होडलसिंह गिरिराज सिंह सानिवि. ठेकेदार को रुपये 1,25,45,677/- का कार्य आदेश दिया गया
2.	सम्पर्क सड़क कटमोर	24.00	
3.	सम्पर्क सड़क लिलरिया	24.00	
4.	सम्पर्क सड़क राजादण्ड	24.00	
5.	सम्पर्क सड़क रावणिया	27.00	
6.	सम्पर्क सड़क रानीवाल	24.00	
	योग :	**138.00 लाख**	
	कुल योग	**2.99 करोड़**	

परिशिष्ट-7

(अतारांकित प्रश्न संख्या-827 की सूची) परिशिष्ट "अ"

क्र.सं.	प्रस्तावित सड़क का नाम
1	2

1. विधान सभा क्षेत्र-गुढ़ा

1. चंवरा कैम्प से गढला कलां (1886)
2. मैनपुरा से कीरपुरा (1854)
3. शाकम्भरी सड़क से कोट (1805)
4. केड से ढाणी खेदड (1102)
5. नवलगढ़ सड़क से ढाणी मझाऊ (1004)
6. इन्द्रपुरा से जैतपुरा (1283)
7. चंवरा सड़क से मैनपुरा (1114)
8. चनाना भाटीवाड सड़क से नंगली गुजरान (1023)
9. गुढा पौंख सड़क से ढाणी खरबासा (1468)
10. बड़ागांवा चंवरा से नाटास (1166)

योग : 10

2. विधान सभा क्षेत्र-नवलगढ़

1. नवलगढ़ गोल्याणा सड़क से खोजास (1129)
2. कुमास से मैनास (1515)
3. एस.एच.8 से बलरिया (1516)
4. नवलगढ़ गोल्याणा सड़क से बारखा (1259)
5. नवलगढ़ गोल्याणा सड़क से ढाणी ढाका (1733)
6. रानासर से तोगडा कलां (1695)

योग : 6

1	2

3. **विधान सभा क्षेत्र-मण्डावा**

1. पाटोदा से कमलसर (1225)
2. झुंझुनूं मण्डावा सड़क से कुमास (1217)
3. बाडेट से ख्याली (1245)

योग: 3

4. **विधान सभा क्षेत्र-सूरजगढ़**

1. बेरला से आसलवास (1708)
2. बहाना से मुलताना अहिरान (1877)
3. धूलवा से गादली (1194)
4. सिंघाना से कुठानियां (1277)
5. घासेडा से लालामण्डी (1174)
6. सिंघाना बुहाना सड़क से मेहराना (1226)
7. बुहाना सतनाली सड़क से नानवास (1164)
8. बसावता किठाना सड़क से ठीचौली (1002)
9. खानपुर सड़क से पीथौला (1502)
10. भैंसावता से मोई भारू (1196)
11. घासेडा से सोहली (1625)
12. पचेरी-रायपुर अहिरान सड़क से पठाना (1566)
13. भालोठ चूरीना सड़क से काकडा (1196)
14. कलवा से झारोदा (1242)
15. बुहाना से नरात (1009)
16. बुहाना से पालोता (1092)
17. मोई सदा से सांतडिया (1404)

योग: 17

1	2
5. विधान सभा क्षेत्र-खेतड़ी	
1.	कापर चंवरा सड़क से श्यामपुरा (1300)
2.	बबाई कालोटा सड़क से मण्डाना (1077)
3.	कापर चंवरा सड़क से बागोर (1015)
4.	बसई आश्रम सड़क से जमालपुर (1392)
5.	कापर चंवरा सड़क से बांकोटी (1152)
6.	खेतड़ी चनाना सड़क से श्री सरदारपुरा (1163)
7.	कापर सीमला सड़क से रोजड़ा (1203)
योग :	**7**
6. विधान सभा क्षेत्र-पिलानी	
1.	एस.एच.8 से निजामपुर (1661)
2.	सुलताना सड़क से मालुपुरा (1156)
3.	माखर-इस्लामपुर सड़क से केहरपुरा खुर्द (1069)
4.	चिडावा पिलानी सड़क से घण्डावा (1241)
5.	भमीना से बास तोखा (1074)
6.	हमीनपुर से गाडोली (1158)
7.	चिडावा से डांगर (1070)
8.	देसरोड से ढाणी श्योरान (1021)
9.	बजावा से ढंढारिया (1118)
योग :	**9**
कुल योग	**52**

परिशिष्ट-8

(अतारांकित प्रश्न संख्या-830 की प्रति)

परिशिष्ट "क"

OFFICE ORDER

Dated : 19.7.82

As per clause 5(II) part II of work-charged service Rules 1964 revised under Govt. Order No. F.-9(13) Appt./A-II/4 dated 7.7.64 as well as compromisition between Govt. of Rajasthan and Union representatives, the. following temporary belders who have completed 2(two) years of more services as on 31.3.82 is hereby given Status of Sami-permanent on the psot of belders w.e.f. 1.4.82 in the Day scale of 240-3-270-3-270-4-290. They have to produce certificate supporting age from Ist. Class Magistrate of from regognised institutions.

S. No.	Name of employee with Father's name	Designation
1	2	3
1.	Shri Mool Chand S/o Nanu Ram	Belder.
2.	Shri Jaunta S/o Ganni Lal	Belder
3.	Shri Badri S/o Suraj Narain	Belder
4.	Shri Radhey Shyam S/o Lalyan	Belder
5.	Shri Mohan S/o Kana	Belder
6.	Shri Kalu S/o Raju	Belder
7.	Shri Ram Sahai S/o Mahadev	Belder
8.	Shri Niemmudin S/o Nazir Khan	Belder
9.	Shri Prehlad S/o Chhaju	Belder
10.	Shri Panchu S/o Chanda	Belder
11.	Shri Bodu S/o Ghiga	Belder
12.	Shri Chhotu S/o Rawer	Belder

1	2	3
13.	Shri Babu S/o Gulla	Belder
14.	Shri Munda S/o Chhutan	Belder
15.	Shri Shankar S/o Margoo	Belder
16.	Shri Bheshi S/o Gopi	Belder
17.	Shri Kalu S/o Hanuman	Belder
18.	Shri Bhonri Lal S/o Gheshi	Belder
19.	Shri Sarwan S/o Chhiter	Belder
20.	Shri Bhagwan S/o Panchu	Belder
21.	Shri Soran Singh S/o Bal Mukand	Belder
22.	Shri Sita Ram S/o Kalyan	Belder
23.	Shri Bhaowan S/o Byarinru	Belder
24.	Shri Jagdish S/o Birdha	Belder
25.	Shri Narain S/o Udda	Belder
26.	Shri Bundhi Bhadur S/o Rajjeet	Belder
27.	Shri Jagdish S/o Chhiter	Belder
28.	Shri Bal S/o Mahadev	Belder
29.	Shri Madan S/o Gulla	Harizen
30.	Smt. Dhanni D/o Dhura	Cooli

Sd/-
Assistant Engineer, PWD,

परिशिष्ट-9

(अतारांकित प्रश्न संख्या-834 का विवरण)

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या			रिक्त पदों की संख्या			कब से रिक्त हैं
		प्राचार्य	प्र.अ.	व्या.	प्राचार्य	प्र.अ.	व्या.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	राउमावि, वाटडनाऊ	01	—	05	—	—	01	9/97
2.	राउमावि, बलारा	01	—	05	—	—	01	2/2001
3.	राउमावि, ढाढप	01	—	05	—	—	03	7/97(2), 8/2 के
4.	राउमावि, गारिण्डा	01	—	04	01	—	—	4/2001
5.	राउमावि, हरसावा	01	—	05	—	—	01	10/97
6.	राउमावि, रोसावा	01	—	05	01	—	05	7/2के, 7/97(4), 7/98
7.	राउमावि, रोल साबसर	01	—	05	01	—	05	7/2के, 7/2के(5)
8.	राउमावि, बीबीपुर	01	—	07	—	—	01	8/2के
9.	राउमावि, कायमसर	01	—	05	—	—	04	10/2के
10.	राउमावि, बेसवा	01	—	04	—	—	02	4/99, 7/98
11.	राउमावि, ठिमौली	01	—	04	—	—	04	7/99, (3)2/01
12.	राउमावि, बागड़ोदा	01	—	04	—	—	03	7/2के
13.	राउमावि, जी.डी. रामगढ़	01	—	06	—	—	01	4/98
14.	रामावि, सुभाषफतेहपुर	—	01	—	—	—	—	
15.	रामावि, नेवटिया	—	01	—	—	—	—	
16.	रामावि, एच.आर. रामगढ़	—	01	—	—	—	—	
17.	रामावि, कारंगा छोटा	—	01	—	—	—	—	
18.	रामावि, रोरूबड़ी	—	01	—	—	—	—	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19.	रामावि, चाचीवार बड़ा	—	01	—	—	—	—	
20.	रामावि, गोडियाबड़ा	—	01	—	—	—	—	
21.	रामावि, अल्फसर	—	01	—	—	—	—	
22.	रामावि, नबीपुरा	—	01	—	—	—	—	
23.	रामावि, अठवास	—	01	—	—	—	—	
24.	रामावि, बातरू	—	01	—	—	—	—	
25.	रामावि, विरानिया	—	01	—	—	—	—	
26.	रामावि, दिनवा लाडखानी	—	01	—	—	—	—	
27.	रामावि, गांगीयासर	—	01	—	—	—	—	
28.	रामावि, ताजसर	—	01	—	—	—	—	
29.	रामावि, चूंडी मियान	—	01	—	—	—	—	
30.	रामावि, नवास	—	01	—	—	—	—	
31.	रामावि, माण्ड्रेला	—	01	—	—	01	—	8/2000
32.	रामावि, साखु	—	01	—	—	—	—	—
33.	रामावि, डिसनाऊ	—	01	—	—	—	—	—
34.	राबामावि, मेवटिया	—	01	—	—	—	—	—
35.	राबामावि, अल्फसर	—	01	—	—	—	—	—
36.	राबामावि, बलारा	—	01	—	—	01	—	11/2000
	योग	**13**	**23**	**64**	**03**	**02**	**31**	

परिशिष्ट-10

(अतारांकित प्रश्न संख्या-848 का परिपत्र)
राजस्थान सरकार
पंचायती राज विभाग

क्रमांक : एफ 1 लेखा/केबि.मंत्री/पराविं 2000/5407 जयपुर,4 मार्च,2000

परिपत्र

विषय :—भूतपूर्व सरपंचों के द्वारा करवाये गये कार्य का भुगतान/समायोजन

पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के पश्चात् इस प्रकार की स्थिति आ सकती है जिसमें कि कार्य को भूतपूर्व सरपंच द्वारा करवाया गया हो किन्तु उस कार्य की देयता का भुगतान/समायोजन नहीं हुआ है। इस प्रकार के प्रकरण के निपटारे हेतु निम्नप्रकार से दिशा-निर्देश दिये जाते हैं :—

1. भूतपूर्व सरपंच के विरुद्ध बकाया अग्रिम की स्थिति में—भूतपूर्व सरपंच द्वारा लिये गये अग्रिम में से बिलों/मस्टर रोल को भुगतान यदि सरपंच द्वारा करा दिया गया है तथा आवश्यक सत्यापन पश्चात् बिल/मस्टर रोल पर भूतपूर्व सरपंच द्वारा "मेरे द्वारा भुगतान किया" अंकित करता है तो बकाया अग्रिम के विरुद्ध इसका समायोजन किया जाना है।

2. भूतपूर्व सरपंच के प्रति बकाया अग्रिम नहीं होने पर—भूतपूर्व सरपंच की अवधि में कराये गये कार्य का सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापन करने तथा बिलों/मस्टर रोल को प्रमाणीकरण पर आवश्यक जांच पश्चात् कार्य का भुगतान एकाउन्ट पेई चैक द्वारा किया जा सकेगा तथा मस्टर रोल का भुगतान वर्तमान सरपंच द्वारा आवश्यक निर्धारित प्रक्रिया अपनाकर किया जाना होगा।

3. भूतपूर्व सरपंच द्वारा अग्रिम नहीं होने पर भी अपने स्तर पर भुगतान करने पर—भूतपूर्व सरपंच द्वारा कराये गये कार्य तथा बिल/मस्टर रोल का प्रमाणीकरण सक्षम अधिकारी द्वारा करने पर तथा भूतपूर्व सरपंच द्वारा बिल पर "मेरे द्वारा भुगतान किया गया" अंकित करने पर आवश्यक जांच पश्चात् उस बिल/मस्टर रोल का भुगतान भूतपूर्व सरपंच को किया जा सकेगा।

4. उपरोक्त प्रकार के भुगतान/समायोजन के लिए 30 दिवस को समय पर्याप्त है यदि इस अवधि में सरपंच द्वारा भुगतान/समायोजन नहीं कराया गया तो आगे स्वीकार नहीं किया जावेगा। विकास अधिकारी की यह जिम्मेदारी होगी कि वह 30 दिवस में ऐसे प्रकरणों का निपटारा करवा लेवें।

ह०/-
(मनोहर कान्त)
निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव

परिशिष्ट-11

(अतारांकित प्रश्न संख्या-851 की सूची)

कार्यालय ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, छीपाबड़ौद/छबड़ा में आबंटित की गई राशि का विवरण

बीईईओ कार्यालय का नाम	मद	आबंटित राशि	उठाई गई राशि	राशि उठाने की दिनांक
1	2	3	4	5
छीपाबड़ौद	वेतन	26569500	19534495	प्रत्येक माह की 5 तारीख तक
	यात्रा	80650	68307	31.3.2001
	चिकित्सा	121350	105623	31.3.2001
	कार्यालय व्यय	43750	41493	31.3.2001
	कार्या. व्यय अनु. (चश्रेक)	40000	–	–
	मशीनरी साज समान	500	–	–
	अन्य व्यय	9010	6351	31.3.2001
	पुस्तकालय	3160	–	–
	मुद्रण	1440	1120	31.3.2001
	लेखन	1300	915	–
	प्रवेशोत्सव	5000	4684	–
	छात्रवृत्ति	284770	284770	जन.-मार्च, 2001

1	2	3	4	5
छबड़ा	वेतन	24512000	18544218	प्रत्येक माह की 5 तारीख
	यात्रा	80150	76788	1.2.01 से 31.3.01
	चिकित्सा	173400	164078	1.2.01 से 31.3.01
	कार्यालय व्यय	53080	52452	1.2.01 से 31.3.01
	कार्या. व्यय अनु. (चश्रेक)	100000	—	—
	मशीनरी साज समान	400	—	—
	अन्य व्यय	10700	8102	1.2.01 से 31.3.01
	पुस्तकालय	3600	2992	1.2.01 से 31.3.01
	मुद्रण	1900	1700	1.2.01 से 31.3.01
	लेखन	1300	975	1.2.01 से 31.3.01
	प्रवेशोत्सव	5000	—	—
	छात्रवृत्ति	143690	143690	जन.-मार्च, 2001
	किराया रेट/रायल्टी	4269	4269	फरवरी, 2001

परिशिष्ट-12

(अतारांकित प्रश्न संख्या-852 की सूची)

कार्यालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़

वर्ष, 1999-2000 में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के प्राप्त अभियोग जो जिला सतर्कता समिति, चित्तौड़गढ़ में दर्ज किए गए उनके निराकरण एवं शेष प्रकरणों की सूची

क्रमांक	नाम परिवादी मय पता	वि. विवरण
1.	श्री गोपाललाल पिता श्री रघुनाथ ढोली, निवासी बानसी	निस्तारित
2.	श्री शंभूलाल रेगर पिता कजोड़, निवासी बेंगू	निस्तारित
3.	श्री उदा पिता डोकमा चमार, निवासी कितीयास, तह. बेंगू	निस्तारित
4.	श्री देवीलाल मेहर, स. कर्मचारी, रा.मा.वि. बेंगू	निस्तारित
5.	श्रीमती उदी बाई पत्नी कालूजी बलाई, निवाई आरणी	निस्तारित
6.	श्री भैरू बलाई, नि. जीतियास	निस्तारित
7.	श्रीमती चम्पादेवी खटीक पत्नी श्री मोहनलाल, नि. धौसुण्डा	निस्तारित
8.	श्री कन्हैया लाल पिता श्री चुन्नीलाल रेगर	निस्तारित
9.	श्री प्रकाश चन्द्र धोबी, निवासी सेंती, चित्तौड़गढ़	निस्तारित
10.	श्री नाराण पिता गिरधारी मेघवाल, निवासी रावतभाटा	निस्तारित
11.	श्री रामा पिता गोकल रेगर, निवासी सुरजना	निस्तारित
12.	श्री शिवलाल मेघवाल	निस्तारित

वर्ष 99-2000 में प्राप्त प्रकरण	निस्तारित	शेष
12	12	निल

ह०/-
जिला कलक्टर,
चित्तौड़गढ़

कार्यालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़

वर्ष 1999-2000 में अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के प्राप्त अभियोग जो जिला सतर्कता समिति, चित्तौड़गढ़ में दर्ज किए गए उनके निराकरण एवं शेष प्रकरणों की सूची

क्रमांक	नाम परिवादी मय पता	वि. विवरण
1.	श्री थावरा पिता श्री भाणा, निवासी भाटखेड़ी, तह. छोटी सादड़ी	निस्तारित
2.	श्री कैलाश चन्द्र मीणा, पी.एच.सी. दलोट	निस्तारित
3.	श्री ऊंकार लाल पिता सवा रावत, निवासी छापलिया, तह. निम्बाहेड़ा	निस्तारित
4.	श्री सोराम पिता वैणीराम भील, निवासी नवाबपुरा थाना शंभुपुरा	निस्तारित
5.	श्री जीवनलाल मीणा निवासी बाड़ी बम्बोरी	निस्तारित

वर्ष 99-2000 में प्राप्त प्रकरण	निस्तारित	शेष
5	5	निल

ह०/-
जिला कलक्टर,
चित्तौड़गढ़

कार्यालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़

वर्ष 2000-2001 में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के प्राप्त अभियोग जो जिला सतर्कता समिति, चित्तौड़गढ़ में दर्ज किए गए उनके निराकरण एवं शेष प्रकरणों की सूची

क्रमांक	नाम परिवादी मय पता	वि. विवरण
1	2	3
1.	श्रीमती चन्द देवी खटीक पत्नी श्री मोहन लाल खटीक, नि. धौसुण्डा	निस्तारित
2.	श्री पन्नालाल बैरवा, निवासी नेवरिया	निस्तारित
3.	श्री भैरूलाल रेगर निवासी राशमी	निस्तारित
4.	श्रीमती धीसीबाई पुत्री श्री उदा चमार, निवासी रूपपुरा	निस्तारित
5.	श्री धासी पिता ऊंकार चमार, निवासी भिण्डाना तह. निम्बाहेड़ा	निस्तारित
6.	श्री लोमा पिता सेवा नायक, निवासी बूढ़	निस्तारित
7.	श्री रामचन्द्र पिता खेमा चमार, निवासी मचलाना तह. प्रतापगढ़	निस्तारित
8.	श्री अमरचन्द्र वीरवाल, भूतपूर्व विधायक महोदय, गंगरार, राशमी विधान सभा क्षेत्र	निस्तारित
9.	श्री कालूलाल, विधायक महोदय गंगरार-राशमी विधान सभा क्षेत्र	निस्तारित
10.	श्री छोगालाल पिता केला जटिया निवासी भिश्तियों की झोपड़िया चित्तौड़गढ़	निस्तारित

1	2	3
11.	श्री भंवरलाल पिता नाराण जटिया, निवासी कारूण्ड़ा, तह. निम्बाहेड़ा	निस्तारित
12.	श्री रामलाल रेगर पिता कुशाल रेगर	निस्तारित
13.	श्री सूरजमल पिता रूपा ढोली, निवासी मानपुरा	निस्तारित
14.	श्री राजेश कुमार पिता श्री मदनलाल खोईवाल, निवासी धौसुण्डा	निस्तारित
15.	श्री भगतलाल सरगरी पिता उदा, निवासी डगला का खेड़ा, तह. चित्तौड़गढ़	निस्तारित
16.	श्रीमती कमला बेवा श्यामलाल कंजर, निवासी चन्दाखेड़ी, तह. बेंगू	*विचाराधीन

वर्ष 2000-2001 में प्राप्त प्रकरण	**निस्तारित**	**शेष**
16	**15**	**1**

***नोट** : दिनांक 28-4-2001 को होने वाली बैठक में विचारार्थ

ह०/-
जिला कलक्टर,
चित्तौड़गढ़

कार्यालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़

वर्ष 2000-2001 में अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के प्राप्त अभियोग जो जिला सतर्कता समिति, चित्तौड़गढ़ में दर्ज किए गए उनके निराकरण एवं शेष प्रकरणों की सूची

क्रमांक	नाम परिवादी मय पता	वि. विवरण
1	2	3
1.	श्री नानराम पिता श्री होला भील, निवासी अरनोद	निस्तारित
2.	श्री मोहन पिता श्री डालू भील, निवासी अरनोद	निस्तारित
3.	श्री ऊंकारलाल भील पिता श्री नन्दा भील, निवासी कालीयादेह बांध, तहसील बेंगू	निस्तारित
4.	श्री पन्ना लाल पिता लखमा भील, निवासी मण्डावरी	निस्तारित
5.	श्री कल्ला पिता श्री रामा भील, निवासी नेतावलगढ़ पाछली	निस्तारित
6.	श्री शंकरलाल मीणा पिता श्री भराजी मीणा, निवासी बावड़ी खेड़ा, थाना बिजयपुर	निस्तारित
7.	श्री डाल पिता उदा भील निवासी बागलो का खेड़ा	निस्तारित
8.	श्री नाथूलाल पिता विरम भील, निवासी बागलो का खेड़ा	निस्तारित
9.	श्री लक्ष्मण पिता रूपा भील, निवासी दौलतपुरा उर्फ नयागांव	निस्तारित
10.	श्री रामलाल पिता किशना भील, निवासी रेनखेड़ा, तहसील रावतभाटा	निस्तारित

वर्ष 2000-2001 में प्राप्त प्रकरण	निस्तारित	शेष
10	10	निल

ह०/-
जिला कलक्टर,
चित्तौड़गढ़

परिशिष्ट "क"

परिशिष्ट-13

(अतारांकित प्रश्न संख्या-857 का विवरण)

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, श्रीगंगानगर जिले की पंचायत समितियों में गठित निर्माण कमेटियों का विवरण

क्र.सं.	कार्य का नाम	स्थान	योजना	प.स.	लागत	सदस्य		कार्य की भौतिक स्थिति
1	2	3	4	5	6	7		8
1.	पक्का खाला	4 यू	एजीएके	करनपुर	253800	1. बक्शीशसिंह 2. रणजीत सिंह 3. ग्राम सेवक	अध्यक्ष वार्ड पंच सचिव वार्ड पंच सदस्य सचिव	पूर्ण
2.	पक्का खाला	20 एच.ए.	एजीएके	करनपुर	250000	1. करनैलसिंह 2. हरदेव सिंह 3. ग्राम सेवक	अध्यक्ष वार्ड पंच सचिव सदस्य	पूर्ण
3.	शाला भवन निर्माण	1 एक्स	सांसद योजना	करनपुर	107500	1. प्रेमसिंह 2. जोगेन्द्र सिंह 3. ग्राम सेवक	अध्यक्ष वार्ड पंच पंच सदस्य सदस्य सचिव	पूर्ण

1	2	3	4	5	6	7		8
4.	आडोटोरियम हाल	1 एक्स	सांसद योजना	करनपुर	350000	1. गुरबक्स सिंह 2. जोगेन्द्र सिंह 3. ग्राम सेवक	अध्यक्ष सदस्य सदस्य सचिव	पूर्ण
5.	धर्मशाला निर्माण	धनूर	विधायक कोटा	करनपुर	107500	1. जसवीर कौर 2. पृथ्वीराम 3. ग्राम सेवक	अध्यक्ष वार्ड पंच सदस्य सदस्य सचिव	पूर्ण
6.	रा.सी.मा.वि. (कन्या) निर्माण	रायसिंह नगर	सांसद योजना	रायसिंह नगर	500000	1. सुभाष वकील 2. मनफूलराम 3. पूरनचन्द 4. राकेश भांभू	संयोजक सरपंच अध्यक्ष भादवावाला सचिव सदस्य भादवावाला उपाध्यक्ष न.पा.सदस्य रायसिंह नगर	चालू

ह०/-
प्रभारी अधिकारी (वि.स.)
डीआरडीए, श्रीगंगानगर

परिशिष्ट-14

(अतारांकित प्रश्न संख्या-863 की सूची) परिशिष्ट "क"

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र-नावां में सम्मिलित होने वाले गांवों की सूची

क्र.सं.	प्राथमिकता	नाम गांव	जनसंख्या (1991)
1	2	3	4
1.	1991 की जनगणना अनुसार 1000 या इससे अधिक आबादी वाले गांव जो वर्तमान में किसी प्रकार की सड़क से जुड़े हुए नहीं हैं।	(1) खाखड़की	1419
		(2) खरिपुरा	1049
		(3) मानजी की ढाणी	1149
		(4) राजलिया	2654
2.	1991 की जनगणना अनुसार 1000 या इससे अधिक आबादी वाले गांव जो वर्तमान में मेटल सड़क से जुड़े हुए हैं।	—शून्य—	—
3.	1991 की जनगणना अनुसार 1000 या इससे अधिक आबादी वाले गांव जो वर्तमान में ग्रेवल सड़क से जुड़े हुए हैं।	(1) गोगोर	1182
		(2) जीनवार	1058
		(3) पिवरली	1013
		(4) सिरसी	1339
		(5) मोतीपुरा	1307
		(6) खंवली गुढ़ा	1013
		(7) छापरी	1159
		(8) गुधरवाल	1337
4.	1991 की जनगणना अनुसार 500 या इससे अधिक आबादी के गांव जो वर्तमान में डामर सड़क से जुड़े हुए नहीं हैं।	(1) बरजन	933
		(2) चारणवास	953
		(3) रघुनाथपुरा	997
		(4) उलाणा	734
		(5) माता सुखा	734
		(6) देपुर	899
		(7) थावाड़ी	519
		(8) पुरोहितों का बास	719
		(9) केरपुरा	793

1	2	3	4
		(10) जवानपुरा	643
		(11) सांवतगढ़	822
		(12) बाजणा	548
		(13) ठिकरिया कलां	696
		(14) मोलासिया	697
		(15) धरवानी	554
		(16) रिक्सा	611
		(17) भिचरों का बास	960
		(18) भेरूपुरा	769
		(19) दीपपुरा	910
		(20) कलोली	685
		(21) प्रेमपुरा	936
		(21) सुजानपुरा	573
		(23) शेषमा का बास	721
		(24) सरदारपुरा	699

ह०/-
अधिशासी अभियन्ता,
सा.नि.वि. खण्ड, परबतसर

परिशिष्ट "ख"

ग्राम महाराजपुरा की सड़क से जोड़ने हेतु जारी की गई स्वीकृतियां एवं सर्वे का विवरण

क्र.सं.	कार्य का नाम	योजना	स्वीकृति क्रमांक दिनांक	राशि	व्यय राशि (लाखों में)
1.	सम्पर्क सड़क महाराजपुरा	एम.पी. लेड	3018 / 26.5.2000	3.42	1.77
2.	सम्पर्क सड़क महाराजपुरा	अकाल राहत मद	12498-527 / 30.5.2000	1.72	1.17
3.	महाराजपुरा से राजास	राहत मद	14261-77 / 3.6.2000	20.00	1.20
		योग		**20.14**	**4.22**